षष्ठम् ला, खंड 9, अंक 21 बुधवार, 14 दिसम्बर, 1977/23 अग्रहायण, 1899 (शक)
Sixth series, Vol. IX, No. 21 Wednesday, December 14, 1977/Agrahayana 23, 1899 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र / Third Session]

[खंड 9 में अंक 21 से 27 तक हैं / Vol, 9 contains Nos. 21 to 27]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 21, बुधवार, 14 दिसम्बर, 1977/23 अग्रहायण, 1899 (शक)

No. 21, Wednesday, December 14, 1977/Agrahayana 23, 1899 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	Oral Answers to Questions:—	1–13
*तारांकित प्रश्न संख्या 406 से 409, 411 और 413	*Starred Questions Nos. 406 to 409, 411 and 413	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 6	Short Notice Question No. 6	13–18
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	Written Answers to Questions—	18–138
तारांकित प्रश्न संख्या 410, 412 और 414 से 425	Starred Questions Nos. 410, 412 and 414 to 425	
अतारांकित प्रश्न संख्या 3797 से 3836, 3838 से 3843, 3845 से 3867, 3869 से 3902 और 3904 से 3996	Unstarred Questions Nos. 3797 to 3836, 3838 to 3843, 3845 to 3867, 3869 to 3902 and 3904 to 3996	
दिनांक 16–11–1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 445 के उत्तर को शुद्धि करने वाला विवरण	Statement Correcting Answer to USQ 445 dated 16-11-1977	139
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	139–142
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	142–145
दिल्ली के एक रिहायशी बंगले पर कथित सशस्त्र हमला	Reported armed raid on a residential bungalow in New Delhi	
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	145
44वां प्रतिवेदन	Forty-fourth Report	
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—	Committee on Subordinate Legislation—	416
तीसरा प्रतिवेदन	Third Report	
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	146
दसवां प्रतिवेदन	Tenth Report	

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1—375 LSS (ND)/77

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGES
भारतीय विद्युत (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	Indian Electricity (Amendment) Bill—Introduced	146
नियम 377 के अधीन मामले—	Matters under Rule 377—	147–148
(1) कर्नाटक में काफी बोर्ड का कार्यकरण	(1) Functioning of Coffee Board in Karnataka	147
(2) तूफान पीड़ितों में राहत सामग्री का वितरण करने वाली समिति में इण्डियन रेड क्रास सोसाइटी द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति	(2) Appointment by Indian Red Cross Society of officials to a Committee to distribute relief materials to Cyclone victims	147
(3) आगामी उप-चुनावों में उत्तर प्रदेश बिहार और पंजाब में सरकारी तन्त्र का कथित दुरुपयोग	(3) Reported misuse of Government Machinery in U.P., Bihar and Punjab in the coming bye-elections	148
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1977–78—	Supplementary Demands for Grants (General), 1977-78 —	148–159
श्री ओ० वी० अलगेसन	Shri O. V. Alagesan	148–149
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	149
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	150
श्री दुर्गा चन्द	Shri Durga Chand	150–151
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvathi Krishnan	151–152
श्री लक्ष्मीनारायण नायक	Shri Laxminarain Naik	152
श्री ए० बाला पंजनौर	Shri A. Bala Panjnoor	153
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	153–154
श्री धीरेन्द्रनाथ बसु	Shri Dhirendranath Basu	154
श्री पूर्ण सिन्हा	Shri Purna Sinha	155
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	155–156
श्री मनोहर लाल	Shri Manohar Lal	157
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	157–158
विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1977—पुरःस्थापित—	Appropriation (No. 4) Bill, 1977—introduced—	160
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	160

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGES
खंड 2, 3 और 1—	Clauses 2, 3 and 1—	
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to Pass—	
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	160
सुन्दरबन के विकास के बारे में प्रस्ताव— वापिस लिया गया—	Motion re-Development of Sundarbans—Withdrawn—	161–168
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	161–162
श्री एस० के० सरकार	Shri S. K. Sarkar	163–164
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy	164–165
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu	165–166
श्री उग्रसेन	Shri Ugrasen	166
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	166
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	166–168
आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-Hour Discussion—	169–172
गन्ने का मूल्य निर्धारण करना—	Fixation of Sugarcane Price—	
डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय	Dr. Laxminarayan Pandeya	169
श्री के० लक्कप्पा	Shri K. Lakkappa	170
श्री सुभाष आहूजा	Shri Subash Ahuja	170
श्री गौरी शंकर राय	Shri Gauri Shankar Rai	170–171
श्री रामधारी शास्त्री	Shri Ram Dhari Shastri	171
श्री भानु प्रताप सिंह	Shri Bhanu Pratap Singh	171–172

लोक सभा
LOK SABHA

बुधवार, 14 दिसम्बर, 1977/23 अग्रहायण, 1899 (शक)
Wednesday, December 14, 1977/*Agrahayana* 23, 1899 (*Saka*)

लोकसभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कोल इंडिया लिमिटड को हुआ घाटा

*406. **श्री के० लकप्पा :**
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सरकारी उपक्रम कोल इंडिया लिमिटेड को जिसके अधीन देश के लगभग 95 प्रतिशत कोयला निक्षेप हैं, गत दो वर्षों में कुल मिलाकर 80 करोड़ रुपये की हानि हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या मुख्य कारण हैं; और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) इस समय उपलब्ध अनंतिम खातों के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड का पिछले दो वर्षों में अनुमानित घाटा 80 करोड़ रुपये से अधिक है।

(ख) घाटे के मुख्य कारण इस प्रकार है :—

(i) जिस राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते के कारण कम्पनी को अधिक मजदूरी देनी पड़ी वह तो 1 जनवरी, 1975 से लागू हो गया था लेकिन कोयले की कीमतों में संशोधन 1 जुलाई, 1975 से किया गया।

(ii) 1 जुलाई, 1975 से कोयले की कीमत में संशोधन करते समय सरकार ने केवल रु० 17.50 प्रति टन बढ़ाने की अनुमति दी जबकि इस प्रश्न पर विचार करने वाली अंतर-मंत्रालयी समिति तक ने कोयले की उत्पादन लागत के आधार पर रु० 21.80 प्रति टन बढ़ाने की अनुशंसा की थी।

(iii) 1976-77 में बोनस के स्थान पर अनुग्रह राशियों के भुगतान, और भंडारों, बिजली, मशीनरी और उत्पादन की अन्य सामग्रियों की कीमत बढ़ने के कारण उत्पादन की लागत में वृद्ध हुई।

(ग) कोयले जैसे बुनियादी ईंधन की कीमतों में होने वाली किसी भी वृद्धि के आम प्रभाव को देखते हुए सरकार ने फिलहाल कोयले की कीमत में संशोधन न करने का निर्णय किया है। परन्तु फिर भी ऐसी कार्रवाइयां की जा रही है जिनसे व्यय में कमी, कार्यक्षमता में वृद्धि और उत्पादन की लागत में कमी हो सके।

श्री के० लक्कप्पा : कोल इंडिया के पास देश के 90 प्रतिशत कोयला भण्डार हैं और हाल में कम्पनी के अध्यक्ष श्री ग्रेवाल के अनुसार कम्पनी को गत दो वर्षों में 80 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है जिसके उन्होंने विभिन्न कारण भी बताये हैं। एक और वक्तव्य में उन्होंने यह भी कहा है कि इस घाटे के बावजूद किफायत करने के उपाय करने के बजाय 43 करोड़ रुपये आलीशान मकान और भवन बनाने पर लगाने जा रही है। उन्होंने वर्तमान सरकार पर दिए गए सुझाव पर कार्यवाही न करने का भी आरोप लगाया है। मुझे उन सुझावों की जानकारी नही है कि क्या वे अच्छे हैं अथवा नहीं। फिर भी उनका आरोप वर्तमान भारत सरकार और उसके रवैये कतिपय आवश्कताओं के विरूद्ध है जो पूरी नहीं की गई हैं। भर्ती और पदोन्नति के प्रति वस्तुपरक रवैय्या नहीं अपनाया गया है आदि, आदि। कम्पनी को वे व्यक्ति खाने पड़े जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार घाटा बढ़ रहा है और दो वर्ष में यह 80 करोड़ रुपये हो गया है। कम्पनी के अध्यक्ष के सुझावों के बारे में और समूची कम्पनी को सुचारु बनाने की दिशा में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री पी० रामचन्द्रन : जैसा मैंने बताया है, घाटे के कई कारण हैं। सरकार ने इसकी जांच और यथा संभव किफायत करने के लिए एक समिति नियुक्त की है जिनकी रिपोर्ट 3 मास के अन्दर मिल जाएगी। विभिन्न दिशाओं में किफायत संबंधी मार्गदर्शक सिद्धान्त बने हुए हैं। गैर-तकनीकी और गैर-परिचालन स्टाफ की भर्ती के अधिकार पर भी कुछ निर्बन्धन हैं और कार्यालय-व्यय, यात्रा भत्ते, तदर्थ व्यय आदि के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त हैं। इनका पालन किया जा रहा है और हमें किफायत होने की आशा है। उत्पादन लागत बढ़ गई है। सामान आदि के मूल्य भी बढ़े हैं। फिर भी हम सुनिश्चित कर रहे है कि किफायत हो और आशा है कि कोल इन्डिया में शीघ्र ही घाटा नहीं होगा।

श्री के० लक्कप्पा : उन्होंने घिसा पिटा उत्तर दिया है। प्रबन्धकों ने आवश्यक किफायती कदम नहीं उठाए हैं। भर्ती, पदोन्नति आदि के बारे में भी वस्तुपरक तरीके नहीं अपनाए गए और भेदभाव बर्ता गया। एक और समिति, चक्रवर्ती-समिति भी बनाई गई थी। सभी प्रकार की समितियों को प्रबन्धकों ने हडप किया। त्रुटिपूर्ण आयोजना से भारी घाटा हुआ है। इसमें करदाताओं का धन लगा हुआ है अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या रिपोर्ट के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बना कर एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाएगी ताकि स्थिति को सुधारा जा सके ?

श्री पी० रामचन्द्रन : जैसा कि मैं ने बताया है घाटे का कारण राष्ट्रीयकरण के बाद किए गए कुछ उपाय हैं। श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच हुए वेतन सम्बन्धी समझौते के कारण उत्पादन-लागत बढ़ गई है।

श्री के० लक्कप्पा : उन्हें मेरे प्रश्न का ठीक उत्तर देना चाहिये ताकि मुझे उनसे कुछ और न पूछना पड़े।

अध्यक्ष महोदय : क्या विशेषज्ञ समिति बनाई जा रही है ?

श्री पी० रामचन्द्रन : जैसा कि मैं ने बताया है, एक समिति नियुक्त कर दी गई है जो तीन मास के अन्दर प्रतिवेदन दे देगी और उसके तुरन्त बाद आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

Shri Kachrulal Hemraj : Sir, I want to know the main reasons for losses in Coal India Ltd. and the comparative prices of coal before and after nationalisation? Whether an enquiry has been made into the causes of such huge losses to this company and the misuse of funds by officials of the company? Whether the reasons for hike in the price of coal is not attributable to the irregularities committed in the company and whether the hon. Minister give this information after making an enquiry?

श्री पी० रामचन्द्रन : यदि अनियमितताएं हमें बताई जाये तो हम अवश्य कार्यवाही करेंगे। मूल्य के बारे में, 15-11-73 से पूर्व कोयला कर्मकार को 222 रुपये मासिक वेतन मिलता था जबकि दिसंबर, 1977 से उसे कुल 407 रुपये मिलते हैं। अतः कोयले का मूल्य 1973 से धीरे-धीरे बढ़ा है।

कुल उत्पादन लागत में से प्रति टन कोयले पर 45.53 रुपये वेतन, मजूरी आदि पर व्यय के रूप में जोड़े जाते हैं, इसीलिए उसका मूल्य बढ़ा है। इसी संबंध में एक अन्तर्मन्त्रालय समिति ने कोयले के मूल्य में वृद्धि की सिफारिश की है, किन्तु सरकार ने इसके अनुसार मूल्य नहीं बढ़ाये हैं क्योंकि कोयले के मूल्य बढ़ाने से उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही सरकार प्रशासन में किफायत करने का प्रयास कर रही है।

श्री वी० अरुणाचलम : मंत्री महोदय ने बताया है कि सरकार ने व्यापक कदम उठाये हैं परन्तु फिर भी घाटा हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि व्यापक कदम उठाने के बाद क्या घाटे में कमी का कोई संकेत मिला है ?

श्री पी० रामचन्द्रन : जी हां। व्यापक उपायों के परिणामस्वरूप कुछ नतीजे निकले हैं। मैं समझता हूं कि अगले 3-4 महीनों में हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि कुछ किफायतें लागू की जायें।

श्री एम० एस० संजीवी राव : अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि इस भारी घाटे का कारण उन क्षेत्रों में गैर-सरकारी क्षेत्र की गतिविधियां हैं। ये गैर-सरकारी कम्पनियां सरकारी अधिकारियों की सांठ-गांठ के साथ बिहार और बंगाल में जानबूझ कर कुछ कोयला चुरा लेती हैं। इन गतिविधियों को रोकने के लिये और इन गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा गैर-कानूनी ढंगसे कोयला निकालने को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठाने जा रही है।

श्री पी० रामचन्द्रन : गैर-कानूनी ढंग से कोयला निकालने के बारे में न्यायालय द्वारा कुछ रोकादेश दिये जाने के कारण यह कार्य होता रहा। इसके बाद हमने न्यायालय में अपील की और रोकादेश में संशोधन कराया। अब यह कार्य लगभग बन्द हो चुका है। यदि कहीं कदाचार हों और उनकी ओर हमारा ध्यान दिलाया जाये तो निश्चय ही हम कार्यवाही करेंगे। हमने बिहार और बंगाल में मुख्य मंत्रियों को लिखा है कि वे इसके शांति और व्यवस्था का मामला समझें और इस संबंध में जो भी कार्यवाही आवश्यक हो करें।

Shri Lalji Bhai : I want to know the year-wise loss for the years 1974 to 1976 to Coal India Ltd. ? If the losses are progressively increasing, you cannot deny that it is due to the fault of the officials. Then, what action is being taken against them ? You cannot put us off by saying that enquiry is going on and

action will be taken on receipt of its report. What is being done to ensure that further losses are avoided and action taken against the officials responsible for putting the company to losses and when the report would come?

श्री पी० रामचन्द्रन : कुछ अधिकारियों पर लगाये गये आरोपों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि किसी विशिष्ट मामले की ओर हमारा ध्यान दिलाया जाये तो निश्चय ही हम कार्यवाही करेंगे। उन्होंने घाटे के बारे में जानना चाहा है तो जैसा मैं बता चुका हूं, घाटा तो हुआ है। वर्ष 1976-77 और 1975-76 में घाटा क्रमश: 42 करोड़ और 45 करोड़ था। 1977–78 में इसका अनुमान लगभग 78 करोड़ रुपये है। घाटे के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाना और मूल्य का उत्पादन लागत के अनुरूप न होना है। अन्य कदावारों के बारे में यदि कोई विशिष्ट मामला हमारे ध्यान में लाया जाये तो निश्चय ही हम कड़ी कार्यवाही करेंगे।

Coal shortage in Korba Thermal Power Station

†*407. **Shri Govindram Miri :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether Korba Thermal Power Station is facing serious coal shortage; and

(b) the reasons for not giving priority in the supply of coal to those thermal power stations in Madhya Pradesh which are situated at pit heads there?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) No, Sir.

(b) Priority has been given in the supply of coal to meet the requirements of the pit-head power stations in Madhya Pradesh, located at Korba, Amarkantak and Satpura.

Since the commissioning of the new 120 MW unit at Korba, it has been considered expedient to supplement the supplies of coal from the Korba mines by some supplies from the Sohagpur coal fields to make up for any shortfall. There have been some operational problems in the transportation of coal from Sohagpur coal fields to Korba and they are being looked into. However, generation at Korba has not been affected for want of coal.

Shri Govindram Miri : Sir, there are many collieries in Korba and it is rich in coal deposits. Despite this, coal is sent elsewhere while power stations in the area starve and they have been supplied coal for Budhar Colliery involving more transport expenses and adversely affecting industries, production and employment in the area. I, therefore want to know whether he would arrange to supply coal to other states for Singrauli which will save transport charges and to reserve coal for Korba for power stations in the area and if so, when such arrangement would be made?

श्री पी० रामचन्द्रन : कोरबा बिजली घर अब तक कोयले की कमी के कारण प्रभावित नहीं हुआ है। उनके पास कोयले का पर्याप्त भंडार है। बिजली घरों के आसपास खानों के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि नये बिजली घर चालू करने से पूर्व कोयले का कुछ भाग कुछ अन्य बिजली घरों के साथ, जो अन्य जगहों पर हैं सम्बद्ध कर दिया गया था। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि मध्य प्रदेश में स्थित

बिजली घरों को हानि उठानी पड़ेगी। यदि कोई कमी है तो उसे विभिन्न स्थानों से कोयला मंगाकर पूरा किया जायेगा। भविष्य के बारे में मध्य प्रदेश के सभी बिजली घरों को विभिन्न खानों के साथ सम्बद्ध किया जायेगा जहां से सभी बिजली घरों को कोयलो की पर्याप्त सप्लाई होगी ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि यदि अन्य स्थानों से कोयला मंगाया जायेगा तो परिवहन लागत बढ़ जायगी। इसलिये क्यों न कोयले की सप्लाई निकटतम खाने से की जाये ।

श्री पी० रामचन्द्रन : उन्हें कोयला निकटतम स्थानों से दिया जा रहा है। इस समय कठिनाई परिचालन सम्बन्धी कठिनाइयों और नई खानों के कार्यकरण के कारण उत्पन्न हुई है।

Shri Govindram Miri : The Hon. Minister has stated that Korba Power Station has not suffered any coal shortage but as far my information goes it is not so. Power is supplied to B.A.C.O., Bhilai and Alkatra Cement factory for Korba Power Station alone. We have been told that due to shortage of coal to this station, not only the big industries but the local consumers have also suffered due to power cuts. Whether he would assure us that they would get full power supply and other deposits would also be exploited?

श्री पी० रामचन्द्रन : मध्य प्रदेश में बिजली की कटौती का कोयले की सप्लाई से कोई संबंध नहीं है । मध्य प्रदेश के सभी बिजली घरों में 6 से 16 दिन और कहीं कहीं 26 दिन तक का स्टाक है । बिजली की कटौती उत्पादन में कमी के कारण हुई है। जून, 1978 तक मध्य प्रदेश में बिजली की कुछ न कुछ कटौती करनी पड़ेगी जब तक कि नये बिजली घर चालू नहीं हो जाते।

श्री राघवलू मोहनरंगम : कलपक्कम संयंत्र के पूरा होने में अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप कोरबा से कलपक्कम पर कैसे पहुंच गये। इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Dr. Laxminarain Pandeya : Although he has denied that power production has suffered due to coal shortage but it is also a fact that the thermal station at Korba has not been functioning smoothly. I want to know why coal is not supplied to this thermal station despite availability of coal nearby and why this situation is allowed to prevail? M. P. is in the grip of power crisis due to this factor and the farmers are also much worried due to this.

श्री पी० रामचन्द्रन : कोरबा बिजली-घर कोयले की कमी के कारण बन्द नहीं हुआ है। कल ही मैं मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड से बात कर रहा था और मुझे बताया गया है कि कोयला वहां उपलब्ध है । बिजली की कमी का कोयले की उपलब्धता से कोई संबंध नहीं है। बिजली घरों को कोयले की पर्याप्त सप्लाई हो रही है। मैं सदस्य महोदय को आश्वस्त कर दूं कि बिजली की कमी के कारण मध्य प्रदेश में बिजली घरों को कोई हानि नहीं पहुंचने दी जायेंगी ।

पोलैंड या इंगलैंड से जहाजों की खरीद

*408. **श्री यादवेन्द्र दत्त :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पोलैंड या इंग्लैंड से 14,000 से 16,000 डी डब्ल्यू टी के जहाज खरीद रही है ;

(ख) क्या मजगांव गोदियां और कोचीन गोदियां भारतीय नौसेना के लिए सबसे परिष्कृत छोटे जंगी जहाजों का निर्माण करती है और अपेक्षित टनभार के अपने व्यापारी जहाजी बेडे के लिए जहाज बनाने क स्थिति में है, भारत सरकार विदेशों से जहाज क्यों खरीद रही है;

(ग) क्या दक्षिण कोरिया अच्छे और सस्ते जहाज सप्लाई क र सकता है; और

(घ) यदि हां, तो इंग्लैंड और पोलैंड के जहाज क्यों खरीदे जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) केवल नौवहन कम्पनियां ही जहाज खरीदती है। भारतीय नौवहन निगम ने प्रत्येक 15,000 डी डब्ल्यू टी के 6 लाईनर माल जहाजो को पौलैंड से प्राप्त करने के ठेके किए हैं। सिद्धांत रूप से यह निश्चय किया गया है कि ब्रिटेन से उपलब्ध सहायता के प्रयोग के लिए यु०के० से कुछ जहाज खरीदे जाये, परन्तु खरीद करने के ब्यौरे की अभी अंतिम रूप दिया जाना है ।

(ख) कोचीन शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिए जहाज नहीं बनाता । इन दो शिपयार्डों की क्षमता व्यापारिक जहाजों की सम्पूर्ण राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है ।

(ग) कोरिया गणराज्य से जहाज की खरीद के लिए अभी तक किसी नौवहन कम्पनी ने कोई प्रस्ताव नहीं किया है ।

(घ) पोलैंड में आदेशित जहाज और इंग्लैंड से जिन जहाजों की पेशकश आयी है वे हमारी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है ।

श्री यादवेन्द्र दत्त : माननीय मंत्री ने बताया है कि हमारे शिपयार्ड 14,000 से 15,000 डी० डब्ल्यू०टी० के जहाज नहीं बना सकते । लेकिन मेरे पास एक सूची है जिससे पता चलता है कि भारत में 45,000 डी०डब्ल्यू०टी० तक के जहाज बन रहे हैं। सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी तो 5,48,000 टन तक के जहाज भारत में ही बनवा रही है। तो जब हमारे शिपयार्ड भारी डी०डब्ल्यू०टी० के जहाज बनाने की क्षमता रखते हैं तो मंत्री जी ये जहाज यहां क्यों नहीं बनवाते रहे और विदेशों में क्यों बनवा रहे है ?

श्री चान्द राम : हमारे पास वह क्षमता नहीं है । हिन्दुस्तान शिपयार्ड दो या तीन जहाज प्रति वर्ष बना सकता है। कोचीन शिपयार्ड भी तीन जहाज प्रति वर्ष बना सकता है । पर वह तीन जहाज भी तैयार नहीं कर रहा है । गार्डन रीच और मजगांव गोदी नौसेना के लिये छोटे जंगी जहाज बनाते हैं, वाणिज्यिक जहाजी बेड़े के लिये नहीं ।

श्री यादवेन्द्र दत्त : राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ने कहा है कि देश की जरुरत की पूरा करने के लिये हमारे यहां कम से कम दो शिपयार्ड होने चाहिये । फिर ब्रिटेन और पोलैंड को आर्डर क्यों दिये जा रहे हैं? क्या आर्डर देने से पहले राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड से परामर्श किया गया था? यदि नहीं तो क्यों नहीं? राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड अधिनियम के अधीन एक सांविधिक निकाय है जो नौवहन उद्योग के हितों की देखभाल करता है ? और इसलिये इसकी सलाह ली जानी चाहिये थी ।

श्री चान्द राम : यह सही है कि दो नये शिपयार्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है लेकिन उसमें पांच या छः साल लगेंगे । इस बीच हमें अपनी टनभार क्षमता बढ़ानी है ताकि मालवाहन व्यापार की जरूरत को पूर किया जा सके । इसलिये हमने जहाजों के लिये पौलैंड को आर्डर दिया है ।

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु : क्या यह सच है कि मजगांव गोदी और कोचीन शिपयार्ड कम लागत पर ये जहाज बनाने के लिये राजी हैं। क्या उन्होने 15,000 टनभार के हमारे व्यापारी जहाज बेड़े के लिये जहाज बनने के लिये अपनी सहमति लिखित रूप में दी है।

श्री चांद राम : मैंने बताया है कि कोचीन शिपयार्ड दो जहाज प्रति वर्ष बनाने की क्षमता रखता है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने मजगांव गोदियों के बारे में भी पूछा है।

श्री चान्द राम : इसका उत्तर रक्षा मंत्रालय देगा। लेकिन किसी अन्य देश को आर्डर देने से पहले हम मजगांव गोदियों और गार्डन रीच की क्षमता को भी ध्यान में रखते हैं।

श्री धीरेन्द्र नाथ बसु : क्या उन्होने लिख कर दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा है कि मजगांव गोदी और गार्डन रीच नौसेना के जहाज बनाते हैं। यदि व सीविल जरुरतों को पूरा करेंगे तो नौसेना का काम रुकेगा... **(व्यवधान)** क्या मंत्री जी को कुछ और भी कहना है ? क्या मजगांव गोदी ने आदेश लिख कर दिया है कि वह 15,000 डी०डब्ल्यू०टी० वाले जहाज कम लागत पर बना सकते है ?

श्री चान्द राम : मुझे इसका पता नहीं है। इसका उत्तर रक्षा मंत्रालय दे सकता है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मंत्री जीने कहा है कि हमारे शिपयार्ड देश की जरूरत को पूरा नहीं कर सकते। क्या वह पश्चिम बंगाल से हल्दिया में एक नया शिपयार्ड बनाने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे?

श्री चान्द राम : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन वहां पर जहाजों की मरम्मत करने के लिये एक यार्ड बनाने का प्रस्ताव है ।

Shri Gauri Shankar Rai : Britain has given us some grant. Are we purchasing ships at a higher rate from Britain out of that grant amount inspite of the fact that these ships can be made available to us at a cheaper rate from other countries? Is it a fact that the Hon'ble Minister had been to Polland to inspect the ship, and Poland has purchased the same ship from England without making any payment and on the condition that further grant would be given, whereas we have purchased the same ship against cash payment? Is it also a fact that when the Shipping Corporation refused to purchase these ships? The Government came forward with a proposal to give subsidy to the Corporation for purchasing the ships at a higher rate? If England was to give us grant, let it give us less grant but what is the justification for purchasing ships at a higher rate?

Shri Chand Ram : We are purchasing six ships from England. We have to utilise the £ 144 million aid. Out of this aid, £ 40-50 million aid has been earmarked for being utilised for purchasing ships. Now question is how to utilise that aid. Britain had been giving us sufficient aid in the past but the previous Government could not utilise it. I can give figures in this regard.

Shri Gauri Shankar Rai : Mr. Speaker, my question has not been replied. I had asked as to why Government is not purchasing ships from other places after getting grant from U.K. and why are ships being purchased from Polland only? Inspite of the fact that Polland itself is purchasing ships from U.K.?

Shri Chand Ram: The question relates to utilization of grant received from England and purchasing of ships therefrom. We are purchasing ships from England. The prices of the ships being purchased from England are of course, higher compared to the world prices but it is a question of utilizing the grant received from England. The British Government says that if we do not utilize the grant for purchasing the ships, the grant will lapse and it will not be possible for them to increase the grant for the coming years. As far quality, the Shipping Corporation has given the necessary certificate.

श्री ओ० वी० अलगेसन : माननीय मंत्री ने कहा है कि उनके पास अपेक्षित टनभार के निर्माण के लिये पर्याप्त क्षमता नहीं है और सरकार जहाज बनाने के लिये दो और नये शिपयार्ड बनाने के बारे में विचार कर रही है । मद्रास के पास पुलीकर नामक स्थान बहुत अच्छा है । क्या सरकार वहां एक शिपयार्ड बनायेगी ?

Shri Chand Ram: There is no such proposal under Government's consideration. A Techno Economic Committee has recommended Paradeep and Hazira in Gujarat as the most suitable sites for the purpose. We have got preliminary project report and have asked for the detailed project report for these two sites.

दंड प्रक्रिया संहिता के अग्रिम जमानत के प्रावधान में संशोधन

*409. **श्री डी० जी० गवई :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पिछले कुछ समय से दंड प्रक्रिया संहिता के अग्रिम जमानत के प्रावधान में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई निर्णय कर लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में निर्णय लेने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं और इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल): (क) से (घ): दंड क्रिया संहिता, 1973 में संशोधन करने और अन्य के साथ साथ अग्रिम जमानत स्वीकृत करने से संबंधित संहिता की धारा 438 को निकालने का एक विधेयक अगस्त, 1976 में राज्य सभा द्वारा पारित किया था परन्तु पांचवी लोक सभा के भंग होने पर विधेयक समाप्त हो गया । अग्रिम जमानत समेत दंड प्रक्रिया संहिता के कुछ अन्य उपबंधों में संशोधन करने के प्रश्न की भी जांच की जा रही है । इस संबंध में एक संशोधन विधेयक यथासमय संसद में पेश करने का प्रस्ताव है ।

Shri D. G. Gawai: May I know the number of persons granted bail under section 438 of the code since the Janata Government came to power and whether this has resulted in delay in launching prosecutions against them?

श्री एस० डी० पाटिल : प्रश्न के पहले भाग के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है । जिन मामलों में जांच में विलम्ब हुआ है उनके बारे में मेरे पास 17 राज्यों के आंकड़े हैं जिनमें लोगों को अग्रिम जमानत दी गई । ये आंकड़े इस प्रकार है : हरियाना–88; बिहार–290; पश्चिम बंगाल–35;

महाराष्ट्र--538; आन्ध्र प्रदेश—571; हिमाचल प्रदेश--172; उत्तर प्रदेश—2,613; राजस्थान--487; कर्नाटक--102; गुजरात—40; उड़ीसा--554; पांडिचेरी—12; मध्य प्रदेश—2,323; त्रिपुरा—9 और मणिपुर—1 ।

जिन मामलों में पहचान करने के सम्बन्ध में जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, उनके आंकड़े है : आन्ध्र प्रदेश—5; उत्तर प्रदेश—142; राजस्थान—5; कर्नाटक—10; गुजरात—3; उड़ीसा—1; पांडिचेरी—2 और मध्य प्रदेश—177 ।

जहां मामलों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन प्रभाव पड़ा है उनके सम्बन्ध में आंकड़े इस प्रकार हैं : हरियाणा—10; महाराष्ट्र—22; आन्ध्र प्रदेश—23; हिमाचल प्रदेश—19; उत्तर प्रदेश—34; राजस्थान—59; कर्नाटक—24; गुजरात—12; उड़ीसा—1; पांडिचेरी—5; मध्य प्रदेश—328 और मणिपुर—1 ।

अन्य कारणों के लिये आंकड़े हैं : हरियाणा—8; महाराष्ट्र—76; आन्ध्र प्रदेश—14; हिमाचल प्रदेश—14; उत्तर प्रदेश—225; राजस्थान—56; कर्नाटक—4; गुजरात—3; उड़ीसा—3; पांडिचेरी—6; और मध्य प्रदेश—213 ।

Shri D. G. Gawai : The Hon. Minister has stated that an Amendment Bill will be brought before Parliament in due course. May I know what he means by the phrase "in due course"?

श्री एस० डी० पाटिल : यह विधेयक यथा समय पुरःस्थापित किया जायेगा । यदि अगले सभा में नहीं तो अगले वर्ष आ जायेगा ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : मंत्री जी ने बताया कि अग्रिम जमानत की व्यवस्था करने वाली धारा को निकालने का फैसला पिछली सरकार ने किया था और इस आशय का विधेयक राज्य सभा ने पास किया था । अग्रिम जमानत मंजूर करने का काम न्यायालयों के स्वविवेक पर छोड़ दिया गया था । क्या वर्तमान सरकार पिछली सरकार के इस फैसले पर पुनर्विचार करेगी ?

श्री एस० डी० पाटिल : मैंने बताया है कि वह विधेयक व्यपगत हो गया । धारा 438 में संशोधन करने के साथ साथ सरकार धारा 13, 18, 25, 478 आदि में भी संशोधन करने का विचार रखती है ।

श्री बापूसाहेब पारुलेकर : सरकार किस प्रकार के संशोधन करने का विचार रखती है ? क्या धारा 438 पुरी तरह निकाल दी जायेगी या केवल संशोधित की जायेगी ?

श्री एस० डी० पाटिल : यह अभी नहीं बताया जा सकता । मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद हम उपयुक्त संशोधन पेश करेंगे ।

Shri Brij Bhushan Tiwari : Only the big smugglers or big people charged with indulging in corruption reap the benefit of the provision of anticipatory bail. Where this provision has been repealed in States like U.P. etc., why is not being withdrawn in Delhi, Haryana & other neighbouring States?

श्री एस० डी० पाटिल : इस प्रावधान के दुरुपयोग के बारे में 1974 में बनी एक समिति की राय थी कि अग्रिम जमानत के मामले बढ रहे हैं और मामलों की जांच में देरी हो रही है। मैंने 1-4-1974 से 31-12-1974 तक के आंकड़े दे दिये हैं।

अग्रिम जमानत के मामलों को राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता से नहीं मिलाया जा सकता। अग्रिम जमानत सम्बन्धी प्रावधान का लाभ आपराधिक गतिविधियों को लगे लोग उठाते हैं।

तस्करों और अन्य लोगों के आंकड़े मेरे पास नहीं है।

"हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स ए पैरासाइट आन दी फिल्म इंडस्ट्री" शीर्षक से समाचार

*411. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स फिल्म उद्योग पर बोझ है जैसा दिनांक 14 नवम्बर, 1977 के टाइम्स आफ इंडिया में समाचार प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) 14 नवम्बर, 1977 को टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित समाचार में लगाया गया आरोप ठीक नहीं है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन, उत्पादिता, लाभदेयता, प्रौद्योगिकी संबंधी सुधार तथा माल को रद्द किये जाने में कमी करने में हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यू० कं० के कार्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

Shri Surendra Bikram: Will the Hon. Minister tell the percentage increase in profits of Hindustan Foto Films during the last 3 years?

Shri George Fernandes: It is listed as below:

In 1971-72	Loss of Rs. 265 lakhs
In 1972-73	Loss of Rs. 297 lakhs
In 1973-74	Loss of Rs. 273 lakhs
In 1974-75	Loss of Rs. 167 lakhs
In 1975-76	Profit of Rs. 16 lakhs
In 1976-77	Profit of Rs. 143 lakhs

This year also it is expected to earn profit.

Shri Sudendra Bikram: Will he tell about the technological improvements during these years?

Shri George Fernandes: I cannot tell you much in this connections. The number of companies in this field is very few in the world. The Hindustan Foto Films has been functioning in collaboration with an American Co., German Co., as well as a French Co. Our Company is benefiting from their experience also and we are carrying on our research as well.

श्री सी० एन० विश्वनाथन : क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स जर्मन फर्म कोड़क से कच्चा माल, फिल्में और अन्य चीजें मंगा कर उसे हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स द्वारा निर्मित माल के नाम से बेच देता है ? यह बताया जाये कि कितने लाख मूल्य का कच्चा माल मंगाया जाता है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : कच्चे माल सम्बन्धी ठीक-ठीक आंकड़े बताने के लिए मुझे सूचना चाहिये। तथ्य यह है कि फिल्में आयात करके उन्हें छोटे आकार में काट कर बेचते हैं। लेकिन एक यही काम उनका नहीं है ।

Shri Ram Murti: Will he tell the total cost incurred on the constitution of this company? What was the total investment because it has incurred a loss of about 8 to 10 crores during the last 8 to 10 years?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इस समय मेरे पास जानकारी नहीं । मुझे सूचना चाहिये ।

डा० विजय मंडल: हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स घटिया फिल्में तैयार करता है । यही नहीं कोड़क या जर्मन लोकतंत्र गणराज्य से आयातित फिल्मों के साथ घटिया फिल्में भी मिला कर बेची जाती हैं और देश के सभी भागों में उनका वितरण भी उचित नहीं है तथा आयातित फिल्मों पर भारी लाभ कमाया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये ।

डा० विजय मंडल: फिल्म एक आवश्यक वस्तु है फिर भी उस पर भारी उत्पादन शुल्क लगाया जाता है। क्या मंत्री जी इस की जांच करेंगे ? क्या उत्पादित फिल्में घटिया होने के कारण आयात किया जाता रहेगा ? इस समय कितने प्रतिशत फिल्में आयात होती हैं ?

श्री वयालार रवि : यह एक आरोप है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैंने कहा है कि हम कुल फिल्मों का एक भाग ही तैयार करते हैं। बाकी अधिकांश फिल्में आयात की जाती है । उन्हें उपयोगी बनाकर बाजार में बेचा जाता है । मेरे विचार से फिल्मों को आपस में मिलाना सम्भव नहीं। या तो हम स्टैंडर्ड फिल्में तैयार करते हैं या बिल्कुल ही उत्पादन नहीं करते ।

फिल्म सम्बन्धी देश की सभी जरुरतें हिन्दुस्तान फोटों फिल्मस द्वारा पूरी की जाती हैं । उत्पादन और प्रदर्शन की दृष्टि से हमारा कार्य संतोषजनक है । पिछले वर्ष 70 लाख रु० मूल्य की फिल्मों का निर्यात किया गया और उन देशों को बेचा गया जो अच्छी फिल्में खरीदते है । अतः घटिया फिल्मों का आरोप सही नहीं। कुछ माल नहीं भी लिया जाता लेकिन यह एक सामान्य बात है ।

जहां तक लाभ का प्रश्न है, इस कम्पनी को गत 4 वर्षों में लगभग 10 करोड़ रु० का घाटा हुआ। पिछले दो वर्षों में कम्पनी ने मूल्य न बढ़ा कर भी लाभ कमाया है । 1974–77 के बीच में मूल्य वृद्धि बिल्कुल नहीं की गई ।

वितरण का कार्य मुख्य रुप से 3–4 परिवारों के हाथ में ही था । अब यह काम अपने हाथ में ले लिया है। कम्पनी को उस कार्य में 2 करोड़ के लगभग हानि हो रही थी। अब हमने जब प्रबन्ध ले लिया है तो पिछले कुछ मास से इन फिल्मों के बारे में आरोप लगाये जा रहे हैं। यदि इस कम्पनी के बारे में कोई विशेष शिकायत की जाती है तो मैं निश्चय ही उसकी जांच करूंगा ।

श्री वसंत साठे : क्या आप उन चार परिवारों के नाम बता सकते हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मुझे सूचना चाहिये । चार परिवार सारा व्यापार चला रहे थे। जब से हमने यह कार्य अपने हाथ में लिया है तब से कम्पनी की आलोचना हो रही है ।

श्री वयालार रवि : मैंने वितरण के बारे में पिछली बार भी प्रश्न उठाया था और मैंने प्रबन्ध व्यवस्था के बारे में मंत्री जी की आलोचना की थी । क्या फिल्में आयात करने से लाभ हो रहा है या अच्छी फिल्में तैयार करने के कारण लाभ होता है ? यदि फिल्मों के उत्पादन से ऐसा हो रहा है तो किसी और स्थान पर नई फैक्टरी लगाने की क्या जरूरत है ? क्योंकि मुझे पता लगा है कि इस दिशा में कार्य हो रहा है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह तथ्य है कि हमारा उत्पादन आवश्यकतानुसार नहीं है इसलिए हम आयात करते हैं । फिल्में आयात करके काट-छांट कर के बेची जाती हैं । इस प्रश्न के उत्तर के लिए कि फिल्म के कौनसे भाग से एक्स रे फिल्म से या निगेटिव से लाभ होता है, मुझे सूचना चाहिये । जैसे मैंने कहा, हमें बाजार का ध्यान रखना है। हम हर किसी को फिल्मों के आयात की अनुमति नहीं दे सकते। यदि देश की बढ़ रही जरुरतें पूरी करने के लिए एक नये कारखाने की जरुरत होगी तो हम अवश्य उसे लगायेंगे ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची

*413. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 के द्वारा मान्यता संबंधी क्षेत्रीय प्रतिबंधों को हटा दिये जाने के बाद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की कोई नई सूचियां बनाई गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) : अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 जिसे 27 जुलाई, 1977 से लागू किया गया है, में ही विभिन्न राज्यों के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की नई सूचियां दी गई हैं। इस अधिनियम के द्वारा कुछ मामलों को छोड़कर जहां क्षेत्रीय प्रतिबंध रखना आवश्यक समझा गया था, विभिन्न अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए विशेष राज्यों से उन्हें हटा दिया गया हैं ।

श्री जी० वाई० कृष्णन : महोदय, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक, 1976 के बाद कुछ संशोधन करके जनजातियों के सूची में नये नाम जोड़े गये थे । मंत्री जी ने उत्तर दिया कि विधेयक पास किये जाने के बाद सरकारी आदेश द्वारा नये नाम जोड़े जा सकेंगे । उसका क्या हुआ?

श्री धनिक लाल मंडल : यह सरकार के विचाराधीन है । सूची को अंतिम रूप दिये जाने के बाद उसे विधेयक के रूप में संसद के सामने लाया जायेगा । संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अधीन केवल संसद को उस सूची में से नाम काटने या जोड़ने का अधिकार है ।

श्री जी० वाई० कृष्णन : उसे इस प्रकार नहीं रखा जा सकता। एक विधान पास किया गया है जिसके अनुसार सरकारी आदेश या परिपत्र द्वारा नाम जोड़े जा सकते है । इस कार्य हेतु विधान लाने की जरूरत नहीं। आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में चुनाव होने है इसलिए नाम जोड़े जाने चाहिये ताकि उन्हें न्यायालय में जाने से रोका न जाये ।

गृहमंत्री द्वारा सभा में आश्वासन दिया गया था कि सरकारी पत्र या आदेश द्वारा ऐसा किया जायेगा। महोदय, हमें स्पष्ट उत्तर दिया जाये।

श्री धनिक लाल मंडल : माननीय सदस्य चाहते हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नाम सरकारी आदेश द्वारा जोड़े जायें। मैंने कहा है कि यह बात विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय : यह कब किया जायेगा ?

श्री धनिक लाल मंडल : हम विचार कर रहे हैं। हम उसके लिए संसद से अनुमति लेंगे ।

Shri Shiv Sampati Ram: Whether washermen have been included in Scheduled Castes in all the States if not, the names of States where it has not been done and what steps are proposed to be taken to include them in the list?

Shri Dhanik Lal Mandal: Presidential orders are so many and they come under State list and relate to the States. There is no all India list. So his question does not arise.

Shri Chhabi Ram Argal: Some castes have been included in the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in one district but it is not so in the other districts. For example washermen and potters are considered Scheduled Castes in Sihor and Datia only. At least in one State rules should be applied equally in every district. May I know whether he has received any representation in this regard and whether they will be considered sympathetically?

Shri Dhanik Lal Mandal: The Hon. Member is correct. It was due to Area Restriction Act which has since been removed. But some exceptions are still there. That is why it is possible that one caste is a scheduled caste in one district while in the other district the same caste has been left out. However I shall enquire into that.

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् से अलग करना

6. **श्री सौगत राय :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सत्रह राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद से अलग करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या इस निर्णय से पूर्व सम्बद्ध प्रयोगशालाओं अथवा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद से सलाह की गई थी ;

(ग) क्या वैज्ञानिक संगठन ने इस निर्णय पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की है; और

(घ) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करेगी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की सोसाइटी ने सत्रह राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं / संस्थानों / संग्राहलयों/अनुसंधान संस्थानों को मंत्रालयों में स्थानांतरित करने और उनको संस्था पंजीकरण अधिनियम (इक्कीस के 1860) के अन्तगत सोसाइटीयों के रूप में पंजीकृत करने के लिये सर्व सम्मति से संकल्प किया है ।

(ख) उक्त प्रस्ताव पर सी०एस०आई०आर० की शासी सभा ने विचार किया था । इसकी सिफारिशों को सोसाइटी के सन्मुख अग्रिम विचार के लिये पुनः प्रस्तुत किया था । साथ ही साथ शासी सभा की बैठक में सी०एस०आई०आर० के महानिदेशक ने चेयरमैन के रूप में, समन्वय परिषदों का प्रतिनिधित्व करने वाली अनुसंधान प्रयोगशालाओं के पांच निदेशकों और सी०एस०आई०आर० के बाहर से तीस विशिष्ठ वैज्ञानिकों ने भाग लिया था ।

(ग) उपरोक्त संकल्प करने के बाद सी०एस०आई०आर० में किसी वैज्ञानिक संगठन से कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री सौगत राय : मेरा प्रश्न केन्द्रीय सरकार के निर्णय के बारे में था न कि सी०एस०आई० आर०के निर्णय के बारे में था । 2 अगस्त को केबिनेट सचिव द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ प्रयोगशालाओं को सी०एस०आई०आर० से अलग करने का निर्णय लिया था । इस निर्णय को गोपनीय रखा गया था फिर भी इसकी भनक पड़ गई । बाद में 17 अगस्त को केबिनेट सचिव ने सभी विभागीय सचिवों को पत्र लिखकर इसके बारे में चुप रहने के लिये कहा था । यह 20 अगस्त को एक प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशित हुआ था । इसके तुरन्त बाद वैज्ञानिकों में इस बारे में कुछ प्रतिक्रिया हुई क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि इस निर्णय से सी०एस०आई०आर० में 15,000 वैज्ञानिक प्रभावित होते हैं और उनसे परामर्श लिये बिना गुप्त ढंग से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव से देसी तकनीक के प्रश्न पर कुठारा घात होता है । भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली, भारतीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, बंगलौर, डा० रंगा राव और डा० नाग चौधरी जैसे सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने इस निर्णय का खुलकर विरोध किया । इस निर्णय के कारण सरकार चुप बैठ गई और सी०एस०आई०आर० की 20 सितम्बर की बैठक में चेयरमैन, जो प्रधान मंत्री हैं, उपस्थित नहीं हुए । इस दौरान सुप्रसिद्ध ब्रिटिश वैज्ञानिक पत्रिका 'नेचर' के सम्पादकीय में यह कह कर इस निर्णय का विरोध किया गया था । निर्णय में थोड़ा बहुत हेरफेर था परन्तु मूल विषय वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं किया गया । 23 नवम्बर की बैठक में सी०एस० आई० आर० ने 17 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को अलग करने का निर्णय लिया । यह कहना सही नहीं है कि वैज्ञानिकों ने इस पर प्रतिकूल प्रतिक्रया नहीं व्यक्त की हैं, वैज्ञानिकों ने इस निर्णय के विरुद्ध खुलकर प्रतिक्रिया व्यक्त की । जो कुछ मैंने यहां कहा उसे प्रधान मंत्री झूठा सिद्ध करें । मैं पूछना चाहता हूँ क्या सी०एस०आई०आर० में काम कर रहे वैज्ञानिकों स्वायत्तता और वैज्ञानिक स्वतंत्रता छीनने और सी०एस०आई०आर० को तोड़ने की सरकार की कोई नीति है ।

श्री मोरारजी देसाई : मामले में कोई गोपनीयता का कोई प्रश्न ही नहीं है । केबिनेट सचिव द्वारा कुछ किया गया है ऐसी बात नहीं है । सी०एस०आई०आर० ने कुछ वैज्ञानिकों से परामर्श करके ही समूचे प्रश्न पर विचार किया है । जब हमने देखा कि यह कदम उठाया जाता है तो हमने

सम्बन्धित निकाय अर्थात् सी०एस०आई०आर० को यह मामला सौंपा। इससे पूर्व निस्सन्देह वैज्ञानिक संस्थाओं और निकायों ने कुछ आलोचना की थी। इसका अर्थ यह नहीं कि समूचे वैज्ञानिक समुदाय इसी विचार धारा का है। इसमें कोई सार नहीं है। यह सच है कि इग्लैंड में एक पत्रिका नेचर ने कुछ आलोचना की थी परन्तु ऐसा वहां के कुछ लोगों की प्रेरणा से ही हुआ। ऐसी बात नहीं कि उन्हें हमारे प्रस्ताव के बारे में जानकारी थी। सी०एस०आई०आर० में इसपर चर्चा की गई और उन्होंने सर्वसम्मत्ति यह निर्णय लिया कि ऐसी व्यवस्था उन प्रयोगशालाओं के अपने हित में है। चुप रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब हम ने इस पर विचार किया तो हमें पता चला कि ये वे प्रयोगशालाएं हैं जिनका सम्बन्ध कतिपय मंत्रालयों से है और किसी से नहीं। जहां पर कुछ प्रयोगशालाओं का सम्बन्ध दो या तीन मंत्रालयों से था उन्हें सी०एस०आई०आर० में रखा गया क्योंकि उस समय एक मंत्रालय द्वारा ठीक प्रकार से काम की देखभाल नहीं हो सकती थी। इसी कारण ऐसा किया गया। ऐसा होने के बाद कोई टिप्पणी नहीं की गई।

श्री सौगत राय : इस निर्णय का कोई वास्तविक औचित्य नहीं था क्योंकि जो प्रयोगशाला वास्तव में स्थानान्तरित होना चाहती थी उसे स्थानान्तरित नहीं किया गया जैसे कि इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ एक्सपेरिमेन्टल मेडिसिन आफ कलकत्ता, जो सी०एस०आई०आर० में जाना चाहती थी उसे वहां नहीं भेजा गया। सेन्ट्रल ड्रग रिसर्च इन्स्टीट्यूट को स्थानान्तरित नहीं किया गया। परन्तु राष्ट्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था को ऊर्जा मंत्रालय में स्थानान्तरित कर दिया गया। देश में यह आशंका है कि यह निर्णय बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव से लिया गया, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों टेक्नोलोजी के आयात पर सी०एस०आई०आर० के आपत्ति किये जाने के प्रयासों को विफल करती हैं। मैं प्रधान मंत्री से आश्वासन चाहता हूं कि भविष्य में देश में वैज्ञानिकों की प्रतिष्ठा के लिये ऐसे क्षेत्रों में जिनमें सी०एस०आई०आर० ने अपनी स्वयं की तकनीक का विकास कर लिया है, टेक्नोलोजी का आयात बिल्कुल न होने पाये।

श्री मोरारजी देसाई : मैं यह समझ नहीं सका कि माननीय सदस्य क्या कहना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि ऐसा बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के कहने पर किया गया है।

श्री मोरारजी देसाई : इस मामले में बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं नहीं जानता कि वह किस कम्पनी का उल्लेख कर रहे हैं। कि इस मामले में किसी बहु-राष्ट्रीय कम्पनी के होने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता। इस मामले पर सर्वप्रथम मैंने स्वयं विचार किया। मैं कई वर्षों तक सी०एस०आई०आर० का सदस्य रहा हूं। मैं जानता हूं कि सी०एस०आई०आर० क्या कर रही है। इन प्रयोगशालाओं पर प्रतिवर्ष 300 करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं और उनसे पर्याप्त परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

श्री सौगत राय : पर्याप्त परिणाम हैं।

श्री मोरारजी देसाई : पर्याप्त परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

श्री यशवंतराव चव्हाण : सी०एस०आई०आर० भारत में वैज्ञानिक कार्य कर रहे प्रमुख संगठनों में से एक है। गत 30 वर्षों में इसने टेक्नोलोजिकल विकास और वैज्ञानिक कार्य की नींव रखकर बहुत ही उपयोगी काम किया है। अतः वैज्ञानिकों का धन्यवाद करना चाहिये। अतः ऐसी कोई टिप्पणी न की जाये जिससे वैज्ञानिकों की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचे।

दूसरे इस बात का क्या अर्थ है जब हम यह कहते है कि उनसे किसी निश्चित अवधि में कोई परिणाम नहीं प्राप्त हुआ है । इसका निर्णय करने के लिये हम क्या मापदण्ड अपना रहे हैं। जब तक हमें इस प्रकार के मापदण्ड का पता नहीं चलता तब तक इस प्रकार के वक्तव्य देने से हमारे लिये अनावश्यक कठिनाई पैदा होगी । अत: मेरा कहना है कि कार्य कराने के लिये हमें प्राथमिकताएं तथा कुछ मापदंड निर्धारित करना चाहिये । इस प्रयोजनार्थ क्या प्रधान मंत्री विरोधी पक्ष का सहयोग लेने के लिये तैयार हैं ? चूंकि निर्णय लेने की प्रक्रिया में कुछ राजनीतिक तत्व भी है अत: यह बेहतर होगा कि सी०एस० आई०आर० केवल सरकार का ही अपितु समूची संसद का प्रतिनिधित्व करे । क्या प्रधान मंत्री इस पहलू पर विचार करने के लिये तैयार हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : मैंने यह नहीं कहा कि इसने कोई उपयोगी काम नहीं किया है । मैंने कहा है कि पर्याप्त काम नहीं किया गया है । मैंने "पर्याप्त" शब्द का प्रयोग किया है । मैंने प्रयोगशालाओं के निदेशकों से चर्चा की है । चर्चा के दौरान मैंने यह बात कही और उन्होंने इसका खंडन नहीं किया । किसी की निन्दा करने का प्रश्न ही नहीं हैं । मैं बेहतर परिणाम चाहता हूं । मैं यह नहीं कहता कि कोई परिणाम नहीं निकल हैं । यह कैसे मैं कह सकता हूं ।

मैं सी०एस०आई०आर० के बारे में अधिक चिन्तित हूं । मैं चाहता हूं कि यह बेहतर परिणाम दे और हम इस मामले पर विदेशों पर निर्भर न करें । जो टेक्नोलोजी यहां उपलब्ध है, उसे बाहर से आयात करने का प्रश्न ही नहीं है । यदि यह थोड़ी घटिया भी है तो मैं बाहर से मंगाने के बजाय इसे यहां रखना ठीक समझता हूं । मैं इस नीति का पालन कर रहा हूं ।

ऐसी बात नहीं कि मैंने यह निर्णय स्वयं ही लिया है । मैंने कुछ अनुसन्धान कर्ताओं से इस मामले पर चर्चा की । ये योग्य वैज्ञानिक हैं, और हमने पाया कि इस तरीके से बेहतर परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं । इसी कारण मैंने यह किया है ।

अत: यह कहने का कोई लाभ नहीं कि किसी ने यह मनमाना निर्णय लिया है और यह सी०एस० आई०आर० को तोड़ने का निर्णय है । सी०एस०आई०आर० को तोड़ने का प्रश्न ही नहीं है । वैज्ञानिकों द्वारा अनुसन्धान कार्य करने के अवसर उनसे छीनने का प्रश्न ही नहीं उठता । इसके विपरीत मैं देखना चाहता हूं कि उनका उचित उपयोग किया जाये ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि क्या वह विरोधी पक्ष का सहयोग चाहते हैं ।

श्री मोरारजी देसाई : मैं सारे सदन का सहयोग चाहता हूं परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि मैं उन मामलों पर, जिन पर हमने निर्णय लेना है, यहां सभा में निर्णय लूं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र: क्या माननीय प्रधान मंत्री इस बात से सहमत नहीं हैं कि वैज्ञानिक अनुसन्धान और ऐसे रचनात्मक कार्यों के लिये कुछ स्वतंत्रता और स्वायत्तता की आवश्यकता होती है? विभाग के नौकरशाही नियंत्रण मे यह नहीं होना चाहिये । ऐसा होते हुए माननीय प्रधान मंत्री सभा को किस प्रकार आश्वासन देंगे कि विभाग के अन्तर्गत बहतर परिणाम प्राप्त होंगे ?

श्री मोरारजी देसाई : माननीय सदस्य बिना यह जाने कि हमने क्या व्यवस्था करी है इस सम्बन्ध में निर्णय ले रहे ह । इसपर किसी प्रकार के नौकरशाही नियंत्रण का प्रश्न ही नहीं उठता । ये प्रयोग

मालाये मंत्रालय के अधीन होते हुए भी पंजीकृत संस्थाएं होगी और वे स्वायत्तशासी होंगी । केवल मंत्री उस संस्था का चेयरमैन होगा ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इसका क्या लाभ होगा ?

श्री मोरारजी देसाई : क्या लाभ होगा यह मैं जानता हूं ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : सी०एस०आई०आर० की हाल में कुछ वर्ष पूर्व है । वैज्ञानिकों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद एक विशेषज्ञ अध्ययन के आधार पर पुनर्गठन किया गया था । अतः मैं जानना चाहता हूँ कि इसके परिणामों की प्रतीक्षा करने से पूर्व ही सरकार ने पहले चरण में यह निर्णय क्यों लिया कि 28 प्रयोगशालाओं को सी०एस०आई०आर० से बिना वैज्ञानिकों से परामर्श किये अलग किया जाना चाहिये— यह मूल निणय था । वास्तव में बात यह है । बाद में इनकी संख्या कम करके 17 प्रयोगशालाएं कर दी गई । परन्तु आरंभ में बिना किसी सलाह के 28 प्रयोगशालाएं ली गई थी ।

क्या वैज्ञानिकों से सलाह की जायेगी और उसके बाद अन्तिम निर्णय किया जायेगा? जब भी इस प्रकार का पुनर्गठन किया जाये पहले उसका अध्ययन एक विशेषज्ञ द्वारा किया जाना चाहिये । राजनीतिक निर्णय करने से पहले यह आवश्यक है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य में जब पुनर्गठन सम्बन्धी कोई निर्णय किया जाता है तो उस से पहले एक विशेषज्ञ दल उसकी वांछनीयता पर विचार करेगा ।

श्री मोरारजी देसाई : माननीय सदस्य इसे राजनीतिक निर्णय कह रहे है । यह बात सही नहीं है । इस में कोई राजनीति नही है । यह इस लिये किया गया है ताकि वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं अच्छे ढंग से कार्य करें और उनमें पहले की अपेक्षा अच्छा काम हो ।

इस निर्णय में पहले वैज्ञानिकों की राय पर विचार किया गया था । प्रशासी निकाय के समक्ष प्रस्ताव रखे गये थे और बाद में निर्णय किया गया । पहले इसी लिये 28 प्रयोगशालाओं के बारे में प्रस्ताव था । बाद में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद ने विचार किया और पाया कि कुछ प्रयोगशालाओं का एक से अधिक मंत्रालयों से सम्बन्धित है । इस प्रकार 28 में से 11 को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद के पास ही रखा गया है । परन्तु जहां कोई विशेष गवेषणा कार्य होता है उसे विशेष मंत्रालय से जोड़ दिया जायेगा । मैं बताना चाहता हूँ कि यदि यह पाया जाता है कि परिणाम आशातीत नहीं है उन मामलों पर पुनर्विचार किया जा सकता है । इस निर्णय से बंधे नहीं रहेंगे । मुख्य उद्देश्य तो यह है कि अच्छा कार्य हो ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : प्रधान मंत्री महोदय ने निर्णय करने के बारे में विस्तार से बताया है । उन्होंने कहा है कि यह राजनीतिक निर्णय नहीं है । परन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस निर्णय के फलस्वरूप सभी प्रयोगशालाओं और उनके प्रशासन का गवेषणा परिषद ने प्रश्न उत्पन्न होता है । इस में गवेषणा प्रबन्ध आदि के कुछ बुनियादी प्रश्न आते हैं । इस दृष्टि से मैं प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस पर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद के वैज्ञानिकों और देश अन्य प्रमुख वैज्ञानिकों का विश्वास प्राप्त किया गया था और क्या वैज्ञानिकों की इस सम्बन्ध में योजना आयोग के साथ बातचीत हुई थी ताकि वे लोग स्वतन्त्र ढंग से अपना कर सकें और सरकार के सहायता कर सकें ?

श्री मोरारजी देसाई : इन मामलों पर विचार करने हेतु सभी वैज्ञानिकों का सम्मेलन बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा करना संभव नहीं है। जब सी०एस०आई०आर०का गठन किया गया था सभी वैज्ञानिकों को विचार विमर्श के लिये नहीं बुलाया नहीं गया था। वैसे अनेक प्रमुख वैज्ञानिकों से मश्विरा किया गया है। वे शासी निकाय के सदस्य हैं। इस प्रश्न पर व्यापक तथा स्वतन्त्र चर्चा की गई थी। यदि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद अन्य निर्णय करती तो हम यह निर्णय नहीं करते। वास्तव में यह निर्णय उन प्रमुख वैज्ञानिकों से मश्विरा करने के बाद किया गया था जिन्हों ने देश के लिये बहुत अच्छा कार्य किया है। वैज्ञानिकों की स्वायत्तता समाप्त करने का कोई प्रश्न नहीं है। अब गवेषणा कार्य में बाधा न करके उसे और व्यावहारिक बनाया जायेगा।

श्री समर गुह : प्रतिपक्ष वाले माननीय मित्रोंने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद को स्वायत्तता देने का प्रश्न उठाया है। इसे राजनीति से मुक्त करने की बात भी हुई है। माननीय सदस्य को याद होगा कि इस परिषद में नौकरशाही होने की शिकायतें की गई है और इसकी प्रयोगशालाओं में ठीक कार्य नहीं हो रहा है। इसी के आधार पर गजेन्द्रगडकर समिति का गठन किया गया था। समिति ने परिषद के कार्य और विभिन्न प्रयोगशालाओं के कार्य का गहन अध्ययन किया और अपनी सिफारिशें कीं। क्या उनपर विचार किया गया है और उनको कार्यान्वित किया गया है ?

दूसरे, मैं विज्ञान का छोटा विद्यार्थी हूं। मुझे इन प्रयोगशालाओं के काम की कुछ जानकारी है। मुझे कहना पड़ता है कि यह परिषद उस प्रकार कार्य नहीं कर रही जैसे कि इसे करना चाहिये। वास्तव में एक केन्द्रीय संगठन, जोकि नौकरशाही के नियन्त्रण में है, पूरा नियन्त्रण किये हुए है और विभिन्न संस्थानों की स्वायत्तता समाप्त हो गई है। उनको अपने कार्य के निष्पादन में आजादी नहीं है।

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद की कार्य ठीक प्रकार से जांच हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित की जायेगी। हमारे गवेषणा कार्य के दो भाग होने चाहियें—पहला मौलिक गवेषणा और व्यवहारिक गवेषणा। आजकल गवेषणा परिषद बहुत खराब दशा में है।

श्री मोरारजी देसाई : इन सभी सुझावों पर विचार किया जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Articles in Newspapers and Journals inciting Communal Feelings

*410. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the newspapers and journals publishing articles inciting communal feelings among the people;

(b) whether Government propose to formulate a new advertisement policy under which the souvenirs, newspapers etc. publishing articles inciting violence and communal feelings among the people will not be supplied with advertisements; and

(c) if so, the details thereof?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): (a) Yes, Sir. Some allegations have been made in this regard.

(b) & (c): The Advertising Policy of the Government, revised in November, 1977, prohibits the release of Government advertisements to such newspapers/periodicals as incite communal passion or preach violence or offend socially accepted conventions of public decency and morals. Government advertisements are now not released to House Magazines and Souvenirs.

दूसरे देशों के परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा डब्ल्यू० ए० पी० सी० ओ० एस० की सहायता

*412. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरे देशों की परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा डब्ल्यू० ए० पी० सी० ओ० एस० को सहायता दी गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों तथा परियोजनाओं के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या वे इसके लिए कोई फीस दे रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) और (ख) : जी, हां । जिन देशों और परियोजनाओं के लिए वाटर एण्ड पावर कंसल्टेंसी सर्विसिज (इण्डिया) लिमिटेड को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सहायता दी गई/दी जा रही है उनके नाम नीचे लिए गए हैं :—

देश का नाम	परियोजना
अफगानिस्थान . . .	(क) 1. कजुकई परियोजना 2. सलमा बांध परियोजना (ख) माइक्रो जल-विद्युत् परियोजना 1. बमियान 2. खुल्म चरण-एक 3. फैजाबाद 4. समांगन चरण-एक 5. तालुकान 6. खानाबाद अल्वोन 7. पूले खुमरो 8. बाजाराक (अस्ताने) 9. बाघलान
मारीशस . . .	66 के० वी० पारेषण लाइनें

देश का नाम	परियोजना
नेपाल . . .	देवीघाट जल-विद्युत् परियोजना
श्रीलंका . . .	कोटेमाले जल-विद्युत् परियोजना
भूटान . . .	चुखा जल-विद्युत् परियोजना
बर्मा . . .	रंगून जल सप्लाई परियोजना
फिलिपीन्स . . .	1. टेंगो विद्युत् केन्द्र 2. गिर्बोन विद्युत् केन्द्र

(ग) केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा दी गई सहायता के लिए वाटर एण्ड पावर कंसल्टेंसी सर्विसिज (इण्डिया) लिमिटेड प्राधिकरण के शुल्क दे रहा है।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कम रिक्त पदों का विज्ञापित किया जाना

*414. **श्री आर० एल० कूरील** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर किन्हीं विशेष पदों/ग्रेडों में रिक्त स्थान भरने के लिए बहुत कम संख्या में रिक्त पद विज्ञापित करने की प्रक्रिया अपनाई है और तत्पश्चात मांग करने वाले विभागों के वह संख्या अतिरिक्त रिक्त पदों को जनसाधारण को जानकारी में लाये बिना किसी भी सीमा तक, अर्थात् कुछ मामलों में 400 प्रतिशत से 500 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी जाती है; और

(ख) यदि नहीं, तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सितम्बर, 1976 में ली गई सम्मिलित सीमित विभागीय परीक्षा के परिणामों के आधार पर रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के सेक्शन आफिसर के ग्रेड में जो रिक्त पद भरे गये उनकी संख्या 2 से 9 तक बढ़ाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा रेल मंत्रालय को किन कारणों से अनुमति दी गई थी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) तथा (ख) : गृह मंत्रालय द्वारा 1967 में मंत्रालयों/विभागों की निम्नलिखित अनुदेश जारी किये गए थे :—

(i) आयोग द्वारा ली जानी वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती करने वाले मंत्रालय/विभागों की किसी विशेष भर्ती वर्ष के दौरान भरी जाने के लिए आवश्यक रिक्तयों की संख्या का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन कर लेना चाहिए और उन रिक्तियों सहित, जिनके सेवानिवृत्ति, पदोन्नति आदि के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने की सम्भावना हो, सभी संगत विचारों पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए, और इनको सूचना आयोग को उसके द्वारा भावी उम्मीदवारों को सूचना हेतु अपने नोटिस में अधिसूचित किए जाने के लिए, समय पर दे दी जानी चाहिए जिससे कि जहां तक हो सके मूल रूप में अधिसूचित रिक्तियों से अधिक (अथवा कम) उम्मीदवारो की लेने की आवश्यकता न पड़े।

(ii) उसके बाद, किन्तु परिणाम घोषित किए जाने से पहले उत्पन्न हुई किन्हीं भी रिक्तियों की तुरन्त आयोग की सूचित किया जाना चाहिए। अन्य शब्दों में, परिणाम घोषित होने से काफी पहले आयोग को सही आवश्यकताएं सूचित किया जाना अपेक्षित है।

(iii) एक बार परिणाम प्रकाशित हो जाने पर, साधारणतया अतिरिक्त व्यक्तियों को अगली परीक्षा होने तक नहीं लिया जाना चाहिए, और न ही परिणामों की घोषणा से पहले सूचित की गई रिक्तियों की सामान्यतः वापस लिया जाना चाहिए। किन्तु यदि किसी परीक्षा विशेष के संबंध में सूचित विशिष्ट संख्या में रिक्तियों पर नियुक्ति के लिये सिफारिश किये गये/आबंटित किये गये कुछ उम्मीदवार किसी न किसी कारण से उपलब्ध न हों, तो आयोग को उचित समय के भीतर लिखा जाना चाहिये और उससे अनुरोध किया जाना चाहिये कि वह रिजर्व उम्मीदवारों में से, यदि उपलब्ध हो, उनके स्थान पर उम्मीदवार भेजे। जब उनके स्थान पर उम्मीदवार उपलब्ध न हों, तो बिना भरी गई रिक्तियों की सूचना आयोग की अगली परीक्षा के जरिए भरी जाने के लिए दे दी जानी चाहिए।

उपर्युक्त अनुदेश अभी भी लागू हैं और इन्हें समय समय पर दोहराया गया है।

जहां तक सम्मिलित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 1976 के परिणामों के आधार पर रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में भरी गई रिक्तियों का सम्बन्ध है, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने उक्त परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरने के लिए पहले दो रिक्तियों की सूचना दी थी। तदनुसार, भावी उम्मीदवारों की सूचना के लिए आयोग के नोटिस में 2 रिक्तियां शामिल की गई थीं। बाद में 28-4-1977 को रेल मंत्रालय ने संघ लोक सेवा आयोग को सूचित किया था कि उन रिक्तियों की संख्या जिन्हें वे इस परीक्षा के आधार पर भरना चाहते है, बढ़कर 9 हो गई है ; जिसके कारण निम्नलिखित थे :—

(1) उक्त मंत्रालय में डेस्क अधिकारी प्रणाली लागू करने की गति मूल रूप से प्रत्याशित गति की अपेक्षा तेज होने और अधिक शाखाओं में इस प्रणाली के लागू किए जाने के परिणामस्वरूप, रिक्तियों की संख्या बढ़कर 9 हो गई थी ; और

(2) चूंकि अगली परीक्षा जो मूल रूप से 5-4-1977 को होनी निर्धारित थी, स्थगित हो गई थी, इसलिए उन्होंने बढ़ी हुई रिक्तियों की 1976 की परीक्षा के आधार पर भरने का निर्णय किया था ; जिससे कि तदर्थ पदोन्नतियों से बचा जा सके।

क्योंकि, उक्त मंत्रालय ने 6-8-1977 को अन्तिम परीक्षा के परीणाम घोषित किए जाने से बहुत पहले बढ़ी हुई रिक्तियों की संख्या सूचित कर दी थी, इसलिए आयोग ने मंत्रालय द्वारा अन्तिम रूप से सूचित की गई सभी 9 रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश की थी।

साम्प्रदायिक और राष्ट्र विरोधी संगठनों पर रोक लगाना

*415. **श्री हितेन्द्र देसाई :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साम्प्रदायिक अथवा राष्ट्र विरोधी संगठनों पर रोक लगाने के संबंध में सरकार की नीति क्या है ; और

(ख) क्या सरकार आनन्द मार्ग पर रोक लगाने के बारे में विचार कर रही है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में वे परिस्थितियों निर्धारित की गई हैं जिनके अन्तर्गत किसी संगठन पर रोक लगाई जा सकती है ।

(ख) सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

जेलों में राजनीतिक बन्दी

*416. **श्री मुकुन्द मंडल :** क्या गृह मंत्री एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) अब भी जेलों में पड़ें सभी श्रेणियों के राजनीतिक बन्दियों की राज्यवार संख्या क्या है ; और

(ख) उनमें से कितने 'आंसुका' के अन्तर्गत बन्दी हैं, कितने डी० आई० एस० आई० आर० के अन्तर्गत बन्दी हैं, कितने बन्दियों पर मुकदमा चल रहा है और कितने दोषसिद्ध राजनीतिक बन्दी हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) 'राजनैतिक बन्दी' शब्द कानून के अधीन परिभाषित नहीं है और इस लिए इस बारे में निश्चित सूचना एकत्र करना संभव नहीं है ।

(ख) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के उपाय किये हैं कि निवारक नजरबन्दी के अधीन अथवा अपने राजनैतिक विश्वास अथवा राजनैतिक गतिविधियों से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध कार्यों के लिए अभियोजित/दंडित सभी बंदी तुरन्त रिहा कर दिये जाने चाहिए । सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 3 दिसम्बर, 1977 को राजनैतिक, बंदियों समेत मीसा नजरबन्दियों की कुल संख्या 399 थी । इनमें 385 विदेशी महाराष्ट्र में 11 कठोर अपराधी तथा समाज विरोधी तत्व, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में दो विद्रोही और तमिलनाडु में एक नक्सलपंथी शामिल हैं । भारत रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा नियमों के बारे में भी सरकार ने परीक्षणाधीन बन्दियों के विरुद्ध लम्बित मामलों को वापस लेने और आर्थिक अपराधियों के मामलों और जो हिंसा के कार्यों में अन्तर्ग्रस्त हैं को छोड़कर सजा के शेष भाग को माफ करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिये हैं । सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि कोई ऐसा व्यक्ति अब भी जेल में है । जहां तक अन्य कानूनों के अधीन अपराधों का संबंध है, यदि राजनैतिक गतिविधियों के कारण अभियोजन के कोई विशिष्ट मामले सरकार के ध्यान में लाये जाते है, तो सरकार संबंधित राज्य सरकारों के साथ इस मामले पर विचार विमर्श करेंगी ।

कोंकणी भाषा का संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना

*417. **श्री एडुआर्डो फलीरो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकणी को जो कोंकण क्षेत्र के अधिकांश लोगों की मातृभाषा है, संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने की जोरदार मांग है ;

(ख) क्या सरकार को इस के बारे में विशेष प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो किन से तथा ये प्रस्ताव कब प्राप्त हुए ; और

(घ) उक्त मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (घ) : चालू वर्ष के दौरान कोंकणी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव भी नहीं है । किन्तु सरकार का प्रयास सभी भाषाओं की सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परम्परा को प्रोत्साहन देने का है चाहे वे आठवीं अनुसूची में सम्मिलित हों अथवा नहीं ।

उच्च अधिकारियों द्वारा ऋण लिया जाना

*418. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि भारत सरकार के उच्च अधिकारी अपने बच्चों एवम् आश्रितों को उच्च शिक्षा के लिए धन जुटाने हेतु बिड़ला तथा अन्य विभिन्न बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा संचालित धर्मार्थ न्यासों से ऋण लेते हैं ;

(ख) क्या सरकारी कर्मचारी आचार नियमों में कोई ऐसा उपबंध है जिसके अनुसार अधिकारी को उक्त प्रकार के ऋण लेने के लिए, विशेषकर उन औद्योगिक गृहों से जिनके साथ उनका किसी न किसी प्रकार का सरकारी सम्पर्क हो, सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या नियमों में इस प्रकार का उपबन्ध किया जाएगा ; और

(घ) क्या वह विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिव उससे ऊपर के पदों पर काम करने वाले (उनके सहित जो निलम्बित है) उन अधिकारियों के नाम तथा पदों का पता लगायेंगे जिन्होंने उक्त ऋण लिए और जिन्हें अभी भी आंशिक रुप से अथवा पूरी तरह से ऋण का भुगतान करना है ; और एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) सरकार के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि भारत सरकार के उच्चाधिकारी धर्मार्थ न्यासों आदि से ऋण लेने के आदी हैं ।

(ख) इस प्रकार का एक उपबन्ध आचरण नियमों में विद्यमान है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) चूंकि विभिन्न मंत्रालय/विभाग प्रशासनिक रूप से ऐसे मामलों को निबटाने के लिए प्रशासनिक रुप से सक्षम हैं, इसलिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के लिए सूचना एकत्रित करना न तो आवश्यक होगा और न उपयुक्त हो ।

मशीनों द्वारा नारियल जटा की चटाइयां और पट्टियां बनाने सम्बन्धी नीति

*419. **श्री बी० के० नायर :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) नारियल जटा की चटाइयों और पट्टियों के निर्माण में मशीनों का प्रयोग आरम्भ करने के बारे में सरकार की क्या नीति है ;

(ख) क्या कुछ बड़े निर्माताओं को इस प्रयोजन के लिये मशीनें (करघे) आयात करने के लिये लाइसेंस जारी किये गये हैं ;

(ग) क्या उनमें से कुछ निर्माता आयातित करघों का उपयोग ऐसे माल के निर्माण में कर रहे हैं जिनके लिये उन्हें लाइसेंस नहीं दिये गये थे ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त दुरुपयोग को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जहां तक संभव होता है इस उद्योग में विशेष रूप से घरेलू खपत के लिये मशीनीकरण को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सरकार को इस विषय में कोई भी शिकायत नहीं मिली है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोल इंडिया लिमिटेड में लागत में कमी

*420. **श्री कचरुलाल हेमराज जैन :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कम्पनियों के चयरमैनों और प्रबन्ध निदेशकों की बैठक बुलाई है और उनसे लागत में कमी करने के लिए प्रभावकारी उपाय करने को कहा है ;

(ख) बैठक की मुख्य बातें क्या हैं, उन्होंने क्या सुझाव दिये तथा उनके सुझावों पर कोल इंण्डिया लिमिटेड के अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी हां ।

(ख) इस बैठक में जिन मुख्य बातों पर विचार हुआ वे इस प्रकार हैं—उत्पादन कार्यक्रम, कार्य में किफायत, उत्पादकता में वृद्धि, उपकरणों का बेहतर प्रयोग, सामान को

जरूरतों में कमी और कार्यालय के खर्चों में कमी । इस बैठक में लिए निर्णयों को सम्मिलित होने वाले अधिकारी कार्यान्वित करेंगे ।

(ग) लागत में कमी एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इस बात पर नजर रखी जाएगी कि विभिन्न मदों की लागतों का रूख किधर है ।

केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड तथा प्रादेशिक सलाहकार बोर्डों का पुनर्गठन

*421. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नमक के लिये केन्द्रीय सहलाहकार बोर्ड और क्षेत्रीय सलाहकार बोर्डों का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक होने की संभावना है ; और

(ग) उनके मुख्यालय कहां कहां पर स्थित है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) : नमक के लिये केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय सलाहकारी बोर्डों का पुनर्गठन सरकार के विचाराधीन है तथा इन बोर्डों का पुनर्गठन करने के आदेश जारी किये जा रहे हैं ।

(ग) संलग्न विवरण में नमक के केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय सलाहकार बोर्डों के मुख्यालयों के स्थान बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

नमक के केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय सलाहकार बोर्डों (रीजनल एडवाइजरी बोर्डों) के मुख्यालयों के स्थान बताने वाला विवरण

क्र० सं०	एडवा जरी बोर्ड का नाम	मुख्यालय
1	सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड फार साल्ट	जयपुर
2	तमिलनाडु रीजनल एडवाइजरी बोर्ड फार साल्ट . . .	मद्रास
3	आन्ध्र प्रदेश रीजनल एडवाइजरी बोर्ड फार साल्ट . . .	मद्रास
4	वेस्ट बंगाल रीजनल एडवाइजरी बोर्ड फार साल्ट . . .	कलकत्ता
5	उड़ीसा रीजनल एडवाइजरी बोर्ड फार साल्ट . . .	कलकत्ता
6	महाराष्ट्र रीजनल एडवाइजरी बोर्ड फार साल्ट . . .	बम्बई
7	गुजरात रीजनल एडवाइजरी बोर्ड फार साल्ट . . .	बम्बई
8	राजस्थान रीजनल एडवाइजरी बोर्ड फार साल्ट . . .	जयपुर

Use of Languages in Recruitments by UPSC

*422. **Shri Natverlal B. Parmar:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the progress made in regard to the using of other Indian languages in addition to Hindi and English for making recruitment in Government services by the Union Public Service Commission?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S. D. Patil): Government have decided in principle that all the languages included in the Eighth Schedule to the Constitution and English shall be permitted as alternative media for the All-India and Higher Central Services examinations, and that this change may be introduced in phases after considering the procedural aspects. According a beginning in the use of regional languages was made in 1969 when candidates for the I.A.S. etc. Examination were allowed the option to answer the papers in 'Essay' and 'General Knowledge' in English or any one of the languages mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution.

In view of its complexity, this question of introducing regional languages as alternative media in competitive examinations conducted by the U.P.S.C. was considered by a committee headed by Dr. D. S. Kothari which was deputed to go into recruitment procedures and selection methods. The Committee has since submitted its report and its recommendations are under consideration. Further action will be taken in the light of decisions taken on the recommendations of the Committee.

राज्यों के उद्योग मंत्रियों के सम्मेलन में दिये गये सुझाव

*423. **श्री के० मालन्ना :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के उद्योग मंत्रियों का एक सम्मेलन सितम्बर 1977 के पहले सप्ताह में नई दिल्ली में हुआ था ;

(ख) यदि हां , तो विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्रियों द्वारा दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है और उनके बारे में क्या निर्णय लिये गये ; और

(ग) क्या गांवों में कुटीर और लघु उद्योगों के उत्पादों की बिक्री कर चुंगी तथा अन्य स्थानीय करों से मुक्त करने के बारे में भी कोई निर्णय लिया गया था ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) से (ग) : पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों के लिए राज्य उद्योग मंत्रियों की 5 से 8 सितम्बर, 1977 तक दिल्ली में अलग अलग बैठकें आयोजित की गई थी। इसके बाद उत्तर पूर्व क्षेत्र के उद्योग मंत्रियों की 2 अक्तूबर, 1977 को शिलांग में एक बैठक की गई थी। इन बैठकों का आयोजन मुख्य रूप से हमें विभिन्न राज्यों द्वारा उनके औद्योगिक विकास कार्यक्रमों के बारे में विशिष्ट और तातकालिक समस्याओं से परिचित कराने तथा कार्यवाही के लिए और अधिक उपयोगी कार्यक्रम तैयार करने के लिए विचार विमर्श करने हेतु किया गया था। विभिन्न राज्यों के उद्योग मंत्रियों ने अपने अपने राज्यों की समस्याओं पर प्रकाश डालते समय कुछ सामान्य प्रकार के सुझाव भी दिए थे जिन पर विचार विमर्श किया गया था। दिए गए मुख्य सुझावों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सहायक उद्योगों के विकास पर तथा निजी क्षेत्र में बड़े और मझौले उद्योगों पर अधिक बल देना, लघु उद्योग और कुटीर क्षेत्र से की गई खरीद के लिए भुगतान करने की एक उपयुक्त पद्धति तैयार करना, लघु और कुटीर उद्योगों के विकास में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अधिक भाग लिया जाना। राज्यों में लघु उद्योग विकास संगठनों को सशक्त बनाना, लघु और कुटीर उद्योगों के लिए अपेक्षित निवेश और कच्चे माल की सामयिक और निर्बाधिपूर्ति के लिए आवश्यक व्यवस्था करना, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और राज्य व्यापार निगम के बीच लघु उद्योग उत्पादों के विपणन टिनी क्षेत्र जैसे संयंत्र और मशीनरी में एक लाख रु० से कम निवेश वाले उद्योगों के विकास पर विशेष बल देने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना आदि सम्मिलित था। विचार-विमर्श के दौरान कुछ राज्यों द्वारा लघु और कुटीर उद्योगों को बिक्रीकर और अन्य स्थानीयकरों से छूट देने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई थी। विभिन्न सुझावों पर कोई निश्चित निर्णय नहीं लिए जा सके क्योंकि इसके लिए विभिन्नमंत्रालयों से पूर्व परामर्श करना अनिवार्य था।

Expenditure on Ministers

*424. **Shri Ramjilal Suman :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the approximate expenditure per Minister and per month incurred on the Cabinet Ministers and the Ministers of State; and

(b) whether the present Government propose to curtail the expenditure on Ministers as compared to the expenditure incurred by the previous Government to practise simplicity and economy?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) A statement is attached.

(b) Executive instructions of the Government have laid down limits for consumption of electricity and water at the residences of Ministers beyond which the charges are to be borne by the Ministers themselves. Executive instructions of the Government also provide for economy in expenditure on telephones, use of staff cars by Ministers and their personal staff.

STATEMENT

(a) Head of Expenditure	Monthly approximate expenditure on a Cabinet Minister	Monthly approximate expenditure on a Minister of State
	Rs.	Rs.
Salary	2250.00	2250.00
Sumptuary Allowance . .	500.00	Nil
Rent of residential buildings .	650.00	650.00
Electricity & Water charges .	200.00	200.00
Rent of furniture & electric appliances	590.00	590.00
	4190.00	3690.00

NOTE : This does not include expenditure on

(i) Travelling allowance, which is a reimbursement of the expenditure incurred in the performance of duties.

(ii) The use of staff cars, which is admissible only for journeys performed in connection with official business.

(iii) Secretarial and other staff and telephones which are provided to Ministers to enable them to discharge their official duties.

(iv) Medical facilities provided to Ministers as they are entitled medical facilities under the Central Government Health Scheme.

उच्चतर सेवाओं के लिए परीक्षा म बैठने के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनूसुचीत जन जातियों के व्यक्तियों को प्रशिक्षण

*425. **श्री रामलाल राही :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित कोटा भरा जाये, सरकार का विचार इन जातियों के व्यक्तियों को उच्चतर सरकारी सेवाओं के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में बैठने से पूर्व उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए कोई राष्ट्रीय योजना बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के प्रत्याशियों को प्रशिक्षण देने की दृष्टि से, जो केन्द्रीय/राज्य सेवाओं के पदों की भर्ती के लिए की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं, 22 पूर्वपरीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र देश के विभिन्न भागों में पहले ही स्थापित कर दिए गए हैं । ऐसे और अधिक केन्द्र खास राज्य/क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखकर स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

Employment in Government Service beyond 58 years of age

3797. **Shri Nawab Singh Chauhan**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of Departments and categories in which right to continue in service in Government of India after attaining the age of 58 years is available;

(b) whether it is legally valid for the supervisory staff i.e. producer, chief producer etc., in A.I.R. to continue in service beyond 58 years of age;

(c) if so, the reasons therefor and the law under which the Government have provided this privilege to certain categories;

(d) whether Government propose to enact a legislation to bring uniformity in service conditions of all the Government employees; and

(e) if so, the details of the proposal?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S. D. Patil): (a) According to Fundamental Rules, every Government servant shall retire on the last day of the month in which he attains the age of 58 years. Exceptions are made in these rules in the case of a workman, (as defined in the aforesaid rules), a ministerial Government servant who entered service on or before 31st March, 1938 and an employee in Group D Service or post, for whom the age of retirement is 60 years. Further-more, in certain Departments like the Departments of Space and of Atomic Energy, which employ mainly scientific and technical personnel, the normal age of retirement of their employees is 60 years.

(b) & (c) : Staff artists in All India Radio are employed on a long-term contract basis. As such, it is legally valid to retain them in service upto the age of 60 years in accordance with the terms and conditions of their contract, subject to a review at the age of 58 years.

(d) Since the age of retirement of Central Government employees is already being regulated by statutory rules, it is not considered necessary to enact legislation in this regard.

(e) Does not arise.

मिजोरम सशस्त्र पुलिस तथा मिजोरम पुलिस में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के जवानों को नियुक्त करना

3793. **डा० आर० रोयुअम** : क्या गृह मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल के बहुत से जवानों को पदोन्नति द्वारा तथा मिजोरम सशस्त्र पुलिस तथा मिजोरम पुलिस के अधिक वरिष्ठ स्थानीय पुलिस कर्मचारियों की वरिष्ठता का अधिलंघन करके मिजोरम सशस्त्र पुलिस तथा मिजोरम पुलिस में नियुक्त कर दिया गया था और इसके कारण मिजोरम पुलिस विभाग के कर्मचारियों में अनुशासन होनता नैतिक हतोत्साह तथा कटुता को भावना पैदा हो गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धो तथ्य तथा आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय पुलिस कर्मचारियों के, विशेषतया पदोन्नति करके, राज्य पुलिस में स्थानान्तरित करने को प्रक्रिया कानून द्वारा बनाये गये नियमों के अनुरूप हैं ;

(ग) मिजोरम पुलिस विभाग में इस समय नियुक्त कनिष्ट तथा वरिष्ठ दोनों हो अधिकारी संवर्गों के, स्थानीय तथा गैर-स्थानीय अधिकारियों को संख्या संबंधो तथ्य तथा आंकड़े क्या ह ; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत वार्षिक पुलिस कल्याण निधि के मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार तथा पुर्वविनियोजन व्याप्त है और मिजोरम पुलिस विभाग के समूचे संगठन तथा इस के कार्यकरण के बारे में पुरो मांग को जायेगो ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) यह सच नहीं है कि आपात स्थिति के दौरान केन्द्रोय रिजर्व पुलिस तथा सोमा सुरक्षा बल के बहुत से जवानों को मिजोरम सशस्त्र पुलिस तथा मिजोरम पुलिस में नियुक्त किया गया है । परन्तु कुछ पुलिस कर्मचारियों को 1974 के अन्त में तथा 1975 के शुरूवात में अर्थात् आपातस्थिति से पूर्व नियुक्त किया गया था । सरकार को इस बारे में अनुशासनहोनता, नैतिक हतोत्साह तथा कटुता के किसो मामले को जानकारो नहीं है ।

(ख) केन्द्रोय सरकार से राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को तथा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से केन्द्रोय सरकार को सरकारो कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति एक सामान्य बात है । ऐसो प्रतिनियुक्ति बराबर के पदों अथवा उच्च पदों पर की जा सकतो है ।

(ग) प्रतिनियुक्ति/पुनः सेवा में, सीमा सुरक्षा बल अथवा केन्द्रोय रिजर्व पुलिस से संबंधित राजपत्रित अधिकारियों की संख्या 11 है जिनमें एक पुलिस महानिरोक्षक, 3 पुलिस अधीक्षक और 7 पुलिस उप-अधिक्षक शामिल है । मिजोरम पुलिस में नियुक्त स्थानीय अथवा संघ शासित क्षेत्र संवर्ग से संबंधित राजपत्रित अधिकारियों को संख्या 13 है जिसमें 4 पुलिस अधीक्षक और 9 पुलिस उप-अधीक्षक शामिल है । अराजपत्रित पदों में 293 स्थानाय अधिकारो हैं तथा 15 अधिकारी सोमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रोय रिजर्व पुलिस से प्रतिनियुक्ति पर लिये गये हैं ।

(घ) मिजोरम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार वार्षिक पुलिस कल्याण निधि के किसी भ्रष्टाचार अथवा पुर्वनियोजन को सूचना नहीं मिली है । महालेखाकार, शिलांग द्वारा प्रतिनियुक्त एक लेखापरीक्षक ने इस निधि को उचित लेखा परोक्षा की है ।

नागालैंड में सैनिक तथा अर्ध-सैनिक जवान तैनात करना

3799. **श्री रोबिन सेन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैंड में अभी भी बहुत से सैनिक तथा अर्ध-सैनिक जवान तैनात हैं ;

(ख) क्या इस के फलस्वरूप नागालड के लोगो के मन में प्रतिकुल प्रतिक्रिया हो रही है ; और

(ग) क्या नागालैंड में इस समय शांतिपूर्ण वातावरण को देखते ए सरकार इन जवानों को वहां से वापस बुलाने पर विचार करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क), (ख) और (ग): नागालड में इस समय तैनात किए गए सैनिक तथा अर्ध सैनिकों की संख्या, उनको दिए गए कार्यों के अनकूल है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर सतर्कता रखना शामिल है और उसे अधिक नहीं समझा जाता है । वहां इन बलों की लगातार उपस्थिति का नागालैंड के लोगों के बीच किसी विपरीत प्रतिक्रिया होने का कोई समाचार नहीं है ।

Vehicles Factory, Jabalpur

3800. **Shri Chhabi Ram Argal :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the Vehicles Factory, Jabalpur, a Defence undertaking, is allowing 10 per cent price preference to its ancillary units for which it had agreed earlier; and

(b) whether the management of this Vehicles Factory, Jabalpur, is giving sufficient job to its subsidiary units?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri Sher Singh) : (a) and (b) : No price preference as such is being shown. However, as advised by the Bureau of Public Enterprises, other factors including price being equal, the Vehicle Factory, Jabalpur, is giving preference to ancillary units.

सीमेंट का नया रिकार्ड

3801. **श्री धर्मवीर वशिष्ट :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, सितम्बर, 1977 में सीमेंट के उत्पादन में एक नया रिकार्ड कायम हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय सीमेंट की कमी के तथा इसके लिए पर्मिट व्यवस्था रखने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस के वितरण पर से सभी नियंत्रण हटा लेने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमति आभा माईति) : (क) जी, हां । अगस्त, सितम्बर, 1977 में उत्पादन 31.08 लाख मी० टन हुआ, जबकि वर्ष 1976 में इन्हीं महीनों में उत्पादन 27.93 लाख मी० टन तथा 1975 में 27.92 लाख मी० टन हुआ था ।

(ख) और (ग) : उत्पादन बढ़ जाने पर भी सरकारी विभागों, उद्योग, कृषि तथा आवास की खपत में मांग बढ़ जाने के कारण कमी हो गई है । जब तक मांग उत्पादन से अधिक बनी रहेगी तब तक राज्यवार कोटा निर्धारित करने तथा सरकारी विभागों और जनता की खपत के बीच वितरण पर कुछ संयम रखना पड़ेगा ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा की वर्ष 1976 में हुई परीक्षा के आधार पर सफल उम्मीदवारों की अनुपूरक सूची

3802. **श्री यू० एस० पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये वर्ष 1976 में आयोजित परीक्षा के आधार पर सफल हुए उम्मीदवारों की एक अनुपूरक सूची तैयार की जा रही है/तयार कर ली गई है ; यदि हां, तो कुल कितने उम्मीदवार लिये जा रहे हैं ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले वर्षों के दौरान 35 प्रतिशत तक अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को ले लिया गया था, यदि हां, तो उन्हें इस वर्ष क्यों नहीं लिया जा रहा है ?

गृह मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटल) : (क) जी हां, श्रीमान् । संघ लोक सेवा आयोग से केन्द्रीय सेवाएं, समूह "ख" में नियुक्ति के लिए 37 उम्मीदवारों (16 सामान्य तथा 21 अनुसुचित जातियों) और पुलिस सेवा समूह "ख" में नियुक्ति के लिए 7 सामान्य उम्मीदवारों की एक अनुपूरक सूची भेजने के लिए अनुरोध किया गया था ।

आयोग ने सूचित किया है कि उनके पास सिफारिश करने के लिए अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है और इसलिए केन्द्रीय सेवाएं समूह "ख" में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित मानना पड़ेगा । 37 उम्मीदवारों की कुल मांग में से आयोग ने समह "ख" सेवाओं में नियुक्ति के लिए केवल 30 सामान्य उम्मीदवारों की सिफारिश की है, क्योंकि आयोग के पास और अधिक उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है । आयोग ने पुलिस सेवा समूह "ख" में नियुक्ति के लिए भी सात सामान्य उम्मीदवारों की सिफारिश की है ।

(ख) जिस अर्हक मानदण्ड के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उम्मीदवारों को अखिल भारतीय सेवाओं तथा केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाती है उसे आयोग द्वारा निश्चित किया जाता है । अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए आयोग द्वारा ऐसे अर्हक मानदण्ड को विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिए उनकी उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए शिथिल किया जाता है । आयोग महसूस करता है कि इस प्रकार निर्धारित किए गए सही मानदण्ड को बताया जाना लोक-हित में नहीं होगा ।

चपोरा नदी पर पुल

3803 **श्री अमृत कासर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र गोआ, दमन और दिव में कोलवले के स्थान पर चपोरा नदी पर एक पुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कार्य कब आरंभ होगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां ।

(ख) पुल के नीचे की सतह की जांच का अनुमान 25-3-1976 को स्वीकृत किया गया और कार्य प्रगति पर है । पुल के निर्माण की और कार्यवाही इस जांच के परिणाम पर निर्भर करती है । अतः इस समय यह बताना संभव नहीं है कि कार्य कब शुरू होगा ।

महाराष्ट्र में ग्रामीण विद्युतीकरण

3804. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कितने गांवों का घरेलू और कृषि प्रयोजनों के लिए अब तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार का इस बारे में आगे क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) महाराष्ट्र में 35,778 गांव हैं । 30-9-1977 तक 20,619 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका था । घरेलू तथा कृषि प्रयोजनों के लिए उस तारीख तक शेष 15,159 गांवों का विद्युतीकरण नहीं किया गया था ।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम राज्य बिजली बोर्डों द्वारा तैयार किए जाते हैं और निष्पादित किए जाते हैं । इन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम राज्य बिजली बोर्डों को ऋण सहायता देता है । राज्य सरकारों को भी प्रति वर्ष योजना सहायता दी जाती है जिसमें से ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों को वित्तीय व्यवस्था की जाती है तथा उनका कार्यान्वयन किया जाता है ।

एवरेस्ट साइकल्स लिमिटेड के प्रबंध का अधिग्रहण

3805. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम राज्य सरकार ने एवरेस्ट साईकल्स लिमिटेड के प्रबन्ध का अधिग्रहण करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमति आभा माईति) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार संबंधित अभिकरणों के परामर्श से उनके निवेदन पर विचार कर रही है ।

Assistance to Educated Unemployed Motor Transport Cooperative Society

3806. **Dr. Ramji Singh :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the extent of assistance rendered by the Central Government in the scheme of 'Shikshit Berojgar Motor Parivahan Sahyog Samiti' (Educated unemployed Motor Transport Cooperative Society) functioning in the industry Department of Bihar Government;

(b) whether the Central Government have discontinued giving assistance and if so, the reasons therefor and if not, the reasons for not according approval so far by the Central Government to the schemes forwarded by the Bihar Government; and

(c) whether allotment of a bus to six educated unemployed persons can feed about 10 families consisting of a total of 50 members; if so, the logic behind discontinuing such useful schemes after emergency?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) to (c) : The material is being collected and will be laid on the Table of the House.

इन्द्रपुरी कालोनी और टोडापुर गांव के बीच रक्षा विभाग की भूमि का विकास

3807. **श्री जी० एम० बनतवाला :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिकों की रिहायश के लिए दिल्ली में इन्द्रपुरी कालोनी और टोडापुर गांव के बीच पड़ी रक्षा विभाग की भूमि का विकास करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कम्प्यूटर मेंटेनंस कारपोरेशन द्वारा आई० बी० एम० के फालतु कर्मचारियों का खपाया जाना

3808. **श्री यशवन्त बोरोले :** क्या **इलेक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटर मेंटेनेंस कारपोरेशन, आई० बी० एम० के कर्मचारियों को जो भारत में अपना कारोबार बन्द करने वाला है, विशेषकर इंजीनियरी कर्मचारियों को रोजगार देने की स्थिति में है ;

(ख) क्या उपरोक्त कारपोरेशन को इस आशय के कोई अनुदेश दिए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संदर्भ में कम्प्यूटर इंजीनियरों को रोजगार देने के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) तथा (ग) : कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम (सी० एम० सी०) ने आई० बी० एम० के साथ समझौते के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम में नौकरी के लिए आवेदन

करने वाले आई० बी० एम० के सभी इंजीनियरी स्टाफ को कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम द्वारा निर्धारित वेतनमानों तथा शर्तों पर उक्त निगम में रोजगार दिया जाएगा । अन्य कर्मचारी भी यदि चाह तो कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम द्वारा निर्धारित वेतनमानों तथा शर्तों पर उक्त निगम में नियुक्ति के लिए अपने अपने आवेदन-पत्र भेज सकते हैं । ऐसे आवेदन-पत्रों पर अन्य आवेदन-पत्रों के साथ साथ भर्ती की सामान्य प्रक्रिया अपनाकर विचार किया जाएगा । कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम इलेक्ट्रानिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत आता है और उक्त निर्णय इलेक्ट्रोनिकी विभाग से परामर्श करके लिया गया है ।

स्टाफ आर्टिस्टो के पदों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

3809. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन में स्टाफ आर्टिस्टों की कितनी श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण होता है ;

(ख) स्टाफ आर्टिस्टो की कितनी श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं होता और आरक्षण नियमों के अधीन इन श्रेणियों में आरक्षण न होने के क्या कारण है ; और

(ग) जिन श्रेणियों में आरक्षण नियमों के अनुसार आरक्षण नहीं होता उनके सम्बन्ध में आरक्षण नियम लागू करने के लिए मंत्रालय अथवा दूरदर्शन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क), (ख) और (ग): दूरदर्शन में स्टाफ आर्टिस्टों की सात गैर-सृजनात्मक श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण पहले ही है । शेष 38 श्रेणीयां सृजनात्मक श्रेणीयां है जिनको भरने में योग्यता को ही मुख्य मानदण्ड होना है । यह निर्णय किया गया था कि इस प्रकार की सृजनात्मक श्रेणियों के पदों को आरक्षण सम्बन्धी आदशों से छूट देने के प्रश्न को कर्मचारी निरीक्षण एकक की सिफारिशों के आधार पर दूरदर्शन केन्द्रो के नए स्टाफिंग पैटर्न को अन्तिम रूप दे दिए जाने के बाद हाथ में लिया जाए । नया स्टाफिंग पैटर्न अब विचाराधीन है ।

क्षेत्रों को पिछड़े हुए घोषित करने के लिये तमिलनाडु से प्राप्त प्रस्ताव

3810. **श्री कुमरी अनन्तम :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु राज्य ने उस राज्य में क्षेत्रों को पिछड़े हुए घोषित करने के बारे में हाल में प्रस्ताव भेजे है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्षेत्रों को शीघ्र पिछड़े हुए घोषित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) । प्रश्न उपस्थित नहीं होते ।

बिजली पैदा करने के लिए पुराने विमानों के इंजनों का उपयोग

3811. **श्री वसंत साठे** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बम्बई और कलकत्ता जैसे मुख्य औद्योगिक नगरों में बिजली की कमी को अति शीघ्र दूर करने के लिए बिजली पैदा करने हेतु पुराने विमानों के इंजनों का उपयोग करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय किया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) : विमानन कार्य से उपयोग-निवृत्त होने पर देश में विमान-इंजिनों की उपलब्धता की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए उपयोग-निवृत्त विमान-इंजीनों की विद्युत उत्पादन के अनुकूल बनाने की संभाव्यता की जांच राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने की थी । उसने यह सिफारिश की थी कि इन विमान-इंजिनों को विद्युत् उत्पादन के लिए अनुकूल बनाने से पूर्व और अनुसंधान और विकास कार्य आवश्यक है । उच्च लागत वाले पेट्रोलियम पदार्थों से उत्पन्न इंधन के स्थान पर प्रयोग किए जा सकने वाले अन्य इंधनों तथा विद्युत् टरबाइन का विकास और अप्रयुक्त उष्मा पुनर्ग्रहण प्रणाली संबंधी कार्य इस अनुसंधान के अन्तर्गत आएंगे ।

इस प्रयोजन के लिए अनुसंधान और विकास कार्यक्रम तैयार करने हेतु एक मार्गदर्शी (स्टीअरिंग) समिति गठित की गई है । इस कार्यक्रम के तकनीकी भाग तथा तकनीकी आर्थिक विश्लेषणों के आधार पर इसकी सार्थकता के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक है । जब यह रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तब इस क्षेत्र में आगे विकास की प्रवृत्ति का पता चलेगा ।

यह स्कीम विद्युत उत्पादन में कहां तक सहायक होगी यह इस बात पर निर्भर होगा कि कालान्तर में देश में कितने इंजिन उपलब्ध होते हैं और विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के इंधनों से विद्युत उत्पादन के लिए उनको अनुकूल बनाए जा सकना कहां तक व्यवहार्य और लाभप्रद है ।

कांगड़ा के भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिक

3812. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1947 के दौरान कांगड़ा के भारतीय सेना के भूतपूर्वक सैनिक जे० के० इंफैंट्री में सम्मिलित हुए थे तथा उस राज्य में पाकिस्तान द्वारा की गई अव्यवस्था के समय उन्होंने राज्य की सभी सीमाओं पर नियमित सेना के साथ मिलकर युद्ध किया था ;

(ख) क्या जम्मू और काश्मीर राज्य ने उन सैनिकों को फालतू घोषित किया था तथा उन्हें 1954-55 में राज्य की सेना को नियमित भारतीय सेना में विलय के समय डिस्चार्ज कर दिया था ;

(ग) क्या 1954-55 के दौरान ये सैनिक डी० एस० सी० में भर्ती हो गये थे ;

(घ) क्या उनकी जम्मू और काश्मीर सेवा को जो फील्ड सेवा थी, डी० एस० सी० में पेंशन के लिए करने का विचार है जैसा कि टेरिटोरियल आर्मी, बार्डर और रिजर्व आदि के मामले में किया जाता है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) से (ङ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

Production of Oxygen

3813. **Shri S. S. Somani :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the actual demand and also production of oxygen gas in the country;

(b) the units producing this gas;

(c) the new units granted licences therefor in each State; and

(d) the time by which shortage of oxygen gas is likely to be made up?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) The demand for Oxygen gas by 1978-79 has been estimated as 100 million cubic metres. The actual production of Oxygen gas during the year, 1976 was of the order of 70.80 million cubic metres.

(b) A statement showing the names of Units borne on the list of the Directorate General of Technical Development producing Oxygen gas is attached. **[Placed in Library. See No. L.T. 1357/77].**

(c) Eighteen new units were granted industrial licences for the production of Oxygen gas during 1976 and 1977 (upto October, 1977). The state-wise break up is as under:—

Sl. No.	State	No. of licences
1.	Bihar	1
2.	Delhi	1
3.	Goa, Daman & Diu	2
4.	Gujarat	3
5.	Karnataka	2
6.	Madhya Pradesh	1
7.	Maharashtra	3
8.	Orissa	1
9.	Punjab	1
10.	Tamil Nadu	2
11.	Uttar Pradesh	1

(d) At present there is no over all shortages of Oxygen gas in the country.

प्रत्येक पत्तन पर चढ़ाया-उतारा गया माल

3814. **श्री के० प्रधान** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक पत्तन पर कितना माल चढ़ाया-उतारा गया ;

(ख) क्या हाल में कुछ पत्तनों के कार्यकरण की स्थिति बिगड़ गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) पिछले तीन वर्षों में देश के बड़े पत्तनों में धरा उठाई किये गये माल की प्रमात्रा नीचे दी गई है :

पत्तन	(टन 10 लाख में)		
	1974–75	1975–76	1976–77
कलकत्ता . . .	7.54	7.70	8.02
बम्बई	17.73	16.79	17.39
मद्रास	7.92	8.21	7.81
कोचीन	4.81	4.26	4.77
कांडला	3.54	3.20	3.31
विशाखापत्तनम . .	7.20	9.10	9.10
मारमुगांव .	14.11	12.77	13.45
पारादीप .	2.61	3.31	3.32
नव मंगलौर	0.09	0.34	0.43
नव तुतीकोरिन .	0.07	0.27	0.63
कुल .	65.62	65.95	68.26

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गोआलपाडा जिले में बलाडमारी के गारो प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाना †

3815. **श्री पी० ए० संगमा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के गोआलपाड़ा जिले में बलाडमारी स्थान पर दिनांक 11 फरवरी, 1974 को गारो प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाने की घटना का जिसमें एक राउसिंग मोमिया, स्वयंसेवक और एक पुलिस कांस्टेबिल की मृत्यू हो गई थीं, जांच कराने के बारे में, 17 अप्रैल, 1974 को अथवा उसके आसपास सरकार ने सभा में कोई आश्वासन दिया था ;

(ख) क्या जांच की गई थी; और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था तथा गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (घ) : इस प्रश्न का सम्बन्ध संभवत: असम-मेघालय सीमा पर कुछ गांवों के बारे में विवाद से सम्बन्धित श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा पुछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 711 के 17 अप्रैल, 1974 को दिये गए उत्तर में हुई बहस से है। इस बहस के बाद की स्थिति उसी सदस्य द्वारा पुछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 7450 के 23 अप्रैल, 1975 को दिए गए उत्तर में सदन को विधिवत स्पष्ट कर दी गई थी।

Construction of bridge over Ganga at Bhagalpur between Mokameh and Farakka

†3816. **Shri G. P. Yadav :**

Dr. Ramji Singh :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme for the construction of a bridge over Ganga at Bhagalpur between Mokameh and Farakka; and

(b) if so, when Government propose to undertake the scheme?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram) : (a) and (b) : The proposed Ganga bridge between Mokameh and Farakka near Bhagalpur, when constructed, would fall on a State road. The Bihar Government are, therefore, concerned with the requirement of construction of this bridge.

Fate of Cottage Industry manufacturing Domestic Electrical Appliance running in Delhi

3817. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a cottage industry manufacturing domestic electrical appliances is running in Delhi and thousands of families and lakhs of people are earning their livelihood by working in this industry;

(b) whether during emergency in 1976 an announcement was made to give effect to the order from 1-1-78 whereas this order was actually passed in 1965 and no facility was provided in accordance with the spirit of the order as a result of which this industry's existence is in danger and lakhs of employees are going to lose their jobs; and

(c) if so, whether Government propose to reconsider the said order and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) There are about 250 small scale units engaged in the manufacture of domestic electrical appliances in Delhi area and the employment provided is at the rate of 8 to 9 workers per unit on an average.

(b) Announcement to give effect to the Quality Control Order from 1-1-78 was not made during emergency. The order was not actually passed in 1965. Facilities are being provided to the small entrepreneurs to enable them to adhere to this order in this field, wherever required.

(c) There is no proposal with the Government to reconsider the said Order at the present moment. The Government feels that there is a necessity for such compulsory quality Control Order as it would not only facilitate improvement of the Quality of the products manufactured but also create conditions for providing adequate protection to the consumers against electrical hazards.

उड़ीसा से समेकित आदिवासी विकास परियोजना संबंधी प्रतिवेदन

3818. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं सम्बन्धी सभी परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनमें से अब तक कितनी परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है और काम करना आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) वर्ष 1977-78 के लिए प्रत्येक समेकित आदिवासी विकास योजना के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ; और केन्द्रीय सरकार ने कितनी सहायता दी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल): (क) और (ख) : उड़ीसा सरकार ने 23 में से 19 परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं और इन 19 समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है और इन्होंने कार्य शुरू कर दिया है। इस समय अन्य 4 परियोजनाएं आदिवासी विकास एजन्सियों के रूप में चल रही है।

(ग) वर्ष 1977-78 के लिए राज्य योजना से 19 समेकित आदिवासी विकास योजनाओं और 4 आदिवासी विकास एजेन्सियों के लिए अस्थाई तौर पर निर्धारित परिव्यय और उनको विशेष केन्द्रीय सहायता से आवंटन अनुलग्नक में दी गई हैं।

विवरण

1977-78 के लिए राज्य योजना से 19 समेकित आदिवासी विकास परियोजना और 4 आदिवासी विकास एजेन्सियों के लिए निर्धारित अस्थाई परिव्यय और उनको आवंटित विशेष केन्द्रीय सहायता

(रुपय लाखों में)

क्र० सं०	समेकित आदिवासी विकास परियोजना/ आदिवासी एजेन्सी का नाम	राज्य योजना	विशेष केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4
	समेकित आदिवासी विकास परियोजना		
1	कोरापट . . .	160.20	48.45
2	नौरंगपुर . . .	149.03	52.80
3	जैपोर	333.24	30.11
4	मालकांगिरी . . .	72.23	41.74
5	रायगढ़ . . .	95.23	26.07
6	बेरीपांडा	155.56	58.16
7	करनजिआ	73.71	29.80
8	कपटीपाड़ा . . .	232.37	19.22
9	रायरेंगपुर	240.49	37.45
10	सुन्दरगढ़ . .	184.20	20.52
11	पेनपोश . . .	79.47	23.75
12	बोनाई . .	60.90	27.73
13	कोंझर	46.38	21.58
14	छंपुआ	49.86	19.39
15	कुचिन्दा . . .	45.22	24.87
16	नीलगिरी .	27.31	13.64
17	थरामपुर . . .	140.72	50.84
18	फुलबनी . . .	108.18	19.48
19	जी उदयागिरी . .	69.05	29.14

1	2	3	4
आदिवासी विकास एजेन्सी			
20	बलिगुड़ा	47.73	18.75
21	पालखेनुंडी	47.32	11.33
22	गुनुपुर . .	89.87	5.53
23	भुपानपीर और जौंगपीर	223.31	5.77
	कुल	*2838.43	636.12
			आरक्षित 121.88
			758.00

*संवार क्षेत्रों और बन्दोबस्त कार्य के अधीन 106.85 लाख रु० की राशि की व्यवस्था शामिल है ।

चांदनी चौक, दिल्ली स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला

3819. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चान्दनी चौक, दिल्ली स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया के विरुद्ध बचत बैंक खाता संख्या 2497 के सम्बन्ध में दिनांक 25 जून, 1975 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 725 के अन्तर्गत दिल्ली पुलिस के पास एक धोखाधडी का मामला दर्ज कराया गया था ;

(ख) क्या पुलिस के जांच के दौरान यह मामला सिद्ध हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में पुलिस द्वारा आगे क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) बचत बैंक खाता नम्बर 2497 के सम्बन्ध में पुलिस स्टेशन कोनवाली में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/467/471 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 725 दिनांक 25-6-1975 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था ।

(ख) और (ग) : जांच पड़ताल के दौरान जालसाजी और ठगी का अभियोग सिद्ध हुआ था । परन्तु, भरसक कोशिश के बावजूद भी अपराधी को तलाश नहीं किया जा सका । जब भी पुलिस को अपराधियों का कोई सुराग मिलेगा मामले की जांच पुनः आरम्भ की जायगी ।

शिक्षण के लिए विदेश भेजे गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

3820. **श्री एस० ननजेश गौडा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारियों को सरकारी खर्चे पर उच्चतर प्रशिक्षण/अध्ययन के लिए विदेश भेजा गया था ;

(ख) उनकी शिक्षा सम्बन्धी अर्हताएं क्या थी ;

(ग) उस प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है जिसके लिए उन्हें विदेश भेजा गया था और उन्हें किस आधार पर इस प्रकार के प्रशिक्षण/अध्ययन के लिए उपयुक्त समझा गया था ; और

(घ) उनके भारत लौटने पर सरकार ने उनके इस प्रशिक्षण से क्या लाभ उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) से (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

Raid on a Wine Company in Delhi

3821. **Shri Chandra Shekhar Singh**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the officers of the Vigilance Directorate raided the office of a wine company in Delhi and seized objectionable documents from it; and

(b) if so, the action being taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

कालगेट-पामआलिव द्वारा सोविरोल का उत्पादन

3822. **श्री के० ए० राजन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालगेट-पामआलिव कम्पनी का प्रस्ताव सोविरोल का उत्पादन करने का है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस कम्पनी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) : जी, हां ।

(ग) कम्पनी को प्रति वर्ष 2,000 मी० टन सोविरोल का उत्पादन करने के लिए 12-12-1977 को अन्य बातों के साथ-साथ इस शर्त पर एक आशय पत्र जारी किया गया है कि कम्पनी इस परियोजना को कार्यान्वित करने के पहले विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का अनुपालन करेगी और यह कि उसके इस वस्तु के समग्र उत्पादन का या तो निर्यात किया जायेगा अथवा उसका उपयोग सीमित खपत के लिए किया जाएगा ।

आयुद्ध कारखानों के महानिदेशक के कार्यालय की इमारत के लिए किराये की अदायगी

3823. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आयुध कारखानों के महानिदेशक के कलकत्ता कार्यालय की इमारत के लिए प्रति माह 1.20 लाख रु० का किराया अदा कर रही है ;

(ख) क्या सरकार ने 10-ए, आकलैण्ड रोड, कलकत्ता पर इस प्रयोजन के लिए निर्धारित की जा चूकी भूमि पर एक बहु-मंजिली इमारत का निर्माण कार्य स्थगित कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ? और

(घ) यदि नहीं, तो निर्माण कार्य रोकने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 44 पार्क स्ट्रीट पर किराये पर लिए गए भवन के लिए इस समय 1,14,358 रु० दिये जा रहे हैं, इस भवन में कलकत्ता डी० जी० ओ० एफ० मुख्यालय का एक भाग स्थित है ।

(ख) से (घ) : जी नहीं । नये भवन के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है । अतः निर्माण कार्य को रोकने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद और कलकत्ता के बीच गंगा नदी का यातायात अध्ययन

3824. **श्री पी० वी० पेरियासामी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद और कलकत्ता के बीच गंगा नदी के यातायात अध्ययन का कार्य रा ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद को सौंपा गया था ;

(ख) क्या राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो अध्ययन के मुख्य परिणाम क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) : जी, हां ।

(ग) रिपोर्ट 17-10-1977 को प्राप्त हुई थी । रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष यह है कि कलकत्ता और इलाहाबाद के बीज अन्तर्देशीय जल परिवहन सेवाएं अलाभप्रद होंगी और 1977-78 में 67 लाख रु० की हानि होगी, जो 1990-91 में कम होकर 39 लाख रुपये रह जायेगी, परन्तु रिपोर्ट में हल्दिया पत्तन के निर्माण और औद्योगिक काम्पलेक्स के कारण पैदा होने वाले यातायात को हिसाब में नहीं लिया गया है ।

राष्ट्रीय राजपथों के लिए आवंटित धनराशि

3825. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में राष्ट्रीय राजपथों को चौड़ा करने के लिए कुल कितनी धनराशि का आवंटन

किया गया है और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विभिन्न राज्यों के लिए उसका पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या धनराशि का आवंटन राज्यों की मांग के अनुसार नहीं किया गया ; और

(ग) यदि हां, तो राज्यों की मांग के अनुसार धनराशि उपलब्ध करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) 1974–75 से 1976–77 तक की अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। 1977–78 के बजट अनुमानों में राष्ट्रीय राजमार्ग के सभी वर्ग के कार्यों, जिनमें चौड़ा करना भी शामिल है, के लिए 69.52 करोड़ रु० की कुल व्यवस्था है। चौड़ा करने के लिए वास्तविक नियतन का पता तभी चल सकता है जब राज्यों को अन्तिम भागों और उनकी स्वीकार्यता के आधार पर उपलब्ध संसाधनों के अन्दर ही मार्च, 1978 में कार्य-वार आवंटन किया जाएगा ।

(ख) और (ग) : अलग-अलग कार्यों पर धन की स्वीकार्यता और कुल मिलाकर उपलब्ध बजट संसाधनों को ध्यान में रखते हुए कार्य-वार आवंटन के लिए राज्यों के अपने प्रस्तावों के आधार पर अलग-अलग कार्यों, जिनमें चौड़ा करना भी शामिल है, के लिए धन आवंटित किया जाता है ।

विवरण

राज्य का नाम	1974–75 से 1976–77 तक की अवधि में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने के लिए आवंटित धन राशि (रुपये) लाखों में
1	2
आंध्र प्रदेश	592.55
असम	42.07
बिहार	732.23
दिल्ली	15.16
गोआ	*
गुजरात	98.85
हरियाणा	9.54
हिमाचल प्रदेश	153.40

*गोआ में मुख्य कार्य केवल जुआरी पुल और उसके पहुंचमार्गों से सम्बन्धित है ।

1	2
जम्मू और कश्मीर	**
कर्नाटक	238.19
केरल	213.84
मध्य प्रदेश	537.14
महाराष्ट्र	1021.22
मनीपुर	70.78
मेघालय	28.62
उड़ीसा	219.28
पंजाब	96.53
राजस्थान	307.69
तमिल नाडू	589.66
उत्तर प्रदेश	1040.40
पश्चिम बंगाल	214.06
कुल	6221.21

**इस राज्य में सम्पूर्ण रा० रा० जबकि सीमापथ विकास बोर्ड के अधीन है, केवल दो उपमार्गों जिनमें उन पर पुल भी शामिल है, को रा० रा० निधि से वित्त पोषित किया जा रहा है ।

बरहामपुर में आकाशवाणी केन्द्र

3826. **श्री गगनाथ प्रधान** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बरहामपुर (गंजम) स्थान पर एक आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब और उसके लिए बजट में क्या उपबन्ध किया गया है ; और

(ग) आकाशवाणी का नया केन्द्र खोलने सम्बन्धी मापदन्ड क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) नए केन्द्रों के स्थान का निर्णय वर्तमान सेवा क्षेत्रों में अन्तरों, जन संख्या की सघनता और विन्यास क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं, तकनीकी सम्भाव्यता, प्रतिभा की उपलब्धता संसाधनों की उपलब्धता और सापेक्षिक प्राथमिकताओं जैसी विभिन्न बातों के आधार पर किया जाता है ।

सशस्त्र सेनाओं के महानिदेशक के मेडिकल यूनिट में लेखपाल का वेतनमान

3827. **श्री अनन्त दवे** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं के महानिदेशक के मेडिकल यूनिट में लेखपाल का वेतनमान भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में लेखपालों के वेतनमान से कम है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार समस्त सेनाओं के महानिदेशक (चिकित्सा सेवा) के मेडिकल यूनिट के लेखपाल को वह संशोधित वेतनमान देने का है जो अन्य मंत्रालयों में उसके साथियों को मिल रहा है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

नाविकों के रूप में प्रशिक्षण के लिये महाराष्ट्र के लोगों का चुना जाना

3828. **श्री बापूसाहेब पारुलेकर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाविक रोजगार कार्यालय, बम्बई के माध्यम से नाविकों के रुप में प्रशिक्षण के लिए गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार, महाराष्ट्र के कितने युवक चुने गए ;

(ख) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र का युवक नाविक के रूप में प्रशिक्षण के लिए कभी-कभार ही चुना जाता है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या प्रेजीडेन्ट, महाराष्ट्र दर्यावर्दी सरग, बम्बई ने नौवहन मंत्री को इस बारे में याचिका प्रस्तुत की है और इस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान समुद्र-पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए चुने गए महाराष्ट्रियनों की संख्या निम्न प्रकार है : —

वर्ष	निदेशक, नाविक रोजगार कार्यालय, बम्बई द्वारा चुने गए कुल लड़कों की संख्या	चुने गए महाराष्ट्रियनों की संख्या
1974	147	18
1975	479	112
1976	469	104

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) पहले नौवहन तथा परिवहन मंत्री के नाम अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। 4 सितम्बर, 1977 को तारीख का अभ्यावेदन नौवहन और परिवहन मंत्रालय के सचिव को प्राप्त हुआ चूंकि अभ्यावेदन में दी गई बातें वास्तविकता पर आधारित नहीं थी, अतः कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई।

भारतीय प्रशासन सेवा में पदोन्नति के लिये आरक्षण सुनिश्चित करना

3829. **श्री मोहनलाल पिपिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से संसद सदस्यों ने उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए पत्र लिखे है कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को सिविल सेवाओं से भारतीय प्रशासन सेवा में पदोन्नति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण आदेशों के अधीन हो ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) संसद के एक सदस्य और परिवहन तथा नौवहन राज्य मंत्री ने क्रमशः प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री को यह सुझाव देते हुए लिखा है कि केन्द्रीय सेवाओं में पदोन्नति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में आदेशों को राज्य सिविल सेवा से भारतीय प्रशासन सेवा में पदोन्नतियों के लिए लागू किया जाए।

(ख) मामले पर विचार किया जा रहा है।

लघु एककों को स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए रियायतें

3830. **श्री चित्त बसु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एककों को स्थापना को प्रोत्साहन देने हेतु दो नई कर रियायतें लागू की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक उसके यदि कोई परिणाम निकले हैं तो क्या ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा भाईति) : (क) ग्रामीण क्षेत्र में लघु क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु आय-कर में एक नया प्रावधान किया गया है जिसके अधीन सभी वर्गों के करदाताओं को किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में 30 जून, 1977 के पश्चात् लगाए गए लघु क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों (खनन कार्यों में लगे एककों को छोड़कर) से होने वाले लाभ के 20% भाग के बराबर कटौती दी जाएगी यदि वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1977 द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 में शामिल 35 सी० सी० की नई धारा के अधीन इस प्रश्न को ग्रामीण विकास भत्ता स्वीकृत करने तक बढ़ा दिया जाए तो कम्पनियों एवं समितियों को कर योग्य लाभों के योग पर उस व्यय के बराबर कटौती दी जाएगी जो निर्धारित प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत ग्रामीण विकास के किसी भी कार्यक्रम पर उनके द्वारा वहन किया गया हो। यह नया प्रावधान 1 सितम्बर, 1977 में लागू किया गया था।

(ख) यह प्रावधान निर्धारण वर्ष 1978–79 तथा बाद के वर्षों से लागू होते है, अतः ठोस परिणामों के बारे में निश्चय कर पाना सम्भव नहीं है।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड में विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ

3831. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में कुल कितने विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ, इन्जिनियर, तकनीशीयन काम कर रहे हैं ; और

(ख) देश-वार उनका ब्यौरा क्या है और उन्हें कितने वेतन, भत्ते और अन्य परिलब्धियां दी जाती है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) बी० एच० ई० एल० में कार्यरत विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों, इंजीनियरों तथा तकनीसियनों की कुल संख्या 31 है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

10-12-1977 की बी० एच० ई० एल० में कार्यरत विदेशी विशेषज्ञों का विस्तृत ब्यौरा

क्रम सं०	देश	विशेषज्ञों की संख्या	मासिक दर	अन्य शर्तें
1	2	3	4	5
1	सोवियत रूस . .	14	441 रुबल	निःशुल्क रिहायश तथा परिवहन
		3	348 रुबल	
		2	438 रुबल	
		1	638 रुबल	
2	पश्चिम जर्मनी .	1	22,680 डोएम + 5,700 रुपये	निःशुल्क रिहायश तथा परिवहन और 1500 डोएम का आउटफिट एलाउन्स ।
		1	14,700 डोएम + 3,750 रुपये	—वही—
		1	16,200 डोएम	यात्रा तथा रहने का व्यय बी० एच० ई० एल० ने दिया ।
3	स्वीडन . .	3	43,500 एसडब्ल्यू० केआर०	यात्रा तथा रहने का व्यय बी० एच० ई० एल० ने दिया ।
4	स्वीटजरलैण्ड . .	2	25,440 एस० एफ०	यात्रा तथा रहने का व्यय बी० एच० ई० एल० ने दिया ।

1		2	3	4	5
5	इटली . .	1	28,50,000 लीरा + 4,350 रुपये	निःशुल्क रिहायश तथा परिवहन।	
6	अमेरिका . .	1	9,000 डालर	निःशुल्क रिहायश तथा परिवहन।	
7	ब्रिटेन . .	1	कोलम्बो योजना के अधीन दिया गया।	निःशुल्क रिहायश तथा परिवहन।	
	योग . .	31			

केन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को अनुग्रह भुगतान

3832. **श्री शिवाजी पटनायक :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट के कर्मचारियों को 1965 से बाद में कल्याण निधि/तदर्थ भुगतान के रूप में अनुग्रह-भुगतान किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1976–77 में उन्हें यह राशि क्यों नहीं दो गई थी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) केन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को 1967 से कुछ शर्तों तर तदर्थ अदायगी की जा रहो थी और यह अदायगी केन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट निधि के 1–4–1977 को भारत की समेकित निधि में मिला दिए जाने तक को जाती रहो ।

(ख) इन निधियों के मिला दिये जाने के साथ केन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट अब एक सरकारी विभाग बन गया है और इसके कर्मचारी पूरो तरह से सरकारो कर्मचारी है । सरकारी कर्मचारियों को भारत की समेकित निधि में से किसी प्रकार को तदर्थ अदायगी पाने का हक नहीं है ।

केन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट की निधियां

3833. **श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि क्या केन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट की निधियों का लेखा-जोखा 31 मार्च, 1977 तक अलग से रखा जाता था और 1 अप्रैल, 1977 से ही उनका भारत को समेकित निधि के साथ विलय किया गया ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जो, हां ।

इंडियन इंस्टीट्यट आफ इकोनामिक्स द्वारा किया गया सर्वेक्षण

3834. **श्री ए० मुरुगेसन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ इकानामिक्स द्वारा किए गए सर्वेक्षण से यह पता लगा है कि दक्षिण भारत में लघु उद्योग बहुत अधिक समाप्त हो रहे है ;

(ख) उनके इतने अधिक समाप्त होने के क्या कारण है ; और

(ग) वर्तमान सरकार के लघु उद्योगों के तीव्र विकास पर बल को देखते हुए लघु उद्योगों को और अधिक जीवित बनाने के लिए क्या ठोस कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईती) : (क) जी, नहीं। जांच के लिए एक संदर्भ रूप रेखा के रूप में इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ इकानामिक्स, हैदराबाद ने लघु उद्योगों की गणना के दौरान "बन्द एककों" का पता लगाया था।

(ख) सर्वेक्षण में बन्द किए जाने के प्रमुख कारण वित्त की कमी, कच्चे माल की कमी तथा प्रबन्धकीय समस्यायें बतायी गयी हैं।

(ग) उठाए गए ठोस उपायों में मंत्रालय के बजट में प्रावधान करना, ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं के बजट में सीड/सीमान्त धन तथा ऋणों के लिए अधिक प्रावधान करना शामिल हैं। राज्यों में रुग्ण एककों की जांच करने तथा उन्हें अर्थक्षम बनने में सहायता करने के लिए समन्वय समितियों का गठन भी किया गया है।

थोरियम का रिएक्टर ईंधन के रूप में उपयोग

3835. **श्री एस० डी० सोममुन्दरम** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा ने कोई ऐसा रिएक्टर विकसित कर लिया है कि जिसमें थोरियम का ईन्धन के रुप में सीधा उपयोग होता है ;

(ख) क्या देश के थोरियम में बड़े भण्डारों को देखते हुए सरकार का विचार हमारे देश में भी थोरियम का रिएक्टर-ईन्धन के रूप में उपयोग किये जाने के लिए अनुसन्धान और विकास में तीव्रता लाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या समयबद्ध योजना है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, कनडा ने भारी पानी रिएक्टरों में थोरियम के प्रयोग के बारे में अध्ययन शुरू कर दिया है, किन्तु, इस दिशा में विकास-कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

(ख) तथा (ग) : मद्रास के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर रिएक्टर अनुसन्धान केन्द्र में एक फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर तथा अनुसन्धान एवं विकास-कार्य करने की सुविधाओं की स्थापना की जा रही है। इन सुविधाओं के उपलब्ध होते ही थोरियम के प्रयोग के बारे मे और परीक्षण शुरू कर दिए जाएंगे।

नई ब्रांड की सिगरेटें

3836. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत पांच वर्षों में सिगरेट के कई नये ब्रांड ला इसेन्सिंग समिति की स्वीकृति के बिना "नई वस्तुएं" के रूप में बाजार में आए हैं और यदि हां, तो क्या उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम और उसके अन्तर्गत बने नियमों का उल्लंघन नहीं है ;

(ख) सरकार विदेशी मुद्रा के बाहर भेजे जाने को और विदेशी फर्मों द्वारा इस देश में आस्तियों के बनाये जाने को किस प्रकार रोकना चाहती है ;

(ग) क्या सरकार विदेशी क्षेत्र द्वारा नियंत्रित इस उपभोक्ता उद्योग की जांच के लिए संसद सदस्यों की कोई समिति नियुक्त करने पर सहमत होगी, और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ; और

(घ) सिगरेट बनाने वाली विदेशी फर्मों के नाम क्या है, उनकी सिगरेटों के ब्रांड के क्या नाम हैं जो अनुमति से या अनुमति के बिना बाजार में लाये गए हैं ; गत तीन वर्षों में उनका उत्पादन कितना-कितना रहा ; उनके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांडों की सिगरेटों को अवैध ढंग से बाजार में लाये जाने के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान, सिगरेटों के नये ब्रांडों का विपणन किया गया है किन्तु चूंकि कम्पनियों के पास सिगरेटों का उत्पादन करने के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में उनके द्वारा उत्पादित सिगरेटों को ब्रांडों के नाम नहीं दिए गए हैं, अतः नये ब्रांडों की सिगरेटें बनाने से उद्योग (विकास एवम् विनियमन) अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन नहीं होता है ।

(ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 अन्य बातों में साथ-साथ चालिस प्रतिशत से अधिक अप्रवासी हितों वाली औद्योगिक तथा व्यवसायिक कम्पनियों क्रियाकलापों को विनियमित करता है ।

(ग) सरकार ने अभी तक संसद सदस्य की एक समिति नियुक्त करने की आवश्यकता को महसूस नहीं किया है ।

(घ) चालीस प्रतिशत से अधिक अप्रवासी हित रखने वाली सिगरेट बनाने वाली कम्पनियों के नाम तथा उनके द्वारा पिछले तीन वर्षों में किया गया उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है। सरकार के पास इन कम्पनियों द्वारा विभिन्न ब्रांडों के किये गए उत्पादन के बारे में जानकारी नहीं है। फिर भी, विदेशी ब्रांडों के नामों का प्रयोग विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबन्धों द्वारा विनियमित किया जाता है।

विवरण

सिगरेट उद्योग

क्रम सं०	एकक का नाम	उत्पादन (दस लाख संख्या में)		
		1974	1975	1976
1	मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड (पांच एकक)	32,077	29,831	33,153
2	मैसर्स गाडफ्रो फिलिप्स लिमिटेड, बम्बई	3,989	3,632	4,046

श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय की रेल प्रदर्शन यूनिट के कर्मचारी

3838. **श्री निहार लास्कर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय की रेलवे प्रदर्शन यूनिट 1976 की बाद वाली छमाही में जल गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस यूनिट के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा ;

(ग) क्या श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय का कोई और प्रदर्शन यूनिट खोलने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) रेलवे कोच यूनिट, मद्रास आग दुर्घटना के फलस्वरूप दिसम्बर, 1975 में नष्ट हो गयी थी ;

(ख) यूनिट के क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी इस समय बंगलोर "में ट्रायम्फ आफ फ्रीडम" नामक प्रदर्शनी को देख रेख कर रहे है जबकि शेष कर्मचारी जिनमें प्रदर्शनी सहायक, प्रोजक्शनीस्ट और क्लीनर शामिल है, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की अन्य यूनिटों में उपबन्ध खाली स्थानों पर तैनात कर दिए हैं ।

(ग) जी, हां । दो अतिरिक्त यूनिटें, मिजोरम और केरल प्रत्येक में एक-एक खोलने का प्रस्ताव है ।

National Highways in U.P.

†3839. **Shri Bharat Bhushan :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the measures taken for the development of National Highways in Uttar Pradesh;

(b) whether Government propose to develop the Rampur-Kathgodam and Rampur-Ramnagar roads; and

(c) if so, the details of action proposed to be taken in this regard?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram) : (a) Practically all the 10 National Highways of Uttar Pradesh totalling to 2328 Km. are being improved as a continuous process to meet the demands of traffic. The main improvements consist of widening carriageways with or without strengthening; by passes at Ghaziabad, Bareilly, Kanpur Lalitpur etc.; replacement of a few busy level crossings with overbridges; and major bridges across the rivers Ganga at Kanpur and Belan on NH No. 7 near Mirzapur (both since opened to traffic), across the river Ganga at Allahabad (the first two-lane carriageway of this bridge is nearing completion) and across the river Yamuna at Kalpi. Improvement works sanctioned from 1st April, 1969, the beginning of the Fourth Plan, to-date amount to Rs. 63.22 crores and expenditure on these works till 31st March 1977 including on a few pre-Fourth Plan works has been Rs. 55.75 crores. The current year's budget allotment is Rs. 7.05 crores. All these improvement works are in various stages of progress, and funds per-

mitting, of which there is a shortage, the works spilling over from the Fourth Plan and those sanctioned in the early period of the Fifth Plan are likely to be completed by March, 1980.

(b) & (c): The Rampur-Kathgodam and Rampur-Ramnagar roads are State roads and not national highways and their development rests entirely with the State Government. There is no proposal to declare those roads as National Highways.

रक्षा-वस्तुओं का उत्पादन

3848. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश में विभिन्न रक्षा उत्पादन एककों में कितने मूल्य की रक्षा सम्बन्धी वस्तुओं का उत्पादन हुआ ;

(ख) इन वस्तुओं के उत्पादन का लक्ष्य क्या था ; और

(ग) आगामी पांच वर्षों में नये आयुध कारखानों की स्थापना का क्या कार्यक्रम है और वे कहां-कहां स्थापित किए जाने हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान, रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन विभागीय कारखानों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बनाई गई रक्षा मदों के उत्पादन का मूल्य निम्नलिखित है :—

	उत्पादन का कुल मूल्य		
	1974–75	1975–76	1976–77
	(करोड़ रुपयों में)		
(1) आयुध कारखाने	262.29	352.73	465.00 (अनन्तिम)
(2) हैवी व्हीकल कारखाना	18.47	25.03	43.00 (अनन्तिम)
(3) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	145.60	177.06	188.80 (अनन्तिम)

(ख) चालू वर्ष के कुल उत्पादन लक्ष्य का मूल्य इस प्रकार है :—

(1) आयुध कारखाने . . . 475.00 करोड़ रुपये
(2) हैवी व्हीकल कारखाना . . . 48.20 करोड़ रुपये
(3) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम . . . 235.81 करोड़ रुपये

(ग) भविष्य में निम्नलिखित नये आयुध कारखाने स्थापित किये जाने के प्रस्ताव हैं :—

(1) प्रणोदकों का निर्माण करने का कारखाना ।

(2) आतिशबाजी ग्रेनेड बारुद का निर्माण करने का कारखाना ।

(3) फील्ड गन का कारखाना ।

सैनिक स्कूल

3841. **श्री ए० ई० टी० बैरो :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने सैनिक स्कूल है ;

(ख) 1974–75, 1975–76 और 1976–77 में अप्रैल में इन स्कूलों में प्रत्येक वर्ष कुल कितने कैडट थे ;

(ग) प्रति मास प्रति कैडेट औसतन कितना खर्च आता है ;

(घ) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित वित्तीय वर्षों में इन स्कूलों पर क्या आवर्ती व्यय हुआ ;

(ङ) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित वित्तीय वर्षों में इन स्कूलों पर कितना अनावर्ती व्यय हुआ ; और

(च) यदि केन्द्रीय सरकार सैनिक स्कूलों को प्रति वर्ष कोई अनुदान राशि देती है तो वह क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) देश में इस समय कुल 17 सैनिक स्कूल हैं।

(ख) इन स्कूलों में वर्ष 1974–75, 1975–76 और 1976–77 वर्षों में कैडेटों की कुल संख्या क्रमश: 7538, 7519 और 7886 थी। अप्रैल की स्थिति के अनुसार सही आंकड़ों में कुछ अन्तर हो सकता है।

(ग) वर्ष 1976–77 में प्रतिमास प्रति कैडेट औसत खर्च 222.52 रु० था।

(घ) इन स्कूलों पर वित्तीय वर्ष 1974–75, 1975–76 और 1976–77 में क्रमश: 181,61,193.48 रु० 1,93,02,027.45 रु० और 2,10,57,679.47 रु० का आवर्ती व्यय हुआ।

(ङ) इन स्कूलों पर उपर्युक्त वित्तीय वर्षों के दौरान क्रमश: 8,05,355.95 रुपये, 6,03,668.78 रुपये और 10,22,203.46 रु० का अनावर्ती व्यय हुआ।

(च) प्रत्येक स्कूल में प्रिन्सीपल, हैडमास्टर और रजिस्टार के रूप में नियुक्त ले० कर्नल, मेजर और कैप्टन तथा अन्य दो सेवाओं के समकक्ष रैंक के तीन सेवा अधिकारियों के वेतन और भत्ते रक्षा सेवा प्राक्कलनों में से दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त रक्षा मंत्रालय जे० सी० ओ० और अन्य रैंक तथा उनके समकक्ष रैंक के कार्मिकों के बच्चों के लिए इन स्कूलों में पढ़ने वाले रक्षा सेवा कर्मिकों के बच्चों की कुल संख्या के अधिकतम 20 प्रतिशत तक छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। इन स्कूलों में संघ शासित क्षेत्रों से आने वाले बच्चों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की भी एक छात्रवृत्ति योजना है। मंजूर की गई छात्रवृत्ति की वास्तविक संख्या वर्ष प्रति वर्ष घटती बढ़ती रहती है जो इन स्कूलों में भर्ती किए गए उक्त वर्गों के बच्चों की संख्या पर निर्भर करती है।

बस रूट नं० 97

3842. **श्री एम० ए० हनान अलहाज :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री त्रिनगर से जामा मस्जिद (लाल किला) तक रूट नं० 97 चलाने के बारे में 23 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1305 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली परिवहन निगम के ट्रैफिक मैनेजर द्वारा जारी किये गए 9 सितम्बर, 1976 के परिपत्र संख्या टी० आर०/एस० सी० एच०/18(00)76/16655 की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या परिपत्र से यह संकेत मिलता है कि त्रिनगर में यात्री पर्याप्त संख्या में होते हैं और यह ट त्रिनगर से शुरु किया जाए न कि इन्द्रलोक से ;

(ग) यदि हां, तो किसके आदेश से या किन कारणों से बसें इन्द्रलोक के चलाई गई और वह भी केवल एक सप्ताह के लिए ; और

(घ) इस बारे में किए गए सर्वेक्षम का ब्यौरा क्या है और उपरोक्त परिपत्र के आदेशों को, क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां ।

(ख), (ग) और (घ) : प्रारम्भ में रुट सं० 97 को त्रिनगर से जामा मस्जिद तक शुरु करने का निश्चय किया गया था । यह इन्द्रलोक जो एक पुनर्वास कालोनी है, के लोगों के अभ्यावेदन पर किया गया जिन्होंने कालोनी को अजमेरीगेट और जामा मस्जिद, जहां कि वे आने से पहले अपना व्यापार करते थे, को जोड़ने के लिए सिधी बस सेवा के लिए कहा था । उपरोक्त निर्णय को बाद में निगम के तत्कालीन अध्यक्ष के आदेश से प्रशासनिक कारणों से रद्द कर दिया गया । अन्त में ए० ओ० सी० सी० योजना के अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम द्वारा लगाई गई निजी बसों से 3-3-1977 को यह मार्ग फिर शुरू किया गया । परन्तु बस मालिकों ने इसे लाभप्रद नहीं पाया तथा सेवाओं को 29-3-77 से बन्द कर दिया । इस समय निगम के पास इस मार्ग की सेवाओं को फिर से प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है इसलिए इस मार्ग पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

लो हेड हाइड्रो-टरबाइन जनरेटर

3843. **श्री मृत्युजय प्रसाद :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्नतम ऊंचाई के जल प्रपातों से बिजली पैदा करने और सिंचाई नहरों पर जलबन्ध बनाने के लिए देश के किसी स्थान पर लो हेड हाइड्रो-टरबाइन जनरेटरों का परीक्षण और उपयोग किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर और उससे क्या लाभ प्राप्त हुए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) : सिंचाई नहरों पर कम ऊंचाइयों के जल प्रपातों का इस्तेमाल विद्युत उत्पादन हेतु करने के लिए बल्ब-टाइप यूनिटों का उपयोग किया जाता है । 2 मीटर से 10 मीटर तक की ऊंचाई-सीमा के शीर्षों में प्रचालन के लिए ये यूनिटें उपयुक्त होती हैं । इस समय, पूर्व कोसी नहर पर स्थित कोसी विद्युत केन्द्र में लगभग 7.01 मीटर के शीर्ष का उपयोग करने के लिए बल्ब टाइप उत्पादन यूनिटें प्रतिष्ठापित की गई हैं । इस विद्युत केन्द्र में 4.8—4.8 मेगावाट के चार यूनिट हैं और यहां विद्युत उत्पादन हो रहा है ।

सैनिक अधिकारियों के लिये एमरजेंसी कमीशन

3845. **श्री रामानन्द तिवारी : क्या रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के उन अधिकारियों के मामले में जिन्हें एमरजेन्सी कमीशन से स्थायी कमीशन में लिया गया था, उनकी वरिष्ठता के निर्धारण के लिए दो वर्ष की प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि से कम समय को नहीं गिना गया था जबकि उन अधिकारियों को जिन्हें नियमित स्थायी कमीशन के अन्तर्गत कमीशन प्राप्त हुआ था, कमीशन पूर्व प्रशिक्षण की उसी अवधि को गिना गया था और उनकी वरिष्ठता कमीशन प्राप्त होने के प्रथम दिन से पदोन्नति तथा अन्य लाभ पाने के लिए निर्धारित कर दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं जिससे अधिकारियों में कटूता पैदा हो रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) इन दो वर्गों के अधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए अलग-अलग नियम इस लिए बनाए गए थे कि प्रभावित अधिकारियों की परस्पर सही वरिष्ठता रखी जा सके । स्थायी कमीशन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रमों के माध्यम से आने वाले उम्मीदवारों को पात्रता और चयन प्रणाली के सम्बन्ध में अधिक कठोर शर्तें पूरी करनी होती है। 1962 में भारत-चीन युद्ध के परिणाम-स्वरूप घोषित आपात स्थिति के दौरान अधिकारियों के तत्काल मांग को पूरा करने के लिए ही उनकी प्रशिक्षण अवधि को कम किया गया था । अन्य पहलूओं के बारे में किसी प्रकार की असमानता नहीं है ।

गढ़वाल डिवीजन का औद्योगिक विकास

3846. **श्री जगन्नाथ शर्मा : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र को पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र की जनता की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के गढ़वाल डिवीजन के औद्योगिक विकास के लिए कोई योजना बनाई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) उत्तर प्रदश सरकार ने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र के सभी जिलों को पिछड़े क्षेत्र के रुप में निर्धारित किया है ।

(ख) राज्य सरकार ने इस क्षेत्र के लिए एक उपयोजना तैयार की है और यह कार्यान्वित की जा रही है । इस उपयोजना में इस क्षेत्र की सम्भावनाओं और आवश्यकताओं पर आधारित इस क्षेत्र के एकीकृत और समन्वित विकास की परिकल्पना की गई है । इस उपयोजना को कार्यान्वित करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता दी जा रही है ।

(ग) और (घ) : गढ़वाल क्षेत्र का औद्योगिक विकास उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों की उपयोजना का अंग है। गढ़वाल क्षेत्र में अनेक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं और लघुउद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। चार औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गई हैं। पर्वतीय विकास निगम, कृषि-उद्योग विकास निगम, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, आदि इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे रहे हैं।

5 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में औद्योगिक एकक स्थापित करना

3847. **श्री जी० एस० मिश्र** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978 और 1979 में पांच लाख से कम जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के लिए अनुमानित पूंजीगत परिव्यय कितना है ; और

(ख) इन नये उद्योगों से जनसंख्या के कमजोर वर्गों के कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) इस प्रकार का कोई भी अनुमान उपलब्ध नही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कलकत्ता पत्तन में सुरक्षा एजेंसियों पर खर्च

3848. **श्री बी० राचैया** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976 और 1977 में वर्ष-वार कलकत्ता पत्तन में सुरक्षा एजेन्सियों पर कितना खर्च हुआ ; और

(ख) कलकत्ता पत्तन में केन्द्रीय सुरक्षा बल तथा राज्य पुलिस के रूप में आरक्षी कार्य के लिए कितने चौकीदार लगाए गए ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) कलकत्ता पत्तन न्यास में विभिन्न सुरक्षा एजेन्सियों पर किया गया व्यय नीचे दिया गया है :--

(रु० लाखों में)

	1975-76	1976-77
सी० आई० एस० एफ०	53.84	61.78 (निकटतम)
पुलिस	20.22	20.06
पत्तन सुरक्षा (कलकत्ता पत्तन न्यास) . .	57.15	48.86

(ख) कलकत्ता पत्तन न्यास में विभिन्न सुरक्षा एजेन्सियों के अधीन नियुक्त व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :—

1. पत्तन सुरक्षा गार्ड	678
2. केन्द्रीय सुरक्षा गार्ड	917
3. (क) राज्य पुलिस (पत्तन पुलिस) वाच एण्ड वार्ड (पर्यवेक्षी)	14
(ख) कान्स्टेबल	79

आसाम से निर्यातित हस्तशिल्प की वस्तुओं में बेंत तथा बांस का महत्वपूर्ण अंशदान होना

3849. **श्री अहमद हुसैन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम से निर्यातित हस्तशिल्प की वस्तुओं में बेंत तथा बांस की बनी वस्तुओं का महत्वपूर्ण अंशदान है और वे पश्चिमी मंडियों में अधिकाधिक लोकप्रिय हो रहा हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष इन उत्पादों से कितनी राशि की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ;

(ग) इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए आवश्यक संस्थागत आधारभूत ढांचा तैयार करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ; और

(घ) आसाम में उनके उत्पादन के लिए सहायता तथा उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या भावी योजना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) भारत से बेंत तथा बांस की हस्तशिल्प की वस्तुएं पश्चिमी देशों में अधिकाधिक लोकप्रिय हो रही हैं । बेंत तथा बांस की हस्तशिल्प की वस्तुओं को बनाने में आसाम मुख्य राज्य है ।

(ख) 1976–77 में बेंत, बांस तथा लचीली डालियों की बनी हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात मूल्य 39.89 लाख रु० थे । जबकि 1975–76 में यह राशि 21.69 लाख रु० थी ।

(ग) तथा (घ) : उत्तर पूर्वी राज्यों में बेंत तथा बांस के बढ़िया हस्तशिल्प के विकास के लिए अगरतला में बेंत तथा बांस के लिए प्रशिक्षण तथा गवेसना संस्थान की स्थापना की गई है । बेंत तथा बांस के हस्तशिल्प, विशेषरूप से शिल्प उत्तर पूर्वी राज्यों से, विदेशों में प्रदर्शित किए गए हैं और उनका अच्छा प्रभाव रहा है । इन मदों के निर्यात तथा विकास के लिए शिल्प के प्रशिक्षण, कच्चे माल की सप्लाई डिजाइन सहायता आदि जैसे उपाय निकट भविष्य में किये जाने का प्रस्ताव है ।

सिलेक्टिड फटका कम्पनी, निरसा, धनबाद के हार्ड कोक भट्टे का नियंत्रण सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना

3850. **श्री ए० के० राय :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलेक्टिड फटका कम्पनी, निरसा, धनबाद के हार्ड कोक भट्टा का वर्ष 1973 में कोयला खदानों के साथ-साथ राष्ट्रीयकरण किया गया था ;

(ख) क्या सिलेक्टिड फटका हार्ड कोक भट्टा का राष्ट्रीयकरण बाद में कलकत्ता, उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा रोक दिया गया था जिसके खिलाफ सरकार अभी लड़ रही है ;

(ग) क्या प्राइवेट प्रबन्धक अब स्वयं हार्ड कोक भट्टा पर अपना दावा छोड़ देना चाहते हैं और उन्होंने न्यायालय में एक समझौता याचिका दायर की है ;

(घ) क्या सरकार द्वारा विलम्ब और कोई निर्णय न किये जाने के कारण उसके बाद भी अनावश्यक मुकदमेबाजी चल रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो हार्ड कोक भट्टा को शीघ्र अपने नियन्त्रण में लाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) व (ख) : जी, हां ।

(ग) व (घ) : इस पार्टी ने निपटारे के लिए ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि० से अनुरोध किया है । किन्तु जहां तक सरकार का सम्बन्ध है किसी निपटारे का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अधीन यह सम्पत्ति सरकार में निहित हो गई है ।

(ङ) कलकत्ता उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश को निरस्त कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है ।

जबलपुर से प्रकाशित 'नवभारत' में श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध अपील के बारे में झूठा समाचार

3851. **श्री निर्मल चन्द्र जैन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जबलपुर से प्रकाशित होने वाले दिनांक 28 अक्तुबर, 1977 के "नवभारत" में यह बात जानबूझकर प्रकाशित की गई है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी की रिहाई के लिए विरुद्ध दायर की गई अपील (पुनरीक्षण) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 26 अक्तूबर, 1977 को अर्थात गुरुवार को खारिज कर दी गई है ;

(ख) इस झूठे द्वेषपूर्ण समाचार के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) क्या इस मामले को उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेस परिषद, उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य अधिकारी के पास भेजा जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जो प्रत्यक्षतया बिना किसी सूत्रोल्लेख के प्रकाशित हुआ था ।

(ख) प्रेस स्वतन्त्र है। यह स्वयं समाचार पत्रों का काम है कि वे पत्रकारिता सम्बन्धी उपयुक्त स्तरों को बनाए रखे और समाचार रिपोर्टों को सही करे ।

(ग) प्रेस परिषद शीघ्र ही गठित करने का प्रस्ताव है । यह निःसन्देह इस बात का उपयुक्त रूप से पर्यवेक्षण करेगी कि समाचार पत्रों द्वारा पत्रकारिता के स्तर और व्यावसायिक नैतिक आदर्श बनाए रखे जाएं ।

बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता को निर्बाधा पत्तन घोषित करना

3852. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री जय प्रकाश नारायण के सम्मुख भूतपूर्व तस्करों द्वारा ली गयी शपथ को देखते हुए सरकार का विचार बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता को निर्बाध पत्तन घोषित करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : संभवतया, प्रश्न में तस्करी न करने और तस्कर विरोधी कार्यों में सरकार की मदद करने के लिए अप्रैल, 1977 में श्री जय प्रकाश नारायण के समक्ष तस्करों द्वारा ली गयी शपथ का उल्लेख है । बम्बई, कलकत्ता और मद्रास को मुक्त पत्तन घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Implementation of recommendations of Malkani Committee

3853. **Shri Yuvraj**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether recommendations of the Malkani Committee have not so far been implemented; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal): (a) & (b): The recommendations of the Malkani Committee on the scavenging conditions were brought to the notice of the State Governments and they are being implemented according to the local conditions.

नौसैनिक नीति

3854. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने भारतीय नौसेना का विकास करने और उसे हाथियारों से लैस के लक्ष्यों के बीच संतुलन सुनिश्चित करने और पूर्णतया भारतीय आर्थिक क्षेत्र (इंडियन एक्सक्लूजिव इकानोमिक जोन) की समुचित सुरक्षा हेतु नौसेना को हल्के तथा अधुनातन जहाजों से लैस करने के लिये अपनी नौसैनिक नीति पर पुनर्विचार किया है ।

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : युद्ध के दौरान नौसेना का यह उत्तरदायित्व है कि वह देश के समुद्री हितों की रक्षा करे जिन में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र भी सम्मिलित हैं । शान्तिकाल में विशिष्ट

आर्थिक क्षेत्र में हमारे आर्थिक हितों की रक्षा करना तटीय रक्षा संगठन का उत्तरदायित्व है क्योंकि यह मुख्यत: पुलिस का कार्य है। नियमित तटीय रक्षा संगठन की स्थापना होने तक, कुछ पोत और गश्ती जहाजों के साथ एक अन्तरिम तटीय रक्षा संगठन पहले ही स्थापित कर दिया गया है। तटीय रक्षा संगठन को अपना कार्य करने के लिए उपयुक्त जहाजों से सज्जित करने के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे है ।

हमारे समुद्री हितों के खतरों का सामना करने के लिए हमारी नौसेना को लगतार मजबूत किया जा रहा है। नौसेना को सुदृढ करने और तटीय रक्षा संगठन के विकास का कार्य एक समन्वित ढंग से किया जा रहा है ।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा फाइलों का कथित जलाया जाना

3855. **श्री चौधरी बलबीर सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 22 अक्तूबर, 1977 के "ब्लिट्ज" में प्रकाशित श्रीमती इंदिरा गांधी से संबंधित श्री आर० के० करंजिया के साथ हुई भेंट में उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में यह स्वीकार किया है ("मुझे बताया गया है कि उनके द्वारा बहुतसी फाइलें जलाई गई थी") कि जिस रात चुनावों में हार के परिणाम घोषित किये गये उस रात बहुत सी फाइलें जलाई गई थी ;

(ख) क्या नष्ट की गई फाइलों के स्वरूप के बारे में कोई जांच गहराई से की गई है और जानकारी एकत्र की गई है ; और

(ग) क्या इस मामले में किसी संबंद्ध अधिकारी का पता लगाया गया है और अग्रतर कार्यवाही के लिये इस मामले के साथ उनका नाम जोड़ा गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क), (ख) और (ग) : भूतपूर्व प्रधान मंत्री के कहने पर फाइलों का जलाये जाने से संबंधित मामले की जांच की जा रही है ।

Programmes presented by Song and Drama Division for Congress candidates during last Lok Sabha Election

3856. **Shri Raghavji**: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the Song and Drama Division of the Ministry presented many programmes in support of the Congress candidates during the last Lok Sabha elections and if so, the number of programmes presented for each candidate and their details;

(b) the expenditure incurred by the Ministry on presenting programmes for each candidate and whether this amount was paid by the respective candidate;

(c) if this amount was not paid, the action taken by the Government so far to realise this amount; and

(d) whether the Ministry will request the Election Commission of India to add this amount in the expenditure incurred by the respective candidate for election purposes and to declare the candidate is disqualified for the next 6 years if the total expenditure exceeds the prescribed coiling?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): (a) No programmes were presented by Song and Drama Division in support of the Congress candidates as such during the last Lok Sabha Elections. However, programmes eulogising the emergency and its achievements were presented by the Division in the period immediately preceding the last Lok Sabha Elections, and that too in a seemingly select list of constituencies.

(b), (c) & (d): Does not arise.

Complaints against Shiv Sena

3857. **Shri Keshavrao Dhondge:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Central Government have received any complaint against 'Shiv Sena' organisation of Maharashtra;

(b) the views of Central Government about this organisation; and

(c) whether any clarification has been sent by the organisation to Government on their behalf?

The Minister of Sate in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal): (a) Some complaints received by the Central Government were passed on the State Government for appropriate action.

(b) It is only when activities of an organisation amount to commission of offences under the law that necessary measures, preventive or otherwise, are taken to deal with them.

(c) No, Sir.

सेन्ट्रल साइन्टिफिक इन्स्ट्रूमेन्ट्स आर्गेनाइजेशन से संबंध भारत-स्विस प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश में कदाचार

3858. **श्री भगत राम :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सेन्ट्रल साइन्टिफिक इंस्ट्रूमेन्टस आर्गेनाइजेशन से सम्बद्ध चंडीगढ़ स्थित भारत-स्विस प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश के मामले में ग्रोग्य तथा प्रतिभावान व्यक्तियों की उपेक्षा करते हुए बड़े पैमाने पर किये जा रहे पक्षपात और भाई-भतीजवाद की शिकायतें मिली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो प्रवेश के संबंध में किये जा रहे कदाचार को रोकने और प्रवेश की प्रक्रिया को और अधिक उचित और निष्पक्ष बनाने के लिये उसमें सुधार करने की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथाकथित सी० एस० आई० ओ० कर्मचारी तदर्थ कार्य समिति ने प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष सी० एस० आई० आर० को दिनांक 6 मई 1977 को प्रस्तुत किये गये अपने ज्ञापन में साथ ही साथ यह भी आरोप लगाया था कि भारत-स्विस प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षार्थियों का चयन योग्यताओं की उपेक्षा करके अनियमित ढंग से बिना नम्बर के भर्ती करने में किया जाता है । निर्दिष्ट किये गये विशिष्ट मामले की जांच की गई थी । जांच में आरोप गलत पाये गये थ ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Export of Plastic Toys

3859. **Dr. Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether plastic toys are exported from Delhi to foreign countries;

(b) the facilities being provided by Government to these industrialists with a view to promote this small industry further; and

(c) whether any memorandum in this regard has been presented to him (the Minister) and if so, the steps taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) Plastic toys are exported from Delhi to foreign countries.

(b) No special facilities are being provided to the toy manufacturer exporters.

(c) No memorandum has been received in this regard from the industry.

कलकत्ता में परिवहन की समस्या

3860. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कलकत्ता में परिवहन की भारी समस्या है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार की सहायता करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका स्वरुप क्या है तथा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत कलकत्ता में परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को सहायता दी जा सकती है ।

मंत्री महोदय के जम्मू तथा काश्मीर के दौरे से अमरनाथ के तीर्थ यात्रियों को हुई असुविधा

3861. **श्री मोहम्मद शफी कुरेशी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के एक राज्य मंत्री ने हाल ही में जम्मू तथा काश्मीर की अगली चौकियों का दौरा किया था ; और

(ख) क्या जिस हेलीकोप्टर में मंत्री महोदय जा रहे थे वह अमरनाथ गुफा के निकट के क्षेत्र में उतरा था जिससे उस तीर्थ स्थान की यात्रा करने वाले बहुत से यात्रियों को असुविधा हुई थी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नहीं श्रीमन् । श्री एस० डी० पाटिल ने अगस्त, 1977 में जम्मू और कश्मीर की अपनी यात्रा में किसी अग्रिम चौकी का दौरा नहीं किया था ।

(ख) अपने दौरे में उन्हों ने किसी हेलीकोप्टर का प्रयोग नहीं किया था ।

सैन्ट्रल साइन्टिफिक इन्स्ट्रूमैन्टस आर्गेनाइजेशन के निदेशक के बंगले को नया रुप देने पर खर्च

3862. **श्री ए० के० साहा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल साइन्टिफिक इंन्स्ट्रूमेन्टस आर्गेनाइजेशन के निदेशक के अपने बंगले आने के पश्चात इस बंगले को नया रूप देने पर अनाधिकृत रूप से लगभग एक लाख रुपये खर्च किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी निदेशों का उल्लंघन करके इतना भारी अनाधिकृत खर्च करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ़ के निदेशक का बंगला अनाधिकृत रूप से एक वैज्ञानिक के कब्जे में लगभग पांच वर्षों से था, जो उसकी सेवा निवृत्ति के पश्चात भी उस पर काबिज रहा । अदालती कार्यवाही के परिणामस्वरूप यह बंगला अप्रैल, 1977 में खाली करवाया गया । इतने दिनों तक अनाधिकृत कबजे और उचित मरम्मत की कमी के कारण बंगले में पर्याप्त मरम्मत एवं लकड़ी के सामान को बदलने की बहुत अधिक आवश्यकता थी । लकड़ी का इमारती सामान दीमक लग जाने के कारण खराब हो गया था । बहुत सी स्वच्छता सम्बन्धी व्यवस्थाएं (सेनेटरी फिटिंग्स) भी खराब हो गई थी या काम ही नहीं कर रही थी। कैपिटल प्रोजेक्ट, प्राधिकरण चण्डीगढ़ और विभागीय माध्यम से निदेशक ने इन मरम्मत/परिवर्तनों को पूरा करवाया था । आवश्यक मरम्मतों/परिवर्तनों के साथ साथ निदेशक ने बंगले में कुछ नई चीजें भी बनवाई और कुछ को परिवर्तित करवाया गया जैसे : एक नवीन रसोई घर की व्यवस्था, चाहरदिवारी को ऊंचा उठाना, बैठक कमरे की बनावटी छत, नई बरसाती का निर्माण आदि । कैपिटल प्रोजेक्ट अधिकरण चण्डीगढ़ ने इनमें से कुछ निर्माण कार्यों की सिफारिश वर्ष 1973 में की थी । यह सिफारिश उनके द्वारा फेज-एक, दो और तीन के अन्तर्गत निर्मित बंगलों के सामान्य सुधार कार्यक्रमों के लिए थी । इसके अतिरिक्त कुछ नये निर्माण कार्य निदेशक ने अपनी इच्छानुसार करवाया था ।

सी० एस० आई० आर० के अन्त लेखा परीक्षा दल ने सी० एस० आई० सी० चण्डीगढ़ के लेखों की परीक्षा करते समय यह पाया कि 66,664.70 रुपये की धनराशि इस कार्य पर खर्च की गई थी । धनराशि सम्बन्धी ये आंकड़े अस्थाई हैं । लखों का हिसाब मिलाने सम्बन्धी कार्य पूर्ण होने के उपरान्त आंकड़ों की जांच करना अभी बाकी है । फिलहाल, नियमों के अन्तर्गत, निदेशक से उनके द्वारा अतिरिक्त अनाधिकृत निर्माण के लिए किराया बढ़ाकर वसूल करने के लिए एक निर्णय लिया गया है । निदेशक से एक स्पष्टीकरण बिना अपना अनाधिकृत निर्माण बिना किसी उच्च अधिकारी की स्वीकृति के बनवाने के लिए भी मांगा जा रहा है ।

दिल्ली में मकान गिराए जाने के तथ्यों का पता लगाने वाली समिति का प्रतिवेदन

3863. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री पी० के० कोडियन :
श्री बशीर अहमद :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में मकान गिराये जाने के तथ्यों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति के निष्कर्ष क्या है ;

(ख) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) दिल्ली मे बड़े पैमाने पर गिराये गए मकानों के लिये किन किन अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया गया है ; और

(घ) प्रत्येक अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क), (ख), (ग) और (घ) : उक्त रिपोर्ट की एक प्रति शाह जांच आयोग को उनके विचार के लिए भेज दी गई है और इसलिए सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का स्वरूप अन्तिम रूप से आयोग की रिपोर्ट पर निर्भर होगा ।

आगरा में रक्षा कार्मिकों के समक्ष कांग्रेस को मत देने के लिए व्याख्यान

3864. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को आगरा में किसी एयर मार्शल द्वारा सशस्त्र सेना कार्मिकों के समक्ष दिये गए कथित व्याख्यान की जानकारी है जिसमें उन्हीं ने सभी कार्मिकों से कांग्रेस को मत देने की मांग की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) आगरा में सशस्त्र सेना कार्मिकों के समक्ष किसी एयर मार्शल ने ऐसा कोई भाषण नही दिया था जिसमें उनसे कांग्रेस को वोट देने की मांग की गई हो ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

शाह आयोग के सम्मुख केन्द्रीय सचिवालय की फाइलों का पेश किया जाना

3865. **श्री समर गुहं** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय की विशेषकर भूतपूर्व प्रधान मंत्री, गृह मंत्री तथा वित्त मंत्री के विभागों की सभी फाईलें, जिनकी शाह आयोग को जरुरत थी अथवा उन्होंने मांगी थी, उक्त आयोग के सामने पेश नहीं की जा सकी क्योंकि बहुत सी ऐसी फाईलें या तो लापता थी अथवा नष्ट कर दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित ऐसी कितनी सरकारी फाईले गायब पाई गयी तथा उनकी मंत्रालय-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार उनके गायब होने के कारणों तथा उन फाइलों के गायब होने के तरीकों और कारणों का पता लगा सकी है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ङ) क्या केन्द्रीय सचिवालय की फाईलों के गायब होने के कारणों तथा परिस्थितियों के बारे में कोई जांच की गई है;

(च) यदि हां, तो उक्त जांच से निकले निष्कर्षों संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(छ) यदि नहीं, तो उपरोक्त प्रयोजन के लिये जांच न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क), (ख), (ङ), (च) और (छ) तक : शाह आयोग के अनुसार ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है जिसमें केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभागों ने, उन तीन पत्रों को छोड़कर जो प्रधान मंत्री के कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे, उक्त आयोग द्वारा मांगी गई किन्हीं फाइलों की प्रस्तुत करने में असमर्थता दिखाई है ।

(ग) और (घ) : ये पत्र प्रधान मंत्री के कार्यालय के सरकारी रिकार्डों में प्रविष्ट नहीं किये गये हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि ये पत्र भूतपूर्व प्रधान मंत्री को प्राप्त हुए थे परन्तु कार्यालय में नहीं भेजे गये थे । शाह आयोग द्वारा इन पत्रों की प्रतियां अन्य मंत्रालय के रिकार्डों से प्राप्त की गई थी । कोई जांच करना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

अहमदाबाद में रुग्ण कपड़ा मिलों का अधिकार में लिये जाना

3866. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अहमदाबाद में अनेक कपड़ा मिलें या तो रुग्ण है या बन्द पड़ी हैं या अगले 6 महीनों में ऐसी ही हालत में होने की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार या तो उक्त मिलों को अधिकार में लेने या उन्हें आवश्यक ऋण, प्रौद्योगिकी प्रदान करने या उन्हें उनके कार्यकरण की सामान्य स्वस्थ्य हालत में लाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) : पिछले दो वर्षों से अधिक समय से सूती वस्त्र मिल उद्योग कपास के मूल्यों में हुई असामान्य वृद्धि तथा हानि में चल रहे अनेक एककों की वजह से वित्तीय कठिनाईयों का सामना कर रहा है । अहमदाबाद में तीन सूती कपड़ा मिलें बन्द पड़ी है । इन मिलों के विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रम सं०	मिल का नाम	बन्द होने की तिथि	नामावली में दर्ज कर्मचारी
1	दि फाइन निटिंग कं० लिमिटेड . .	10-7-70	191
2	दि मेनेकचाऊ एण्ड अहमदाबाद मैन्यु० कं० लि० .	14-12-76	1,345
3	अहमदाबाद लक्ष्मी काटन मिल्स लिमिटेड .	12-8-77	1,500

2. दि फाइन निटिंग कम्पनी लिमिटेड एक राष्ट्रीयकृत मिल है फिर भी, उच्चतम न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के कारण इस मिल को पुनः नहीं खोला जा सका है । अन्य दो मिलें वित्तीय कठिनाईयों की वजह से बन्द पड़ी हैं। इन मिलों के साहूकार वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य सरकार से गारण्टी मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार इस मामले पर विचार कर रही है ।

Indigenous Boats

*3867. **Shri Hargovind Verma:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether Government are considering a scheme for the mechanization of indigenous boats; and

(b) if so, the time by which it would be implemented?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram): (a) There is already a scheme in existence for this purpose.

(b) Question does not arise.

कच्चे पटसन का आयात

3869. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन मिल उद्योग ने विदेशों से कच्चे पटसन का आयात करने के लिये सरकार से अनुमति मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में इस समय कच्चे पटसन की कितनी कमी है और इसके आयात हेतु पटसन उद्योग के अनुरोध पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

उदयोग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) : वर्ष 1976-77 में जूट उद्योग द्वारा कच्ची जूट की वास्तविक कुल खपत 68 लाख गांठें थीं ; जबकि फसल का अनुमान 71 लाख गांठें लगाया गया था । इस्तेमाल करने वाली मिलों द्वारा भेजे गये इन्डेंट के आधार पर भारतीय जूट निगम को उपलब्ध स्त्रोतों से कच्ची जूट का आयात करने के लिये प्राधिकृत किया गया है ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम को दी गई सहायता और उसकी हुई हानि

3870. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अक्तूबर, 1977 तक आबंटित राशि में से कितना ऋण राष्ट्रीय कपड़ा निगम को दिया गया है ;

(ख) क्या यह निगम आयातित हुई काटन मिलों, भारतीय रूई निगम और टैक्सटाइल कार्पोरेशन आफ इंडिया को घाटे पर बेच रहा है ;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों में और चालू वर्ष में अक्तूबर, 1977 तक, इसके परिणामस्वरूप कितना घाटा हुआ है ; और

(घ) क्या सरकार अपनी कपड़ा नीति और राष्ट्रीय कपड़ा निगम, भारतीय रूई निगम और टी०सी० आई० तथा इंडिया इनवेस्टमेंट सेन्टर के कार्यकरण का पुनरीक्षण करने पर विचार कर रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) वर्ष 1977-78 के लिए किए गए 18.18 करोड़ रुपए के बजट प्रावधानों की तुलना में अक्तूबर, 1977 के अंत तक राष्ट्रीय वस्त्र निगम को ऋण के रुप में 10.31 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है ।

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम आयातित कपास नहीं बेचता है ।

(ग) प्रश्न हीं नहीं उठता ।

(घ) वस्त्र नीति की छठी पंचवर्षीय योजना के विशेष संदर्भ में समीक्षा की जा रही है। इस समीक्षा के परिणाम स्वरूप विद्यमान वस्त्र नीति की कुछ विशिष्ट बातों में यथावश्यक संशोधन किया जायेगा। राष्ट्रीय वस्त्र निगम तथा इण्डिया इन्वेस्टमेंट सेन्टर के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । फिर भी सी०सी०आई० के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने संबंधी प्रश्न पर विचार चल रहा है। टी० सी० आई० नामक सरकारी क्षेत्र का कोई भी निगम इस मंत्रालय के नियंत्रण में नहीं है ।

अखिल भारतीय हथकरघा और कपड़ा विपणन सहकारी समिति और हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगमों द्वारा उत्पादित हथकरघा कपड़े की खरीद

3871. **श्री परमा नन्द गोविन्द जोवाला :**
श्री छवि राम अर्गल :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में अखिल भारतीय हथकरघा कपड़ा विपणन सहकारी समिति और हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम द्वारा उत्पादित हथकरघे के कपड़े की राज्यवार खरीद कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि उन राज्यों के प्रतिनिधियों ने जहां हथकरघे के कपड़े की पर्याप्त खरीद नहीं की गई है, केन्द्रीय सरकार और उपरोक्त संगठनों को इन राज्यों में खरीद बढ़ाने का अनुरोध किया है ;

(ग) उपरोक्त संगठन इन उपेक्षित राज्यों में पर्याप्त मात्रा में खरीद बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(घ) क्या इन संगठनों ने इस संबंध में उपरोक्त राज्य सरकारों अथवा हथकरघा के निदेशकों से बातचीत करने के लिए कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) आल इंडिया हैंडलूम फेब्रिक्स मार्केटिंग को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और दि हैंडीक्राफ्ट एण्ड हैंडलूम एक्सपोर्ट को-आपरेशन लिमिटेड द्वारा पिछले पांच वर्षों में हथकरघा से बने कपड़े की की गई खरीद के बारे में राज्यवार जानकारी देने वाले दो विवरण संलग्न हैं ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1358/77]

(ख) इस प्रकार का कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है । फिर भी महाराष्ट्र, गोआ, कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी, तमिल नाडु और आंध्र प्रदेश के हथकरघा प्रभारी मंत्रियों के 17 और 18 नवम्बर, 1977 को हैदराबाद में हुए सम्मेलन का एक संकल्प तथा इसकी सिफारिशों इन राज्यों, विशेषकर सहकारिता क्षेत्र से हथकरघा से बनी हुई वस्तुओं की खरीद को बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में है ।

(ग) दि आल इण्डिया हैण्डलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग को-आपरेटिव सोसाइटी तथा दि हैंडिक्राफ्ट एण्ड हैंण्डलूम एक्सपोर्ट कारपोरेशन जैसे संगठन उन राज्यों से जहां से इस समय कम वसूली है ।

अधिक खरीद करने के इच्छुक हैं। दि आल इण्डिया हैण्डलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग को-आपरेटिव सोसाइटी के पास कमजोर राज्यों में हथकरघे से बने कपड़े की विभिन्न किस्मों के विकास के लिए घरेलु तथा निर्यात बाजार दोनों के लिए अगुआकारी योजनाएं भी हैं।

(घ) जी, हां ।

चन्दा देने के बारे में काटन कारपोरेशन एम्पलाइज यूनियन के अखिल भारतीय सम्मेलन द्वारा अभ्यावेदन

3872. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काटन कारपोरेशन एम्पलाइज यूनियन के अखिल भारतीय सम्मेलन ने सरकार को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है जैसे कि 19 अक्तूबर, 1977 के फाइनेंशियल एक्सप्रस (बम्बई संस्करण) में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने काटन कारपोरेशन द्वारा कथित चन्दा देने के बारे में कोई जांच की है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या काटन कारपोरेशन ने किसी मिल पर कोई विशष पक्षपात किया है जैसा कि प्रतिवेदन में बताया गया हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने काटन कारपोरेशन द्वारा कतिपय स्रोतों से कपास खरीदने के मामले में अकुशलता के कारण जैसा कि आरोप लगाया गया है, हुई कथित हानि को कोई जांच की है ; और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) : इस मामले पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

सतलुज नदी पर नाथपा झाकड़ी जल-विद्युत परियोजना

3873. **श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे :**
श्री धर्मवीर वशिष्ठ :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारें सतलुज नदी पर नाथपा झाकड़ी जल-विद्युत परियोजना में सहयोग करने के लिए सहमत हो गयी है ;

(ख) इस परियोजना को पूरा करने में अनुमानत: कितना वित्तीय परिव्यय होगा ; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है और इस परियोजना के पूर्ण होने पर संबंधित राज्यों को कितना विद्युत उपलब्ध होगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) यद्यपि नाथपा-झाकड़ी जल विद्युत परियोजना के बारे में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की पिछली सरकारों के बीच जनवरी-फरवरी, 1977 में बात-चीत हुई थी परन्तु अभी तक कोई औपचारिक समझोता नहीं हुआ है ।

(ख) दिसम्बर, 1975 में तैयार किए गए प्राक्कलनों के अनुसार परियोजना की लागत 271.90 करोड़ रुपये होने का अनुमान है ।

(ग) निष्पादन कार्य शुरू होने के बाद परियोजना लगभग 8 वर्षों में पूरी होने की आशा है । इसकी प्रतिष्ठापित क्षमता 1020 मेगावाट होगी । वित्त पोषण व्यवस्था के स्वरूप, कार्यान्वयन के लिए एजेन्सी संबंधी मामलों तथा ऐसे ही अन्य पहलूओं पर निर्णय होने के पश्चात्ही विद्युत लाभों के बटवारे का प्रश्न उठेगा ।

Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad

3874. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad which propagates the official language policy in Government offices is not working smoothly as a result of the interference by the officers;

(b) whether it is also a fact that the officers of Andaman and Nicobar Islands are obstructing the smooth functioning of this Parishad there; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) The Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad is a voluntary Organisation of the Central Government employees, to which some annual grants are sanctioned by the Ministry of Education. The work of the Parishad is carried on by its own workers according to its Constitution. No Ministry of the Government of India has any control on it.

(b) & (c) : The Government have recently received such a complaint which is being inquired into.

औद्योगिक विस्फोटकों का उत्पादन

3875. **श्री सौगत राय :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में औद्योगिक विस्फोटक कौन कौन सी कम्पनियां बना रही हैं ;

(ख) क्या विदेशी कम्पनियों का औद्योगिक विस्फोटकों के उत्पादन पर एकाधिकार नियन्त्रण है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस नियंत्रण को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) इस समय देश में दो कम्पनियां अर्थात् मैसर्स इण्डियन एक्सप्लोसिव्ह लि० और मैसर्स आई०डी०एल० केमिकल्स लि०, औद्योगिक विस्फोटकों का उत्पादन कर रही है ।

(ख) मे० इण्डियन एक्सप्लोसिव्ह लि०, में 51.2 विदेशी इक्विटी है और उनकी अधिष्ठापित वार्षिक क्षमता 36,000 मी० टन है । उनका वर्ष 1974, 1975 और 1976 का वास्तविक उत्पादन क्रमश: 32,442, 35,336 और 37,074 मी० टन रहा । मे० आई डी एल केमिकल्स लि० में 40% विदेशी इक्विटी है और उनकी अधिष्ठापित क्षमता 22,500 मी० टन है । उनका 1974, 1975 और 1976 में वास्तविक उत्पादन क्रमश: 5,864, 9,993 और 10,544 मी० टन था ।

(ग) औद्योगिक विस्फोटकों की बढ़ती मांग को पूरा करने और भारतीय कंपनियों को अधिकाधिक हिस्सा देने के विचार से विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों की 67,500 मी० टन की कुल अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने की 6 नई योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है । ये योजनाएं इस समय क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है ।

Electrification of Harijan Colonies

*3876. **Shri Ram Lal Rahi :** Will the Minister of **Energy** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 49 on the 16th November, 1977 re. electrfication of Harijan Colonies and state:

(a) whether the targets were achieved with the provision of Rs. 4.5 crores included in the Fourth Five Year Plan for electrification of Scheduled Castes and Scheduled Tribe 'basties';

(b) if not, the reasons for discontinuance of this scheme in the Fifth Plan;

(c) whether the funds earmarked for the electrification of 'basti' of a village were too meagre and as a result, the entire harijan community of several big villages was deprived of this scheme; and

(d) if so, whether Government propose to increase the per-village allocation under this scheme?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) 10,406 Harijan Bastis in 13 States were electrified with the Rs. 4.5 crores made available to the Rural Electrification Corporation, in the Fourth Five Year Plan under the Special Scheme. No targets were fixed under the Special Scheme.

(b) The Special Scheme for loan assistance through the R.E.C. for extension of electricity to Harijan Bastis adjoining the already electrified villages was not continued in the Fifth Five Year Plan period. However, State Electricity Boards were advised that in the villages already electrified, power supply should be extended to Harijan Bastis from the funds available within the States' Annual Plan provisions.

(c) & (d) : There is no fixed per village allocation of funds for this purpose. The R.E.C's allocation of funds for electrification of different Bastis varies, depending upon the cost of works to be carried out.

श्री सेलम परियोजना

3877. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने श्री सेलम परियोजना के सभी चरणों के कार्य को शीघ्र पूरा करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना के लिए वित्तीय आबंटन में वृद्धि की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां । परियोजना के सभी चरणों को शीघ्र पूरा करने के लिए सउदी विकास निधि से 353 मिलियन सउदी रियाल (लगभग 90 करोड़ रुपए) की ऋण सहायता प्राप्त की जा रही है ।

(ख) और (ग): चालू वर्ष के दौरान इस परियोजना हेतु 8 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में अनुरोध किया है । इस अनुरोध पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

किंगल-धामी सड़क पर उप-तहसील कुमारसेन और सुनी में अधिगृहीत भूमी के लिए क्षतिपूर्ति

3878. **श्री बालक राम :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला शिमला में किंगल-धामी सड़क पर उप-तहसील कुमारसेन और सुनी में अधिगृहीत भूमि के लिए गांव वालों को अभीतक डी०जी०बी०आर० प्राधिकारियो द्वारा क्षति पूर्ति नहीं दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो क्षतिपूर्ति कब तक दिये जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) किंगल-धामी सड़क पर उप-तहसील कुमारसेन और सुनी में अधिगृहीत भूमि के 5,73,622 रु० के मुआवजे के दावों का भुगतान डी०जी०बी०आर० द्वारा स्थानीय सिविल प्राधिकारियों की मार्फत पहले ही किया जा चुका है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगाना

3879. **श्री द्रोणम राजू सत्यनारायण :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार तथा नौकरशाही में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने की सरकार के इरादे को देखते हुए 22 मार्च, 1977 से 31 अक्टूबर, 1977 तक ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ; और

(ख) राजनीतिज्ञों तथा सेवारत लोगों के विरुद्ध मामलों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) तथा (ख): 22 मार्च, 1977 से 31 अक्टूबर, 1977 की अवधि के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 19 मामले दर्ज किए, जिनमें अन्य लोगों के साथ-साथ भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री तथा संयुक्त सचिव तथा उससे ऊपर के अधिकारी अन्तर्ग्रस्त हैं। इनमें से 5 मामले भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्रियों के विरुद्ध हैं, जिनमें से एक मामले में एक वरिष्ठ अधिकारी भी अन्तर्ग्रस्त हैं । अन्य 14 मामले वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध हैं ।

दिल्ली में छुरेबाजी की घटनाएं

3880. **श्री श्रीधर राव नाथो वाजी जावदे :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में छुरेबाजी की घटनाओं में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) 22 मार्च, 1977 से 31 अक्तूबर, 1977 तक हुई ऐसी घटनाओं की संख्या कितनी है और 1976 की उसी अवधि के ये आंकड़े क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख): 1974 से और इसके बाद के प्रत्येक वर्ष में 22 मार्च, तथा 31 अक्तूबर, के बीच की अवधि में दिल्ली में छुरेबाजी की घटनाओं की संख्या का तुलनात्मक विवरण इस प्रकार है :—

1977	1976	1975	1974
353	227	322	411

(ख) मुख्य कारण है :—

(1) भारी संख्या में बदमाशों तथा अन्य अपराधियों की रिहाई जो पहले आपातस्थिति के दौरान 'मीसा' के अन्तर्गत नजरबन्द किये गये थे ।

(2) मामलों के स्वतंत्रतापूर्वक तथा सही पंजीकरण पर जोर ।

(3) आपातस्थिति के बाद नागरिक स्वतंत्रता की पुनः स्थापना के भय की स्थिति की समाप्ति ।

(4) दिल्ली की परिधि में जनसंख्या की वृद्धि तथा पुनर्वास बस्तियों का बसना ।

दूरदर्शन कार्यक्रम

3881. **डा० बी० ए० सईद मोहम्मद** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत 6 महीनों के दौरान दिल्ली तथा अन्य दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा मैगजीन कार्यक्रमों तथा समाचार सेवाओं दोनों में पश्चिम जर्मनी, संयुक्त राज्य अमरीका, जापान तथा फ्रांस के कार्यक्रम का कितना उपयोग किया गया ;

(ख) दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा गत 6 महीनों के दौरान साप्ताहिक ऐसे कार्यक्रमों पर कितने कार्यक्रमों का उपयोग किया गया; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन कार्यक्रमों के लिए पश्चिमी स्रोतों पर निर्भरता को कम करने का है।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख): मई से अक्तूबर, 1977 तक की अवधि के दौरान दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा प्रयुक्त उल्लिखित प्रत्येक देश के कार्यक्रम की मदों की संख्या और अवधि इस प्रकार है :—

देश का नाम	प्रयुक्त की गई मदों की संख्या						कुल अवधि		
	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	योग	घंटे	मिनट
पश्चिम जर्मनी	21	30	25	8	24	16	124	46	54
संयुक्त राज्य अमरीका .	30	18	28	34	30	20	160	49	58
जापान .	6	7	15	5	4	1	38	7	3
फ्रांस .	6	5	5	6	6	1	29	3	38

(ग) दूरदर्शन द्वारा प्रयुक्त की गई मदों में दूरदर्शन द्वारा पूर्ण रूप से या रायल्टी के आधार पर खरीदे गए अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के समाचार, डाकुमेंट्री फिल्में आदि, भारत में स्थित विदेशी दूतावासों से प्राप्त कला, संस्कृति, शिक्षा तथा विज्ञान पर फिल्में और प्रोतोकाल/पारस्परिक आधार पर हुए सांस्कृतिक करारों के अंतर्गत विदेशों से प्राप्त सामग्रियां शामिल हैं। कार्यक्रमों का चयन दूरदर्शन के लिए उनकी उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है । उपरि उल्लिखित 6 महीनों के दौरान प्रेषण घंटों के अनुसार विदेशी फिल्मों के प्रयोग की प्रतिशतता केवल 3.5 प्रतिशत है । इन 6 महीनों सहित पूरे वर्ष की कुल प्रतिशतता भी 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं है । इसलिए इनके प्रयोग को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरों का पुनर्गठन

3882. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को आसूचना एजेंसियों का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) तथा (ख) : अनुमानत: प्रश्न में संकेत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर है । केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो जैसे संगठनों की पद्धतियों एवम् कार्य प्रणालियों में और आगे सुधार लाए जाने के प्रयत्न, एक निरन्तर प्रक्रिया हैं । इसे सुदृढ़ करने की दृष्टि से हाल ही में, बहुत से अतिरिक्त पद मंजूर किए गए थे । समय-समय पर आवश्यक समझे जाने वाले अन्य उपाय किए जाते रहेंगे, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए एक कारगर साधन के रूप में कार्य करता रहे और वह अपनी सेवाओं के लिए मांग तथा कार्य के दबाव से निपटने में समर्थ हो सके ।

National Permits for Public Carriers

†3883. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the number of public carriers given national permits upto the 31st March, 1977, state-wise;

(b) the number of public carriers proposed to be given these permits during 1977-78;

(c) the criteria followed in giving these permits; and

(d) the annual licence fee per public carrier charged for these permits and the authority on behalf of which it is charged?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram): (a) & (b) : The information required is being collected from the State Governments and Union Territory Administrations and will be laid on the Table of the House when received.

(c) Until recently, the provisions of Section 63(12) of the Motor Vehicles Act, 1939, and the guidelines circulated by the Govt. of India to the State Governments in October, 1975, had been followed in the matter of grant of

national permits. The guidelines envisaged that upto 50% of the national permits may be given to existing inter-State permit holders, upto 25% to existing intra-State operators and the remaining 25% to new entrepreneurs including ex-Servicemen. At the last meeting of the Transport Development Council, it was recommended that the above item in the guidelines should be omitted and the States left free to determine their own guidelines, subject to the provisions of the Motor Vehicles Act and Rules. This recommendation has been brought to the notice of the State Governments.

(d) A national permit holder has to pay all the taxes due in respect of the vehicle in the "Home" State. In addition, he is required to pay a composite fee of Rs. 700/- per vehicle per annum to each other State and Rs. 150/- per vehicle per annum to each Union Territory for which the authorisation is valid. The composite fee shall be initially collected by the "Home" State on behalf of the other concerned States/Union Territories and subsequently transferred to those States. Further, the permit holder has also to pay an authorisation fee of Rs. 500/- per vehicle per annum which amount shall be retained by the "Home" State.

दिल्ली में यातायात दुर्घटनायें

3884. **श्री शिव सम्पति राम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में यातायात दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या से चिंतित है ;

(ख) दिल्ली में यातायात दुर्घटनाओं की संख्या के बढ़ने के क्या विशिष्ट कारण हैं ;

(ग) क्या एक कारगर योजना बनाने तथा यातायात दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के लिए उसे क्रियान्वित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(घ) इस सम्बन्ध में और क्या उपाय करने का विचार है ; और

(ङ) शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर रोक लगाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) : सरकार यातायात दुर्घटनाओं की संख्या कम करने की इच्छुक हैं । दुर्घटनाओं के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) मोटर वाहनों और धीमे चलने वाले वाहनों की संख्या में वृद्धि ।

(2) जनसंख्या, औद्योगिक, व्यापारिक तथा आवासीय बस्तियों में तेजी से वृद्धि ।

(3) विविध प्रकार का मिला जुला यातायात ।

(ग), (घ) और (ङ) : यातायात पुलिस सीमा से अधिक गति, सीमा से अधिक लदान और लापरवाही से गाड़ी चलाने के बारे में आकस्मिक जांच कर रही है । सड़क सुरक्षा शिक्षा अभियान चलाया गया है और इस प्रयोजन के लिए श्रव्य दृश्य उपकरणों का भी प्रयोग किया जा रहा है । भारी परिवहन वाहनों के चलाने पर प्रतिबन्ध लगा दिए गए हैं तथा कुछ सड़कों को एक तरफा मार्ग बना दिया गया है । दो पहियों वाले वाहनों के चालकों द्वारा हेल्मेटों को आवश्यक रूप से पहनने की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1940 में संशोधन किया गया है । सड़कों तथा सड़क चौराहों का भी सुधार किया गया है । दिल्ली परिवहन निगम द्वारा अपने चालकों द्वारा खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने से रोकने के लिए चेकिंग स्क्वाड गठित कर दिया गया है । शराबी चालकों के विरुद्ध कार्यवाही तेज कर दी गयी है तथा उनकी ब्रेथैलसर टैस्ट तथा डाक्टरी जांच की जाती है । एकीकृत सार्वजनिक

परिवहन प्रणाली के विकास में योजना आयोग के कहने पर गठित कार्यकारी दल ने शार्ट रेंज प्रोग्राम बनाया है जिसका उद्देश्य रिंग रेलवे कारिडोर, बसप्रणाली का ओप्टोमाईजेशन और पूरक सड़क प्रणाली के विकास के साथ-साथ विकास और इन्ट्राअर्बन रेलवे सेवाओ की कार्य पद्धति पर विचार करना है ताकि जन परिवहन प्रणाली सुविधाजनक हो सके ।

Commercial Broadcast Service

3885. **Shri Ram Prasad Deshmukh :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the rules for according priority to the advertisers in the time of broadcast of commercial advertisements by Commercial Broadcast Service Centres of A.I.R. and the sales unit of Bombay; and

(b) the criteria adopted in allotting time to the advertisers by Delhi Commercial broadcast service centre and the rules according to priority?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani):

(a) The following order of priority has been laid down for booking commercial advertisements by the Commercial Centres and the Central Sales Unit of All India Radio:

(i) Food & food products, which would include agricultural machinery, agricultural implements, agricultural products, fruits, vegetables, etc.

(ii) Clothing.

(iii) Shelter, which would include housing, household fixtures, etc.

(iv) Items which have a bearing on increase in production such as transport, equipment, electrical goods, consumer machinery etc.

(v) Chemical.

(vi) Confectionery, nutritional, beverages, etc.

However, from July 1975, almost all Commercial Centres are under-selling time and bookings are being allotted over all the Centres (including Delhi Station) on first come-first-serve basis, consistent with the priorities listed above.

(b) The criteria adopted in allotting time to the advertisers by Delhi Commercial Centre and rules according the priority are the same at (a) above.

Blocking the border roads by snow in winter

3888. **Shri P. K. Kodiyan :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether some of the border roads in the northern and north western areas are often blocked due to heavy snowfall in winter; and

(b) if so, what are the steps taken by Government to keep the affected roads open for traffic throughout the year?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) Yes, Sir. Certain stretches of some of the roads entrusted to the Border Roads Development Board remain closed for some periods during the year due to heavy snow-fall.

(b) Efforts are made to keep these roads open or maximum period possible. However, certain stretches of some of the roads which lie in close proximity of high passes are not kept open because of excessive accumulation of snow, and danger to the safety of traffic due to avalanches and the formation of icing on the road surface.

Loan to Newspapers by Financial Institution

3889. **Shri Chaturbhuj:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether any principle or policy has been formulated for grant of loans to newspapers by the financial institutions; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Lal Krishan Advani): (a) & (b): It is considered that such financing should be left to public financing institutions already in the field. The question whether any guidelines for the purpose should be laid down is being considered.

महिलाओं में बेरोजगारी की समस्या और सम्बद्ध मामलों का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ दल की नियुक्ति

3890. **श्री दारुर पुलय्या** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महिलाओं में बेरोज़गारी की समस्या और सम्बद्ध मामलों का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ-दल नियुक्त करने का है ;

(ख) कृषि, पशु-पालन, लघु उद्योगों और बड़े उद्योगों के क्षेत्र में आरम्भ की गई आर्थिक विकास गतिविधियों में महिलाओं के योगदान को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या इस कार्य के लिए सरकार का विचार महिलाओं की पृथक सहकारी समितियां और ऋण समितियां स्थापित करने का है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार ने अगली योजना तैयार करने के संदर्भ में महिलाओं को रोजगार देने से संबंधित विभिन्न प्रश्नों की जांच करने के लिए महिलाओं के रोजगार से संबंधित एक कार्यकारी दल हाल ही में गठित किया है ।

(ख) अगली योजना तैयार करते समय महिलाओं को रोजगार के अवसर देने के प्रश्न पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ।

(ग) महिलाओं की सहकारी समितियों और उधार समितियों से संबंधित प्रश्नों पर, अन्य प्रश्नों के साथ-साथ इस कार्यकारी दल द्वारा विचार किया जाएगा ।

भारतीय नौवहन निगम के चेयरमैन द्वारा किये गए दौरों पर व्यय

3991. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम के चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक एडमिरल नन्दा लगातार भारत तथा विदेशों के दौरे पर होते हैं;

(ख) अप्रैल, 1975 से सितम्बर, 1977 तक चेअरमन तथा प्रबंध निदेशक कितने दिन के लिए भारत से बाहर रहे और इस पर पृथक पृथक रूप से कितना व्यय हुआ है; और

(ग) क्या चेयरमैन के निजी सचिव कैप्टन मोहिन्दर ने गत दो वर्षों में मनोरंजन पर व्यय किया है और यदि हां, तो इस संबंध में कितनी राशि खर्च की गई ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के भूतपूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एडमिरल एस० एम० नन्दा ने कम्पनी के कारोबार के हित में जब कभी आवश्यक हुआ और ऐसे मामलों में जहां उच्च स्तरीय विचार विमर्श और बातचीत होनी थी या वांछनीय थी के लिए भारत और विदेशों में दौरे किए ।

(ख) (i) 278 दिन

(ii) 6.85 लाख रुपये ।

(ग) जी हां, 3.74 हजार रुपये ।

हल्दिया के लिए "लेटर ड्राफ्ट" के लिए आक्लैंड बार में तलकर्षण की लागत

3892. **श्री सुशील कुमार धारा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आक्लैण्ड बार में हल्दिया के लिए "लेटर ड्राफ्ट" के लिए तलकर्षण के लागत में गत तीन वर्षों में पर्याप्त वृद्धि हो गयी है,

(ख) क्या सी०पी०टी० द्वारा लागत लाभ का विश्लेषण नहीं किया गया तथा ठेके को अंतिम रूप देने से पूर्व मंत्रालय द्वारा उपयुक्त मूल्यांकन नहीं किया गया था, और

(ग) क्या ठेका समय पर आधारित ठेका है जिसका उपयुक्त 'ड्राफ्ट' की प्राप्ति से कोई संबंध नहीं है और यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में जांच करेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क), (ख) और (ग) : हल्दिया जलधारा के निकर्षण का अनुमान कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा स्कीम के लागत लाभ विश्लेषण करने के बाद स्वीकृत किया गया । स्वीकृत अनुमान में पत्तन के स्वयं के निकर्षणों, नौवहन और परिवहन मंत्रालय के निकर्षणों से और ठेके पर के निकर्षणों द्वारा निकर्षण करने की व्यवस्था है । बाह्य मुहाने में अपेक्षित डुबाव अप्रैल, 1975 तक प्राप्त किया गया । ठेके पर निकर्षण अप्रैल, 1975 में बाह्य मुहाने में बंद किया गया । पत्तन के निकर्षणों और मंत्रालय के निकर्षणों (जो अब ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के स्वामित्व में है) द्वारा निकर्षण अभी चालू है । हुगली नदी के विशेष जल सर्वेक्षण स्थिति के कारण ठेके को नियत समय पर करना था जिसमें कार्य की लगातार समीक्षा की व्यवस्था है । नौवहन और परिवहन मंत्रालय के निकर्षण उसी आधार पर लगाए गए हैं, परन्तु आंतरिक मुहाने, जिसमें आकलैण्ड बार शामिल है, की गहराई काफी उथले पानी के कारण प्राप्त ना की जा सकी । इन परिस्थितियों में किसी जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रादेशिक सैनिक कर्मचारी

3893. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रादेशिक सेना में रैंकवार अधिकारियों, जूनियर कमीशन आफिसर अथवा ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने 18 वर्ष की पूरे वेतन सहित सेवा पूरी कर ली है ;

(ख) क्या सरकार का विचार उनका बारी-बारी से स्थानान्तरण करने का है ; और

(ग) क्या उन्हें वृद्ध आयु में पेंशन देने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) उनकी संख्या निम्नलिखित है :—

अफसर . .	11
जूनियर कमीशंड अफसर	11
अन्य रैंक . .	1

(ख) जी हां ।

(ग) प्रादेशिक सेना के जिन कार्मिकों ने कुछ निश्चित वर्षों तक लगातार अंगीभूत सेवा की हो, उन्हें पेंशन देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

U.P.-Haryana and U.P.-Bihar Border Disputes

3894. **Shri Ram Naresh Kushwaha :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the area of land belonging to Uttar Pradesh that had gone to Bihar and Haryana because of Gang Barar and Gang Shikast during the years 1962 to 1967;

(b) whether the Uttar Pradesh and Haryana and Uttar Pradesh and Bihar border disputes have been resolved; and

(c) whether Government are aware that the people of Bihar still come to Ballia district and reap away the harvest and there are frequent clashes over this question?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) According to information so far received from Government of Uttar Pradesh, due to fluvial action 28160 acres of land from that State had gone to State of Bihar and 4825 acres from Meerut District to the State of Haryana during the years 1962 to 1967.

(b) After the enactment of the Bihar and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1968, there is no border dispute between these States. The border dispute between Uttar Pradesh and Haryana has also been resolved in principle, though in regard to certain lands on the inter-State boundary between Aligarh and Bulandshahar districts of Uttar Pradesh and Gurgaon district of Haryana, there are some disputes relating to the rights of individual cultivators.

(c) Litigation is pending in various courts of law between cultivators of certain boundary villages of Bihar and Uttar Pradesh relating to title and possession over certain lands. In the past there had been some minor disputes

and quarrels over forcible harvesting, which were dealt with by the local administration; but according to the Government of Uttar Pradesh no such disputes have been reported so far this year.

पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री द्वारा उनके विरूद्ध किए जा रहे अभियान में हस्तक्षेप करने का प्रधान मंत्री से अनुरोध

3895. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**
श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के भूतपूर्व मंत्री ने प्रधान मंत्री से अनुरोध किया है कि वह वर्तमान सरकार द्वारा चलाये जा रहे 'राजनीतिक विरोधियों, विशेष रूप से काँग्रसजनों के उत्पीड़न के लिये सूनियोजित अभियान' में हस्तक्षेप करें ;

(ख) क्या उन्होंने प्रधान मंत्री से यह भी अनुरोध किया है कि वे राज्य सरकार द्वारा उनके समर्थकों तथा उनके साथ सहानभूति करने वालों के विरूद्ध दायर किए जा रह 'झूठे मुकदमों' को बंद कराएं जो केवल उनके विरुदध साक्ष्य काम में लेने के लिये 'जोर-जबरदस्ती' के और 'अलोकतन्त्रीय तरीके' अपना कर दायर किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटील) : (क), (ख) तथा (ग) : पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री जैल सिंह ने हाल ही में प्रधान मंत्री को पत्र लिखे हैं, जिनमें उन्होंने यह आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार द्वारा उनके संबंधियों तथा राजनीतिक सहानूभूति रखने वालों को सताया जा रहा है। प्रधान मंत्री द्वारा ये पत्र पंजाब के मुख्य मंत्री को भेज दिये गये थे।

राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि श्री जैल सिंह द्वारा प्रधान मंत्री को लिखे गये पत्रों में दिए गए आरोपों का कोई आधार नहीं है और न तो राजनीतिक विरोधियों पर ही कोई अत्याचार किया गया है और न ही कोई झूठा मुकदमा चलाया गया है।

लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन

3896. **श्री के० के० मूर्ति** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिक एकक स्थापित करने के इच्छूक निर्बल वर्गों के लोगों को किस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाता है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन तीन कार्यक्रमों के अन्तर्गत दिय जाते हैं अर्थात (क) पिछड़े क्षेत्र का विकास, (ख) ग्रामीण उद्योग परियोजना तथा (ग) ग्रामीण शिल्पी परियोजना।कमजोर वर्गों के लोग भी इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रोत्साहन के हकदार है किन्तु ये कार्यक्रम विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लिए नहीं है। विभिन्न बैंकों द्वारा लागू अलग-अलग व्याज दर योजना इस योजना से लाभ उठाने के लिए कम आय का मापदण्ड अपनाया जा रहा है।

इस योजना से लाभ उठाने के लिये भिन्न-भिन्न बैंकों द्वारा अलग-अलग व्याज दर का माणदंड अपनाया जा रहा है।

Working of J.C.B. Press

3897. Shri Mahi Lal: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether the Letter Press of J.C.B. is working independently on the pattern of the Government of India Press;

(b) if so, whether Photo Litho Press of J.C.B. has also been set up or is being set up on this pattern;

(c) whether Government propose to appoint General-Manager there also like the Government of India Press with a view to run these two presses efficiently from administrative and technical points of view; and

(d) if so, when the said appointment is likely to be made?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) There is no Letter Press of JCB as such at present, but the crypto documents for JCB are presently being printed in the JCB Wing of the Government of India Press on a cost adjustment basis.

(b) There is no Photo Litho Press as such for JCB, like the Government of India Press, but in JCB, a Photo Litho Section is being set up with the requisite machinery and staff. Similarly, a section for the Letter Print is also being proposed to be added to the JCB to function within the premises of the JCB.

(c) & (d): The two Sections will be headed by Deputy Managers who will be under the Director JCB and will be staffed suitably. The appointments to the Photo Litho Section are currently being made. The appointments for the Letter Printing Section will be made as and when the Section is formed.

ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी द्वारा अर्जित लाभ तथा उसके निदेशक के लिये निर्धारित अर्हताएं

3898. **श्री दिलीप चक्रवर्ती :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी के चेअरमन ने वित्त वर्ष 1976–77 के लिये शेयरधारियों की वार्षिक आम बैठक में यह घोषणा की थी कि आपात स्थिति लागू होने के बाद कम्पनी को बहुत लाभ पहुंचा ;

(ख) इस कम्पनी को गत तीन वर्षों के दौरान कितना लाभ हुआ ;

(ग) अब तक इसमें कुल कितनी पूंजी निवेश हुआ और बाहर कितनी राशि भेजी गई;

(घ) क्या लागभग छः वर्ष की अवधि में इस कम्पनी ने अपने प्रारंभिक निवेश से 50 गुना राशि बाहर भेजी है;

(ङ) क्या यह कम्पनी विदेशी शेयरधारिता संबंधी जे० एण्ड आर० ए० के अधीन लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रही है ;

(च) क्या इसके निदेशकों के लिये कोई न्यूनतम अर्हतायें निर्धारित हैं; वे अर्हतायें क्या हैं; और

(छ) क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि इन अर्हताओं का उल्लंघन किया जा रहा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी लि० के अध्यक्ष के वक्तव्य में जिसे कम्पनी के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन में उद्धृत किया गया था, आपात स्थिति के बारे में निम्नलिखित ब्यौरा दिया गया है :–

"यदि आपात स्थिति से आर्थिक एवं सामाजिक प्रणालियों में फिर से स्थिरता न लाई गई होती तो निगमित क्षेत्र की स्थिति संकटपूर्ण हो गई होती। उचित स्थिति पैदा किए जाने के फलस्वरूप ही हम अपना व्यापारिक कार्य सफलतापूर्वक सम्पादन करने में समर्थ हो सके हैं। यह इस बात को उजागर करता है कि राजनैतिक स्थिरता श्रम, अनुशासन स्वथ्य नीतियों और प्रभावशाली सरकार द्वारा पैदा को गई परिस्थितियों पर किस प्रकार वाणिज्यिक कार्य कलाप निर्भर करता है।"

(ख) और (ग) कराधान से पूर्व और बाद में कम्पनी द्वारा अर्जित लाभ और पिछले तीन वर्षों की आस्तियों के कुल मूल्य तथा पिछले छः वर्षों में कम्पनी द्वारा भेजी गई राशियां दिखाने वाले दो विवरण संलग्न हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 11 मई, 1976 के पत्र में ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता को यह पराशमर्श दिया है कि कम्पनी की इक्विटी पूंजी में अप्रवासी हितों को इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से दो वर्ष भीतर घटाकर 40% से अधिक नहीं रहने दिया जाना चाहिए। कम्पनी ने निर्धारित समय सीमा के अन्दर इस आदेश का अनुपालन करना मान लिया है।

(च) कम्पती की नियमावली की नियम संख्या 96 के अनुसार यह स्पष्ट है कि निदेशक के लिए शेयर सम्बन्धी योग्यता यह है कि कम्पनी की पूंजी में उसके अपने नाम में अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर लाभदायी अथवा ट्रस्टी के रूप में 100 शेयर होने चाहिए।

(छ) जी, नहीं।

विवरण 1

मे० ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी द्वारा वर्ष 1970–71 से 1975–76 तक भेजी गई राशियां दिखाने वाला विवरण

वर्ष	राशि रुपयों में
1970–71	12,02,653
1971–72	14,28,118
1972–73	16,90,512
1973–74	4;40,388
1974–75	17,88,796
1975–76	20,30,758
योग	85,81,225

विवरण 2

(ख) और (ग) : वर्ष 1974–75, 75–76 और 1976–77 के तीन वर्षों के लाभ और आस्तियों को दिखाने वाला विवरण ।

	1974–75	1975–76	1976–77
	(लाख रुपयों में)		
1. कराधान से पूर्व लाभ .	283.17	347.77	454.52
2. कराधान के बाद का लाभ .	112.17	117.77	170.52
3. कुल अस्तियाँ	1279.12	1491.15	1740.71

National Highways

†3899. **Shri Laxmi Narain Nayak :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the total number of national highways in the country;

(b) whether any scheme is under consideration of Government of India for construction of new national highways, if so, the details of such proposed national highways; and

(c) whether Government of India would declare the road between Delhi and Khajuraho a national highway in view of the fact that Khajuraho is an internation tourist centre and the road from Delhi to Gwalior is already a national highway and if so, by when?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram) : (a) Fifty-six.

(b) & (c) : Government have no such proposal.

सोवियत संघ द्वारा पश्चिम बंगाल में तकनीकी जानकारी और पूंजी निवेश प्रदान करना

3900. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के उद्योगों के लिये तकनीकी जानकारी और बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करने के लिए सोवियत संघ ने अपनी इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी, नहीं। विदेश की किसी भी सरकार द्वारा किसी राज्य में सहायता के लिये किये गये प्रस्ताव के लिये भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ेगी। इस सुस्थापित प्रक्रिया के अनुसार सोवियत संघ से तकनीकी जानकारी प्रदान करने और पश्चिम बंगाल में उद्योगों की स्थापना करने के लिये सहायता देने के बारे में कोई भी प्रस्ताव नहीं मिला है ।

(ख) उपर्युक्त (क) के लिये दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय राजपथों के लिए महाराष्ट्र को वित्तीय सहायता

3901. **श्री अण्णासाहिब गोटखिण्डे :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने चालू वर्ष में राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण और उनके रखरखाव के लिए केन्द्रीम सरकार से उनको दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि करने का अनुरोध किया है जिससे चालू कार्यों की प्रगति संतोषजनक रखी जा सके, और

(ख) यदि हां, तो अनुरोध का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां ।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्यों के लिए आवंटन 6.30 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 11.08 करोड़ रुपये करने का अनुरोध किया है । वित्तीय कठिनाइयों के कारण महाराष्ट्र सहित किसी भी राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्यों के आवंटन में वृद्धि करना संभव नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुरक्षण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 4.00 करोड़ रुपये की मांग की है इस आवश्यकता की इस मांग के लिए राज्य सरकार द्वारा भेजे गए अनुमानों की राशि 254 लाख रुपये हैं। धन की सीमित उपलब्धता के कारण इसके लिए 198.43 लाख रुपये दिए गए है ।

तमिलनाडु सरकार द्वारा दो जहाजों का बेचा जाना

3902. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार का विचार उन दो जहाजों को बेचने का है जो उसने वर्ष 1975 में लिए थे ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उसको इसकी स्वीकृति दे दी है, और

(घ) क्या राज्य सरकारने केन्द्रीय सरकार से बड़े जहाजों के लिए अनुरोध किया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) पूम्पूहार शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड, मद्रास ने 1974/75 में दो जहाज प्राप्त किए। उनके बिक्री का प्रस्ताव यदि कोई हो, तो उसके उक्त निगम द्वारा किया जाएगा । निगम ने जहाजों की बिक्री का कोई ठोस प्रस्ताव नहीं भेजा है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) अभीतक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

Contract System in Vishrampur Coal Mines in Sarguja District

3904. **Shri Subhash Ahuja :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether Contract system still continues in the Vishrampur Coal Mine in Sarguja District of Madhya Pradesh;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government will consider abolition of contract system in coal mines?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran): (a) In Bishrampur Colliery, contract labour is engaged on works such as construction of ventilation, construction and repair of roads, electrification of buildings and sawing of sleepers.

(b) & (c) : Contract system is not adopted in the categories of jobs prohibited under law. Further, contractors have to be engaged for jobs which are of intermittent and emergent nature.

Setting up of Hydel Station in Ladakh

†3905. **Shrimati Parvati Devi:** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether Government are considering a proposal regarding setting up of a Hydel Station in Suru area of Ladakh; and

(b) if so, when work is likely to commence on this scheme?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

बी० एच० ई० एल० द्वारा ट्रांसफारमर फैक्टरी, झांसी का उद्घाटन करने के लिये दो लाख रुपये खर्च किया जाना

3906. **श्री एम० एम० हाशिम :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी० एच० ई० एल०, झांसी ने भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमति गांधी द्वारा 16 मार्च, 1977 को ट्रांसफारमर फैक्टरी, झांसी का उद्घाटन किये जाने की तैयारी पर, जो नहीं हो सका था, लगभग दो लाख रुपया खर्च किया था;

(ख) ट्रांसफारमर फक्टरी, झांसी का उद्घाटन किये जाने की क्या आवश्यकता थी जबकि प्रबंधक 1976–77 में 52.59 लाख रुपये का उत्पादन कर चुके है ;

(ग) दो लाख रुपया किस प्रकार खर्च किया गया और खरीदी गई सामग्री की मदों को पूर्ण सूची क्या है ; और

(घ) क्या उद्घाटन की प्रत्याशा में कोई विवरणिका प्रकाशित की गई थी जिसमें 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का प्रचार किया गया था और इन्दिरा गांधी की प्रशंसा की गई थी ; यदि हां, तो क्या उस विवरणिका की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमति आभा माईति) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रख्यात नेताओं द्वारा मुख्य संयंत्र का उद्घाटन किया जाना परम्परा के विरूद्ध नहीं है । फिर भी, इस मामले में प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि एसा कोई उद्घाटन नहीं हुआ है । 52.59 लाख रुपये का उत्पादन बहुत थोड़ा उत्पादन था जो कि केवल एक उत्पाद का था ।

(ग) मुख्य चेनों को खरीदने के लिए 9,360 रुपये खर्च किये गये थे जिसमें कर भी शामिल हैं । नमूने 2 नग में प्राप्त हो गये हैं ।

(घ) जी, नहीं ।

Closure of J. K. Mills, Kanpur

3907. **Shri Manohar Lal:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that J. K. Mill (Kailash Mill) in Kanpur has been lying closed for the last 2 years and about 5000 workers have been rendered jobless as result thereof;

(b) if so, the action being taken by Government to reopen this mill; and

(c) the reasons for its closure?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) to (c): The J. K. Cotton Manufacturing Company, Kanpur has been lying closed since 1st October 1976 rendering about 2276 workers jobless. The closure is resorted to be due to financial difficulties. As N. T. C. is already shouldering heavy burden of managing 105 textile mills, Government is not in favour of taking more mills for management by the Corporation. However, if the State Government comes up with a viable proposal for the take over of the mill for management under its own corporation, the Central Government would give earnest and urgent consideration. A copy of the Survey report prepared by the Textile Commissioner's Officers on this mill has already been sent to the State Government.

कर्नाटक में तापीय बिजली घर की स्थापना

3908. **श्री राजशेखर कोलूर :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य में रायचूर जिले में कृष्णा नदी पर एक तापीय बिजली घर स्थापित किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बाते क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) रायचूर में ताप विद्युत् केन्द्र की स्थापना के लिए मैसूर विद्युत् निगम ने व्यवहार्यता रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को 29 नवम्बर, 1977 को भेजी थी। इस व्यवहार्यता रिपोर्ट की जांच केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण में की जा रही है।

मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिये लाइसेंस

3909. **श्री शरद यादव :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 से 1976 तक की अवधि में मध्य प्रदेश में कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस जारी किय गये :

(ख) उनमें से कितने उद्योगों में उत्पादन प्रारम्भ हो गया है; और

(ग) कितने उद्योगपतियों ने लाइसेन्स प्राप्त करने के बाद भी काम प्रारम्भ नहीं किया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) वर्ष 1972 से वर्ष 1976 तक मध्य प्रदेश को 121 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे।

(ख) इनमें से 45 लाइसेंस प्राप्त फर्मों में उत्पादन करना शुरू कर दिया है।

(ग) तीन लाइसेंस प्रतिसंहृत कर दिए गए हैं तथा 14 लाइसेंसों के मामले में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। शेष 59 लाइसेंस कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना करना

3910. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1978-79 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र अन्दमान तथा निकोबार द्वीप-समूह में इस क्षेत्र के औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कोई परियोजनाये स्थापित करने की योजना बना रही है ; और

(ख) क्या वहां पर उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को कोई विशेष प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईती) : (क) जी, नहीं। इस समय अंदमान और निकोबार द्वीप समह में सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने का उद्योग मंत्रालय के विचाराधीन कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह का सम्पूर्ण क्षेत्र औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ घोषित किया गया है और वह पिछड़े जिलों/क्षत्रों में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों को प्राप्त निदेश राज्य सहायता परिवहन संबंधी राजसहायता सावधि ऋण देने वाली संस्थाओं से रियायती वित्त की सुविधाएं मशीनों का आयात करने के लिए विशेष सविधायें कच्चे माल तथा अन्य प्रोत्साहन पाने के हकदार हैं ।

Dacoits in Bundelkhand, M.P.

3911. **Shri Narmada Prasad Rai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that new organised gangs of dacoits have become active in the Bundelkhand area of Madhya Pradesh who kidnap people and demand ransom;

(b) whether the police department of Madhya Pradesh have failed to smash the new gangs of dacoits, check the incidents of kidnapping and get the kidnapped people freed;

(c) whether the gang of dacoit Hari Singh succeeded in Kidnapping and escaping due to negligence of the police on the 26th October, 1977 in Banda area and if so, the action taken by the Madhya Pradesh Government in the matter; and

(d) whether Central Government propose to take prompt action to smash the gangs of dacoits in the Bundelkhand area in cooperation with the Government of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) to (d) : The required information is being collected from the Government of Madhya Pradesh and will be laid on the Table of the Sabha when it is received.

प्रिवी पर्स

3912. **श्री विनोद भाई बी० सेठ** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने भूतपूर्व नरेश एकमुश्त प्रिवी पर्स पाने के हकदार हैं;

(ख) भूतपूर्व नरेशों को दी गई कोई एकमुश्त की राशि क्या थी;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ कम मात्रा में प्रिवी पर्स को शुरू करने अथवा उस पर पुनर्विलोकन करने का है;

(घ) क्या यह सच है कि कुछ भूतपूर्व नरेशों को एकमुश्त राशि का भुगतान किया गया था जबकि अन्य नरेशों के मामले में इसमें अनावश्यक रूप से विलम्ब हुआ था और इसे देने से इंकार किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी राशि अभी दी जानी है और इसे कब दिया जायगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल): (क) और (ख): 28 दिसम्बर, 1971 से लागू संविधान (26 वां संशोधन) अधिनियम, 1971 द्वारा संविधान में अन्तः स्थापित अनुच्छेद 363 क से प्रिवी-पर्स समाप्त हो गए और उनसे सम्बन्धित सभी अधिकारों, दायित्वों और कर्त्तव्यों का उन्मूलन हो गया। तथापि, भारत सरकार ने भूतपूर्व नरेशों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान के रूप में एक मुश्त नकद राशि देने का निर्णय किया था ताकि वे परिवर्तित परिस्थिति में अपने को व्यवस्थित कर सकें और वे कठिनाइयों को कम कर सके। इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजना के अधीन, किसी भूतपूर्व शासक की मृत्यु होने के मामले में यह अनुग्रहपूर्वक अनुदान उसकी विधवा (विधवाओं) पुत्र (पुत्रों) अविवाहित पुत्री (पुत्रियों) और उसके पुत्र की पहले मृत्यु हो जाने पर उसकी विधवा को दिया जाना है। ऐसे भूतपूर्व शासकों की संख्या 276 थी जो इस प्रकार के अनुग्रहपूर्वक अनुदानों के लिए पात्र थे। उनमें से एक की अविवाहित ही मृत्यु हो गई थी और उसके मामले में कोई अनुदान प्रदान नहीं किया जा सका। अनुमोदित योजना के अनुसार 266 भूतपूर्व शासकों को 9,78,83,076 रुपए की अनुग्रहपूर्वक अनुदान मंजूर किये गये हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) और (ङ): केवल 9 भूतपूर्व नरेशों के मामले में अनुग्रहपूर्वक अनुदानों के रूप में लगभग 68 लाख रुपए की राशि अदा करनी बाकी है। इसके अलावा, दो भूतपूर्व राज्यों अर्थात् वासावाड और ध्रुवई के मामले में भारी संख्या में दावेदारों में से कुछ को इन दोनों राज्यों के लिए निर्धारित अनुग्रहपूर्वक अनुदान राशि का भुगतान मिलना है। सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा इस उद्देश्य के लिए बनाई गई योजना के अनुसार अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी कर दिए जाने के बाद उन्हें यह भुगतान तुरन्त कर दिए जाएंगे।

पोलिएस्टर और संश्लिष्ट रेशे से हाथ से कताई तथा बुनी गई खादी का उत्पादन

3913. **श्री आर० वेंकटरामन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलिएस्टर और संश्लिष्ट रेशे से हाथ से कताई तथा बुनी गई खादी का उत्पादन किया गया है;

(ख) क्या इनका वाणिज्यिक विपणन होगा; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क), (ख) और (ग) : मानव निर्मित रेशों जैसे पोलिएस्टर मिश्रित खादी के उत्पादन संबंधी योजना अभी प्रयोग स्तर पर है और उसके अर्थतंत्र का हिसाब नहीं लगाया गया है।

भूतपूर्व सैनिक कर्मचरियों को भूमि का आबंटन

3914. श्री गोविन्द मुण्डा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व सैनिक कर्मचारयों को भूमि के आबंटन के बारे में अपनी नीति का हाल में पुनर्विलोकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान, उड़ीसा राज्य में जिला-वार कितने भूतपूर्व सैनिकों को भूमि आबंटित की गई और विचाराधीन मामलों की संख्या क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : भूतपूर्व सैनिकों को भूमि का आबंटन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है ।

(ग) उड़ीसा के संबंध में अपेक्षित ब्यौरे उपलब्ध नहीं है । अपेक्षित सूचना भेजने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है ।

All-India Health Service

3915. **Shri Y. P. Shastri:**
Shri K. L. Lakkapa:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government had taken a decision three years ago to create an All India Health Service on the Pattern of I.A.S., I. P. S. and Indian Forest Service; and if so, the reasons for not implementing the same so far; and

(b) if not, whether Government are considering the question of forming an All India Health Service in the interest of maintaining high standard in health services and national integration?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S. D. Patil): (a) & (b): Statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

The All India Services Act, 1951, was *amended* in September, 1963 to provide for the creation, *inter alia,* of the Indian Medical & Health Service.

2. Formal orders under Section 24 of the All India Services Act, 1951, constituting the Indian Medical & Health Service, with effect from 1st February, 1969, were issued. The Rules regarding recruitment and cadre management were also finalised in consultation with the State Governments and the Union Public Service Commission and notified in the Gazette of India. However, no action could be taken either to constitute the State Cadres of the Service or to make initial recruitment thereto because seven State Governments (Assam, Jammu & Kashmir, Karnataka, Maharashtra, Punjab, Tamil Nadu and West Bengal), who had earlier agreed to participate in the Service, either withdraw their consent or expressed reservations about the need for the formation of this Service. As a result of further correspondence, the Governments of Assam, Karnataka, Punjab and West Bengal again agreed to participate in the scheme of the Service. The Governments of Maharashtra, Jammu & Kashmir and Tamil Nadu, however, even on reconsideration, reiterated their earlier stand not to participate in the scheme of the Service.

3. No final decision has been taken on whether the Cadres of the Indian Medical & Health Service should be constituted or not.

आपात काल के दौरान पंजाब में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को सेवा निवृत्त करना

3916. **डा० बलदेव प्रकाश :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात काल के दौरान पंजाब पुलिस से भारतीय पुलिस सेवा रैंक के कितने पुलिस अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था अथवा समय से पूर्व सेवा-निवृत्त कर दिया गया था;

(ख) क्या सरकार ने इन मामलों का पुनर्विलोकन किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण परिणाम रहे ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) पंजाब राज्य संवर्ग के तीन भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को आपात काल के दौरान समय से पूर्व सेवा निवृत्त कर दिया गया था।

(ख) और (ग) : जी हाँ, श्रीमान्। उपर्युक्त तीन अधिकारियों में से दो के समय से पूर्व सेवा निवृत्ति के निर्णय को पुनरीक्षण करने पर ठीक माना गया है। परन्तु तीसरे अधिकारी का मामला अभी विचाराधीन है।

पंखा रोड़, नई दिल्ली पर यातायात

3917. **श्री के० प्रकाश :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंखा रोड़, नई दिल्ली पर यातायात में काफी वृद्धि हुई है और वर्तमान एक लेन इस यातयात के लिए अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो इस सड़क को चौड़ा करने और यातयात के लिए एक दोहरी लेन की व्यवस्था करने के लिए (छावनी क्षेत्र में पड़ने वाले हिस्से को शामिल करके) क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में यातायात के गम्भीर अवरोध को दूर करने की दृष्टि से इस सड़क पर रेलवे क्रासिंग पर एक उपरि पुल अथवा उपमार्ग (सब-वे) का निर्माण करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है और इसका निर्माण कब शुरू किया जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां।

(ख) मौजूदा एक लेन (12 फुट) पंखा रोड़ को नजफगढ़ सड़क से रेलवे स्टेशन क्रासिंग तक दो लेन (24 फुट) के लिए पहले ही चौड़ा कर दिया गया है। नजफगढ़ सड़क क्रासिंग से मायापुरी क्रासिंग तक प्रत्येक (24 फुट) के लिए 4 लेन विभाजित यानमार्ग तथा मायापुरी क्रासिंग से रेलवे स्टेशन तक 3 लेन यान मार्ग (36 फुट) को चौड़ा करने का और कार्यक्रम पहले ही चल रहा है। छावनी के अधिकारियों से अपने क्षेत्र के भाग के चौड़ा करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ठोस विस्फोटक तरीकों द्वारा कोयला खनन

3918. **श्री बी० एन० सिंह :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकरण के पूर्व विस्फोटकों के जरिए ठोस विस्फोटन तरीकों द्वारा कोयला खनन, जिसकी खान सुरक्षा परिषद् के निदेशक द्वारा मनाई कर दी गई थी, की अब अनुमति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी कबसे अनुमति दी गई है और उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) व (ख) : ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके द्वारा केवल गैस वाली खानों को छोड़कर अन्य खानों में ठोस विस्फोटन तरीकों के प्रयोग पर प्रतिबंध हो। वास्तव में तो ठोस विस्फोटन की अनुमति सबसे पहले मुख्य खान निरीक्षक (महानिदेशक, खान सुरक्षा) ने 1968 में दी थी। ठोस विस्फोटन प्रणाली का प्रयोग करने से कोयला काटने की मशीनों और उनकी बिजली से चलने वाली सहायक मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती इसके द्वारा काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है क्योंकि इस प्रणाली से कोयला काटने की मशीनों के प्रयोग में निहित बार बार किया जाने वाला अपरिवर्तनीय काम नहीं करना पड़ता। ठोस विस्फोटन प्रणाली सुरक्षित और किफायती है।

Purchase of Cotton Bales, by Vinod Mills Co. Ltd., Ujjain from Cotton Corporation of India

3919. **Shri Rameshar Patidar :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state the number of cotton bales purchased by the Vinod Mills Co. Ltd., Ujjain (M. P.) during January-December, 1976 from the Cotton Corporation of India ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : 335 bales of cotton were purchased by the Vinod Mills Co. Ltd., Ujjain during 1976 (January-December) from the Cotton Corporation of India.

Contract to Bharat Heavy Electricals in Libya

3920. **Shri Bhanu Kumar Shastri :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the value in crores of rupees of the contract awarded to Bharat Heavy Electricals in Libya alongwith the main terms and conditions governing the contract; and

(b) the time by which the work will be completed?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) The value of contract awarded to BHEL in Libya is LD 32,393,157, which works out to Rs. 96.88 crores approximately, at the exchange rate of LD 1= Rs. 30. A statement, coverning the main terms and conditions of the contract is attached.

(b) : The commissioning dates of two units, under the contract, are as under :—

Unit I by 29th June, 1979.

Unit II by 29th December, 1979.

In terms of the contract, the Power Station has also to be operated and maintained for a period of 2 years by BHEL, with an option to the customer to extend this period for another 2 years.

STATEMENT

MAIN TERMS AND CONDITIONS

(A) Payment of the C&F Value of Plant imported to a Libyan Port shall be made in the following manner :—

(i) 20% within 45 days of signing the Contract paid by direct transfer in U. S. dollars to Contractor's bank at New Delhi. Release of this payment shall be conditional on :—

(a) Registration of the Contract and submission of a letter of guarantee from a Libyan Bank in the same currency both within 15 days of the signing of the Contract.

(b) The Contractor taking over the Site and receipt by the Engineer of the Master Programme Clause 6.06.

The letter of Guarantee will be reduced automatically by 20% of the value of each shipment.

(ii) 50% (i.e. upto 70% including advance payment) against each shipment on the presentation of shipping documents. All costs of storage and insurance incurred shall be borne by the Contractor.

The employer shall open an irrevocable divisible and confirmed letter of credit in U. S. dollars to cover the above payments valued at 50% of the C&F value. This letter of Credit shall be opened within three months of receipt by the employer of :—

(a) the draft of the Letter of Credit;

(b) the policy for Marine Insurance from a Libyan Insurance Company;

(c) a statement from the Contractor that the first shipment will be made within 3 months.

The Letter of Credit shall be in 3 stages. Each stage shall have a value equal to one third of the total value of the credit. The first stage shall be available at the date of opening of the Letter of Credit. The Letter of Credit shall be worded so that the increases at both the second and third stages shall be automatic when the value of the remaining credit has been reduced to below U.S. $ 2 million.

The charges for opening the Letter of Credit and increasing its value shall be borne by the Employer. Any charges for confirmation of the Letter of Credit shall be borne by the Contractor.

The Letter of Credit shall remain valid until 28 days after the final taking over certificates for the works. The Letter of Credit shall be worded so that the shipping documents include a certificate that the respective shipment has arrived at Tripoli Port.

(iii) 20% (i.e. upto 90% including advance payment) within 28 days of the issue of interim certificates on erection completion of major self-contained parts or sections of the Plant whose price is clearly stated in the Contract documents and Schedules of Prices, but not for work which is in advance of programme.

7—375 LSS/77

(iv) 5% (i.e. upto 95% including advance payment) within 28 days of the issue of interim certificates on Taking-Over.

(v) The balance of the C&F portion of the Contract Price within 28 days following the issue of Taking Over Certificates in exchange for a Letter of Guarantee from a Libyan Bank in the same amount valid until the end of the maintenance period.

The payments under (a) (iii), (a) (iv) and (a) (v) above will be paid by direct transfer in U. S. dollars to the Contractor's bank in New Delhi.

(B) The remainder of the Contract Price covering transport in Libya, Site erection, Civil Engineering Works, operating and maintenance staff and insurance shall be paid in Libyan Dinars. Payment of the Libyan Dinar portion shall be made to the Contractor's Local Bank in Tripoli in the following manner :—

(i) 20% within 45 days of signing the contract. Release of this payment shall be conditional on :—

(a) Registration of the Contract and submission of a Letter of Guarantee from a Libyan Bank in the same currency both within 15 days of the signing of the Contract.

(b) The Contractor taking over the Site and Receipt by the Engineer of the Master Programme Clause 6.06.

The Letter of Guarantee will be reduced automatically by 20% of the value of each interim certificate.

(ii) 70% (i.e. upto 90% including advance payment) of the value of the work duly certified within 28 days of the issue of interim certificates on a monthly basis.

(iii) 5% (i.e. upto 95% including advance payment) within 28 days of the issue of interim certificates.

(iv) The balance of the Libyan Dinar portion of the Contract Price, excluding Operating and Maintenance Staff, within 28 days following the issue of Taking Over Certificates in exchange for a Letter of Guarantee from a Libyan bank in the same amount valid until the end of the maintenance period.

(v) 80% (i.e. upto 100% including advance payment) of the value of services of operating and maintenance staff within 28 days of the presentation of monthly invoices.

Formation of Hindustan Paper Corporation

3921. **Shri Ram Murti :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the date on which the Hindustan Paper Corporation was formed and the total amount spent thereon so far;

(b) whether any units of the said Corporation has been commissioned; if not, the reasons therefor, and

(c) the countries visited by the Chairman of the said Corporation, the number of visits and the objects thereof together with the amount of expenditure incurred on each visit?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) The Hindustan Paper Corporation was incorporated on the 29th May, 1970. The total expenditure on various projects of the Corporation upto November, 1977 is Rs. 6,798 lakhs.

(b) There is, at present, only one running mill *viz.* Mandya National Paper Mills, a sick mill taken over by the Hindustan Paper Corporation on 2nd January 1974.

Approval was given in July 1972 for the setting up in Nagaland of an integrated Pulp & Paper Mill with a capacity of 33,000 tonnes per annum. The implementation of the project is in progress and it is expected to be commissioned by the end of 1978.

Setting up of a newsprint project in Kottayam District of Kerala State by the Hindustan Paper Corporation for the manufacture of newsprint of 80,000 tonnes per annum was cleared from investment angle in August, 1974. Substantial progress has been made in the implementation and the project is expected to be commissioned by tht middle of 1979.

Approval was given by the Government in March, 1977 for setting up of two integrated Pulp & Paper mills in the District of Nowgong and Cachar of Assam with a capacity of 1,00,000 tonnes per annum each. Orders for long delivery items like Power Boiler etc. have been placed during this year. The Nowgong Plant is expected to be commissioned by the end of 1980 and the Cachar Plant by the end of 1981.

(c) Details are given in the statement attached.

[Placed in Library. See No. L. T. 1359/77]

भारत औष्थालमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर में फाइबर ग्लास बनाने के लिए एक संयंत्र लगाना

3922. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत औष्थालमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर में फाइबर ग्लास बनाने के लिए एक संयंत्र लगाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र को कब चालू किया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माइति) : (क) और (ख) : मैसर्स भारत आप्थालमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर (बी०ओ०जी०एल०) को 4000 मी० टन प्रतिवर्ष फाइबर ग्लास का निर्माण करने के लिए 18-6-1977 को एक आशय पत्र स्वीकृत किया गया था। भारत आप्थालमिक ग्लास लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई संभाव्यता रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है। प्रस्तावित संयंत्र कब से चलने लगेगा यह अभी नहीं बताया जा सकता

भारतीय जन संचार संस्थान में "रीडर" की नियुक्ति

3923. **श्री पद्युम्न बाल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपात स्थिति के अन्यायपूर्ण दिनों में भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली के संकाय में एक 'रीडर' की नियुक्ति की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उस व्यक्ति के पास विज्ञापित पद के लिए अपेक्षित अर्हता और अनुभव है;

(ग) क्या यह सच है कि डायरेक्टर ने इसी संस्थान के एक प्रोफेसर को उस व्यक्ति के, जिसने यूनाइटेड किंगडम में पाठयक्रम में उपस्थित हुए बिना वहां से गलत प्रमाण-पत्र दिया है, कार्यकलापों की जांच करने के लिए नियुक्त किया; और

(घ) यदि कोई विषमता है तो अब तक इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है और तत्संबंधी मुख्य ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां। उक्त पद के लिए सम्बन्धित व्यक्ति का चयन आपातस्थिति की घोषणा से पहले किया गया था।

(ख) उक्त पद के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं अर्थात मास्टर डिग्री या समतुल्य, विशेष मामलों में शिथिल की जा सकती थी। पदधारी, जो बी०एस०सी० (होनर्स) है, को एक चयन समिति द्वारा योग्यता के आधार पर चुना गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय जन संचार संस्थान में भारतीय तथा विदेशी विद्वानों के बीच भेदभाव

3924. **श्री बाटचा डिगल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जन संचार संस्थान में, जहां तक कार्यक्षेत्र के दौरे, अध्ययन दौरे, छात्र वृत्तियां तथा अन्य बातो का सम्बन्ध है, भारतीय तथा विदेशी विद्वानों के बीच कोई भेदभाव बरता जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त संस्थान ने इस भेदभाव को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की है और उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) : कार्य क्षेत्र के दौरो, अध्ययन दौरों, तथा अन्य शैक्षिक और व्यावसायिक मामलो के लिए भारतीय और बिदेशी विद्वानों के बीच कोई भेदभाव नहीं बरता जाता। तथापि, प्रायोजित विदेशी विद्वानों को कोलम्बो योजना, विशेष राष्ट्रमंडल अफ्रीका सहायता कार्यक्रम, अंतराष्ट्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम तथा भारत और अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय सांस्कृतिक करारों के अंतर्गत छात्र वृत्तियों तथा अन्य भत्तों जैसे अतिरिक्त लाभ मिलते हैं जो भारतीय विद्वानो को उपलब्ध नहीं है।

संसाधनों का पता लगाया जाना

3925. **श्री राजकेशर सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकीकृत ग्रामीण विकास हेतु उद्देश्यपूर्ण तथा उत्पादन कार्यवाहियों के लिए औद्योगिक एककों को समर्थ बनाने की दृष्टि से सरकार द्वारा संसाधनों का पता लगाया जाना, जिसकी आवश्यकता होगी और जो देहातों में उपलब्ध हैं, आवश्यक है ;

(ख) क्या इस दिशा में प्रयास किए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस दिशा में प्रयासों को एकीकृत करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माइति): (क), (ख) और (ग) । ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-खेतिहर रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर एकीकृत ग्रामीण विकास किया जा सकता है । आवश्यक तथा उपलब्ध संसाधनों का पता लगने पर ही गैर-खेतिहर रोजगार के अवसरों को बढ़ाना संभव होगा । समय-समय पर संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित उपयुक्त कार्यक्रम बनाने के लिए स्थानीय संसाधनों का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण किए जाते हैं । ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम गैर-खेतिहर रोजगार के अवसर प्रदान करके एकीकृत ग्रामीण विकास में अपना योगदान देने का प्रयास करता है । स्थानीय संसाधनों के आधार पर गैर-खेतिहर रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड और अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड जैसे अभिकरण भी एकीकृत ग्रामीण विकास करने में सहायता कर रहे हैं । एकीकृत ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार समय-समय पर इन अभिकरणों के कार्यों का समन्वय करने के लिए उचित कदम उठाती है । सरकार यह भी जानती है कि एकीकृत ग्रामीण विकास करने के लिए सामाजिक कल्याण, संचार आदि जैसे कार्यक्रमों को साथ-साथ चलाना जरूरी है । ये कार्यक्रम हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के अभिन्न अंग हैं ।

21 कोका कोला बाटलिंग संयंत्रों में उत्पादन बन्द होने से हुई राजस्व की हानि

3926. **श्री मल्लिकार्जुन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जुलाई से देश में 21 कोका कोला बाटलिंग संयंत्रों में उत्पादन बन्द हो जाने के कारण हुई राजस्व की हानि के सम्बन्ध में सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है; और

(ख) वर्ष 1976 में इन 21 कोका कोला बाटलिंग संयंत्रों के चलने से उत्पादन शुल्क, बिक्री कर और चुंगी आदि के रूप में सरकार को कितना राजस्व प्राप्त होता था ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माइति) : (क) और (ख) । कोका कोला का उत्पादन बन्द होने के पश्चात् अनेक नये पेय बाजार में आ गये हैं । कोका कोला का उत्पादन बन्द होने के कारण राजस्व में हुई किसी प्रकार की घटा-बढ़ी के बारे में वित्त वर्ष समाप्त होने के बाद ही पता चलेगा । वित्तीय वर्ष 1976-1977 के दौरान कोका कोला सहित एरियेटेड वाटर की बिक्री से उत्पादन शुल्क के रूप में कुल 13.07 करोड़ रुपये की राशि का राजस्व प्राप्त हुआ था । प्रत्येक एकक के अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । चूंकि बिक्री कर और चुंगी कर राज्यों के विषय हैं, अतः कोका कोला बाटलिंग संयंत्रों के चलने से इन दोनों करों से राज्य सरकारों द्वारा अर्जित किए गए राजस्व की राशि के बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले नये उद्योगों से वसूल किया जाने वाला ब्याज

3927. **श्री आर० के अमीन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले नये उद्योगों से यद्यपि सरकार का 9 प्रतिशत ब्याज वसूल करने का प्रस्ताव था, परन्तु बैंक और अन्य वित्तीय संस्थायें ऊंची दर पर ब्याज वसूल कर रही हैं ;

(ख) जमीन, शैडों और अन्य वस्तुओं के आवंटन के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा किन-किन दरों पर ब्याज वसूल किया जाता है और सरकार ऊंची दर पर ब्याज वसूल करने से उन्हें किस प्रकार रोकेगी ; और

(ग) विभिन्न राज्यों में विभिन्न पूंजी ऋणों पर वसूल किये जाने वाले ब्याज का पृथक पृथक ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माइति) : (क) से (ग) : भारतीय विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) द्वारा चलाई जा रही रियायती वित्त योजना में आई०डी० बी० आई० से 6% के रियायती दर पर पुनः वित्तीयन का लाभ उठाते हुए चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों में हकदार बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 9.5% ब्याज दर पर ऋण स्वीकृत करने की व्यवस्था की गई है ।

अभी तक केवल राज्य वित्तीय निगमों ने ही आई० डी० बी० आई० की सुविधा से लाभ उठाया है और बैंकों ने पुनः वित्तीयन योजना का बहुत कम लाभ उठाया है । संघ वित्त मंत्री की अध्यक्षता में सरकारी क्षेत्र के चीफ एक्जीक्यूटिवों की हाल में हुई बैठक में इस पर सहमति हो गई थी कि वाणिज्यिक बैंकों को आई० डी० बी० आई० की पुनः वित्तीयन सुविधा से लाभ उठाना चाहिए तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए आ ई० डी० बी० आई के परामर्श से मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये ।

विभिन्न प्रकार के पुंजी ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज की दर प्रत्येक राज्य और योजना पर भिन्न-भिन्न होती है जो आम तौर पर क्रमशः 9.5% से लगभग $12\frac{1}{2}$ के बीच होती है ।

कैमरा बनाने वाले कारखाने

3928. **श्री राजे विश्वेश्वर राव** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हमारे देश में कैमरा बनाने वाले कितने कारखाने है ;

(ख) उन कारखानों के नाम क्या है;

(ग) क्या ये कैमरे अन्य देशों में बनाये गये कैमरों के साथ प्रतियोगिता करने योग्य हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो अन्य देशों के बराबर आने के लिए भारत सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) : संगठित क्षेत्र में कैमरों का निर्माण करने वाले दो एकक है । वे ये हैं :-

(1) नेशनल इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता ।
(भारत सरकार का उपक्रम)

(2) न्यू इण्डिया इन्डस्ट्रीज़, बड़ौदा ।

निम्नलिखित एकक लघु क्षेत्र में है :-

(1) कैमरा वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई ।

(2) स्टेण्डर्ड वर्कशाप, मद्रास ।

(3) दी स्टैण्डर्ड मशीनरी, मद्रास ।

(4) के० बी० इन्डस्ट्रो, लखनऊ ।

(ग) और (घ) : देश में अधिकतर बाक्स टाइप फोल्डिंग और प्रोसेस का ही निर्माण किया जाता है; फिर भी, मैसर्स न्यू इण्डिया इन्डस्ट्रीज केवल निर्यात करने के लिए 35 मि० मी० के जेबी कैमरे का निर्माण भी कर रही है ।

शौकीनों तथा पेशेवरों और रक्षा, पुलिस, अनुसंधान प्रयोग शालाओं आदि जैसे विभिन्न अभिकरणों के लिए अच्छी किस्म के कैमरों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 35 मि० मी० के लेन्स-शटर कैमरों तथा सिंगल-लेन्स-रिफ्लेक्स कैमरों का निर्माण करने को मैसर्स नेशनल इस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता की योजना को स्वीकृति दे दी है । मैसर्स रेगूला वर्की के० जी० पश्चिमी जर्मनी के साथ विदेशी सहयोग करने के लिए भी स्वीकृति दे दी गई है तथा इसका उत्पादन हाल ही में शुरू कर दिया गया है । अन्य देशों में बनाए जा रहे कैमरो की तुलना में किस्म को देखते हुए ये कैमरे अच्छे होते हैं ।

सिलघाट और तेजपुर के बीच ब्रह्मपुत्र पर पुल का निर्माण

3929. **श्री पूर्ण सिन्हा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिलघाट और तेजपूर के बीच दूसरे पुल का निर्माण करने के लिए धन की मंजूरी के लिए उत्तर पूर्वी परिषद से मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों किनारे पर रहने वाले असम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस पुल के निर्माण के लिए धन देने का विचार है ; और

(ग) पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल): (क) 1978-79 के लिए वार्षिक योजना के मसौदे में उत्तर पूर्वी परिषद में प्रस्ताव किया है कि यह परियोजना एक केन्द्रीय योजना के रूप में ली जाए अथवा एक क्षेत्रीय परियोजना के रूप में इसके निर्माण के लिए विशेष आबंटन किया जाए ।

(ख) वार्षिक योजना का मसौदा योजना आयोग में विचाराधीन है । परियोजना के निधिकरण के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सैनिक कर्मचारियों को पेंशन

3930. **श्री बलदेव सिंह जसरोतिया :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक कर्मचारियों की पेंशन के लिए अर्हक सेवा हेतु किसी रैंक में 2 वर्ष की सेवा की शर्त पर सरकार पुनर्विचार कर रही है ताकि उसे केन्द्रीय सरकार के असैनिक के कर्मचारियों के स्तर पर लगाए जा सके जिनका पेंशन का निर्धारण गत दस महीने के वेतन के आधार पर होता है, जबकि पहले 3 वर्षीय वेतन के आधार पर होता था ;

(ख) क्या वे सैनिक कर्मचारि, जो एक दिनके लिए भी स्थायी रैंक पर नियुक्त होते हैं, उस रैंक भी पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं जो अन्यथा उपर सेवा अवधि के आधार पर पेंशन प्राप्त करने के हकदार होते हैं ;

(ग) क्या जिन्हें अनुभव के आधार पर रैंकों से एस० एल० अधिकारियों के रूप में कमीशन दिये जाता है उन के और अन्य जो ० डो० अधिकारियों के बोच कार्यकारो तथा स्थायो रैंक दिये जाने में असंगति है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस असंगति को दूर करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख) : सैनिक पेंशन संहिता और सिविल पेंशन संहिता में मूल-भूत अन्तर है। सिविल नियमों के अन्तर्गत पेंशन को गणना पिछले दस महोनों को औसत परिलब्धियों के आधार पर को जाती है, जबकि सैनिक पेंशन का निर्धारण प्रत्येक रैंक के अधिकतम वेतन के आधार पर किया जाता है। परन्तु सेना कार्मिकों को किसो विशिष्ट रैंक को पेंशन का हकदार बनने के लिए उस रैंक में कम से कम 2 वर्ष को सेवा करनो होतो है भलेहो उस रैंक में वे स्थायो आधार पर अथवा सवेतन कार्यकारो आधार पर नियुक्त हो। 1-3-76 से प्रभावो सरकारो आदेशों के परिणाम स्वरुप, जिनके अन्तर्गत सिविल पेंशन को गणना, 36 महोनों को औसतन परिलब्धियो के स्थान पर 10 महीनों की औसतन परिलब्धियों पर की जाती है, इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि क्या सेना कार्मिकों के मामले में नियमों को उदार बनाने को कोई आवश्यकता है।

(ग) जो हां, विशेष सूची अफसरों तथा नौसेना और वायुसेना के तदनुरुपी अफसरों का पूर्ण रुप से एक अलग संवर्ग होने के कारण उनको पदोन्नति के नियम को नियमित कमीशंड अफसरों को लागू नियमों से भिन्न हैं।

(घ) सरकार इस प्रकार के किसो प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहो है।

पांडिचेरी में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने वाले विदेशियों की संख्या

3931. **श्री वेणु गोपाल :** क्या गृह मंत्रो यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) अरविन्द सोसायटो के तत्वाधान में पाण्डिचेरो / तमिलनाडू में आरोविल्ले में रहने के लिए कितने विदेशियों को वोसा दिया था;

(ख) क्या यह सच है कि ये व्यक्ति वोसा को अवधि समाप्त हो जाने के बाबजूद भारत में रह रहे है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह भो सच है कि ये आव्रजक देश के कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं तथा इन आमन्त्रित व्यक्तियों के प्रयोजकों ने इन विदेशियों के अच्छे सद्व्यवहार के लिए दी गई गारंटी वापस ले ली है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) अरविन्द सीसाइटी के प्रयोजन में पिछले कई वर्षों से आरोविल्ले में विदेशी आते रहे हैं। चूंकि जिस अवधि के लिए सूचना मांगी गई है, विनिर्दिष्ट नहीं की गई है, अत: ठीक ठीक संख्या बताना संभव नहीं है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) आरोविल्ले में दो दलों के बोच विवाद होने के कारण कानून उल्लंघन को कुछ घटनाएं हुई है। कुछ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

Hampering of Development in Industry, Agriculture and Construction of Houses due to Shortage of Cement

3932. **Shri Ganga Bhakt Singh :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether the development activities in the fields of industry, agriculture and construction of houses have been hampered as a result of acute shortage of cement in the country and the estimated demand of cement at present;

(b) the estimated production of cement during the current year and the production thereof last year; and

(c) The steps being taken to increase its production in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) & (b) : The estimated production of cement during 1977 is 19 million tonnes as against 18.61 million tonnes during 1976. In spite of high production shortages have developed on account of higher demands for consumption of cement from the Government Departments and for industry, agriculture and housing. These demands are being met to the extent possible. There have been no reports of any major set-back to developmental activities for want of cement.

(c) Government are implementing several measures aimed at increasing production by the existing units, installing additional capacity and for the conservation and better utilisation of cement. The more important steps include the installation of precalcinators and greater use of slag, fly ash and other pozzolanic material; setting up of new cement plants at the location of steel plants to utilise local slag and limestone; establishment of mini cement plants to utilise smaller limestone deposits and also expediting the construction schedules of new units and expansions.

खदान खनन क्षेत्र (क्वैरी माइनिंग एरिया) की भूमिगत खान के विस्तार के कारण डी० वी० सी० को हुई हानि

3933. **श्री राम दास सिंह :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खदान खनन क्षेत्र की भूमिगत खान का विस्तार करने के बारे में कोल इंडिया लिमिटेड और सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड को दिए गए उनके आदेशों को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ;

(ख) डी० वी० सी० को इसके कारण कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या उनके आदेशों का पालन न किये जाने के कारण डी० वी० सी० और श्रमिकों को हो रही हानि की प्रतिपूर्ति की जाएगी ; और

(घ) क्या उक्त आदेशों को क्रियान्वित करने के लिए कोई तिथि निर्धारित की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क), (ख), (ग) व (घ) : दामोदर घाटी निगम की बरमो खान के विस्तार के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड को कोई आदेश नहीं दिए गए हैं। इसलिए भाग (ख), (ग) और (घ) के उत्तर का प्रश्न ही नहीं उठता । किन्तु दामोदर घाटी निगम ने कोल इंडिया लिमिटेड से यह अनुरोध किया है कि उनकी बरमो खान के निकटवर्ती कुछ कोयलाधारी क्षेत्र उन्हें दे दिए जाएं ताकि वे भूमिगत खानों में होने

वाली कठिनाइयों को दूर कर सकें। कोल इंडिया लि०, सेन्ट्रल कोलफील्डस लि० और दामोदर घाटी निगम में आपसी बातचीत के बाद कोल इंडिया लि० कारगली कोलियरी के पट्टे वाले क्षेत्र में से 100 एकड़ क्षेत्र देने के लिए सहमत हो गया है ताकि दामोदर घाटी निगम अपनी विद्यमान जनशक्ति का उपयोग कर सके। क्षेत्र के इस हस्तातंरण के लिए समझौते का मसौदा कोल इंडिया लि० ने बनाया है और उसे दामोदर घाटी निगम के पास विचार और सहमति के लिए भेज दिया गया है।

News Agencies forced to extend help to Samachar

3934. **Shri Ram Sagar:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the names of the news agencies which have written to Government that they were forced to extend cooperation to 'Samachar'; and

(b) the details of the letters of each such agencies?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): (a) and (b): The Dass Committee are reported to have received some complaints to this effect by Shri D. V. Gandhi, former General Manager, Samachar Bharthi, and Shri G. G. Mirchandani, former General Manager, U. N. I.

507 आर्मी बेस वर्कशाप काकिनाडा के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे

3935. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या लगभग 700 असैनिक कर्मचारियों के लिए 507 आर्मी बेस वर्कशाप काकिनाड़ा के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे की राशि पिछले पांच वर्षों में लगभग 10 लाख से 12 लाख रुपये प्रति वर्ष है जबकि लगभग 1000 असैनिक कर्मचारियों के ई० एस डी० (एम) के दावों की राशि लगभग 3 लाख रु० प्रति वर्ष है और दोनों एकक एकही स्थान पर एक ही परिसर में एक जैसी स्वास्थ्य परिस्थितियों में स्थित है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सूर्य इण्डिया और सूर्य इण्टरनेशनल को दिए गये विज्ञापन

3936. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975–76 और 1976–77 के दौरान विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय तथा अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा सूर्य इण्डिया और सूर्य इन्टरनेशनल पत्रिकाओं को दिए गये विज्ञापनों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या ये विज्ञापन देने के लिए किसी मानदण्ड का अनुसरण किया गया था और यदि हां, तो किस मानदण्ड का ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) 1976–77 में विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने "सूर्य इण्डिया" को दो विज्ञापन जारी किए थे। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने "सूर्य इण्टरनेशनल" को कोई विज्ञापन जारी नहीं किया। मार्च 1977 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा "सूर्य इण्डिया" को लगभग 60,420 रुपए के मूल्य के विज्ञापन जारी किए गए थे।

(ख) एक विवरण जिसमें मानदण्ड दिया हुआ है, संलग्न है। ये अब सरकार की नई विज्ञापन नीति द्वारा बदल दिए गए हैं। पहले के मानदण्ड के अंतर्गत भी "सूर्य इण्डिया" को जो विज्ञापन दर दी गई, वह उचित नहीं थी। उस समय प्रचलित दर ढांचे के अनुसार पत्रिका को देय दर प्रति पृष्ठ 686.40 रुपए था, किन्तु उसको 4,000/– रुपए प्रति पृष्ठ दिया गया।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1360/77]

Residents Welfare Associations

3937. **Shri T. S. Negi**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether during emergency Government decided to formulate a model constitution for the residents' welfare societies and name them as Kendriya Karamchari Awasiye Kalyan Samiti (Central employees residents welfare society);

(b) if so, whether by naming these societies as "Kendriya Karamchari Awasiye Kalyan Samiti", its grants are being utilised for the welfare of all the Government employees living there; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh): (a) With a view to bringing about some uniformity in the framing of bye-laws by the welfare associations getting grants-in-aid from the Government, a model constitution, to be suitably adopted by them, was circulated to all concerned by the Department of Personnel in April, 1976. On the question of naming of the associations, it was suggested that it would be appropriate to name them as "Kendriya Sarkari Karamchari Niwasi Kalyan Sangh (Central Government Employees Residents Welfare Association)" followed by the name of the colony, etc.

The formulation of a model constitution was not connected in any way with the declaration of emergency, and in fact the preliminary work connected with the framing of the model constitution had commenced before the emergency was declared.

(b) The grants given by the Government to recognised welfare associations are expected to be utilized by them for all legitimate welfare activities of its members in particular, and all Government servants living in that area in general. Government have no reason to doubt the proper utilization of the grants given.

(c) Does not arise.

दैनिक और दैनिक सांध्य समाचारपत्रों को दृश्य एवं श्रव्य प्रचार निदेशालय द्वारा विज्ञापन

3938. **श्री सो० आर० मुंडा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी भी दैनिक / दैनिक सांध्य समाचार पत्र के लिए सरकारी विज्ञापनों को प्राप्त करने के लिए क्या अपेक्षित अर्हतायें/अनिवार्य अर्हतायें हैं ;

(ख) उन दैनिक/दैनिक सांध्य समाचारपत्रों के नाम क्या हैं जिन्हें दृश्य एवं श्रव्य प्रचार निदेशालय ने अब तक सरकारी विज्ञापन नहीं दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) सरकारी विज्ञापनों को जारी करने का मानदंड सरकार की विज्ञापन नीति में दिया हुआ है । जिसकी एक प्रति संलग्न है ।

(ख) ऐसा कोई दैनिक/दैनिक सांध्य समाचार पत्र नहीं है जिसे विज्ञापन नीति की आवश्यकताओं के अनुसार सरकारी विज्ञापनों के लिए स्वीकृत किया गया हो और विज्ञापन नहीं दिया जा रहे हो ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या० एल० टी० 1361/77]

मजगांव गोदी के कर्मचारी

3939. **श्री डा० बापू कालदाते** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र श्रमिक संघ मान्यता और अनुचित श्रम प्रक्रिया निवारण अधिनियम, 1971 की मजगांव गोदी कर्मचारियों पर लागू किया गया है ;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने वार्ता के उद्देश्य से केवल एक संघ को मान्यता दी है; और

(ग) क्या सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त संघ से वार्ता आरम्भ की है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : दो प्रतिस्पर्धी यूनियनों अर्थात् डाकयार्ड लेबर यूनियन और मजगांव डाक एम्पलाईज यूनियन को मान्यता देने का प्रश्न उपर्युक्त अधिनियम की धारा 11 के अंन्तर्गत औद्योगिक न्यायालय के विचाराधीन है। इस दौरान इन संघों द्वारा उठाए गए मामलों पर मजगांव डाक प्रबन्धक वर्ग समय समय पर इन दोनों संघों के साथ विचार विमर्श करता रहता है ।

देश में नौसेना उपकरण के विकास पर वर्षवार व्यय

3940. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान नौसेना उपकरण के देश में विकास पर वर्ष-वार कितना खर्च हुआ है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : सरकार के विभिन्न संगठनों द्वारा पिछले तीन वर्षों में नौसेना उपस्कर के देश में विकास पर किए गये व्यय का स्थूल अनुमान इस प्रकार है :–

1974–75	269 लाख रु०
1975–76	488 लाख रु०
1976–77	769 लाख रु०

श्रमिक संघों को मान्यता देने के लिए निदेश

3941. **श्री वयालार रवि :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में श्रमिक संघो को मान्यता देने के लिये मंत्रालय ने कोई निदेश जारी किया है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अखबारी कागज परियोजनाओं में प्रगति न होना

3942. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक मंजूर शुदा अखबारी कागज परियोजनाओ में प्रगति बहुत कम हुई है या बिल्कुल नहीं हुई है, और यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ख) यथा शिघ्र बाधाओं को दूर करने और मंजूर शुदा परियोजनायों को पूरा कर ने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) अखबारी कागज परियोजनायों के लिए जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों कि स्थिति इस प्रकार है :–

1. **नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स की विस्तार योजना :** दि नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स नेफानगर अपनी वार्षिक क्षमता का 30,000 मी० टन से 75,000 मी० टन तक विस्तार कर रहा है। यह विस्तार योजना लगभग पूरी होने वाली है तथा चालू वर्ष में इसका उत्पादन 60,000 मी० टन तक पहुंच जाएगा। विस्तार योजनामें देरी का कारण अधिष्ठापित उपकरणों के खराब डिजाइन होना था। इन दोषो को अब दूर कर दिया गया है तथा संभवतः यह अगले वर्ष तक पूरी हो जाएगी।

2. **केरल न्यूजप्रिंट परियोजना :** दि हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन ने केरल राज्य में वेल्लूर में 80,000 मी० टन की वार्षिक क्षमता वाली अखबारी कागज की एक मिल लगाने में काफी प्रगति की है। भूमि मिल गई है तथा जहां संयंत्र लगाया जाना है उस स्थान को समतल बना दिया गया है। फैक्टरी तथा बस्ती का निर्माण कार्य चल रहा है और अवस्थापना संबंधी सुविधाओं का विकास कार्य पूरा किया जा रहा है। संयंत्र तथा उपकरणों के अधिकांश आदेश दिए जा चुके हैं तथा कुछ उपकरण परियोजना स्थल पर पहुंच गये हैं। यह परियोजना वर्ष 1979 में उत्पादन करना शुरू करेगी।

3. **न्यूजप्रिंट प्रोजेक्ट आफ मैसूर पेपर मिल्स :** मैसूर पेपरमिल्स को 75,000 मी० टन अखबारी कागज का वार्षिक उत्पादन करने के लिए पर्याप्त विस्तार करने हेतु एक औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया है। यह फर्म आवश्यक वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था कर रही है।

नए एकक स्थापित करने हेतु निम्नलिखित फर्मो को भी आशय पत्र जारी किए गए हैं :–

एकक का नाम	स्थान	वार्षिक क्षमता (मी० टनों में)
1. मे० हरगोलाल एण्ड सन्स . .	पंजाब	30,000
2. मे० रामगंगा पेपर मिल्स . . .	उत्तर प्रदेश	30,000
3. मे० वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डिप्लायमेंट कारपोरेशन	पश्चिम बंगाल	60,000
4. मे० सेंचुरी पल्प . . .	उत्तर प्रदेश	20,000
5. मै० इंडिया पेपर पल्प मिल्स . .	पश्चिम बंगाल	15,000
6. श्री बी० डी० सोमानी . . .	उत्तर प्रदेश	50,000

उपयुक्त एककों में से किसी भी एकक ने कोई सराहनीय प्रगति नहीं की है।

(ख) सरकार ने अखबारी परियोजनाओं को उपकरणों का आयात करने की अनुमति दे दी है तथा केरल न्यूजप्रिंट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन् में सहायता देने हेतु एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति की सलाह देने वाली फर्म को नियुक्त किया गया है। अखबारी कागज परियोजनायों के क्रियान्वयन में बड़ी समस्या पूंजीगत लागत का अधिक होना और कच्चे माल का मिल पाना है।

राज्य से ट्रांसफारमरों के लिए मांग

3943. **श्रीमती मृणाल गोरे :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों ने अधिक मेगावाट शक्ति वाले ट्रांसफारमरों की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम और उनकी मांगे क्या है;

(ग) क्या उनकी मांगों के बारे में स्वीकृति दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) से (घ): राज्य बिजली बोर्डो, पब्लिक इलेक्ट्रिक युटीलिटीज़ तथा अन्य विद्युत परियोजना प्राधिकरणों द्वारा ट्रांसफार्मरों के लिए आर्डर निर्माताओं को सीधे ही दे दिए जाते हैं ।

उपलब्ध सूचना के आधार पर ब्यौरे संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1362/77]

सी० एस० आई० ओ० द्वारा विकसित किया गया इलेक्ट्रोनिक डेस्क कैलकुलेटर

3944. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल साइंन्टिफिक इन्स्टूमैन्टक्स आर्गनाइजेशन सी० एस० आई० ओ० चण्डीगढ़ ने एक इलेक्ट्रोनिक्स डेस्क केलकुलेटर का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस फर्म ने उस का सफलतापूर्वक वाणिज्यिक उत्पादन कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां, एक प्राईवेट फर्म द्वारा आयोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत ।

(ख) जी, नहीं, क्योकि जबतक स्वीकृति पत्र की मंजूरी फर्म को भेजी गई मोडेल पुराना हो गया था ।

पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था के बारे में जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की ओर से रिपोर्ट

3945. **श्री के० बी० चेतरी :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के बारे में जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की ओर से रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल राज्य में राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं तथा डराने-धमकाने की घटनाएं हो रही हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) जुलई 1977 से अब तक उस राज्य में कुल कितनी हत्याएं की गई हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) 27–10-77 को हुई पश्चिम बंगाल राज्य जनता पार्टी समिति की बैठक में पारित एक प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है जिसमें राज्य में विधि तथा व्यवस्था की तेजी से बिगड़ती स्थिति के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की गई है।

(ख), (ग) और (घ) : तथ्य मालूम किए जा रहे हैं।

अमरीका से आयातित रूई की घटिया किस्म

3946. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका से आयातित रूई का एक बड़ा भाग घटिया किस्म का पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या तत्संबंधी ब्यौरा है;

(ग) क्या भारत में कपड़ा मिलों ने इसके लिये मुआवजा मांगा है;

(घ) क्या माल की इस किस्म के विरूद्ध शिकायत के बारे में भारतीय रूई निगम ने अमरीका निर्यातकों से कोई बात-चीत की थी; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या परिणाम निकले?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) : भारतीय कपास निगम द्वारा संविदा की गई 3.7 लाख अमरीकी कपास की गांठों में से किस्म के बारे में विवाद केवल 58,285 गांठों के संबंध में उठा था।

(घ) जी, हां।

(ङ) 9,972 गांठों के बारे में छः दावे आपस में तय कर लिये गये थे। अन्य दावे संविदा की शर्तों के अनुसार मध्यस्थ निर्णय के लिये भेज दिये गये हैं। मध्यस्थ निर्णय संबंधी कार्यवाही चल रही है।

मानव उपभोग और औद्योगिक कार्यों के लिये नमक की आवश्यकता और किसी विशेष राज्य को आवश्यकता से अधिक नमक देना

3947. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को मानव उपभोग और औद्योगिक कार्यों के लिये कितने-कितने नमक की आवश्यकता है

(ख) क्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर नमक उत्पादन करके आवश्यकता पूरी नहीं की जा सकी;

(ग) यदि हां, तो आवश्यकता किस प्रकार पूरी की जाती है;

(घ) क्या सरकार का ध्यान किसी ऐसे मामले की ओर दिलाया गया है जिसमें किसी राज्य को उस की आवश्यकता से अधिक नमक दिया गया हो; और

(ङ) किसी राज्य में आवश्यकता से अधिक नमक ले जाने तथा अवैध तरीकों से पड़ौसी देशों में नमक की तस्करी करने के मामलों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जानकारी अनुबन्ध 1 में दी गई है ।

(ख) सभी राज्य/संघ क्षेत्र पूर्ण रूप से अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए नमक का पर्याप्त उत्पादन नहीं करते हैं ।

(ग) राज्यों और संघ क्षेत्रों को नमक की पूर्ति क्षेत्रीय योजनाओं जो सम्बन्धित राज्य सरकारों नमक उत्पादकों और रेल बोर्ड के परामर्श से तैयार की गई है, के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है । क्षेत्रीय योजना के अधीन वितरण के अलावा नमक की कुछ मात्रा जो नमक आयुक्त द्वारा प्रायोजित नहीं की जाती और व्यापार के सामान्य माध्यमों से भेजने की अनुमति दी जाती है ।

(घ) और (ङ) : देखा गया है कि उड़ीसा और बिहार राज्यों को उनकी चालू वर्ष की आवश्यकता के अनुपात से अधिक मात्रा में नमक भेजा गया है । इस प्रवृत्ति का पता चल जाने के बाद केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा और बिहार सरकारों को उनके सम्बन्धित क्षेत्रों से पश्चिम बंगाल को नमक भेजे जाने पर प्रतिबन्ध लगा देने का परामर्श दिया है । पश्चिम बंगाल, आसाम और त्रिपुरा की राज्य सरकारों से पड़ोसी देशों को नमक की तस्करी न होने देने के लिए आवश्यक अभ्युपाय करने का अनुरोध किया गया है ।

विवरण

मानव और औद्योगिक के उपयोग के लिए नमक की आवश्यकता बताने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	मानवीय खपत के लिए आवश्यक अनुमानित मात्रा	प्रमुख कास्टिक सोडा और सोडा ऐश उद्योगों के लिए आवश्यक मात्रा	कुल आवश्यक मात्रा
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश . .	3,00,000	53,600	3,53,600
2	अरूनाचल प्रदेश . .	3,500	..	3,500
3	आसाम . .	1,25,000	..	1,25,000
4	बिहार . . .	3,96,000	8,800	4,04,800
5	भूटान . . .	4,600	..	4,600
6	चंडीगढ़ . .	2,100	..	2,100
7	दिल्ली . . .	29,200	36,000	65,200
8	गुजरात . .	1,84,000	11,56,200	13,40,200
9	हरियाना . .	70,000	13,400	83,400

विवरण—जारी

1	2	3	4	5
10	हिमाचल प्रदेश . .	24,000	..	24,000
11	जम्मू और कश्मीर .	32,000	..	32,000
12	कर्नाटक . .	2,02,000	42,800	2,44,800
13	केरल . . .	1,47,000	57,800	2,04,800
14	मणिपुर . .	8,100	..	8,100
15	मध्य प्रदेश . .	1,91,000	1,40,800	4,31,800
16	महाराष्ट्र . .	3,48,000	2,11,400	5,59,400
17	मेघालय . .	7,600	..	7,600
18	मिजोराम . .	2,500	..	2,500
19	नागालैंड . .	3,900	..	3,900
20	उड़ीसा . . .	1,52,000	41,200	1,93,200
21	पंजाब . . .	94,000	..	94,000
22	राजस्थान . .	1,80,000	63,800	2,43,800
23	सिक्कीम. . .	1,900	..	1,900
24	तमिलनाडू . .	2,84,000	1,49,600	4,33,600
25	त्रिपुरा . . .	11,700	..	11,700
26	उत्तर प्रदेश . .	6,14,600	79,500	6,94,100
27	पश्चिम बगाल . .	3,07,000	40,600	3,47,600
28	गोवा, दमन एण्ड डियू .	..	..	..
29	पांडिचेरी .	..	..	..
	योग .	38,25,700	20,95,500	59,21,200

यूगोस्लाविया के ड्रेजिंग कन्ट्रेक्टर को मूल्य में हुई वृद्धि का भुगतान

3948. **श्री सुशील कुमार धारा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० आई० एम० (यूगोस्लाविया के एक ड्रेजिंग कन्ट्रेक्टर) को मूल्यों में हुई 75 लाख रु. की वृद्धि का भुगतान किया गया था और उसे उस समय के लिए भी भुगतान किया गया था जबकि उनके ड्रेजर चालू नहीं थे और सी० पी० टी० को डाक बेसिन में एक अतिरिक्त प्रवेश और निकास के लिए तीस लाख रूपये की अतिरिक्त राशि खर्च करनी पड़ी थी क्योंकि हल्दिया डाक बेसिन विशाखापतनम में ड्रेजिंग का काम पूरा करने से पूर्व ही विदेशी ठेकेदार के ड्रेजर को मुक्त कर दिया गया था, और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच और उचित कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) हल्दिया गोदी बेसिन और जलपाश द्वार के पहुंचमार्गों का निकर्षण कार्य 1966 में मैसर्स इवान मिल्यूतिनोविक पी० आई० एम० को सोंपा गया । लगभग आधा निकर्षण पूरा हो जाने के बाद, आगे का निकर्षण कार्य मार्च, 1968 में स्थगित करना पड़ा क्योंकि निकर्षण कार्य जारी रखने के लिए घाटों के निर्माण कार्य में काफी प्रगति नहीं हुई थी । ठेकेदारो कों विशाखापत्तनम में रक्षा मंत्रालय के आर्डर के निष्पादन के लिए निकर्षक ले जाने की अनुमति दे दी गई । जब कार्य पुनः शुरू करने का समय आया, तो ठेकेदार ने सूचित किया कि कार्य को पुराने दरों पर करना संभव नही है क्योकि मूल्य-ढांचे में असाधारण परिवर्तन हो चुका है और ठेका दरों में संशोधन को मांग को । विभिन्न विकल्पो पर विचार करने के बाद, फर्म से बातचीत को गई और 3.00 रूपये प्रति क्यू मी० के पहले मूल्य के स्थान पर 4.85 रुपये प्रति क्यू० मी० को नई दर पर सहमति हुई । इस दर पर लगभग 52.97 लाख क्यू० मी० मात्रा का निकर्षण किया गया ।

कलकत्ता पत्तन को हल्दिया गोदी बेसिन में अपना कार्य पूरा होने से पूर्व निकर्षक मूक्त करके गोदी बेसिन में आने और वहां से जाने के लिए ठेकेदार के निकर्षक के फालतू आने और जाने पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ा क्योंकि घाटो के निर्माण में कार्य को पर्याप्त प्रगति होने तक कार्य को जारी रखना तकनीकी तौर पर संभव नहीं था ।

(ख) कोई जांच आवश्यक नहीं समझी गई है ।

स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के मूल्यों में वृद्धि

3949. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ महीनों के दौरान स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के मूल्यों में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी, नहीं । सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर, 1977 में मूल्यों में स्थिरता बनी रही और नवम्बर, 1977 के अन्त में उनमें मामूली गिरावट की प्रवृति रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खनन के क्षेत्र में भारत और चीन के बीच सहयोग

3950. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दिल्ली में आयोजित "वर्ल्ड माइनिग कांग्रेस" (विश्व खनन सम्मेलन) में खनन के क्षेत्र में भारत और चोन में सहयोग पर चर्चा हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत पोलैण्ड संयुक्त कमीशन

3951. **श्री एम० जी० मुरुगयन** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वारसा में हाल में हुए भारत-पोलैण्ड संयुक्त कमीशन के पांचवें अधिवेशन के अन्त में भारत और पोलैण्ड ने संलेख पर हस्ताक्षर किये थे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी हां ।

(ख) भारत पोलैण्ड संयुक्त आयोग का पांचवां अधिवेशन पोलैण्ड के वारसा नगर में 4 से 8 अक्टूबर, 1977 तक चला । अधिवेशन की समाप्ति पर दोनों देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए । इस अधिवेशन में दोनों देशों के बीच आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग को लेकर भी प्रगति की समीक्षा की गई और उस पर संतोष व्यक्त किया गया । अधिवेशन के निष्कर्ष संक्षेप में नीचे दिए गए हैं :—

1. व्यापारिक आदान प्रदान :

भुगतान अधिशेष में घाटे को समाप्त करने के लिए भारत की ओर से यह सुझाव दिया गया कि पोलैण्ड भारत को यूरिया और डी० ए० पी० उर्वरक, रेपसीड आयल, रोल्ड स्टील उत्पाद, जस्ता और कैपोलैक्टम आदि अतिरिक्त मात्रा में दे सकता है । पोलैण्ड की ओर से पूंजीगत सामान देने का प्रस्ताव हुआ था—जहाज, खनन मशीने और उपकरण टेक्सटाइल मशीनरी, मशीनी औजार और निर्माण और इमारती मशीनरी ।

दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो गए कि तीसरे देशों में भारत हार्ड कोक की संयुक्त बिक्री की संभावना पर विचार किया जाए ।

इस बात के लिए सहमति हो गई कि वर्तमान व्यापारी और भुगतान समझौतों की निर्धारित अवधि बढ़ाने के बारे में भी विचार किया जाए ।

2. जहाजरानी और जहाज निर्माण उद्योग :

जहाजरानी के लिए एक नए समझौते के मसौदे पर विचार हुआ किन्तु समय की कमी के कारण इस बारे में कोई समझौता नहीं हो सका । इस बारे में निश्चय किया गया कि दिल्ली में जनवरी, 1978 में फिर विचार प्रारंभ किया जाए । दोनों पक्षों ने यह नोट किया कि रोफर जलयानों की खरीद के लिए भारतीय जहाजरानी निगम और सेन्ट्रोमोर के बीच बातचीत चल रही है । पोलैण्ड की ओर से भारत को जितने और जिस प्रकार के जहाजों की आवश्यकता हो वे देने का प्रस्ताव किया गया ।

दोनो पक्षों ने यह नोट किया कि भारत और पोलैण्ड के विभिन्न संगठनों में अनेक जलयानों के ऐसे संयुक्त डिजाइन बनाने के लिए सहयोग हेतु बातचीत चल रही है जो भारतीय जहाज मालिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप हों ।

यह निर्णय किया गया कि जहाज निर्माण के क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारत का एक प्रतिनिधि मंडल पोलैण्ड जाएगा ।

3. खनन और खनन मशीनरी :

दोनों पक्षों ने कोयला खनन के क्षेत्र में सहयोग में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। यह निर्णय किया गया कि पोलैण्ड के विशेषज्ञ इन बातों पर विचार के लिए भारत आएंगे—झरिया कोयला क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए साध्यता रिपोर्ट, झरिया कोयला क्षेत्र और सुदामडीह/मोनाडीह कोयला खानों के पुनर्गठन के लिए समुचित डिजाइन, झरिया कोयला क्षेत्र के विकास से सम्बध्द विशिष्ट समस्याओं के समाधान। दोनों पक्षों ने ईस्टर्न कोल फील्ड्स में दो शिफ्ट चलाने के बारे में तकनीकी विचार विमर्श में हुई प्रगति को नोट किया। सुदामडीह में कोयला तैयार करने के संयंत्रों के निर्माण से सम्बद्ध समस्याओं पर भी विचार विमर्श हुआ।

कोयला उद्योग में "एक बचाव संगठन" से सम्बद्ध मुद्दों पर विचार हुआ और भावी योजनाओं की रूपरेखा तय की गई। पोलैन्ड की ओर से यह प्रस्ताव भी रखा गया कि एक दीर्घकालीन समझौता किया जाए जिसके अधीन खनन मशीनरी की सप्लाई की जाए और साथ ही पोलैण्ड की प्रौद्योगिकी पर आधारित करके भारत में ऐसी मशीनरी का निर्माण भी किया जाए और खनन मशीनरी के क्षेत्र में भारतीय विशेषज्ञों को पोलैण्ड में प्रशिक्षण भी दिया जाए।

4. औद्योगिक सहयोग, इलैक्ट्रानिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी :

दोनों पक्षों ने यह अनुभव किया कि इस संबंध में विशेष रूप से कृषि पर आधारित उद्योगों, मशीनी औजारों और टेक्सटाइल मशीनरी और इलेक्ट्रानिकी आदि क्षेत्रों में और अधिक सहयोग के लिए गुंजाइश है।

दोनों पक्षों ने विशिष्ट मशीनरी और सामान के उत्पादन में सहयोग और तीसरे देशों को बाजारों में जरूरी संयुक्त बिक्री के लिए समझौतों का स्वागत किया। ये मशीनरी और सामान हैं—रासायनिक संयंत्र, चुकंदर और गन्ना-चीनी संयंत्र, रेंग-रोगन, रंग उत्पादन में बीच की सामग्री। दोनों देश इन समझौतों को प्रभावशाली और व्यावहारिक ढंग से और तेजी से कार्यान्वित करने के लिए सहमत हो गए। पोलैण्ड की ओर से कुछ विशिष्ट सामग्री भारत को देने और भारत के साथ मिलकर तीसरे देशों को देने और उसके संबंध में औद्योगिक सहयोग का प्रस्ताव किया गया। यह सामग्री है—निर्माण उपकरण, हेलीकाप्टर, कृषि विमानन सेवाएं, खाद्य पदार्थ, प्रसाधन, मशीनरी, डीज़ल इंजिन और डीजल जनरेटिंग सेट।

दोनों पक्षों ने पोलैण्ड की विज्ञान अकादमी और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बीच वैज्ञानिक सहयोग के समझौते का स्वागत किया।

5. मत्स्य ग्रहण केन्द्र :

दोनों पक्षों ने भारत के केल्विनेटर और पोलैण्ड के राइबेक्स विदेशी व्यापार उद्यम के बीच संयुक्त उद्योग स्थापित करने के लिए बातचीत में हुई प्रगति पर संतोष प्रकट किया। इस संबंध में योजना का निर्णय शीघ्र ही होगा।

मत्स्य-ग्रहण में प्रशिक्षण

पोलैण्ड मत्स्य ग्रहण कार्य में भारतीय कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए सहमत हो गया। इस बात पर सहमति हो गई कि भारत कुछ कार्मिक पोलैण्ड भेजेगा जिन्हें जलयान बेड़ा प्रबंध, मत्स्य

संसाधनों के जलयानी सर्वेक्षण, मिड वाटर ट्रालिंग विधियां और सम्बद्ध विशेषज्ञता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये लोग मत्स्य ग्रहण केन्द्रों आयोजन, संगठन, और विकास तथा मत्स्य प्रसाधन, यातायात, भंडार आदि की समस्याओं का अध्ययन करेगा।

पोलैण्ड मिड वाटर ट्रालिंग विधियों पर दो विशेषज्ञ भेजेगा जो भारत स्थित प्रशिक्षण संस्थानों से सम्बद्ध कर दिए जाएंगे।

मत्स्य ग्रहण जलयानों की खरीद

पोलैण्ड की ओर से मत्स्य ग्रहण जलयान सप्लाई करने में दिलचस्पी दिखाई गई। पोलण्ड में भारत में मत्स्य ग्रहण नौकाओं के यार्डों और बन्दरगाहों के आधुनिकीकरण विस्तार/डिजाइनिंग मे सहयोग देने का प्रस्ताव किया। परन्तु इस संबंध में यह स्पष्ट किया गया कि भारत ने स्वयं भी इन क्षेत्रों में काफी क्षमता ओजत कर ली है, फिर भी भारत पोलैण्ड की क्षमता के यथासमय उपयोग करने का ध्यान रखेगा।

6. **कृषि :**

पोलैण्ड भारत के इस अनुरोध पर विचार करने के लिए राजी हो गया कि भारतीय विशेषज्ञों का एक दल पोलैण्ड जाकर इन क्षेत्रों में पोलैण्ड की तकनीकों का अध्ययन करें—चारा उपजाना और पशूओं के मिश्रित चारे का उत्पादन, कुछ विशिष्ट व्यापारी किस्म के बीजों के साथ चुकन्दर का कृमि प्लाज्मा प्राप्त करना, रेपसीड आयल, सरसों और धनिया की कुछ विशेष किस्में प्राप्त करना।

7. **स्वास्थ्य, दूरदर्शन और रेडियो के क्षेत्र :**

दोनों पक्षों ने यह आशा प्रकट की कि स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधा, रेडियो और दूरदर्शन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत-पोलैण्ड समझौता शीघ्र ही किया जाएगा।

Appointment of officer of the Ministry of Finance as Executive Director of 'Samachar'

3952. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether an officer in the Ministry or in one of its attached departments was appointed as Executive Director of 'Samachar' in the beginning of the current year;

(b) if so, the basis on which the appointment was made and the special qualification of the concerned officer;

(c) whether the said officer is still working there or has been recalled;

(d) if recalled, the reasons therefor;

(e) whether the concerned officer was appointed because of his political connections; and

(f) if so, the action being taken by Government in this regard?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Lal Krishna Advani): (a) An officer of the Indian Economic Service working in the Bureau of Public Enterprises was deputed to 'Samachar' on 7th February 1977 (AN) for appointment as Executive Member.

(b) The Officer was selected for this appointment by 'Samachar' and Government have no information about the basis of this selection. He was Ph.D. in Economics from the London School of Economics. He also had some journalistic experience, having been editor of the B. P. E. magazine, 'Lok Udyog'.

(c) The services of the officer were replaced at the disposal of B. P. E. on 11th April 1977.

(d) It was decided to withdraw the officer as appointment of an official as Executive Director was not considered proper by Government.

(e) Government have no information. 'Samachar' asked for the services of the officer.

(f) Question does not arise.

Grants/Loans given to Madhya Pradesh for development of Adivasi areas

3953. **Shri Shyamlal Dhurve:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the amount of grants and loans given to the Madhya Pradesh Government by the Central Government for the development of Adivasi areas in the State during the last three years;

(b) whether Government have enquired as to how the money has been spent; and

(c) if so, the amount out of it utilized by the State Government?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal): (a) Grants given to the Government of Madhya Pradesh as Special Central Assistance for Tribal Sub-Plan areas are as under :—

(Rs. in lakhs)

1974-75	57.00
1975-76	506.00
1976-77	1097.00

(b) Yes, Sir.

(c) The estimated utilizations during the last three years are as follows: —

(Rs. in lakhs)

1974-75	12.01
1975-76	244.87
1976-77	1141.60

"इंडियन ओब्जरवर" पर मुकदमा चलाया जाना

3954. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाले एक अंग्रेजी सप्ताहिक 'इंडियन ओब्जरवर'; उसके मालिकों तथा सम्पादक पर गत 10 वर्षों के दौरान कितनी बार मुकदमा चलाया गया ;

(ख) प्रत्येक बार उस पर किन विशिष्ट आरोपों के आधार पर मुकदमा चलाया गया;

(ग) उसी अवधि के दौरान उनके विरुद्ध कितने आरोपों को वापिस लिया गया; और

(घ) प्रत्येक आरोप वापिस लेने के क्या कारण हैं तथा वे किन तिथियों को वापिस लिए गए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) बठारह ।

(ख) भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के अन्तर्गत आठ और प्रैस तथा पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 16-क के अन्तर्गत दस अभियोजन थे ।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भूतपूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी

3955. **श्री के० लक्कप्पा :**
डा० हेनरी आस्टिन :
श्री ओ० वी० अलगेशन :
श्री बी० राचैया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री की गिरफ्तारी के बाद अक्तूबर, 1977 में गिरफ्तार किये गये कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की कुल संख्या के बारे में रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो देश में कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये;

(ग) क्या यह भी सच है कि विभिन्न राज्यों में कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की जेलों में मृत्यु हो गई है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार कितने व्यक्तियों के मरने का समाचार मिला है और उनकी मृत्यु के कारण क्या हैं; और

(ङ) क्या जेलों में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा इन कार्यकर्ताओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया था ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क), (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) : राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार भूतपूर्व प्रधान मंत्री की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन के सम्बन्ध में 8,464 कांग्रेसी कार्यकर्ता गिरफ्तार किये गये थे । इनमें से 8,343 व्यक्तियों को बाद में रिहा कर दिया गया था । 85 वर्षीय एक कांग्रेसी कार्यकर्ता की जिला जेल मुरादाबाद में 22-10-1977 को मृत्यु हो गई । शव परीक्षा से पता लगा है कि मृत्यु प्रमस्तिष्कीय रक्तस्थानन

के कारण हुई राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इन कार्यकर्ताओं के साथ जेलों में बूरा व्यवहार नहीं किया गया था। परन्तु 12-10-1977 को जिला जेल मेरठ में कांग्रेसी प्रदर्शनकारियों द्वारा अनुशासनहीनता और विधि व व्यवस्था के उल्लंघन की घटना हुई, जिसमें 24 जेल कर्मचारी और 16 प्रदर्शनकारी जख्मी हुए थे। इस घटना की एक मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है।

बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तामिलनाडू राज्यों के सम्बन्ध में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

जनता पार्टी के कार्यालयों तथा नेताओं पर आक्रमण

3956. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री सुखेन्द्र सिंह :
श्री एस० एस० सोमानी :
श्री बापूसाहिब पल्लेकर :
श्री लक्ष्मण राव मानकर :
श्री ईश्वर चौधरी :
श्री यशवन्त बोरोले :
श्री रामजी लाल सुमन :
श्री केशवराव धोंडगे :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के कुछ भागों में समाज विरोधी तत्वों द्वारा जनता पार्टी के कार्यालयों और उसके नेताओं पर पूर्वनियोजित ढंग से हिंसा और आक्रमण करने की कार्यवाहियां की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कुछ संसद् सदस्यों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के ब्यौरे की सरकार को जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से पूछताछ की है जहां ये घटनाएं हुई है और जिन्होंने ऐसे तत्वों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है; और

(च) यदि हां, तो उन राज्य सरकारों ने क्या उत्तर दिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) : सरकार को, 3 अक्टूबर, 1977 को भूतपूर्व प्रधान मंत्री की गिरफ्तारी के फलस्वरूप महाराष्ट्र के कुछ नगरों में जनता पार्टी के कार्यालयों व दुकानों तथा जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मकानों पर आक्रमण के आरोप प्राप्त हुए हैं। तामिलनाडु और कर्नाटक से कुछ ऐसी घटनाएं होने के बारे में भी सूचना मिली है।

(ग), (घ), (ङ) और (च) : सरकार को महाराष्ट्र में हुई घटनाओं के बारे में एक रिपोर्ट मिली है। उसमें यह आरोप लगाया गया है कि उग्रवादी भीड़, गुंडागर्दी, सम्पत्ति के विध्वंस और राजनैतिक विरोधियों पर आक्रमणों में मग्न थीं और पुलिस उचित एहतियाती व सुधारात्मक उपाय करने में असफल रही। इन आरोपों को महाराष्ट्र सरकार के ध्यान में लाया गया है। राज्य सरकार को इन सभी आरोपों में उचित जांच और उपयुक्त कार्रवाई करने की भी सलाह दी गई है।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री के राज्यों के दौरे के समय हुए दंगे

3957. श्री प्रसन्नभाई मेहता :
श्री सी० के० जाफर शरीफ :
श्री के० मालन्ना :
श्री विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर, और नवम्बर, 1977 के महीनों में भूतपूर्व प्रधान मंत्री के राज्यों के दौरोंमें से उन राज्यों में दंगे और हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके दौरे के कारण इन राज्यों में हिंसा पर उतारू भीड़ पर मजबूर हो कर गोली चलानी पड़ी और इस कारण अनेक व्यक्तियों की जानें गई हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश में भी साम्प्रदायिक दंगे शुरू हो गये थे;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके उन भाषणों पर विचार किया है जिनमें हिंसा का प्रचार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या हिंसात्मक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार राज्यों में उनका जाना बन्द करने का है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार भूतपूर्व प्रधान मंत्री के दौरों के दौरान कुछ राज्यों में कई हिंसात्मक बारदातें हुई थी ।

(ख) 30 अक्तूबर को सेदापेट (मद्रास) में गोली चली जिसके परिणामस्वरूप तीन व्यक्ति मरे ।

(ग) पिछले चार महीनों के दौरान, लखनऊ और कानपुर से वर्गीय हिंसा की दो घटनाएं जिसमें सिया और सुन्नि अन्तर्गस्त थे और वाराणसो से साम्प्रदायिक हिंसा की एक गम्भीर घटना जिसमें हिन्दु और मुसलमान अन्तर्गस्त थे सूचित किये गये । सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री को उत्तर प्रदेश के दौरे का इन घटनाओं से कोई सम्बन्ध था ।

(घ) और (ङ) : सरकार उनके भाषणों के आधार पर राज्यों में उनके दौरों पर रोक लगाने का विचार नहीं कर रही है ।

Files relating to cases against former Defence Minister

3958. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether some files relating to the inquiry against the former Defence Minister, Shri Bansi Lal are missing; and

(b) if so, whether Government propose to investigate the matter?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S. D. Patil) : (a) and (b) : All files of the Central Government relating to matters connected with the inquiry by the Reddy Commission into the allegations against Shri Bansi Lal, ex-Defence Minister are in safe custody.

According to the information received from the Givernment of Haryana, some file/documents which may have relevance to the subject matter of the inquiry by the Reddy Commission, are missing and efforts are being made to locate them.

मिजोरम के विद्रोही नेताओं के साथ बातचीत

3959. **श्री यादवेन्द्र दत्त :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या गृह मंत्री 23 नवम्बर 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1207 के उत्तर के सबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बातचीत किसकी पहल पर प्रारम्भ की गई थी;

(ख) जब मिजोरम में शान्ति स्थापित हो चुकी है और मिजोरम में, एक निर्वाचित सरकार सामान्य रूप से कार्य कर रही है, तो बातचीत प्रारम्भ करने का क्या कारण था; और

(ग) बातचीत किस ढांचे के अंतर्गत हुई और किये गये और लागू किए गए निर्णय का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और क्या उपलब्धि है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) बातचीत श्री लालडेंगा के अनुरोध पर आरम्भ की गयी थी ।

(ख) लालडेंगा द्वारा बातचीत की प्रक्रिया आरम्भ किए जाने के बाद ही एम० एन० एफ० ने हिंसा को त्याग दिया है और सरकार सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों स्थगित करने के लिए सहमत हो गई । उस समय मिजोरम में चुनी हुई सरकार एम० एन० एफ० भूमिगत व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के पक्ष में थी ।

(ग) इस संबंध में भारत सरकार की स्थिति बिलकुल स्पष्ट है, अर्थात् मिजोरम देश का अभिन्न अंग है और कोई भी बातचीत संविधान की परिधि के भीतर करनी होगी । यह स्थिति लालडेंगा ने स्वीकार की थी और उसके आधार पर पहली जूलाई, 1976 को उसके साथ सहमति हो गई थी । उस सहमति के कार्यान्वयन के लिए बातचीत संतोष जनक रूप से चल रहीं है ।

हिंसा की घटनाओं से निपटने के बारे में गृह मंत्री का वक्तव्य

3960. **श्री के० ए० राजन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों की हिंसक घटनाओं के बारे में जब उनसे प्रश्न पूछा गया था, तो उन्होंने नीमच में प्रेस भेंट कार्यक्रम में यह कहा था कि सरकार ऐसी स्थिति में उसी प्रकार की कार्यवाही करेगी जैसी कांग्रेस ने केरल में कम्युनिस्ट सरकार के विरूद्ध की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की यह राय है कि उस समय कांग्रेस सरकार ने केरल सरकार के वि द्ध जो कुछ किया था, वह सही था ;

(ग) किन-किन राज्यों में हिंसक घटनायें होने का समाचार प्राप्त हुआ है ; और

(घ) ये घटनायें किस प्रकार की हैं ;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) 2 नवम्बर, 1977 को एक प्रेस भेंट कार्यक्रम में जब तामिलनाडु में घटनाओं और कांग्रेस शासित राज्यों में हुए हाल के दंगों के बारे में पूछा गया तो गृह मंत्री ने जो कहा था वह यह था कि केन्द्र कांग्रेस सरकारों के विरुद्ध कार्रवाई करना नहीं चाहेगी । लेकिन यदि वस्तुस्थिति सीमा के बाहर हैं तो वह उसी तरह कार्य करेगी जैसा कांग्रेस ने केरल में किया था ।

(ख) राष्ट्रपति ने इस विषय पर केरल राज्य के राज्यपाल से प्राप्त एक रिपोर्ट और अन्य सूचना पर विचार करने के बाद 31 जुलाई, 1959 को केरल राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन एक उद्घोषणा की थी । वह उद्घोषणा तत्कालीन संसद द्वारा अनुमोदित की गई थी । संसद ने विभिन्न राजनैतिक दलों की प्रतिक्रिया दोनों सदनों की कार्यवाहियों में उपलब्ध हो सकेगी ।

(ग) तथा (घ) : सरकार को 3 अक्टूबर, 1977 को भूतपूर्व प्रधान मंत्री की गिरफतारी के बाद महाराष्ट्र के कुछ शहरों में पार्टी के कार्यालयों, जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की दुकानों और मकानों पर आक्रमण के आरोप प्राप्त हुए हैं । इसी प्रकार की घटनाएं कर्नाटक और तामिलनाडू में भी हुई सूचित की गई थी । केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश से सार्वजनिक शान्ति भंग करने के कुछ प्रयासों की भी सूचना मिली थी ।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ-संचालक द्वारा भूतपूर्व प्रधान मंत्री को लिखे गये पत्रों का 'समाचार' द्वारा प्रकाशित पाठ

3961. **श्री वसन्त साठे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संघ-संचालक द्वारा आपात कालीन स्थिति के दौरान येरवद जेल से भूतपूर्व प्रधानमंत्री को लिखें गये पत्रों, जिन्हें हाल ही में महाराष्ट्र विधान सभा में रखा गया था, का समाचार द्वारा प्रकाशित सही पाठ दिया जाये और इन पत्रों की प्रति प्रस्तुत की जाये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 'समाचार' ने बड़ी सफाई से समस्त आपत्तिजनक अंश को छोड़ दिया है और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायतें मिली हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख द्वारा भूतपूर्व प्रधान मंत्री को लिखे 22/25-8-75 और 16-7-76 के पत्रों की प्रतियां जो महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त की गई हैं, तथा उनका 'समाचार'' का रुपान्तर संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1363/77]

(ख) 'समाचार' एक स्वतंत्र निकाय है और वह जिस सम्पादकीय नीति का अनुसरण करता है उस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार केन्द्रों द्वारा संसद सदस्यों के भाषणों का प्रसारण

3962. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश, जैसे राज्य में, जहां समाचारपत्रों का परिचालन अत्यन्त सीमित है, आकाशवाणी द्वारा कुछ संसद सदस्यों के संसद में दिए गए भाषणों का उचित प्रसारण नहीं किया जाता है ;

(ख) क्या ऐसे संसद सदस्यों को संसदीय कार्यवाही का आकाशवाणी द्वारा प्रसारण न किए जाने से मतदाता संसद में अपने प्रतिनिधियों के कार्य-निष्पादन को नहीं जान पाते ;

(ग) क्या सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत संसद की कार्यवाही को ऐसे सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के इलाकों में स्थित क्षेत्रीय समाचार केन्द्रों में उचित स्थान तथा प्रचार मिल सके ;

(घ) क्या उस इलाके के संसद सदस्यों के भाषणों का उचित प्रसारण करने के लिए क्षेत्रीय आकाशवाणी केन्द्रों को समाचार भेजने हेतु 3-4 पड़ौसी राज्यों में व्यक्तियों को नियुक्त करने का प्रस्ताव है ;

(ङ) क्या ऐसे प्रसारण के लिए संसद सत्र के दौरान क्षेत्रीय केन्द्रों से दिल्ली में आकाशवाणी के स्टाफ रिपोर्टरों को भी नियुक्त करने का प्रस्ताव है ; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसके क्या परिणाम रहे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क), (ख) और (ग) : आकाशवाणी के प्रादेशिक केन्द्रों से प्रसारित प्रादेशिक समाचार बुलेटिन मुख्यतया सम्बन्धित प्रदेश के बारे में समाचार तथा प्रदेश की रुचि के समाचार देने के लिए होते हैं । तथापि, आकाशवाणी ने हाल ही में एक ऐसी पद्धति चालू की है जिसके अन्तर्गत सर्वथा प्रादेशिक रुचि के प्रश्नों के संसद में दिए गए उत्तरों से सम्बन्धित समाचारों को सम्बन्धित प्रादेशिक केन्द्रों को प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में प्रसारण हेतु प्रेषित किया जाता है । यह समाचार के महत्व और उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ।

(घ) और (ङ) : इस प्रकार कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

Employees working in Shah Commission

3963. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Chitta Basu :
Shri Annasaheb P. Shinde :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of employees working in the Shah Commission at present;

(b) the period within which the Commission is likely to complete its work; and

(c) the estimated expenditure proposed to be incurred thereon?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) 322.

(b) As at present, the Commission is expected to complete its work by 30th June 1978, upto which date its term is being extended.

(c) The estimated expenditure on the Commission upto 31st December 1977 is Rs. 32.18 lakhs. This estimate will be revised depending upon the time taken by the Commission in completing its work.

भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा सशस्त्र सेनाओं की सहायता लेना

3964. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च 1977 में हुए लोक सभा के आम चुनाओ के दौरान कुछ निर्वाच न-क्षेत्रों सशस्त्र सेनाओं को तैनात करने के लिए भुतपूर्व प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधो द्वारा सेना अध्यक्षों को इस आधार पर आदेश दिये गये थे कि जन व्यवस्था के लिए सशस्त्र सेनाओं को उपस्थिति आवश्यक है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रो के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या ऐसी नियुक्ति को प्रासंगिकता पर स्थल सेनाध्यक्ष अथवा/और अन्य व्यक्तियों द्वारा कभी आपत्ति प्रकट की गई थो ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने सेना अध्यक्षों को ऐसे कोई आदेश नहीं दिए थे । फरवरी 1977 में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा कानून और व्यवस्था का पुनरोक्षण किए जाने के बाद और गृह मंत्रालय के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और बिहार में दरभंगा तथा भागलपुर में, पूर्णतया एहतियाती उपायों के रुप में इन क्षेत्रों में सिविल बल को सहायता के लिए सेना को तैनात किया था । इन सैनिकों कों किसी भी कार्य में सिविल प्राधिकारियो की सहायता के लिए नयीं बुलाया गया था ।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते हैं।

एस० आर० मिल्स, अकोला में कर्मचारी

3965. **डा० बापू कालदाते** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या एस० आर० मिल्स, अकोला (विदर्भ) में अनेक ऐसे कर्मचारी है जो सेवा के लिये लगभग आयोग्य हैं तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके सेवा में बने रहने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) सेवतराम राम प्रसाद मिल, अकोला में 60 कर्मचारी 60 वर्ष से अधिक की आयु के हैं । इसके अलावा 5 कर्मचारी ऐसे हैं जो वस्तुत: अशक्त तो नहीं परन्तु अपंगु हैं और उनकी उम्र 60 वर्ष से कम है ।

(ख) यह मिल समाप्त हो चुकी थी तथा 13 जून , 1967 में समापन के आदेश पास कर दिये गये थे । यह मिल सरकारी परिसमापक (लिक्विडेटर) से 15 अगस्त, 1965 को 'लोव एण्ड लाइसेंस' के आधार पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाथ में ले ली गई थी । बाद में केन्द्र सरकार ने रुग्ण कपड़ा उपक्रम (प्रबन्ध-अधिग्रहण अधिनियम, 1972) के अन्तर्गत यह मिल अपने हाथ में ले ली थी । अत: उपदान का भुगतान करने के लिए कानूनी दृष्टि से कर्मचारियों की 15 अगस्त, 1968 के पहले की सेवाएं गणना में नहीं ली जाती है । राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने सरकार से निवेदन किया है कि जब ये कर्मचारी 1968 से पहले की सेवाओं को कानूनन गणना में लिये जाने के हकदार नहीं हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि कर्मचारियो की इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये । यह मामला सरकार के विचाराधीन है । जब तक इस विषय पर अन्तिम निर्णय नहीं ले लिया जाता राष्ट्रीय कपड़ा निगम के प्रबन्धक यह महसूस करते हैं कि कर्मचारियों की सेवाएं उस समय तक चलती रहनी चाहिये जब तक कि वे स्वेच्छा से छोड़ कर न चले जायें ।

Increase in Price of 'Seemak' Sweater Knitting Machine by Singer Machine Company

3966. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Bharat Bhushan :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Singer Machine Company, the head office of which is in Bombay and Branch office in Connaught Place, New Delhi, has now raised the price of its Sweater knitting hand operated machine, named "Seemak" to Rs. eighteen hundred and fifty, which was rupees seven hundred five years ago;

(b) whether this company orders its agents to take rupees two hundred in advance from its customers for booking the machine; and if so, the reasons therefor;

(c) whether Government are also aware that the company propose to increase the price of this machine from rupees eighteen hundred and fifty to rupees twenty five hundred and whether such machines cannot be manufactured in the country so that the countrymen may get relief in the price; and

(d) the number of machines with the company at present and the names of the agents, city-wise who will be given these machines for sale indicating the dates on which these machines would be given?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) The selling prices of the Simac Art knitter DX 2000, as reported by M/s. Singer Sewing Machine Company, over the last five years are as follows:—

1972	Rs. 835/-
1973	Rs. 1,100/-
1974	Rs. 1,400/-
1975	Rs. 1,550/-
1976	Rs. 1,725/-

(b) The Company has reported that they do not have agents and distributors, but only authorised dealers to sell their products. The Company has further reported that neither any instructions nor any advice has been given by them to their dealers to take any advance from the customers.

(c) & (d): Taking into consideration increase in the price of imported components, increase in local manufacturing costs and the economic price which has to be charged in order that the local manufacturer may receive financial assistance from Banks, the Company has reported that the selling price is revised to Rs. 2,775 per machine. The machine is already being manufactured indigenously on the basis of imported components. The Company has 141 machines in stock, the majority of which require rectification and as such are not saleable in the market. As soon as machines are received from the manufacturer, they will be supplied through the authorised dealers' network spread all over India. Information regarding the list of authorised dealers is not available with the Government. However, it may be observed that supplies are still to be effected.

फर्गुसन ट्रैक्टरों का वितरण

3967. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैफे, मद्रास द्वारा निर्मित फर्गुसन टैक्टरों के वितरण पर रोक लगी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) : पसन्द माडल के ट्रैक्टरों को उपलब्ध कराया जा सके और उनका समान वितरण किया जा सके इसलिए निम्नलिखित मेकों का ट्रैक्टर (वितरण तथा बिक्री) नियंत्रण आदेश, 1971 के अधीन रखा गया है :—

मेक	द्वारा निर्मित
1. मेसी फर्गुसन (एम एफ-1035) 2. टैफे-504 . .	मे० ट्रैक्टर्स एण्ड फार्म इक्विपमेंट्स लिमिटेड, मद्रास ।
3. फोर्ड-3600	मे० एस्कार्टस् ट्रैक्टर्स लिमिटेड, फरीदाबाद ।

Survey of East Brahmaputra Valley

3968. **Shri Natverlal B. Parmar:** Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether National Geo-physical Research Institute is conducting a survey of East Brahmaputra Valley to explore oil and Natural Gas; and

(b) if so, the details thereof?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai): (a) & (b): Oil India Limited have entrusted the National Geo-physical Research Institute (NGRI), Hyderabad to conduct an aeromagnetic survey over an area of about 8900 sq. km. in the East Brahmaputra valley in Upper Assam and part of Arunachal Pradesh. Of the 8900 sq. km., an area of 3400 sq. km. in Ningru (Arunachal Pradesh) and the Assam valley will be flown at two altitudes for more detail structural information. The survey is expected to be conducted during the current winter season.

The purpose of the survey is to gather additional data of the basement configuration of this area which is expected to help in a better appreciation of the overall prospects.

Security deposit for passes issued by DTC

†3969. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether passengers are required to deposit security while they are issued passes by Delhi Transport Corporation;

(b) whether forms are to be filled again for the renewal of passes; and

(c) if so, the action being taken by Government to scrap the practice of depositing security money and filling again forms for renewal of passes?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram): (a) & (b): Yes, Sir.

(c) No such proposal is under consideration of the DTC at present.

DTC bus service from South Avenue to Birla Mandir

†3970. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether there is no D.T.C. bus service available for Birla Mandir and Paharganj from South avenue as a result of which the Members of Parliament, other persons and the students residing in this area have to face considerable difficulties in going from and coming to this place; and

(b) if so, whether bus routes Nos. 10, 88, and 90 running from Central Secretariat would be diverted by Delhi Transport Corporation to South Avenue; and if not, the reasons therefor?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram): (a) For going to Birla Mandir and Paharganj from South Avenue and *vice-versa*, convenient change over facilities are available at the central bus terminal near Central Secretariat.

(b) Extension of bus routes Nos. 10, 88 and 90 from Central Secretariat to South Avenue is not considered necessary by the Delhi Transport Corporation in view of the position indicated in reply to (a) above. The routing pattern of the Corporation has been redesigned on scientific basis and made direction oriented instead of destination oriented. For the convenience of passengers a number of exchange points have been established in the city with change-over facilities at the Central bus terminal near Central Secretariat from where high frequency bus services are available to the other exchange points. Under this patern, it is not possible to connect all localities of the city by direct services.

सेना में लैफ्टिनेंट कर्नल के पद के लिये चयन

3971. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के लिए प्रतिरक्षा सेवा विनियम, 1962 के नियम 66 के अनुसार लेफ्टिनेंट कर्नल और इससे ऊंचे पदो पर स्थायी पदोन्नति चयन बोर्ड द्वारा चयन करने के आधार पर होती है और सक्रिय सेवा के लिए संबंधित अधिकारा के स्वास्थ्य के डाक्टरी प्रमाणपत्र के अध्यधीन होती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या आन्तरिक आपात स्थिति की अवधि के दौरान उक्त नियम 66 का पूरी तरह से पालन किया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) लेफ्टिनेन्ट कर्नल और उससे ऊपर (आर्मी मेडिकल कोर (टेक्नीकल) और आर्मी डैन्टल कोर के अफसरों के मामले में कर्नल और उससे ऊपर) के सेलेक्शन रैंक पर कार्यकारी पदोन्नतियों के लिए अफसरों का चयन सेलेक्शन बोर्डों द्वारा किया जाता है । तद्नुरुपी स्थायी रैंक पर पदोन्नति का निर्धारण, अक्सर के कार्य, शारीरिक उपयुक्तता और अन्य निर्धारित शर्तों के आधार पर सरकार द्वारा किया जाता है ।

(ख) जी हां । आन्तरिक आपात स्थिति के दौरान इस नियम का पूरी तरह से पालन किया गया है ।

पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्रों का दिकास

3972. **श्री चित बसु** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्रों का व्यापक विकास करने के लिए सरकार की कोई केन्द्रोय परियोजना है ; और

(ख) क्या पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने सुन्दरबन का विकास करने के लिए कोई वित्तीय सहायता मांगी है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

"इन्दिरा प्लाट टू नैब बाबूजी फार मरडर" समाचार

3973. **चौधरी बलवीर सिंह :**
श्री चन्द्र शेखर सिंह

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या उनके मंत्रालय की जांच ऐजेंसी ने "इन्दिरा प्लाट टू नैब बाबजी फार मरडर" शीर्षक के अन्तर्गत दिनांक 10 सितम्बर, 1977 के "करेन्ट" साप्ताहिक द्वारा लगाए गए कूछ गम्भीर आरोपो के संबंध में कूछ ठोस पूछताछ की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : समाचार पत्र की रिपोर्ट का संबध संभवत: भारत रक्षा नियम की धारा 36/43 के साथ पठित भारतीय आयुध अधिनियम की धारा 25/54/59 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के अधीन थाना विनय नगर, नई दिल्ली में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट मामला सं० 356 की जांच पडताल से है । मामले में अभी जांच चल रही है ।

विदेशी धन का स्वदेश आना

3974. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी धन के किसी ऐसे मामले का पता लगया है जो गत 5 वर्षों में भारत में किसी व्यक्ति फर्म अथवा कम्पनी को प्राप्त हुआ तथा जो हाल में पारित विदेशी धन अधिनियम के नियंत्रण के अन्तर्गत आता है ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा यह राशि कितनी है और सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि अनेक प्रमुख राजनीतिज्ञों, राजनैतिक दलों, ट्रेड यूनियनों और अन्य लोगो ने विदेशी धन प्राप्त किया है जैसा कि तत्कालीन गृह मंत्री श्री यशवन्तराव चव्हाण ने चौथी लोक सभा में बताया था ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) उन व्यक्तियों, ट्रेड यूनियनों तथा अन्य एसोसिएशनों और राजनैतिक दलों के नाम क्या हैं जिन्होने गत तीन वर्षों में सरकार की सहमति से विदेशी धन प्राप्त किया।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) विदेशी धन (नियमन) अधिनियम, 1976 के लागू होने के बाद से, इस सीमा के भीतर आने वाले किसी व्यक्ति ने विदेशी धन प्राप्त नहीं किया है । फर्मो तथा कम्पनियों के इस अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी अभिदान लेने पर रोक नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) : जी हां, श्रीमान । परन्तु जैसा तत्कालीन गृह मंत्री ने भी बताया था, आसूचना ऐजेंसियों द्वारा एकत्र किए गए ब्यौरे बताना लोकहित में नहीं होगा ।

(ङ) केवल किसी राजनीतिक स्वरूप के संगठन न कि राजनीतिक दल, जो विदेशी धन (नियमन) अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत अधिसूचित किए जाते हैं, सरकार

को पूर्वानुमति से विदेशी धन स्वीकार कर सकते हैं । दूसरे व्यक्ति, दल अथवा एसोसिएशन पर या तो पूर्णतः प्रतिबंध है अथवा उनको अनुमति की आवश्यकता नहीं है। पूणा की समाजवादी महिला सभा को विदेशी धन (नियमन) अधिनियम, 1976 के लागू होने के बाद विदेशी धन प्राप्त करने की अनुमति दी गयी थी ।

कोयला खानों में सुरक्षा संबंधी समिति का प्रतिवेदन

3975. **श्री ए० के० राय :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 सितम्बर, 1976 को कलकत्ता में आयोजित कोयला खान सुरक्षा संबंधी समिति की चौथी बैठक का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कोयला खानों में सुरक्षा स्तर में सुधार करने हेतु कोयला खानों में दुर्घटनाओं को रोकने और खनिको के कल्याण हेतु सुविधाएं जुटाने के लिए समिति ने क्या विशेष सिफारिशें की हैं ; और

(ग) सरकार ने सिफारिशों को कार्यरूप देने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क), (ख) और (ग) : कोयला खानो में सुरक्षा संबंधी समिति को 9 सितम्बर, 1976 को बैठक के बाद निम्नलिखित विषयों के संबंध में सरकार को तीन अन्तरिम रिपोर्टें प्रस्तुत की गई :

(क) भारत कोकिंग कोल लि०, वेस्टर्न कोलफील्डस् लि० और सिंगरेनी कोलियरीज क० के अधीन 122 कोयला खानो में पानी के भराव/आग लगने वाले क्षेत्रों के मामले ।

(ख) खान अधिनियम का संशोधन ।

(ग) खानों में सुरक्षा संबंधी तीन सम्मेलनों की अनुशंसाएं ।

उपर्युक्त (क) पर उल्लिखित रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और इसमें निहित अनुसंसाओ के कार्यान्वित करने के लिए कम्पनियां कार्रवाई कर रही हैं । उपर्युक्त "ख" पर उल्लिखित रिपोर्ट पर ऊर्जा मंत्रालय ने पहले ही विचार कर लिया है और खान अधिनियम में संशोधन के समय विचार के लिए ऊर्जा मंत्रालय को अनुशंसाए श्रम मंत्रालय को भेज दी गई हैं । जहां तक उपर्युक्त (ग) पर उल्लिखित रिपोर्ट का प्रश्न है, इससे संबंधित मामले के कुछ पहलुंओ पर समिति और विचार कर रही है ।

सत्यजुग के विरुद्ध आरोप

3976. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको रजिस्ट्रार आफ न्यूज पेपर्स आफ इंडिया द्वारा 'सत्यजुग' के विरुद्ध 1975 में की गई जांच के बारे में 30 अक्तूबर, 1977 के 'न्यू एज' में प्रकाशित रिपोर्ट की जानकारी है ;

(ख) क्या यह रिपोर्ट सच है ; और

(ग) यदि हां, तो 'सत्यजुग' के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : "न्यू एज" में प्रकाशित इन आरोपों की सरकार द्वारा पहले भी जांच की गई थी । तथापि, इन जांचों से "सत्यजुग" के विरूद्ध लगाए गए आरोपों की स्पष्ट रुप से पुष्टि नहीं होती ।

Transport of Coal for Raniganj Collieries

3977. **Shri Ramanand Tiwary :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the quantity of coal extracted and transported outside from each colliery in Raniganj and the quantity of coal lying at colliery Depot; following the nationalisation of coal mines;

(b) whether the quantity of coal lying at colliery depot is the same as is entered in its register; and

(c) if not, the reasons for difference in the quantity of coal entered in the register and that lying at the depot and the action taken against the persons held responsible therefor?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

मोहन मिकिन्स ब्रूअरी लिमिटेड द्वारा शीतल पेय "इम्फल्स" का उत्पादन

3978. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सरकार ने डायरेक्टर श्री कपिल मोहन के नियंत्रणाधीन मोहन मीकिन्स ब्रअरी लिमिटेड तथा अन्य सहायक सुरा कर्मशालाओं को 'इम्फाल्स' नामक शीतल पेय के उत्पादन और विपणन की अनुमति दी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह आरोप लगाया गया है कि उपर्युक्त शीतल पेय में परिशोधित स्पिरिट मिली है जिसका स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव हुआ है ;

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या आरोप के बारे में कोई जांच की गई थी ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माइति) : (क) मे० मोहन मीकिन्स बेवरोज लि० को फल उत्पाद आदेश 1955 के अधीन फलो के रस, एरियटेड वाटर और अन्य पेयों सहित विभिन्न प्रकार के फल उत्पादनो का निर्माण करने का एक लाइसेंस प्राप्त है । सरकार को इस कं० द्वारा 'इम्फल्स' नामक मृदु पेय का उत्पादन या विपणन किए जाने की कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) से (ङ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

Recognition of the Trade Unions of the Jute Workers

3979. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether the trade unions of the jute workers have not been recognised so far by State Government as well as by the Central Government and whether 80,000 jute workers were removed from service during emergency; and

(b) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) & (b) : In a meeting taken by Union Commerce Minister at Calcutta on 3rd July 1977, the Commerce Minister requested the Jute industry to take early steps for the recognition of the Trade Unions and suggested that the Government of West Bengal should also consider taking up this issue. The matter has been taken up with the State Government concerned and is being pursued.

As a result of closure of Jute mills due to lockouts/strikes/work stoppages etc., a large number of workers were affected for varying periods. Steps have however been taken to open the closed Jute mills considered viable.

C.B.I. Enquiry against Ajudhia Textile Mills

3980. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Government have made any arrangement for investigation by C.B.I. to find out the reasons why the loss of Rs. 1½ crores is being suffered annually by the Ajudhia Textile Mills, Delhi since 1971;

(b) whether Government have received any complaints of irregularities from Kapra Mazdoor Ekta Union; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) No, Sir. The Ajudhia Textile Mill, which is under the management of National Textile Corporation (Delhi, Punjab & Rajasthan) Ltd. New Delhi, a subsidiary of the National Textile Corporation Ltd. was taken over under Industrial Development (Regulation) Act in June, 1971 and subsequently nationalised w.e.f. 1-4-74. As this was a sick unit, it has suffered from certain inherent disabilities accounting for persistent losses. Some of these factors are old and worn out machinery; higher incidence of interest burden; high labour ratio, and continuance of labour indiscipline resulting in the loss of productivity. The loss suffered by this unit in the year 1976-77 was Rs. 94.58 lakhs. A number of steps are being taken by the NTC to arrest these losses. These include the implementation of the Modernisation programmes, gradual introduction of profitable sorts, a proposal to set up a laboratory for testing raw materials, introduction of cost accounts control. Recently a Techno-Economic survey of the Mill has also been conducted to suggest ways and means for making this a viable unit. The recommendations of the Survey Team are under study of the NTC.

(b) and (c) : Some complaints were received from the Kapra Mazdoor Ekta Union mainly regarding faults in the purchase of stores and against the policies of the General Manager. The complaints are presently under investigation. On completion of the investigation, appropriate action considered necessary would be taken.

Setting up a Cement Plant in Bastar District by C.C.I.

3981. **Shri Govindram Miri :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state the time by which Cement Corporation of India will set up a Cement plant in Bastar district and when it will start production?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : The Cement Corporation of India has at present no proposal to set up a cement plant in Bastar district of Madhya Pradesh.

Revenue dues against Coal Mines

3982. **Shri Govindram Miri :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether a huge amount of the Government revenue from minerals is in dispute between the former owners of the non-coking coal mines and the Central Government as a result of nationalisation of these mines and whether it is still outstanding against them; and

(b) the progress of the cases pending at present in the court of compensation Settlement Commissioner Compensation Coal Mines, Calcutta ?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) Claims have been filed by the State Governments before the Commissioner of Payments for the arrears of royalty due from the former colliery owners as on the date of nationalisation. There is however no dispute between the former owners and the Central Government.

(b) Of the total of 47,631 claims filed before the Commissioner of Payments, Calcutta 15202 have been rejected/finally admitted till the end of November, 1977. The other cases are at various stages of examination.

थेई बांध संबंधी करार

3983. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थेई बांध के बारे में हुए करार का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उक्त करार के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश को कितनी बिजली मिलने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) इस बात पर सहमति हो गई है कि थेई बांध का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होना चाहिए । यह परियोजना पंजाब सरकार द्वारा निष्पादित की जानी है । सभी प्रकार के नीति संबंधी मामलों पर कार्रवाई करने तथा निर्माण कार्य की अवधि में और प्रचालन के दौरान उपयुक्त दिशा-निदेश करने के लिए एक अन्तर्राज्यीय बोर्ड स्थापित किया जाएगा ।

(ख) विद्युत् उत्पादन का 4.6% भाग हिमाचल प्रदेश को बिना मूल्य मिलेगा ।

आदिवासियों से हथियाई गई भूमि

3984. **श्री के० प्रधानी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गत छह महीने के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में, विशेषकर बिहार और उड़ीसा राज्य क्षेत्रों में, गैर-आदिवासियों द्वारा आदिवासी किसानों की कितनी भूमि हथियाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी शिकायतें मिली है ; और

(ग) क्या सरकार ने गैर-आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की हथियाई गई भूमि के बारे में उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये राज्य सरकारों को कोई निदेश दिये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख) : गत छह महीनों के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में गैर-आदिवासियों द्वारा हथियाई गई आदिवासियों की भूमि के बारे में कोई सांख्यिकीय आंकड़ें उपलब्ध नहीं है । बिहार तथा उड़ीसा सरकार ने निम्नलिखित सूचना भेजी है :—

राज्य का नाम	पंजीकृत मामलों की संख्या	अंतग्रस्त भूमि का क्षेत्र	निर्णीत मामलों की संख्या	पुन: लौटाई गई भूमि का क्षेत्र
1	2	3	4	5
1. बिहार (जुलाई से सितम्बर, 77 तक)	2139	3539 एकड़	1689	1619.52 एकड़
2. उड़ीसा (मई से अक्टूबर, 77 तक)	2165	1458.48 एकड़	—	593.22 एकड़

(ग) आदिवासियों के हित को संरक्षण प्रदान करते रहने के विचार से उन राज्यों को जिनके पास आदिवासी उप-योजनायें हैं, भूमि संबंधी वर्तमान कानून पर पुन: विचार करने के लिए कहा गया है । बहुत से राज्यों ने यह कार्य पूरा कर लिया है । परियोजना प्रशासकों को हस्तान्तरण भूमि तथा भूमि वापसी की समस्या को प्रथम प्राथमिकता देनी है ।

Mass Media for creating awareness about Importance and Rights of Women

3985. **Shri Natverlal B. Parmar :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state the programmes chalked out for creating awareness among the people about the 'importance and rights of the Women' and organising movements to carry on propaganda at national level through the mass media ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): Creating awareness among the people about the importance and rights of women is a continuing process of publicity by various Media Units of this Ministry. The salient features of the publicity are:

1. Programmes for women are broadcast from all stations of All India Radio in their respective regional languages, two to three times a week. Organised listening to women's programmes is arranged by formation of listening clubs for women which number 4,860.
2. Programmes covering various facets of women's role in society are being mounted by the Doordarshan Kendras.
3. Besides giving publicity to the Report of the Committee on Status of Women in India, the Press Information Bureau issues features/articles to newspapers/journals.
4. A documentary film titles "Women's role in Rural Development" and seven newsreels have been produced by the Films Division. Three more documentaries are under production.
5. The Publications Division have brought out two books entitled "Women in India" and "Indian Women". Various journals like Yojana, Aikal and Kurukshetra also publish articles on the subject.
6. The field units of the Song & Drama Division and Directorate of Field Publicity educate and inform general public on the importance and rights of women through live entertainments film shows and photo exhibitions.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के संगठनों के कर्मचारियों की छंटनी

3986. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1969 से अब तक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के संगठनों से प्रयोगशाला बार दैनिक मंजूरी कर्मचारियों म से कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : सूचना एकत्र की जा रही है और माननीय सदस्य महोदय को पूर्ण होने पर भेज दी जायेगी ।

संसद सदस्यों द्वारा आस्तियों और देनदारियों की घोषणा के बारे में कानून

3987. **श्री माधव राव सिन्धिया :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का संसद सदस्यों द्वारा प्रत्येक वर्ष अपनी आस्तियों और देनदारियों की घोषणा करने के लिए कोई कानून पेश करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके कब तक पेश किये जाने की सम्भावना है ;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) : विधेयक का रूपात्मकता के बारे में निर्णय होते ही जिस पर कार्रवाई की जा रही है, उसे सदन में पेश किया जाएगा ।

Scheme to provide employment to people living below poverty line

3988. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration any scheme to provide employment to the people living below the poverty line;

(b) if so, the features thereof; and

(c) if not, whether Government propose to formulate any policy in this regard?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai): (a), (b) & (c): There is no specific scheme under the consideration of Government for providing employment to the people living below the poverty line. However, one of the primary objectives of the next Five Year Plan will be to effect a significant improvement in the standard of living of this category of people, by increasing employment opportunities. The relevant policies and investment programmes will be set out in detail in the Plan for 1978-83.

जम्मू तथा कश्मीर में पाकिस्तानियों की घुसपैठ

3989. **श्री यादवेन्द्र दत्त :**
श्री प्रसन्नाभाई मेहता :
श्री बलदेव सिंह जसरोतिया :
श्री यशवन्त बोरोले :
प्रो० समर गुह :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान जम्मू तथा कश्मीर राज्य के पुलिस महानिरीक्षक श्री डी० एन० कौल के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि कश्मीर राज्य में भारी संख्या में पाकिस्तानी एजेन्ट घुसपैठ कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसको रोकने के लिए और अपने क्षेत्र की रक्षा करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) सरकार ने उस वक्तव्य के बारे में प्रेस रिपोर्ट देखी है, जिसे जम्मू व कश्मीर पुलिस के महानिरीक्षक द्वारा दिया गया बताया गया है ।

(ख) सरकार सतर्क है ।

पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कपास की खेती के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध

3990. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सरकारों ने रुई का उत्पादन बढ़ाने और उसके आयात पर निर्भरता समाप्त करने के लिए रुई का मूल्य 425 रुपये प्रति क्विन्टल करने के लिये केन्द्र से अपील की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) : पंजाब आदि सरकारों से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि 1977-78 की रुई का विद्यमान बाजार भाव रुई के पिछले मौसम अर्थात् 1976-77 के बाजार भाव से बहुत कम है उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि भारतीय रुई निगम का बाजार में व्यापक रूप में प्रवेश करके इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि रुई उत्पादकों को 1976-77 के मौसम के मूल्य की तुलना में अर्थात 425 रुपये प्रति क्विन्टल का लाभप्रद मूल्य मिल सके । विद्यमान मूल्य स्तर की पिछले मौसम के मूल्य स्तर से तुलना करना उचित नहीं होगा क्यों कि पिछले रुई के मौसम में सन्तोषजनक फसल न होने के कारण अर्थात जिसमें 68.70 लाख गांठों के अनुमानित उत्पादन में 12 लाख गांठ कम की पैदावार होने के कारण रुई के मूल्य स्तर में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई थी । किन्तु यदि चालू रुई वर्ष के मूल्य स्तर की तुलना 1974-75 और 1975-76 के जब कि उत्पादन सामान्य हुआ था, मूल्य स्तर से की जाय तो पता चलेगा कि वर्तमान मूल्य स्तर उससे 80-125 रुपये तक प्रति क्विन्टल अधिक है । रुई की चालू कीमत निम्न प्रकार है :—

(रु० प्रति क्विन्टल)

किस्म	पंजाब	हरियाणा
जे–34	375–396	385–440
320–एफ	387–433	430–485
देशी	340–350	360–400

रुई का स्वतन्त्र व्यापार है और मूल्यों का निर्धारण मांग और पूर्ति के नियमानुसार किया जाता है । भारतीय रुई निगम सभी राज्यों के सभी प्रमुख बाजारों में कार्य करता है तथा सभी खुली नीलामियों में भाग लेता है तथा इस बात को सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिले । भारतीय रुई निगम के पंजाब में 16, राजस्थान में 8, हरियाणा में 11 केन्द्र हैं । किसानों का हित संरक्षण सुनिश्चित करने की सरकार की स्वीकृति नीति है । उपर उल्लिखित मूल्य की प्रवृत्ति से यह स्पष्ट है कि चालू मौसम का रुई का मूल्य वास्तव में पंजाब द्वारा विद्यमान मूल्य स्तर के करीब-करीब बराबर ही है ।

भारतीय नौवहन निगम के चेयरमैन द्वारा किये गए दौरों पर व्यय

3991. **श्री डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम के चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक एडमिरल नन्दा लगातार भारत तथा विदेशों के दौरे पर होते हैं ;

(ख) अप्रैल, 1975 से सितम्बर, 1977 तक चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक कितने दिन के लिए भारत से बाहर रहे और इस पर पृथक पृथक रूप से कितना व्यय हुआ है; और

(ग) क्या चेयरमैन के निजी सचिव कैप्टन मोहिन्दर ने गत दो वर्षों में मनोरंजन पर व्यय किया है और यदि हां, तो इस संबंध में कितनी राशि खर्च की गई ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के भूतपूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एडमिरल एस० एम० नन्दा ने कंपनी के कारोबार के हित में जब कभी आवश्यक हुआ और ऐसे मामलों में जहां उच्चस्तरीय विचार विमर्श और बातचीत होनी थी या वांछनीय थी के लिए भारत और विदेशों में दौरे किए ।

(ख) (i) 278 दिन ।

(ii) 6.85 लाख रुपये ।

(ग) जी हां, 3.74 हजार रुपये ।

भूतपूर्व जनसंघी नेताओं के विरुद्ध मामलों का वापस लिया जाना

3992. **श्री बसन्त साठे :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व जनसंघी नेताओं के विरुद्ध मामलों को वापस लेने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो वापस लिये गये जिन मामलों को वापस लेने का विचार है उनका ब्यौरा क्या है तथा उसका क्या औचित्य है ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नहीं, श्रीमन ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय मंत्रियों के स्वामित्व में बंजर तथा खेती योग्य भूमि

3993. **डा० बी० ए० सईद मोहम्मद :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन केन्द्रीय मंत्रियों के पास निजी स्वामित्व की बंजर तथा खेती-योग्य भूमि है ; और

(ख) उनमें से प्रत्येक के पास कितने क्षेत्रफल भूमि है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : केन्द्रीय मंत्रियों के स्वामित्व में यदि कोई भूमि सम्पत्ति है तो उसका विवरण उस प्रकटन में निहित होगा जो मंत्रियों द्वारा प्रधान मंत्री को किया जाएगा जैसा कि मंत्रियों के लिए 'आचार संहिता' के अन्तर्गत करना अपेक्षित है । ऐसे प्रकटन गोपनीय हैं । मैं उस सूचना में से उद्धरण प्राप्त कर रहा हूं और जैसे ही यह उपलब्ध होगा माननीय सदस्य को सूचित कर दूंगा ।

आपात स्थिति की सराहना करने वाला पर्चा नष्ट कर दिया जाना

3994. **श्री यादवेन्द्र दत्त :**
श्री ब्रज भूषण तिवारी :
श्री जी० एम० बनतवाला :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री एस० एस० दास :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 17 नवम्बर, 1977 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के एक भूतपूर्व महा निदेशक ने एक पर्चा नष्ट करने का आदेश दिया था जो उसके द्वारा लिखा और प्रकाशित किया गया था, जिसमें आपात स्थिति की सराहना की गई थी और एक "गाइड" पुस्तक जो उसने तैयार की थी और भर्ती हुए नये व्यक्तियों को बेची गई थी और जिसे अनिवार्य विशेष अध्ययन बना दिया गया था जिसमें आपात स्थिति का विरोध करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि वही अधिकारी पुलिस आयोग का सचिव सदस्य नियुक्त किया गया है जैसी कि भारत सरकार ने घोषणा की है ; और

(ग) क्या यह सच है कि उसके द्वारा प्रमाण नष्ट किये जाने की जानकारी गृह मंत्रालय अथवा गृह मंत्री को है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान । न तो इश्तिहार में और न ही रंगरूट गाइड के संबंधित अध्याय में ऐसे कोई अनुदेश है कि आपातस्थिति का विरोध करने वालों से कैसे निपटा जाए । बल्कि उनमें आपातस्थिति की घोषणा करने की परिस्थितियों के बारे में तत्कालीन सरकार के सरकारी व्याख्या पर आधारित आपात स्थिति की घोषणा से पूर्व देश की कानून व व्यवस्था की स्थिति का एक ऐतिहासिक वर्णन है । परिवर्तित परिस्थितियों में ये असंगत हो गए हैं और इसलिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के तत्कालीन महानिदेशक ने अधीनस्थ अधिकारियों के अधिकार में इश्तिहार की प्रतियों को नष्ट करने और गाइड पुस्तक से उस विशेष अध्याय को हटाने के आदेश दिए थे।

(ख) और (ग) : उसी अधिकारी को, राष्ट्रीय पुलिस आयोग को एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है । प्रकाशन की प्रतियां अभी भी सरकार के पास उपलब्ध है और प्रतियों को नष्ट करना या उनमें संशोधन किया जाना, जिसकी सूचना सरकार को दी गई थी, साक्ष्य का नष्ट किया जाना नहीं था ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को छात्रवृत्तियों की अदायगी

3995. **श्री आर० एल० कुरील :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को छात्रवृत्ति की राशि देश भर में नियमित रूप से हर माह अदा की जाती है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या जैसे अन्य कर्मचारियों को वेतन की अदायगी की जाती है वैसे यह अदायगी हर माह करना सम्भव नहीं है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क), (ख) तथा (ग) : केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये हाल के सर्वेक्षण के अनुसार छात्रवृत्ति की राशि हर महीने नियमित रूप से अदा नहीं की गई है । किये गये विश्लेषण के अनुसार छात्रवृत्तियां अदा करने में विलम्ब के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(1) अनेक राज्यों में इस योजना का विकेन्द्रीकरण नहीं किया गया है ।

(2) छात्र समय पर आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करते ।

(3) आवेदन पत्र उचित रूप से नहीं भरे जाते, जिसके कारण छात्रों से समय-समय पर स्पष्टीकरण मांगे जाते हैं । कभी-कभी जाति प्रमाण पत्र जैसा महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता ।

(4) स्वीकृति देने और बिलों के भुनाने में प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं तदनुसार अक्तूबर, 1977 में राज्य सरकारों को नये सुझाव दिये गये हैं और यह देखने के लिए कि बहुत अच्छी तरह छात्रवृत्तियों किस प्रकार अदा की जा सकती हैं, राज्य सरकारों को अपने अनुभव के साथ-साथ भारत सरकार के सुझावों की परीक्षा करने की सलाह दी गई है ।

Attempts to create disturbances in Arunachal Pradesh

3996. **Shri Yadvendra Dutt :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news item published in the "Statesman" dated 7th September, 1977 to the effect that attempts are being made to create disturbance in Arunachal Pradesh with the help of foreign money as has been alleged by the Chief Minister of Arunachal Pradesh while talking to the correspondent of the said newspaper; and

(b) if so, the action taken by Government against the persons creating disturbance with the help of foreign money ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) Yes, Sir.

(b) Suitable vigilance is being exercised in this regard.

———

"बिना मुकदमा चलाए नज़रबन्द व्यक्तियों के बारे में 16-11-1977 को लोक सभा में दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 445 का उत्तर शुद्ध करनेवाला विवरण

CORRECTING STATEMENT WITH REGARD TO UNSTARRED QUESTION NO. 445 REPLIED IN LOK SABHA ON 16-11-1977 REGARDING "PENSIONS DETAINED WITHOUT TRIAL"

16 नवम्बर, 1977 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न सख्या 445 के उत्तर में विभिन्न राज्यों में बिना मुकदमा चलाये नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या के बारे में सूचना का एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया था । मणिपुर के बारे में यह बताया गया था कि 172 व्यक्ति विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत बिना मुकदमा चलाए नजरबन्द है । राज्य सरकार ने अब यह स्पष्ट किया है कि ये व्यक्ति जांच पडताल होने तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अधीन नजरबन्द हैं न कि किन्ही निरोधात्मक कानूनों के अधीन । दो व्यक्ति विद्रोहियों के रूप में मीसा के अधीन नजरबन्द हैं, इनमें से एक 1-9-77 से 30-11-77 तक स्वास्थ्य के आधार पर पैरोल पर है । एक और व्यक्ति विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधियां निरोध अधिनियम के अधीन नजरबन्द हैं । सदन में पहले दी गई सूचना में त्रुटि के लिए खेद है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पत्र

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ ।

(एक) भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1976–77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

(दो) यह बताने वाला एक विवरण कि उपर्युक्त प्रतिवेदन से सरकार सहमत है और इसलिये निगम के कार्यकरण की पृथक समीक्षा नहीं की गयी है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये सं० एल० टी० 1346/77]

नौसेना अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (1) मैं श्री जगजीवन राम की ओर से नौसेना अधिनियम 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(एक) नौसेना औपचारिकताएँ, सेवा की शर्तें तथा प्रकीर्ण (संशोधन) विनियम; 1977 जो दिनांक 25 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० नि० आ० 234 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सा० नि० आ० 253 जो दिनांक 16 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 16 जनवरी, 1975 की अधिसूचना संख्या सा० नि० आ० 31 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(2) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1347/77]

चलचित्र वित्त निगम लिमिटेड बम्बई के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत* चलचित्र वित्त निगम लिमिटेड बम्बई के वर्ष 1975–76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा । (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) चलचित्र वित्त निगम लिमिटेड बम्बई के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन के साथ "समीक्षा" सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 1348/77]

पेटेन्ट संशोधन नियम, 1977, पेटेन्ट डिजाईन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक का वर्ष 1976-77 का प्रतिवेदन तथा उद्योग विवरण और विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) पेटेन्ट अधिनियम, 1970 की धारा 160 के अन्तर्गत पेटेन्ट (संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 26 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 3598 में प्रकाशित हुए थे । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये सं० एल० टी० 1349/77]

(2) पेटेन्ट अधिनियम, 1970 की धारा 155 के अन्तर्गत पटेन्ट, डिजाइन और ट्रेड मार्क के महानियंत्रक के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये सं० एल० टी० 1350/77]

(3) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) मैसर्स इंडियन रबड़ मैनुफेक्चरर लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध पर नियंत्रण जारी रखने संबंधी सा० आ० 638 (ङ) जो दिनांक 26 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) मैसर्स गणेश फ्लोर मिल कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली के प्रबन्ध पर नियंत्रण जारी रखने संबंधी सा० आ० 742 (ङ) जो दिनांक 1 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 1351/77]

दिल्ली परिवहन निगम का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : मैं सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 1352/77]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड का वर्ष 1976-77 का प्रतिवेदन

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती): मैं केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 12क के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बम्बई के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूँ। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 1353/77]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) अखिल भारतीय सेवाएँ (मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति लाभ) तीसरा संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 26 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1598 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) सातवाँ संशोधन नियम, 1977, जो दिनांक 3, दिसम्बर 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1635 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 1354/77]

10—375 L.S.S./77

(2) अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए भर्ती नीति तथा चयन पद्धतियों संबंधी प्रतिवेदन (कोठारी समिति प्रतिवेदन) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये सं० एल० टी० 1355/77**]

समुद्री तूफान से क्षति के बारे टेलीप्रिंटर संदेश की फोटोकापी

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : मैं अध्यक्ष द्वारा 7 दिसम्बर, 1977 को दिये गये निदेश के अनुसरण में समुद्री तूफान से क्षति के बारे में भारत के प्रधान मंत्री का केरल के मुख्य मंत्री के दिनांक 23 नवम्बर, 1977 के टेलीप्रिन्टर संदेश के सिंचाई मंत्रालय का सम्बोधित पृष्ठांकन की फोटो कापी, सभा पटल पर रखता हूँ । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये सं० एल० टी० 1356/77**]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

नई दिल्ली के बीचों बीच एक रिहायशी बंगले पर सशस्त्र हमले का समाचार

Shri Vijaykumar Malhotra (Delhi South): Sir, I call the attention of the Home Minister to the following matter of urgent Public importance and request that he may make a statement thereon:

"Reported armed raid on a residential bunglow in the heart of New Delhi, resulting in the death of two persons and steps taken by Government to check such incidents in future."

वक्तव्य

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिकलाल मंडल) : यह खेद की बात है कि नं० 1, साउथ एण्ड रोड़, नई दिल्ली में एक जघन्य अपराध किया गया जिसमें दो व्यक्ति मारे गये तथा एक को गम्भीर चोट आई । दिल्ली पुलिस के अनुसार कुछ अज्ञात व्यक्ति 11/12–12–77 की रात्रि को साउथ एण्ड रोड़ पर श्री पूरनचन्द सहानी के मकान में घुस गये और किसी कुंठित चीज से उन के चौकीदार रुपसिंह, नौकरनी अमराव देवी और पत्नी श्रीमती मोहिनी साहनी पर आक्रमण किया । चोटों के कारण चौकीदार रुप सिंह की घटना स्थल पर मृत्यु हो गई, बाद में चोटों के कारण नौकरानी अमराव देवी की मृत्यु विलिंगडन अस्पताल में हो गई जब कि श्रीमती साहनी अब भी आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस में सिर की चोट के कारण दाखिल है । प्राथमिक जांच से मालूम हुआ है कि घुसपैठिये ड्राइंग रुम की खिड़कियों के शीशे तोड़कर मकान में घुसे और ड्राइंग रुम में गये, जहां नौकरानी सोई हुई थी, और रसोई-भण्डार तक उसे खदेड़ कर उस पर आक्रमण किया जहां वह बेहोश होकर गिर पड़ी । उन्होंने मकान के कमरों को अस्तव्यस्त कर दिया । श्रीमती साहनी ड्राइंग रुम में बेहोश पड़ी पाई गई जहां स्पष्टत: उन्होंने साईरन का बटन दबाया था जो कुछ सेकंडों तक अपराधियों के

बंद करने से पूर्व बजा था। साईरन को सुनकर साथ लगे सर्वेंट क्वार्टरों से कुछ कर्मचारी अन्दर आये किन्तु इस बीच प्रतीत होता है अपराधी बचकर भाग गये। कर्मचारियों ने पुलिस और श्री साहनी के पुत्र को टेलीफोन पर सूचना दी। थाना- अध्यक्ष, तुगलकरोड़ अपने कर्मचारियों को साथ लेकर तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरु की। उसके तुरन्त बाद उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी घटनास्थल पर पहुंच गये। स्वान दस्ता और अपराध विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञ भी बुलाये गये। मामले की जांच पड़ताल का काम अपराध शाखा के विशेष दस्ते को सौंप दिया गया है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

2. ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये है :—

(1) गस्त विशेष रुप से अपराध ग्रस्त क्षेत्रों में बढ़ा दी गई है।

(2) गश्त के समय तथा तारीखों में परिवर्तन करके अपराधियों को आश्चर्य चकित करने के लिये विभिन्न जिलों साधारण में गश्तें लगाई जा रही है।

(3) रोकथाम के उपाय के रुप में टुकड़ियां असुरक्षित स्थानो पर तैनात की जा रही हैं।

(4) ज्ञात अपराधियों के निष्कासन की कार्रवाईयाँ तेज की जा रही हैं तथा जिले के पुलिस अधीक्षक इस ओर व्यक्तिगत रुप से ध्यान दे रहे हैं।

(5) समय समय पर गुंडों, बदमाशों तथा अन्य समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध अभियान चलाये जा रहे हैं।

Shri Vijay Kumar Malhotra : Hindi version of the statement has not been made available to us. I hope that Hindi Version of the statement will be given in future. About 15 or 17 murders are committed every month in Delhi. This murder has been committed in the area inhabited by the Ministers and Members of Parliament. A panicky situation has been created by this murder which deserves active consideration and discussion.

Population of Delhi is increasing by two lakhs every year. This growth of population is creating law and order situation. There should be some kind of verification of all those who come to Delhi. Some check should be there on the people who come to Delhi for committing crime.

According to the assurance of the Home Minister, Police Commissioner should have been appointed on 2nd October but it has not been done so far.

Delhi Police needs some improvements. The law and order cases are piling up in the lower courts.

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : The Government is trying to check the increasing rate of murder.

A Bill reg. appointment of Police Commissioner has been sent to the Law Ministry. Some more time is needed to meet the legal requirements connected with the appointment of Police Commissioner.

We will definitely try to increase the strength of the Police in Delhi provided Finance Ministry agrees to it.

[Shri Charan Singh]

It is not possible to make verification of lakhs of people who come to Delhi every year. If possible, we will consult I.G. and L.G. in this connection.

There is general impression that Janta Government and the Home Minister have failed to check the growing crime rate. It is not correct to say that crime rate has increased during the rule of Janta Government. 400 cases reg. people of doubtful integrity are pending before the Magistrate.

श्री सौगत राय : मैं गृह मंत्री की इस बात का विरोध करता हूँ कि दो हत्याओं के लिये सरकार को निंदा की जा रही है। यह प्रश्न दो हत्याओं का नहीं बल्कि जनता शासन में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति का है। इस वर्ष अप्रैल से अक्तूबर तक दिल्ली में ही 122 हत्यायें हुई हैं पुलिस और कानून के बावजूद भी हत्यायें और चोरियां क्यों बंद नहीं होती। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने पुलिस वालो को वी० आई० पी० ड्यूटी से मुक्त करके सर्वसाधारण को रक्षा के लिये लगाये गये हैं।

Shri Charan Singh : It is necessary to provide security to the V.I.Ps. We have provided whatever necessary security staff to the VIP's. It is not correct to say that we have deputed excessive policemen to guard the Ministers **(Interruptions).**

Shri Kanwar Lal Gupta : This is a serious incident. There is some improvement in the law and order situation on account of personal interest taken by the Home Minister in the matter. There is same sense of security now.

The existing strength of police is insufficient to cater to the population of Delhi. Nothing has so far been done to increase the police force as promised by the Home Minister.

I feel that names of all the domestic servants in Delhi should be entered in the police record. All the Guest Houses should also be watched by the police. I also suggest that Punjab Police Rules should be applied in Delhi.

दिल्ली में लागू पुलिस नियम 1872 के बने हैं। इन्हें बदल कर नये नियम बनाये जाये।

Shri Charan Singh : I will discuss the position about application of Punjab Rules and also framing of new rules, if necessary. Bill regarding appoinment of Police Commissioner is being framed.

Delhi has a separate police cadre and police officer can be transferred from one station to another station within Delhi only. Most of the IPS officers posted at Delhi, belongs to Delhi and can influence the routine police cases.

I am having negotiating with the officers about the verification of the persons coming from outside Delhi.

Shri Lakhan Lal Kapoor : Is there cheat system in the area where murder has been committed? It is a matter of great surprise that no arrest has been effected even after expiry of three days of the incident. So far as law

and order situation is concerned, the number of crimes has increased not decreased. Between the period April and October the number of thefts is 1200; the number of barglaries is 1500 and the number of murders committed is 122. It is a matter of shame that we are unable to check these incidents. I would like to ask whether the concerned police officer, under whose jurisdiction this incident took place, will be suspended ? Whether the list containing the names of goondas and murderers will be screened and they be expelled from Delhi to check recurrence of such incidents in future here ?

Shri Charan Singh : Government do not intend to suspend any officer so long as the investigations are not completed and anyone is found guilty. It is not possible to post policeman at each house. Crime rate in advanced countries is higher than that in India. Some people are of the view that crimes increase due to poverty, some feel it is due to illiteracy. But it is not so. The causes are different.

Shri Om Prakash Tyagi (Bahraich) : Whether keeping in view the increasing population of Delhi Government feel that that the existing number of police stations is adequate or not ? Whether more police stations are required in Delhi ?

On 4th May the Lt. Governor of Delhi had stated that laws will be inforced to check goondaism in Delhi as in other states. Whether such laws have since been enacted or not ? Whether the idea to enact such laws is under consideration or it has been dropped ? If it has been dropped, whether it will be revived ?

Crimes are committed in connivance with police. Whether action is proposed to be taken against the Incharge or Inspector of the police station under whose jurisdiction more crimes are committed ? Whether it is also proposed to effect inter-state transfers of police personnel ?

Shri Charan Singh : Transfers can be effected better under one political unit. Difficulties can arise under the two political units. It is not possible.

So far as checking of anti-social elements are concerned, Bombay Police Act is already in force here. We have sent two officers to Bombay to make a study of the situation there. It has produced good results. We are trying to augment the strength of magistrates.

It is not possible to punish authorities under whose jurisdiction crimes increase. Many things are to be taken care of.

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

44वां प्रतिवेदन

श्री गौरी शंकर राय (गाजीपुर) : मैं भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1974–75 के प्रतिवेदन–संघ सरकार (सिविल) के विदेश मंत्रालय से संबंधित पैराग्राफ 29 और 52 पर लोक लेखा समिति का 44 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

तीसरा प्रतिवेदन

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मैं अधोनस्थ विधीन सम्बन्धी समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

दसवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के दसवें प्रतिवेदन से, जो 13 दिसम्बर, 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के दसवें प्रतिवेदन से, जो 13 दिसम्बर, 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया था,सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

भारतीय विद्युत (संशोधन) विधेयक
INDIAN ELECTRICITY (AMENDMENT) BILL.

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

श्री पी० रामचन्द्रन : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

नियम 377 के अधीन मामले
MATTERS UNDER RULE 377

(1) कर्नाटक में काफी का कार्यकरण

श्री के० लक्कप्पा (तुमकुर) : मैं सरकार का ध्यान एक अत्यन्त गम्भीर मामले की ओर दिलाना चाहता हूँ ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

कर्नाटक में काफी बोर्ड किस प्रकार काम कर रहा है। उसके सम्बन्ध में कई बहुत ही घिनौने घुटाओं का उल्लेख हो रही है एक करोड़ रुपये की काफी का स्टाक गायब हो गया है, और अभी तक कोई कार्यवाही नही की गई है। विदेश व्यापार मंत्री को इस बात की जांच करनी चाहिये कि 700 टन काफी किस तरह गायब हो गई।

बंगलौर के माल सवारम स्थान पर 100 टन काफी स्थानीय डिपो पर गायब पाई गई। उस डिपो को एक सहकारी समिति द्वारा चलाया जा रहा था जांच हुई, मगर उसके बावजूद कुछ पता नहीं चल सका। सम्बद्ध अधिकारियों ने मौन धारण किया हुआ है।

काफी सम्बन्धी ये मामले कुछ बड़े गृहों के मध्यम से तय किये गये। उनके निर्यातकों और आयातकों के विदेशो में सम्बन्ध है। काफी बोर्ड के अधिकारियो के साथ साठ गांठ से यह हुआ है। इस घोटाले को तुरन्त रोका जाये। मंत्री जी को इस कांड की जांच के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करनी चाहिए ।

(2) तूफान पीड़ितों में राहत सामग्री का वितरण करने वाली समिति में इंडियन रेडक्रास सोसाइटी द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति

Shrimati Mrinal Gore (Bombay North) : In 1971 the Indian Red Cross Society has received goods worth crores of rupees for distribution among the refugees from Bangla Desh and there has been much bungling in it. This scandal has been widely discussed in the press. The Minister of Health has said that the matter will be inquired into. We do not know whether it has been done or not. Now, again the same society will be receiving goods worth crores of rupees for distribution among the cyclone affected people of Andhra Pradesh. It is regrettable that the persons against whom allegations had been made in the past are even today in the relief committee. Therefore, we have serious apprehensions that the same kind of bungling which was done at the time of help to the Bangladesh refugees can take place even today. Government should pay attention to it.

The Society has about 50 imported cars which were procured as ambulance vans. While importing these cars the custom duty had been waived on the ground that they are ambulance vans. Out of these cars 10 are at the headquarters and three of them are being used for staff and other purposes. This is a clear case of misuse which needs immediate inquiry.

The Railways have also given some concession to the Indian Red Cross Society. According to the Railway Board, this concession is also being misused. This is a serious allegation which should also be inquired into.

(3) आगामी उपचुनावों में उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में सरकारी तन्त्र का कथित दुरुपयोग

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : मैं नियम 377 के अन्तर्गत इस सदन और सरकार का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ।

आगामी कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में उप चुनाव होंगे। इन चुनावों का बहुत महत्व है और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के तो मुख्य मंत्री भी उम्मीदवार है। भारी संख्या में सरकारी वाहनों का प्रयोग हो रहा है। यह अधिकारी का स्पष्ट दुरुपयोग और निर्वाचन कानून का उल्लंघन है, हमें शंका एवं भय है कि सत्ताधारी दल ने पुलिस तथा समाज विरोधी तत्वों के साथ मिलकर चुनाव में घोटाले की योजना बनाई है।

उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य कांग्रेस समिति के प्रधान तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं ने निर्वाचन आयोग से शिकायत कर तुरन्त हस्तक्षेप करने की मांग की है। आश्चर्य है, निर्वाचन आयोग ने आंखे बन्द कर रखी है और वह भ्रष्ट तरीकों की अनदेखे कर रहा है।

उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए मैं मांग करता हूँ कि उन निर्वाचन क्षेत्रों में निष्पक्ष चुनाव कराना सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग हस्तक्षेप करे और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग को रोके।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें सामान्य—1977-78)—जारी
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL)—1977-78—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा करेंगे।

श्री ओ० वी० अलगेसन (अर्कोनम्): तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में बहुत विनाश हुआ है। इस लिए राज्य और केन्द्र के मतभेदों या सीमाओं को दूर कर सरकार को एक पूर्ण एजेंसी के रूप में राहत और पुनर्वास कार्य करना चाहिए। आंध्र प्रदेश और केन्द्रीय सरकार के बीच जो दोषारोपण किये गये है उनसे किसी की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ी है।

वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित उपाय स्थिति से पूरी तरह निपटने में अपर्याप्त हैं। मंत्री महोदय ने 125 करोड़ रुपये की मांग की है वह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के समुद्री तूफान से प्रभावित राज्यों की अग्रिम सहायता योजना के रूप में दी जायेगी। इस राशि की 250 करोड़ रुपये की अतिरिक्त योजन सहायता के साथ मिलाया गया है। इससे पता चलता है कि सरकार राज्य की सामान्य मांगों तथा तूफान से प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष मांगों को एक ही तरह का मान रही है। अनुपूरक मांग संख्या 2 के अधीन ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई है। यह आसाम और बंगाल के बारे में है जो बाढ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उनके लिए भारतीय खाद्य निगम से 80,000 टन चावल की कुल लागत पर 10 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इसे सहायता अनुदान के रुप में देने का प्रस्ताव है। लेकिन तीन दक्षिणी राज्यों में इसे अग्रिम योजना सहायता का रुप दिया गया है। यह पक्षपात किस लिए है? इसे भी सहायता अनुदान माना जाये। यदि ऐसा न किया गया तो भविष्य में राज्य की विकास योजनाएं बुरी तरह प्रभावित होगी।

संभवत: छटे वित्त आयोग की सिफारिश के कारण वित्त मंत्री ने ऐसा किया हैं। वर्ष 1972-73 में राज्यों की राहत के अधीन जो योजना सहायता दी गई थी उससे यह थोड़ा चौंक उठे है। लेकिन उसी छटे वित्त आयोग के भूतपूर्व चेयरमैन श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने यह कहा था कि उक्त रिपोर्ट को

इस मामले में लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह साधारण मामला था। अतः वित्त मंत्री को उस आयोग की सिफारिश पर ध्यान न देकर उन राज्यों को विशेष सहायता अनुदान देना चाहिए जिन्हें इसका बहुत आवश्यकता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्रीय दल द्वारा इस प्रश्न पर विचार किए जाने से पूर्व ही यह राशि नियत कर दी गई थी। इस दल की सिफारिशों के बारे में सरकार को हमें अवगत करना चाहिए।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar): I support the proposals put forth by the hon. Minister of Finance. It is good that Government has made a provision of Rs. 75 crores for agriculture. But in order to ensure this fact that small farmers may get loan easily, special rules shall have to be made.

National Textile Corporation is not doing well. Its activities are not satisfactory. This corporation is running in loss. Now the loss has increased from Rs. 18 crores to Rs. 34 crores. There is widespread corruption in this corporation, Government should look into this.

Government is providing additional assistance of Rs. 475 crores. But from where this amount will come? This will create deficit financing and the prices will increase.

In order to avoid deficit financing we shall have to reorganise recovery work. There is widespread misappropriation of taxes. Deputy Director of Intellegence had submitted a report on 21-7-73 to Directorate of Inspection in this regard. This report makes it clear that how Shri Yashpal Kapoor constructed a huge Building in Golf link. This man acquired huge amount of money by misappropriation. But I am sorry to say that no action has been taken on this report. Government should take action on this report and make thorough investigation in this matter. This case should be given to C.B.I. for investigation. There appears to be *prima facie* case of substantial under-statement of the purchase of price of property both movable and immovable.

In addition to the transaction in immovable property the points are placed on the table of the House **[Placed in Library. See No. L.T.-1392/77].**

उपाध्यक्ष महोदय: आप इसे दे दें। हम विचार करेंगे।

Shri Kanwar Lal Gupta: I would like the Hon. Minister to make a thorough enquiry because fraudulent practices are involved. It should be referred to CBI also. The Income Tax Department should find out the sources of income of Smt. Indira Gandhi. According to our estimate an unaccounted amount of Rs. 200 crore is lying there which should be assessed for tax.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वयालार रवि।

श्री वसंत साठे : सूची में मेरा नाम भी है।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निश्चित सारा समय लिया जा चुका है।

[श्री एम० सत्यनारायण राव पीठासीन हुये
Shri M. Satyanarain Rao *in the Chair*]

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार ने 250 करोड़ रुपये की सहायता दी है। एक अन्य मद "प्राकृतिक प्रकोप" का सामना करने के लिये "सहायता" के अन्तर्गत 125 करोड़ रुपये की राशि दिखाई गई है। यह अच्छा है लेकिन यह मात्र किताबी लेखा पूरा करना है। यहां से एक पैसा भी नहीं गया। किताबी लेखा पूरा होने से इन राज्यों का कुछ बनने वाला नहीं है। सरकार योजना से बाहर भी सभी प्रकार की मदद दे। यदि वर्तमान नियम इसकी अनुमति नहीं देते तो इन नियमों को बदलने की आवश्यकता है। यह सात बाढ़ ग्रस्त इलाके में के गेहूं के वितरण से सम्बन्धित है। राहत कार्यों के लिए सरकार ने योजना के बाहर 10 करोड़ रुपये दिये हैं। सहायता पाने वाले राज्यों के नाम क्या हैं? दिल्ली, पंजाब हरियाणा आदि के लोगों को यह राशि मिली है। यह अच्छा है? परन्तु आन्ध्र, तमिलनाडु और केरल के लोगों का क्या हुआ? क्या ऐसा इस कारण है कि वहां कांग्रेस और अन्ना-द्रमुक की सरकारें हैं? यह दोहरा व्यवहार क्यों?

लोगों के मन में ऐसी धारणा है कि सरकारी क्षेत्र के हितों को हानि पहुंचायी जायेगी। सरकार ने सरकारी क्षेत्र के प्रति अपनी प्राथमिकता को यह कह कर समाप्त कर दिया है कि सरकारी क्षेत्र अपने मामले इस तरह व्यवस्थित करे जिससे वह गैर सरकारी क्षेत्र से प्रतियोगिता कर अपना अस्तित्व बनाए रख सके।

वाणिज्य मंत्री आयात नीति में परिवर्तन कर अधिक से अधिक पूंजीगत माल के आयात के लाइसेंस दिए हैं। इसका सरकारी क्षेत्र पर निश्चय ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। केरल के मुख्यमंत्री ने सरकारी क्षेत्र के टिटेनियम प्राडक्टस उद्यम के बारे में भारत सरकार से चर्चा की है। केरल इसके विस्तार के लिये योजना के बाहर धन चाहता है। परन्तु भारत सरकार ने अपने ही संसाधन जुटाने को कहा है। यह सरकारी क्षेत्र के प्रति उचित रवैया नहीं है।

विदेश स्थित भारतीय यहां रुपया भेजते हैं जो अब बढ़ कर 2000 करोड़ हो गया है जबकि पिछले साल यह 1800 करोड़ रुपया था। सरकार को भारत से बाहर रहने वालों से यह विदेशी मुद्रा मिलती है। तब भी सरकार उन्हें तस्कर समझती है और उन पर संदेह करती है, सरकार उनके साथ सहानुभूति बरते और सीमापार नियमों में ढील दे। उनके साथ हवाई अड्डों पर सीमा शुल्क अधिकारी बड़ा भद्दा व्यवहार करते हैं।

सूचनाओं के अनुसार राज्य सरकार 1000 करोड़ रुपये की मांग कर रही है। यह कहना उचित नहीं कि वे इसका इंतजाम स्वयं करें। समूचे देश की अर्थ व्यवस्था विनियमित करना और राज्यों को सहायता देना केन्द्र का काम है। राज्य सरकारें स्वतंत्र नीति नहीं अपना सकती तथा वित्तीय मामले भारत सरकार के दिशादर्शन और निर्देशों के अनुसार हल किये जाते हैं और इसलिये केन्द्र को उन्हें दिवालिया होने से बचाया जाना चाहिये।

Shri Durga Chand (Kangra) : These demands contain items which create avenues of employment. At the same time a provision should also be made for irrigation and development of rural areas.

It cannot be denied that irrigation facilities should be provided throughout the country. It is unfortunate that no attention is paid towards minor irrigation schemes in the hilly areas and adequate funds are not provided. On the otherside adequate funds are provided for major irrigation projects. This disparity should be removed.

A project named "Bairaseal hydel project" is under construction in Himachal Pradesh. About 80 crore rupees have already been spent on it. This project should have been completed by 1973-74 but it is still incomplete. Its progres is very slow. It should be completed at the earliest.

श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बटूर) : इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। यह चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अवसर पर हम दक्षिण के तूफान पीड़ित लोगों की व्यथा को ध्यान कर सकते हैं।

राहत कार्यों हेतु दिया गया धन समुचित नहीं है, साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि राहत के लिए दिया गया धन योजना सहायता की अग्रिम धन राशि है। यदि योजना सहायता राशि तूफान राहत पर खर्च कर दी गई तो अन्य आवश्यक विकास परियोजनाओं का क्या होगा। इसलिए अब यह आवश्यक है कि सहमति सहायता अनुदान के रूप में दी जाए योजना सहायता के रूप में नहीं।

जहाँ तक लघु उद्योगों का संबंध है वित्त मंत्री का रूख बड़ा कड़ा है। हौजरी उद्योग पर उत्पादन शुल्क के प्रश्न को ही ले लीजिए, संसद के 100 सदस्यों ने मंत्री महोदय के पास उत्पादन शुल्क 2 से घटाकर 1 प्रतिशत करने के लिए याचिका भेजी थी, परन्तु उसका कोई असर नहीं हुआ, अन्ततः परेशानी किस को होती है। समाज का कमजोर वर्ग ही इससे बुरी तरह प्रभावित होगा जिनके लिए आप मजरमच्छ के आंसू तो खूब बहाते हो लेकिन वास्तव में कुछ नहीं करते। लघु उद्योगों के संबंध में जो नीति है उसे आप व्यावहारिक रूप से क्रियान्वित नहीं कर रहे।

इसी प्रकार जहाँ तक छोटे इस्पात फर्नीचर निर्माताओं का संबंध है उन्हें भी बड़े उद्योगों जैसे किर्लोस्कर और गोदरेज जैसे बड़े उद्योगों के बराबर शुल्क देने के लिए कहा गया है। बहुत से उत्साही लघु उद्योगपति बाजार में आना चाहते है। सुनिश्चित बाजार पाने के लिए उन्हें एकाधिकार गृहों से प्रतियोगिता करनी होगी। वे करों के भार से दबे हैं। उनकी राहत की अपिल पर ध्यान नहीं दिया गया है। मंत्री महोदय वास्तव में लघु उद्योगों की उपेक्षा कर रहे है। मंत्री महोदय इतने व्यस्त है कि उन्हें इन लोगों की बात सुनने का भी समय नहीं है।

अनिवार्य बचत योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को जमा राशि कर्मचारियों को पूरी दे देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने तूफान राहत के लिए अंशदान देने की पेशकश की है। यह उनका पैसा है और इसे पाने का पूरा अधिकार है।

अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं और व्यक्ति, इसके लिए काफी पैसा दे रहे है। यह धन किस प्रकार खर्च किया जा रहा है इसकी जरूर देखभाल की जाए। क्या यह धन नियोजित ढंग से व्यय किया जा रहा है इसीलिए हमने सरकार को सर्वदलीय तंत्र बनाने का सुझाव दिया है।

भारतीय खाद्य निगम एक महत्वपूर्ण सं गठन है। इसके कर्मचारियों की लम्बे समय से उपेक्षा की गई है, वे लम्ब समय से तदर्थ नियुक्तियों को नियमित किए जाने, तदर्थ कर्मचारियों की वरिष्ठता में छूट देने की प्रतीक्षा कर रहे है। सरकार उनकी मांगों पर कम से कम समय में विचार करे।

काफी अरसे से देश में अविवेकपूर्ण ढंग से वनो को काटा जा रहा है। इस पर गंभीरता से विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त करे क्योंकि नदियों के क्षेत्र से वनों के कटने से बाढ़ोंके आने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए बाढों को रोकने के लिए वनो की सुरक्षा और विकास बहुत महत्वपूर्ण है।

[श्रीमती पार्वती कृष्णन्]

पुआपुत्रा पाण्डियार योजना पर तमिलनाडु और केरल सरकार के बीच विचार विमर्श हो रहा है। केन्द्र सरकार भी इसमें शामिल है। यह योजना अभी भी लटकी हुई है। यदि इस योजना को यथा-शीघ्र नहीं लिया जाता तो पूरे कोयम्बटूर जिले पर विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय को एक बार फिर अनुरोध करती हूं कि जो सहायता वह दे रहे हैं वह योजना सहायता से न देकर अलग से दें।

Shri Laxmi Narain Nayak (Khajuraho) : Mr. Chairman, Sir, I support these demands.

It is rightly pleased that keeping in view the magnitude of the problem of relief and rehabilitation in southern states, Government should provide a special grant-in-aid and not treat it as assistance out of plan assistance. However it is necessary that there is proper supervision over the relief and rehabilitation work there. Arrangements should be made to construct multi-soreyed pucca houses in these areas which can withstand the onslaught of cyclones and floods.

Madhya Pradesh has also faced devastating floods but nothing has been provided for it. All should be treated equally in this matter.

There are large number of old tanks in the country in which there has been great accumulation of silt due to which the tanks are not fully filled with rain water and the water is wasted. This is not available for irrigation purposes. Secondly when this water flows in full measure. This leads to floods. A scheme is therefore necessary to desilt these tanks.

There is discrimination in the matter of irrigation schemes. There has been a survey of Tikamgarh district for irrigation purposes from Rajghat Dam water is to go to Tikamgarh. But this scheme has been dropped why? Irrigation schemes should be cleared quickly.

There is much concern today in the country in regard to protection of life and property. Dacoities and murders are on the increase, Government should take adequate measures to check law and order situation.

Adivasis and backward areas should get special attention by the Government in the matter of construction of roads and other construction work. The labour is getting low wages there. Their wages should be increased.

There is much hue and cry about rising prices today. But nobody can deny it that there is shortage of commodities in the country. The real problem is lack of proper distribution system. Secondly the hoarders and black marketeers who are exploiting the poor people need be checked with a strong hand.

It is usually said that the big foodgrain dealers are looting the country. But what about Food Corporation of India which is a Government organisation. They are selling the wheat to the people at Rs. 140 per quintal which they purchased at Rs. 105 per quintal. Is it not profiteering. The price of wheat should be lowered.

श्री अरविन्द बाल पजनौर (पांडिचेरी): अनुदानों का अनुपूरक मांगों पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने पर आपका धन्यवाद देता हूँ।

यह वर्ष तूफान और बाढ़ के कारण दक्षिणी राज्यों के लिए एक दुखद वर्ष था। हमारा विचार था कि वित्त मंत्री द्वारा मांगी गई 942 करोड़ रुपये की राशि का बड़ा भाग प्रभावित दक्षिण राज्यों को दिया जाएगा। परन्तु खेद की बात है कि दक्षिण राज्यों के संबंध में वित्त मंत्री समय की मांग पर खरे नहीं उतरे हैं और उनका यह बहाना हम नहीं मान सकते कि उनके पास इतना पैसा नहीं है।

जब राज्य सरकारें कुछ विशेष सहायता की मांग करती है तो इसके लिए वह पहले से विशिष्ट योजनाएं बनाती है और उनके आधार पर मांग करती है। तमिलनाडु ने 130 करोड़ रुपये की मांग की है। यह कोई कल्पित राशि नहीं थी। वहाँ के वित्त विभाग के विशेषज्ञों ने स्थिति का अवलोकन करके उसके आधार पर 130 करोड़ रुपये की मांग की। वास्तव में हमारी मांग तो 200 करोड़ रुपये की थी लेकिन केन्द्र की वित्तीय स्थिति को देखते हुए केवल 130 करोड़ रुपया मांगा लेकिन आपने केवल 33.9 करोड़ रुपया ही दिया है। इससे हमें बहुत निराशा हुई है।

आंध्र प्रदेश को उन्होंने कुल 74 करोड़ रुपया दिया जबकि मांग 227 करोड़ रुपए की की गई थी। पांडिचेरी को 1.9 करोड़ रुपया मांगने पर केवल 10 लाख रुपया दिया जा रहा है। इस वर्ष अभूतपूर्व राष्ट्रीय विपत्ति आई है तथा प्रभावित राज्यों की मांगों में केन्द्र को कोई कटौती नहीं करनी चाहिए। राज्य सरकार केन्द्र की पर्याप्त सहायता के बिना राहत कार्य नहीं कर सकती। वहां लोगों को ऐसा कहने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है और उचित मांगें नहीं मानी जा रही हैं।

सरकार ने हरियाणा के लिए गैर-योजना व्यय से गेहूं की सप्लाई के लिए 10 करोड़ रुपया मंजूर किया है। हम इसका विरोध नहीं करते। परन्तु ऐसा ही व्यवहार तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश के साथ क्यों नहीं किया जाता? सरकार ने तमिलनाडु को चावल भेजने के लिए $7\frac{1}{2}$ करोड़ रुपए पेशगी मांगे हैं। क्या यह उचित है? बस धन के लिए वे कहां जाएं?

सरकार इस समस्या पर गंभीरता से विचार करे और दक्षिण के लिए कुछ करे। भारत के उस भाग के लिए यह जीवन-मरण का प्रश्न है। तूफान और बाढ़ से प्रभावित लोगों के आंसू मात्र सहानुभूति प्रगट करने से नहीं पौछे जा सकते। सरकार इन के लिए ठोस प्रस्ताव रखे और उन्हें लागू करे। यह केवल 200–300 करोड़ रुपए की बात है और केन्द्र को 10,000 करोड़ रुपए के बजट के लिए यह बड़ी बात नहीं है। वित्त मंत्री इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

इस समय पाण्डेचेरी सीधे केन्द्र के शासन में हैं। अतः बजट में कुछ आशा करना स्वाभाविक है। कराइक्कल में खेत बह गये हैं और लोगों को अपने खेतों में पुनः बुआई के लिये धन की आवश्यकता है। ऐसा कोई वित्तीय संस्था नहीं है जो उनको सहायता करने के लिये आगे आयें। अतः मैं वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि वह इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur): Whatever assistance has been given for the cyclone-affected people in the south, it is not meagre. India is a large country and the natural calamity is a recurring feature in one or the other part of the country. It is, therefore, admissible to set up an independent Ministry to deal with such natural calamities in any part of the country. The Finance Minister, in consultation with the Prime Minister, should take initiative to set up such an independent and separate Ministry to deal with natural calamities.

[Dr. Ramji Singh]

It is not only Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala that are affected this year by a natural calamity. Even in the eastern part of the country Assam has suffered a loss of about Rs. 20 crores due to heavy damage caused by floods there. Therefore, piecemeal measures will serve no purpose until separate Ministry is set up to deal with this problem.

Government has rightly expressed their sympathetic attitude towards Khadi and Village industries. But the toal provision of Rs. 4.50 crores for the development of these industries in this supplementary demand is too meagre. These industries have a vast potential and they can create large employment opportunities for rural people. I shall, therefore urge upon the Finance Minister to make larger allocations for these industries with a view to removing unemployment in the rural sector.

No provision has been made in this budget for education.

The Sugar mill owners have been given a concession of Rs. 80 crores, because they incurred loss. But so far Khandsari manufacturers are concerned, nothing has been given to them. It is a clear instance of discrimination in favour of big businessmen. Some provision must be made for Khandsari manufacturers as well. If the sugar mills are sick and incurred losses, Government should initiate steps to take them over under their control.

श्री धीरेन्द्र नाथ बसु (कटवा) : अतिरिक्त योजना सहायता की मांग की गई है परन्तु पश्चिम बंगाल की परियोजाओं को इनमें शामिल नहीं किया गया है। उनको पूर्णत: उपेक्षा की गई है। न तो दुर्गापुर परियोजना न ही हल्दिया परियोजना और न ही कागज निर्माण परियोजना इन अनुपूरक मांगों में शामिल की गई हैं। हल्दिया बन्दरगाह का विकास बहुत आवश्यक है, परन्तु इसके लिए धन का प्रावधान नहीं किया गया है। इन मांगों में फरक्का में सुपर थर्मल पावर प्लांट के लिये भी कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल की कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शामिल किये जाने ओर इन परियोजनाओं की क्रियान्विति के लिये धन का प्रावधान करने के लिए वित्त मंत्री को प्रयास करने चाहिये।

जहां तक विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़पीड़ित लोगों के लिये अनुदान देने का सम्बन्ध है, केवल 10 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। यह एक राष्ट्रीय आपदा है और इसका मुकाबला राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना चाहिये। वित्त मंत्री को आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और पांडिचेरी के तूफान पीड़ित लोगों को राहत देने के लिये कम से कम 100 करोड़ रुपये का प्रावधान करना चाहिये। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये। केन्द्रीय सरकार को इस समस्या का समुचित समाधान करना चाहिये।

गत बजट में पिछड़े जिलों में औद्योगिक यूनिटों के बारे में उल्लेख किया गया था। परन्तु समूचे भारत के लिये इस प्रयोजनार्थ केवल 6 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योगों, विशेषकर कृषि और श्रम प्रधान उद्योगों का विकास किया जाना चाहिये। इस प्रयोजनार्थ भारत सरकार को पर्याप्त प्रावधान करना चाहिये। 6 करोड़ रुपये के बजाय 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना चाहिये। पिछड़े जिलों के विकास के लिये तथा वहां पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की दशा सुधारने के लिये पर्याप्त धन का प्रावधान किया जाना चाहिये।

श्री पूर्ण सिन्हा (तेजपुर) : खेद है कि वित्तमंत्री ने अनुदानों की पूरक मांगों में मेरे क्षेत्र के लिए कोई प्रावधान नहीं है। जैसे राष्ट्रीय पनबिजली निगम 200 करोड़ की लागत से बनाने का प्रस्ताव है परन्तु आसाम में इसकी कोई परियोजना नहीं होगी और यद्यपि आसाम में गत वर्ष दैवी विपत्ति आई थी फिर भी वहां के लिए न कोई विकास योजना बनाई गई है और नहीं कोई राहत कार्य किया गया है।

आंध्र प्रदेश और दक्षिण के अन्य राज्यों में आये तूफान को देखते हुए, योजना के बाहर राहत का प्रावधान करने के बजाय गैर-योजनागत उपप्रबन्ध लोगों के पुनर्वास के लिए किया जाना चाहिये था। सरकार को स्थायी पुनर्वास के उपाय करने चाहिये ताकि भविष्य में ऐसी विपत्ति आने पर हजारों लोगों को मृत्यु से बचाया जा सके।

मैं चाहता हूं कि दैवी विपत्तियों से राहत के लिए डॉ० रामजी सिंह द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल किया जाना चाहिये क्योंकि ऐसी विपत्तियां देश में कहीं न कहीं आती रहती हैं। यद्यपि तूफान राहत योजना 1970 में बनाई गई थी किन्तु धनाभाव में इसपर कोई अमल नही हो सका। अतः इसके लिए एक पृथक मंत्रालय बनाया जाय।

मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं परन्तु इसे अधिक समाजवादी होना चाहिये था। अबतक पेश किए गए तीन बजटों में से किसी में भी जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं।

श्री वसंत साठे (अकोला): मांग संख्या 54 में दो जांच आयोगों पर व्यय के लिए 40.63 लाख रुपये का प्रबन्ध है इसमें से 32.18 लाख रुपये केवल शाह आयोग पर हो एक वर्ष में व्यय किया जाएगा*.....

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): On a point of order. According to rules, he cannot go into the functioning of a Judicial or Semi-Judicial Statutory body.

श्री वसंत साठे : यह अनुदानों की मांगें हैं और मुझे यह कहने का पूरा अधिकार है कि शाह आयोग पर कोई राशि खर्च न की जायें। मैं वास्तविक मामले के बारे में कुछ नहीं कहूंगा जिससे जांच पर प्रभाव पड़ता हो*.....

श्री कंवर लाल गुप्त : जस्टिस शाह के बारे में की गई टिप्पणों को कार्यवाही से निकाला जायें।

Mr. Chairman: After seeing the reocrds I will decide what is to be done in this matter.

श्री कंवर लाल गुप्त:*

श्री वसंत साठे : मुझे तो बोलने दिया जायें।

सभापति महोदय : पूरक मांगों पर चर्चा का क्षेत्र सीमित है और इस संबंध में नियम स्पष्ट हैं।

श्री वसंत साठे: मैं शाह आयोग संबंधी मांग का विरोध करता हूं। क्यों?* . . .

Shri Kanwar Lal Gupta:*

*सभापति के आदेशानुसार कार्य-वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

Mr. Chairman : Shri Sathe should speak on Supplementary Grants only without mentioning names like this.

श्री वसंत साठे : मैं इस मांग का विरोध करता हूँ ।* . . .

श्री वसंत साठे : * . . .

एक माननीय सदस्य : आपको इन्हें इसको अनुमति नहीं देनी चाहिये ।

श्री वसंत साठे :* . . .

वित्त तथा राजस्व और बैंककारी मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 334 क का क्या पालन किया गया है? मैं इस पर आपका विनिर्णय चाहता हूँ।

श्री वसंत साठे : मेरी सूचना 1969 में गृहीत की गई थी और सभा के विघटन के कारण इसके लिए समय नहीं मिला था . . . **(व्यवधान)** ।

सभापति महोदय : जब तक तिथि आदि न बताई जायें, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती ।

श्री वसंत साठे : *. . . . .

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया नियम 215 और 216 देखें।

If he wants to discuss Justice Shah, he should bring a Substantive motion. He cannot bring him in during discussion on Supplementary Grants. I, therefore, move that whatever has been said about him be expunged.

सभापति महोदय : जांच के बाद यदि आवश्यक हुआ तो मैं इसे कार्यवाही से निकाल दूंगा ।

श्री नरेन्द्र पी० नाथवानी (जूनागढ़) : नियम 353 के अधीन ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया जा सकता विशेषकर ऐसा निन्दापूर्ण उल्लेख तो कदापि नहीं किया जा सकता ।

श्री वसंत साठे : * ....

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री शान्तिभूषण) : इसके अलावा नियम 352 (पांच) और नियम 353 के अधीन कोई सदस्य बिना अध्यक्ष को पूर्व सूचना दिए ऐसे वक्तव्य नही दे सकता ।

श्री एच० एम० पटेल : उनकी प्रत्येक टिप्पणी को निकाल दिया जाना चाहिए ।

सभापति महोदय : मैं वाद-विवाद का अध्ययन करने के पश्चात् ऐसा करूंगा ।

श्री वसंत साठे: मैं इस मांग का विरोध करता हूं ।

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : आप श्री मोहसन को इसका विश्वास नहीं दिलाते ?

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
The Deputy Speaker *in the Chair*]

* सभापति के आदेशानुसार सभा की कार्यवाही से निकाल दिया गया। ।

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : इस कार्य के लिए एक घण्टे का समय नियत है जो पूरा हो चूका है। कृपया इसे नियत समय में ही निपटाने का प्रयास करें।

Shri Manohar Lal (Kanpur) : I support the Demands of Supplementary grants now before the House. During elections we were always asked by the people whether action would be taken against Smt. Gandhi and her son as also Shri Bansi Lal and others who committed excesses during Emergency and we had promised to do so. In fact we should have straight away put them behind bars rather than getting their conduct enquired with through these Commissions **(Interruptions).** Then, we would have been saved of the unrest and sabotage being witnessed in the country to-day. I, therefore, demand that they should be put behind bars.

Finance Ministry should give due attention to people the expectations of the people. The Janata Government has been doing whatever is possible for them to do for the cyclone-affected people. But whatever has been done, it is too meagre and a good deal still remains to be done.

The conditions imposed for the withdrawal of CDS amount should be withdrawn. The agreement that was made with LIC in 1974 and revoked during the period of emergency, should be restored so that employees may get bonus.

It is said that a large expenditure is being incurred on Shah commission. But the fact is that it is too less and there should have been more expenditure on it.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय उत्तर देंगें :

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : कहा गया है कि दक्षणि भारत में समूद्री तूफान मे हुए भारी विनाश का सामना करने के लिए केन्द्र ने आवश्यक संशोधन नहीं जूटाये हैं। तूफान चाहें कितना भी भयंकर क्यों न हो हमें कुछ नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार ही उसका सामना करना होता है। प्रश्न यह है कि सहायता किस तरह दी जायें। केन्द्र ने छटें वित्त आयोग के प्रतिवेंदन द्वारा निर्धारित योजनाओं के अनुसार कार्य किया है। उसके अनुसार एक समति को तूफान ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए और फिर वह अपनी सिफारीशो देती है जिसके आधार पर सरकार राशि नियत करती है। योजना की अग्रिम राशि नियतन के रूप में ऐसा किया गया है। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि योजना को कार्यान्वित करते समय क्या होगा। अतः सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय खोजनें होंगें कि योजना एवं योजनागत प्रस्ताओं में कमोबेंशी न हो। ऐसा करना पड़ता है और करना पड़ेगा ! इस आश्वासन से इस समय राज्यो की विकास योजनाओं पर प्रतिकुल प्रभाव नही पड़ने दिया जायेगा।

दुर्भाग्यवश, क्षति का अनुमान और जनता के पुनर्वास के लिए आवश्यक धन राशि का अनुमान लगाना बहुत बड़ा कार्य है लेंकिन इसे एक या दो महीने में पूरा नहीं किया जा सकेगा। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भी अभी तक 10 करोड़ रुपया मंजूर किया है। जैसा कि प्रधान मंत्री ने स्पष्ट रूप में कहा है कि इस भारी विनाश से उत्पन्न समस्या का सामना करने में धन का अभाव नहीं होने दिया जाएगा। मैं भी ऐसा ही आश्वासन देता हुं। यद्यपी जो धन अब दिया गया है वह अग्रिम योजना राशि के रूप में हीं दिया गया है। लेंकिन हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगें कि विकास कार्य में बाधा न पड़ें।

[श्री एच० एम० पटेल]

जहां तक खाद्यान्नों का सम्बन्ध है जितना खाद्यान्न मांगा गया था हमने भिजवा दिया है ।

कहा गया है कि बनों को नहीं काटना चाहिए बल्कि उनकी देखभाल की जानी चाहिए । हमें इस मामलें की पूरी चिन्ता है और इस सम्बन्ध मे पूरी सावधानी बरत रहें हैं । तथा अधिकाधिक बनारोपण कर रहें है ।

कुछ सिंचाई परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है । सरकार सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और जिन परियोजनाओं को स्वीकृति मिल जाती है उन्हें पूरी तेजी के साथ कार्यान्वित किया जाता है ।

जहां तक इन्दिरावती योजना का सम्बन्ध है, इसका नए सिरे से सर्वेक्षण किया जा रहा है क्योंकि पहले किया गया सर्वेक्षण पर्याप्त नहीं है ।

इस वर्ष के बजट प्रस्तावों के एक अंग के रूप में लघु उद्योग निर्माताओं को एक वित्तीय वर्ष में 30 लाख रुपयें मूल्य के उत्पादनों पर ही उत्पाद शुल्क की अदायगी से छूट मिलेगी बशर्ते कि पहले वित्तीय वर्ष में उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का मूल्य 30 लाख रुपयें से अधिक न हो ।

जहां तक पिछड़े क्षेत्र में औद्योगिक एककों का सम्बन्ध है इस बारे में यह कहा गया है कि हम इस ओर ध्यान नहीं दे रहें है । सही स्थिति यह है कि मूलत: बजट में इसके लिए 10 करोड़ रुपयें का आबंटन किया गया था । अब हम 5 करोड़ रुपया और मांग रहें है । अत: हम पिछड़ें क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक कार्य करने का प्रयास कर रहें है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

All the cut-motions were put and negatived

उपाध्यक्ष द्वारा वर्ष 1977-78 के लिये बजट (सामान्य) सम्बन्धी अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगे सभा के मतदान के लिये रखी गई और स्वीकृत हुई :—

Following Supplementary Demands for grants in respect of the Budget (General) for 1977-78 were PUT and adopted.

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की मंजूरी के लिए पेश की जाने वाली अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3	
कृषि और सिंचाई मंत्रालय		**राजस्व रुपए**	**पूंजी रुपए**
2. कृषि		10,00,00,000	..
5. वन		1,00,000	..
7. ग्रामीण विकास विभाग . .		20,00,00,000	..

1	2	3	4
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
12.	रसायन और उर्वरक उद्योग .	25,01,86,000	3,01,89,000
	वाणिज्य मंत्रालय		
16.	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन .	29,00,00,000	139,87,00,000
	ऊर्जा मंत्रालय		
32.	विद्युत विकास . . .	6,11,01,000	117,80,00,000
	विदेश मंत्रालय		
34.	विदेश मंत्रालय . . .	..	5,38,00,000
	वित्त मंत्रालय		
40.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की अंतरण . . .	121,95,00,000	..
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
49.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य .	4,29,30,000	87,76,000
	गृह मंत्रालय		
53.	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	10,92,000	..
56.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय . .	2,000	..
	उद्योग मंत्रालय		
63.	उद्योग . . .	5,00,00,000	20,00,000
64.	ग्राम और लघु उद्योग . .	..	4,50,00,000
	नौवहन और परिवहन मंत्रालय		
82.	पत्तन, दीप स्तम्भ और नौवहन .	..	20,55,00,000
	इस्पात और खान मंत्रालय		
84.	इस्पात विभाग . . .	..	1,000
86.	खाने और खनिज . .	..	12,20,79,000
	पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय		
89.	पुनर्वास विभाग . . .	3,86,00,000	..
	परमाणु ऊर्जा विभाग		
100.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, विकास और औद्योगिक परियोजनाएं .	..	5,00,00,000
	अंतरिक्ष विभाग		
105.	अंतरिक्ष विभाग . . .	..	56,00,000

विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1977

APPROPRIATE (NO. 4) BILL, 1977

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1977-78 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1977-78 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

श्री एच० एम० पटेल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1977-78 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1977-78 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार आरम्भ करते हैं । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसची विधेयक में जोड दिये गये
Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियम, सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी विधेयक में जोड़े दिये गये
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

सुन्दरबन क्षेत्र के विकास के बारे में प्रस्ताव
MOTION *RE.* DEVELOPMENT OF SUNDERBANS

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हारबर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन की गरीबी और पिछड़ेपन पर चिन्ता व्यक्त करती है और सिफारिश करती है कि 1977 में एक संसदीय दल उस क्षेत्र का विस्तृत दौरा करे और साथ ही साथ केन्द्र सरकार—

(क) समुद्र से आने वाले खारी पानी से लोगों और उनकी भूमि की रक्षा करें ; और

(ख) (एक) उस क्षेत्र की सिंचाई करने ; और

(दो) उस क्षेत्र के गम्भीर पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कार्यवाही करे ।"

सुन्दरबन क्षेत्र बंगला देश की सीमा पर स्थित है और समुद्र के किनारे है और हिन्द महासागर में अमरीकी सैनिक अड्डे दियेगी गार्सिया की ओर सीधा मार्ग जाता है । इसलिये यह क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील है। इस क्षेत्र की सुरक्षा, इसको वास्तविक विकास अर्थात संचार, रेल-परिवहन, मार्ग-परिवहन, जल-मार्ग परिवहन आदि का विकास और प्रगति करने से ही इसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है । इस क्षेत्र के लोग बहुत अधिक गरीब हैं । यहां घोर क्षेत्रीय असन्तुलन व्याप्त है ।

हाल के वर्षों में इस क्षेत्र की उर्वरता बहुत कम हो गई है । यहां वर्ष में एक ही फसल होती है । इतनी कम फसल उगाने पर भी वहां के लोग अत्यधिक खतरे में है क्योंकि यहां समुद्र का खारा पानी भूमि को उनुर्वर बना देता है ।

इसे राष्ट्रीय समस्या माना जाये सुन्दरन के विकास में मुख्य बाधा समुद्री खारी पानी के प्रवाह-आक्रमण की है । इसे स्थायी तौर पर रोकना होगा । केवल राष्ट्र का कोष ही प्रकृति की ऐसी चुनौती का सामना कर सकता है क्योंकि सीमित संसाधनों वाली राज्य सरकार से ऐसे चुनौती का सामना करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती और न ही वह इस चुनौती का सामना करने में सक्षम है ।

इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए लगभग 3500 किलोमीटर लम्बा सीमित तटबन्धन किया गया है, जो अत्यन्त अस्थायी है । यदि वहां समुद्री खारे पानी के आक्रमण से जन-धन और भूमि की रक्षा करनी है तो यदि सम्भव हो सके तो हमें ईटों से पका तटबन्ध बनाना चाहिए । इस तटबन्ध को बहुत ही मजबूती से बनाया जाना होगा क्योंकि समुद्र को टक्कर बहुत तेजी से लगती है ।

सौभाग्य की बात है कि केरल में आई प्राकृतिक आपदा से लोगों को बचाने और भूमि को समुद्र के आक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कदम उठाये है । केन्द्रीय सरकार को उदारता से सुन्दरबन के लोगों की गरीबी, विनाश और आपदाओं से रक्षा करनी चाहिए ।

बहु फसली और फसल वैभिन्य कार्यक्रम सघन रूप में चलाना चाहिए । वहां वाणिज्यिक और नकद फसले उगाना अत्यावश्यक है । यह कृषि प्रधान क्षेत्र है जहां 88.53 प्रतिशत लोग कृषि करते हैं।

सुन्दरन की प्रतिव्यक्ति आय सबसे कम है । 5 सदस्यों के परिवार की मासिक आय 185 रुपये है जो प्रतिव्यक्ति 37 रुपये मासिक बैठती है ।

वहां ऊपरी जल का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए जो अत्यन्त आवश्यक है और वहां पेट्रोलियम तथा अन्य खनिजों का पता लगाने के लिए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ।

[श्री ज्योतिर्मय बसू]

अप्रैल, 1973 में भारत सरकार के दल तथा भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने इस क्षेत्र का दौरा किया था और उन्होंने बताया है कि वहां कपास, तिलहनों,दालों और चुकन्दर के उत्पादन की भारी सम्भावनाएं हैं ।

इस के बाद जल निकासी की समस्या महत्वपूर्ण है । कपास उगाने के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए । सुन्दरबन क्षेत्र में सूरजमुखी का फूल बहुत उगता है। इसके उगाने की वहां बहुत अधिक सम्भावना ह ।

प्रधान मंत्री को सुन्दरबन के लिए एक सैल बनाना चाहिए और अबतक जो सिफारिशें एवं निष्कर्ष दिए गए हैं उनके ब्यौरों की जांच करनी चाहिए । इससे सरकार का भारी मार्गदर्शन होगा ।

वहां वन एवं मत्स्यपालन तथा कृषि पर आधारित और कुटीर उद्योगों का विकास किया जा सकता है। वहां नमक का उत्पादन भी आरम्भ किया जा सकता है । वहां संचार तथा परिवहन व्यवस्था का निर्माण करने की दिशा में सरकार को ध्यान देना चाहिए। ग्रामीण विद्युतीकरण, पशुपालन तथा मुर्गी पालन फार्मों की ओर भी ध्यान देना चाहिए ।

वन क्षेत्र के 2 प्रतिशत बंजर भूमि हैं । इस बंजर भूमि में नारियल के पेड़ लगाये जा सकते हैं तथा घने जंगल में बागबानी की जा सकती है ।

लोकलेखा समिति ने कहा है कि रेलवे को पिछड़े क्षेत्रों में मुनाफा नहीं कमाना चाहिए । जहां लोग गरीब हैं वहां रेलवेको केवल 10 प्रतिशत लाभ कमाना चाहिए । रेलवेलाइन बज-बज में ही नहीं बल्कि काकद्वीप नामखाना में भी बिछाई जानी चाहिए ।

जल-प्रदाय , शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हाथ करघे, प्राथमिक स्कूलों आदि के मामले में इस क्षेत्र की बहुत उपेक्षा की गई है । जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है प्रति एक हजार जनसंख्या के लिए केवल 0.8 स्कूल हैं । पक्की सड़के भी बहुत कम हैं। पक्की सड़के की लम्बाई प्रति एक हजार व्यक्ति 0.23 किलो मीटर है । इस विशाल क्षेत्र में कुल 28 मील लम्बी रेलवे लाईन हैं । इस क्षेत्र में जल-मार्ग परिवहन व्यवस्था का विकास करना अत्यन्त आवश्यक है ।

इस क्षेत्र में पवनचक्कियां बहुत सफल सिद्ध हो सकती है । एक पवनचक्की बहुत अधिक काम कर सकती है ।

वहां, शकरकंदी, चुकन्दर और मिर्चो के अलावा खरबूजा भी बोया जा सकता है । वहां केवल परिष्करण सुविधा का अभाव है ।

यह इतना विशाल क्षेत्र है जहां मत्स्य पालन का विकास किया जा सकता है । यह सुहाने वाला क्षेत्र मत्स्य पालन फार्म हैं और हेनरी द्वीप में खारा पानी है जहां प्राउन और अन्य बढिया किस्म की मछलियों के विकास के लिए नियंत्रित तालाब बनाये जा सकते हैं । वहां विभिन्न किस्म की मछलियों के पालन का विकास किया जा सकता है ।

सुन्दरबन में बड़े-बड़े जमींदार हैं । वहां भूमिसुधार कार्य बहुत आवश्यक हैं ।

मैंने यह मामला इस सर्वोच्च मंच पर इस आशा से उठाया है कि केन्द्रीय सरकार इस क्षेत्र को विशेष क्षेत्र के रूप में मानेगी और हमें अधिकतम राशि देगी जिससे सुन्दरबन का समुद्र के पानी से होने वाला कष्ट, दुःख और कठिनाईयों को बचाया जा सके ।

श्री शक्ति कुमार सरकार (जयनगर) : सुन्दरबन के बारे में चर्चा मे केवल हमारे लिए महत्व-पूर्ण है आपके समूचे राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। सुन्दरबन विशाल पिछड़े क्षेत्रों में से एक है और देश में अत्यंत दुर्गम क्षेत्र है । यहां एक इंच पक्की सड़क देखने को नहीं मिलेगी । यह इतना अधिक पिछड़ा क्षेत्र है कि यहां के पिछड़ापन का अनुमान लगाना कठिन है ।

इस समय इस क्षेत्र को जनसंख्या लगभग 23 लाख है और 6.4 लाख एकड़ भूमि में खेती होती है । इसका यह तात्पर्य हुआ कि प्रति व्यक्ति 0.3 एकड़ भूमि है । अत: भूमि वितरण मात्र से इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती । इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अन्य साधन अपनाने चाहिए ।

इस क्षेत्र में वर्ष भर में केवल एक फसल होती है और कृषि करने के बाद लोगों का और व्यवसाय नहीं है । धान की फसल काटने के बाद वहां के लोग शहरों में आकर भीख मांगते हैं। उनमें से अधिकांश लोग कलकत्ता की पटरियों पर रहते हैं । कलकत्ता की सड़कों पर रहने वाले लोगों में से 60 प्रतिशत सुन्दरबन क्षेत्र के निवासी हैं ।

राज्य सरकार के सीमित संसाधन होने के कारण वह इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई योजना हाथ में लेने की स्थिति में नहीं है । केन्द्र को न केवल सुन्दरबन के विकास के लिए ही बल्कि भारत के सभी पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए सामने आना चाहिए।

समुद्र के खारी पानी के भूभाग में प्रवेश करने से करोड़ों रुपये मूल्य की मछलियां भी पानी के साथ बह कर जाती है । वहां कोई समानान्तर उद्योग नहीं है । पश्चिम बंगाल में मत्स्यपालन के विकास की महती आवश्यकता है हमने 1967 में केवल कलकत्ता शहर की मछलियों की आवश्यकता का ही अनुमान लगाया था । प्रतिवर्ष 72 करोड़ रुपये मूल्य की मछलियों की कलकत्ता की मांग थी । वहां 22 करोड़ रुपये की ही, मछलियां सप्लाई की जाती है । इस 22 करोड़ में से पश्चिम बंगाल का योगदान केवल 5-6 करोड़ रुपये का है अर्थात 15 करोड़ रुपये मूल्य की मछलियां अन्य राज्यों से मंगाई जाती है । यदि अपनी आवश्यकता के अनुसार भी मछलियों का उत्पादन करे तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था में इतना सुधार होगा, कि हम सुन्दरबन का स्वत: विकास कर सकेंगे। इस के लिए किसी बड़ी योजना की आवश्यकता नहीं है ।

इस प्रस्ताव में प्रस्तावक ने कपास की दूसरी फसल पैदा करने की ही मांग की है। कपास की खेती वहां बिलकुल असफल रहेगी। भले ही वहां की मिट्टी इसके अनुकूल हो लेकिन वहां का मौसम और वातावरण अनुकूल नहीं है । यह भी सन्दिग्ध है कि वहां दूसरी फसल के लिए पानी उपलब्ध हो पायेगा या नहीं। वहां दूसरी फसल की आवश्यकता है । यह गेहूं या चावल की फसल जैसी नहीं होनी चाहिए। वहां बारानी खेती होनी चाहिए। वहां की अवशिष्ट न भी सूर्यमुखी के फूल जैसी वाणिज्यिक फसल दे सकती है जिससे सुन्दरबन को लाभ हो सकता है। अत: योजना मंत्री को ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे वहां बारानी खेती को सफलता मिले ।

सुन्दरबन में बागबनी की बहुत सम्भावना है । नारियल की बहुत अच्छी खेती हो सकती है । सुपारी और मिर्च भी बोई जा सकती हैं। बांस की खेती का भी विकास किया जा सकता है । इससे आय बढ़ सकती है । बांस का उपयोग घरेलु आवश्यकताओं के लिए ही नहीं होता इसका औद्योगिक उपयोग भी है । पशुपालन का विकास किया जाना चाहिए । कलकत्ता मार्किट शिशु आहार की मासिक मांग 550 टन की है। शिशु आहार दूसरे राज्यों से मंगाकर ही कलकत्ता की मांग पूरी की जाती है। यदि हम सुन्दरबन में पशुपालन का विकास करें तो हम यह धन बचा कर इस क्षेत्र के विकास पर खर्च कर सकते हैं ।

[श्री शक्ति कुमार सरकार]

यहां पर्यटन की भी बहुत गंजाईश है । सुन्दरबन अत्यन्त सुन्दर और मनोहरी क्षेत्र है और सुन्दरता में भारत में इसके सदृश्य और कोई स्थान नहीं है । यदि यहां पर्यटन का विकास किया जाये तो हम विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं ।

इस क्षेत्र में न रेलें हैं और न ही सड़के । केवल थोड़े से इलाके में रेलें हैं । स्वतंत्रता से पहिले तो सड़के थी ही नहीं, अब कुछ है परन्तु काफी बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां अब भी सड़के नहीं हैं । गोसावा में सात द्वीप है परन्तु संचार साधनों का नितान्त अभाव है । राष्ट्रीयकृत क्षेत्र में सरकारी मोटर नौकाएं चलाई जाए । परन्तु यदि सचमूच पिछड़े क्षेत्रों का विकास अभीष्ट है तो रेलों का निर्माण आवश्यक है ।

24 परगाना जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है । इस दो भाग में बटा बदल जाए उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र के दो अलग अलग जिले होने चाहिए । सुन्दरबन को दक्षिणी भाग में रखा जाए ; जब तक ऐसा नहीं होता इस क्षेत्र का विकास असम्भव है । इस क्षेत्र कों पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए ।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : भारत एक गरीबी का रेगिस्तान है जहां कही-कहीं सम्पन्नता के छोटे-छोटे नखलिस्तान है और यदि इस सारे रेगिस्तान को सम्पन्न नहीं बनाया जाता, तो सम्पन्नता के सभी नखलिस्तान रेगिस्तान में बदल जाएंगे ।

पश्चिम बंगाल एक विभाजित राज्य है । संयुक्त बंगाल में पूर्वी भाग में कृषि उत्पाद होते थे और कलकत्ता तथा इसके उप-नगरों में औद्योगिक सामान का उत्पादन होता था । विभाजन होने पर अनाज पैदा करने वाला अधिकतर भाग पूर्वी है पाकिस्तान, अब बंगला देश में चला गया । इस प्रकार इस समय पश्चिमी बंगाल गरीबी का रेगिस्तान रह गया है, केवल कलकत्ता और आसनसोल-दुर्गापुर के आस-पास का कुछ क्षेत्र सम्पन्न हैं। शेष बंगाल कृषि की दृष्टि से पिछड़ा है, यहां उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है और अधिक तर लोग गरीबी से नीचे के स्तर पर रहते हैं ।

इस दृष्टि से हमें सुन्दरबन की समस्या पर विचार करना चाहिए । आज स्थिति यह है कि पश्चिम बंगाल दिनोदिन आर्थिक दृष्टि से पिछड़ता जा रहा है क्योंकि इसका औद्योगिक आजार औपनिवेशिक था, तथा उपनिवेशवादियों के जाने के बाद और कलकत्ता बन्दरगाह की दशा धीरे-धीरे बिती जाने की कारण इसकी आर्थिक दशा में गिरावट आती जा रही है ।

पश्चिम बंगाल चावल खाने वाला प्रदेश है । परन्तु वह चावल के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर नहीं । इसे उड़ीसा या आन्ध्र प्रदेश से चावल लाना पड़ता है । तूफान के बाद आन्ध्र प्रदेश की अधिकतर फसल नष्ट हो गई है और उड़ीसा हमें केवल दो महीने का भोजन दे सकता है । यदि सुन्दरबन का उचित रूप में विकास किया जाए तो वह पश्चिम बंगाल के लिए अनाज का भण्डार हो सकता है और राज्य चावल के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर हो सकता है ।

पश्चिम बंगाल का आज का सुन्दरबन वह सुन्दरबन नहीं रहा है जैसा विभाजन के पहले था । उस समय इसका क्षेत्रफल 8000 वर्ग मील था । इसका अधिकतर भाग बंगला देश में चला गया है । इस समय हमारे पास लगभग 4000 वर्ग मील का क्षेत्र है जितकी जन-संख्या लगभग 20 लाख है ।

यहां बसाए गये शरणार्थियों ने प्रकृति, बनों और प्राकृतिक विपत्तियों का सामना कर के अपने घर बनाए हैं। तूफान अथवा राष्ट्रीय विपत्ति आने पर या बांध टूटने पर कोई फसल नहीं होगी । यही मुख्य

समस्या है । यदि हम इन लोगों की फसल को समूद्र के क्षरण और खारेपन से बचा सकें तो इस क्षेत्र को बचाया जा सकता है ।

सुन्दरबन के विकास का काम राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता, भले ही वह कितनी ही साधन सम्पन्न क्यों न हो । केन्द्र से बड़ी मात्रा में सहायता मिले बिना कुछ नहीं किया जा सकता । पहली आवश्यकता यह है कि केन्द्र उस क्षेत्र के विकास के लिए बड़ी मात्रा में धन लगाए ।

बड़े खेद की बात है कि भूमि सुधारों की ओर उचित महत्व नहीं दिया गया है । सुन्दरबन में भूमि की अत्यधिक कमी है । जैसा हो गया इस समय सुन्दरबन में है यदि वैसा ही चलता है तो इस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता । भूमि सुधारों से समस्या हल नहीं होगी जबतक कि किसानों को आवश्यक ऋण और अन्य साधन नही दिए जाते इसलिए सहयोग की अत्यन्त आवश्यकता है । किसानों पर जोर डाला जाए और आवश्यक हो तो उन्हें बाध्य किया जाए कि वे सहकारी समितियां बनाएं । केवल तब ही सुन्दरबन के किसान अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं ।

भारतीय स्टेट बैंक ने सुन्दरबन की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की परियोजना रिपोर्ट तैयार की है । यह केन्द्र सरकार और भारतीय स्टेट बैंक के मुख्यालय में पड़ी है । उसे लागू करने के लिए बैंक ने कुछ नहीं किया यद्यपि कुछ शाखाएं तो वहां खोली हैं ।

जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है यह बताया गया है कि सुन्दरबन पर बाहरी प्रभाव पड़ने का बहुत खतरा है । मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि उस क्षेत्र में बाहरी प्रभाव डाला जा रहा है। 'टाइगर' परियोजना के अन्तर्गत मगरमच्छ फार्म के नाम पर विदेशी घुसपैठ सुन्दरबन में हो रही है । वहां अमरीकी जा रहे हैं और पता नहीं उनकी नीयत क्या है । हमें इस सम्बन्ध में बड़ा सावधान रहना चाहिए ।

प्रधान मंत्री और केन्द्र सरकार सुन्दरबन के विकास को एक पाइलट परियोजना के रूप में चलाए और देश के अयोजना विशेषज्ञ इस पिछड़े प्रदेश के विकास को एक चूनौती के रूप में लेकर इसे अभाव वालेक्षत्र से बदल कर अनाज का भण्डार बनाएं ।

श्री चित्त बसु (बारासाट): सुन्दरबन का 44.3 प्रतिशत क्षेत्र 1911 में सुरक्षित वन घोषित कर दिया गया था । इस क्षेत्र की समूची अर्थ व्यवस्था खेती पर आधारित है और वह भी केवल एक 'अयान' धान की फसल पर । सुन्दरबन में 94.61 प्रतिशत परिवार कृषि पर आधारित है, केवल 5.39 प्रतिशत परिवार ही और कोई रोजगार करते है ।

क्षेत्र के कुछ खेतोहर परिवारों में से 54 प्रतिशत परिवार भूमिहीन है । भूमिधारी परिवारों में से 85.72 प्रतिशत सीमान्त किसान है और उनके पास अपनी केवल 2 एकड़ भूमि है । परिणामतः सुन्दरबन की 50 प्रतिशत जनसंख्या ऋण ग्रस्त है ।

सुन्दरबन की पूरी जानकारी पाने के बाद अब समूचा देश वहां की स्थिति सुधारने के तरीके खोजे । मैं इस क्षेत्र के विकास कार्यक्रम में ठोस प्रक्रिया अपनाई जाए तथा विकास कार्यक्रमों में इन बातों को ध्यान में रखा जाए; विकास के सामने आने वाली रुकावटों को दूर करना, जैसे बाढ़ समस्या तथा खारे पानी के आने से पैदा हुई समस्या; भूमि सुधारों का बड़े पैमाने पर लागू करना, प्राकृतिक संसाधनों जसे मछली और वनों का और अधिक कुशलता और नियोजित रुप में उपयोग, या चिकित्सा और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का दिया जाना । विकास कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक उचित क्षेत्र का होना भी बहुत आवश्यक है ।

[श्री धीरेन्द्र नाथ बसु पीठासीन हुए
Shri Dhirendranath Basu *in the Chair*]

[श्री चित्त बसू]

सुन्दरबन विकास बोर्ड ने एक परियोजना बनाई है जिसपर 86 करोड़ रुपये की लागत आने की सम्भावना है । इतना अधिक वित्तीय भार होने के बावजूद पश्चिम बंगाल की सरकार सुन्दरबन के विकास के लिये एक करोड़ रुपया देने को राजी हो गई है । सुन्दरबन विकास निगम को 'केयर' का सहयोग भी प्राप्त है । उन्होंने इसमें 1.20 करोड़ रुपये का योगदान किया है । केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल की सहायता की आगे आये । वह उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता दे ।

बज-बज-तानकान्त रेलवे लाइन के निर्माण का उल्लेख किया गया । सुन्दरबन के विकास के आधार के निर्माण के लिये यह लाइन बहुत आवश्यक है । रेल मंत्री इसकी स्वीकृति तुरन्त दें जिससे आधार तैयार किया जा सके ।

पश्चिम बंगाल बिजली के अभाव से ग्रस्त है । राज्य बिजली बोर्ड का सुझाव है, यदि सुन्दरबन में तेज गति से बहने वाली नदियों का उचित उपयोग किया जाये तो वहां पन बिजली का उत्पादन किया जा सकता है । उस क्षेत्र के औद्योगीकरण के लिए और सामाजिक परिवर्तन के लिए यह आवश्यक है ।

Shri Ugrasen (Deoria): There is about 10 lakhs of acres of land in Sunderban and 54% of it is forest land. The population there is about 22 or 23 lakhse and 90% of it depends on land. The IARI report says that the land in Sunderban is most suitable for the growth of cotton. If better scientific methods of agriculture are adopted and if the farmers there are supplied traders seeds or fertilisers at cheaper rates, there is no reason why it may not be possible for them to grow better quality cotton.

It is said that the Planning Commission has a scheme in this regard under which Rs. 200 crores will be spent. But the fact is that there is no dearth of schemes, but they are not implemented in practice.

I will, therefore, suggest that a time bound programme should be drawn up for the development of Sunderban area under which steps should be taken to develop agriculture with a view to growing more cotton and also to set up small industries in this area.

श्री वयालार रवि (चिरचिकिल) : यह कहना ठीक ही है कि सुन्दरबन पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े जिलों में से है । इसलिये पश्चिम बंगाल सरकार इसे दो भागों में बांट दे जिससे इस क्षेत्र की ओर अधिक ध्यान दिया जा सके । वहां जमींदार लोगों का शोषण करते है । भूमि कानूनों की वहां अच्छी तरह लागू नहीं किया गया है । यदि लोग पिछड़े है तो उनका शोषण नहीं होना चाहिये । वहां कानून का राज्य होना चाहिये । किसी भी कानून को अपने हाथ लेकर लोगों को दण्डित करने का अधिकार नहीं होना चाहिये । तथापि मैं श्री बसु के संकल्प का समर्थन करता हूं ।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : सुन्दरबन विकास सम्बन्धी विषय पर कोई विवाद नहीं हो सकता । दिये गये तथ्यों पर मैं कोई विवाद नहीं उठाना चाहता । लेकिन केवल यही क्षेत्र ऐसा नहीं है । इस देश में और बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं और हमें यह देखना है कि इन सभी क्षेत्रों का विकास हो ।

इसलिए यह कहा गया है कि हमें जो इन क्षेत्रों के विकास मार्ग में बाधा बनने वाली बातों की अपेक्षा अन्य बहुत सी बातों पर अधिक ध्यान देना है । लेकिन हमें दोनों पहलुओं पर समान रूप से ध्यान देना होगा । हम एक ही पहलू पर ध्यान नहीं दे सकते ।

फिर संसाधनों का प्रश्न आया है । संसाधन सीमित हैं । जब हम अधिक संसाधन जूटाने का प्रयास करते हैं तो यह मांग की जाती है : यह कर समाप्त करो, वह कर समाप्त करो और इसका कोई विकल्प नहीं सुझाया जाता कि इन परियोजनाओं के लिए कैसे धन जूटाया जाये । इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है । सुन्दरबन का क्षेत्रफल 8000 वर्ग मील है जिस में से 3000 वर्ग मील हमारे पास है और 5000 वर्ग मील बंगला देश में है । अतः हमें विकास कार्य के मामले में यह ध्यान रखना होता है कि किसी विकास कार्य से कोई ऐसी कठिनाई न खड़ी हो जिससे दोनों देशों के बीच एक नई समस्या उत्पन्न हो जाए । लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हमें यह काम करना ही नहीं चाहिए । हमें विकास काम करना चाहिए लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा ।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने 16.5 करोड़ रुपए लागत की एक योजना बनाई है । जिस की योजना आयोग ने मंजूरी भी दे दी है । योजना पूना स्थित विशेषज्ञों समिति के पास भेज दी गई है जिसने सभी जल समस्याओं पर विचार किया हैं । हमें इस पर इस प्रकार से कार्य करना है जिससे दूसर स्थानों पर पानी न भरने पाये ।

यदि यह कहा जाये कि यह केवल केन्द्र का ही कार्य है तो क्या केन्द्र को उन्हे पूरा करने के लिए शक्ति अपने हाथों में ले लेनी चाहिए ? यह अत्यधिक घातक रहेगी राज्य अधिक शक्तियां और अधिक रुपया चाहते है। किन्तु जब धन प्राप्त करने का अवसर आता है तो यह कहा जाता है कि "आप धन कमाते है" । हमें उन क्षेत्रों की अधिक धन देना होता है जो अधिक विकसित क्षेत्रों की तुलना में कम विकसित होते हैं। केन्द्र को इन सभी बातों को ध्यान में रखना होता है और केन्द्र को इन सभी परियोजनाओं को सहायता देनी होती है । मैं यह नहीं कहता कि राज्यों को ही यह सब करना चाहिए । लेकिन राज्य को इन लोगों तथा इन क्षेत्रों के लिए अधिकतम करना होगा । और हम यह कर रहे हैं। हम चाहते है कि यह कार्य हो ; हम बहुत सहानुभूति करते हैं। केवल साधनों का पता लगाना होता है और एजेंसियों को समुचित रूप से यह कार्य करना होगा हम भी इसी कार्य में व्यस्त हैं ।

इन क्षेत्रों से सम्बन्धित अन्य मामलों के लिए 18 करोड़ रुपये की लागत की एक दूसरी योजना बनाई गई है । इन सभी को बड़ी सावधानी से और तेजी से जांच हो रही है और इन कार्यों को शीघ्र आरम्भ करने के लिए कदम उठाये जायेंगे और यह भी देखा जायेगा कि अन्य क्षेत्रों को हानि पहुंचाये बिना इन्हें कार्यान्वित किया जाय । उदाहरणार्थ रेलवे योजना हैं। यह अभी मंजूर नहीं हुई है । इस पर विचार हो रहा है । रेलवे लाइन का इन तटबन्धों तथा अन्य बातों पर प्रभाव पड़ेगा । प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों हो ? 1830 से पहले सुन्दरबन जंगल था । वहां कोई नहीं रहता था फिर बाद में वहां लोगों को बसाना आरम्भ किया गया और वहां लोग उस क्षेत्र में खेती करने लगे । इस बात के बारें में तो सोचा भी नहीं था । इसीलिये ये सभी बूराइयां पैदा हुई । हमें इन सभी बातों पर विचार करना है और इनका समाधान करना है जिन से वहां खार के कारण उर्वरता पर विपरित प्रभाव पड़ा है । इन सभी बातों पर विचार किया जा रहा है ।

[श्री मुरारजी देसाई]

हम वहां अधिक मत्स्यपालन कर सकते हैं और हम वन का भी उपयुक्त विकास कर सकते हैं जिस से हम वहां लोगों को रोजगार और धन भी दे सके। हम वहां हथकरघा और लघु उद्योग भी स्थापित कर सकते हैं। ये सभी कुछ इस तरह से करना होगा जिस से वहां प्रत्येक क्षेत्र का समान विकास हो सके। योजना आयोग भी इस मामले की अपने स्तर पर जांच कर रहा है। हम अविलम्ब हर सम्भव कार्य करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : माननीय प्रधान मंत्री ने बड़ी विद्वता से कहा है कि और बहुत से पिछड़े क्षेत्र हैं। यह सच है कि देश में और बहुत पिछड़े क्षेत्र हैं जिनकी ओर अविलम्ब ध्यान देना है। लेकिन समुद्री पानी के खारेपन की ओर विशेष ध्यान देना होगा। इस समस्या को राष्ट्रीय दायित्व के रुप में लेना होगा। यह कार्य 9 या 10 वर्ष की अवधि में पूरा होगा। कुल परिव्यय 13 करोड़ रुपये का है। अतः इस पहलू को राष्ट्रीय दायित्व के रुप में मानना चाहिये और इसके लिये राज्य सरकार तथा केन्द्र को संयुक्त रुप से धन जूटाकर जूटाना चाहिये।

बज-बज में सम्पूर्ण रेलवे लाइन भूमि पर ही है। तटबन्धों पर रेलवे लाईन है ही नहीं। वहां पर रेलवे लाइन बिछाना अनिवार्य है। रेलवे बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है और योजना आयोग से अनुरोध किया है कि इसे शीघ्र मंजूरी दी जाये। लेकिन योजना आयोग से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। प्रधान मंत्री योजना आयोग से कहें कि वह इस परियोजना को शीघ्रातो शीघ्र स्वीकृति दें।

सभी पिछड़े क्षेत्रों और सुन्दरबन के लिये योजना आयोग में एक विशेष विभाग बनाने की आवश्यकता है जो इन क्षेत्रों में विकास कार्य करने के लिये सभी प्रकार से सक्षम हो।

सभापति महोदय : क्या मैं प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रखू या माननीय सदस्य इसे वापस लेंगे ?

श्री मोरारजी देसाई : माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में आश्वासन चाहते थे। वह मैंने पहले ही दिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रधान मंत्री ने पहले ही आश्वासन दे दिया है। अतः वहां पर किसी समिति के जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। अतः सदस्य अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि सभा का यही इच्छा है तो मैं अपना प्रस्ताव वापस लेने के लिये सभा की अनुमति मांगता हूं।

प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिया गया।
The motion was, by leave, withdrawan.

आधे घंटे की चर्चा
HALF-AN-HOUR DISCUSSION

गन्ने का मूल्य निर्धारण करना

Dr. Laxminarayan Pandeya (Mandsaur) : The Minister had stated in reply to a question about sugarcane price that there was no discontent among cane growers about the price of sugarcane. But the fact is that there is discontent among cane growers. They want that cane price should be increased. The price of Rs. 8.50 per quintal is very low. It is even less than the price of wood used as fuel. Prices of all agricultural inputs like fertilizers, seed and electricity and wages of labourers have gone up, but price of sugarcane has not been increased. While fixing the price of sugarcane cost of cultivation should be taken into account. There should be a representative of farmers in the Agricultural Prices Commission. Bhargava Commission has submitted its report but no action has so far been taken on this report.

There are arrears worth crores of rupees due to farmers particularly in U.P., Bihar and Madhya Pradesh. The Government should take suitable steps to protect the interests of farmers.

Sugarcane is largely reduced in U.P., Bihar and Maharashtra. But there are no research centres in these States. Research centres for cane should be set up in these states. Only then cane price can be increased. Besides sugarcane cultivation should be treated as industry.

Cane price is fixed on the basis of recovery. What are the reasons that percentage of recovery is more in Maharashtra and Karnataka than in U.P. and Madhya Pradesh ? Do the mill owners deliberately show less recovery so that less prices are paid to growers? Mill owners start their mills late. They should be asked to start their mills latest by 15th November 1977. It is true that Khandsari industry is in crisis today. By giving rebate in excise duty you have shown favour to sugar mill owners. Some rebate should be given to Khandsari industry also.

Today the ratio of levy and free sale sugar is 65 : 35. This ratio should be 70:30 so that public distribution system functions properly. If ratio of levy sugar is increased it will enable the rural people to get sugar at proper prices. At present people in villages are getting only small quantity of sugar. They should be given more sugar.

Sometimes there is crisis in gur industry at other times in Khandsari industry. It is because the Government do not have definite sugar policy. The Government should have a definite sugar policy so that cane growers, mill owners and khandsari people all get protection.

The Sugar Cane Act provides for penalising erring mill owners who do not pay dues of cane growers. But the procedure prescribed in the Act is defective. The erring mill owners do not get punishments. This Act should be amended so that it becomes effective in helping realisation of arrears due to growers.

Cane growers should get a minimum price of Rs. 20 per quintal for their sugarcane. If this price is paid to cane growers, mill owners will not suffer. Some relief in excise duty can be given to them. If this price is paid to growers it will help in removing their discontent.

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा उठाई है ।

गन्ना उत्पादक विशेषकर दक्षिण के राज्यों के गन्ना उत्पादन लाभप्रद मूल्य की मांग कर रहे है । मिल-मालिकों द्वारा लाभप्रद कीमत निर्धारित की जाती है । यही मिल मालिक किसानों का शोषण कर रहे हैं ।

किसानोंपर हर प्रकार के करलगाए गए है । किसानों को आवश्यक पदार्थ जैसे कीटनाशी औषधियों तक किसानों को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है । यह दवाइयों बाजार में बहुत महंगी दरों पर मिलती है ।

राज्य सरकारें गन्ने का मूल्य निर्धारित नहीं कर सकती । केन्द्र सरकार को किसानों की रक्षा हेतु आगे आना चाहिए ।

गन्ना उत्पादकों के लिए मूल्य ढांचे में कोई एकरूपता नहीं है । वर्तमान सरकार का रवैया भी कोई छूपा नहीं है । अन्ततः गन्ना उत्पादकों को गन्ने की खेती छोड़कर किसी अन्य लाभप्रद फसल की खेती करनी पड़ेगी । आप हमें यह आश्वासन दे कि देश भर के किसानों को गन्ने का लाभप्रद मूल्य दिया जाएगा ।

महाराष्ट्र में वसूली की प्रतिशतता सबसे कम है । आप को इन सब बातों की जांच करनी चाहिए । गन्ने का लाभप्रद मूल्य निर्धारित किया जाए और ऐसा करते समय संसद को विश्वास में लिया जाए । मैं मंत्री महोदय से इस संबंध में विशिष्ट उत्तर चाहता हूं आपने हाल ही मेरे जिले का दौरा किया है । यह बहुत पिछड़ा जिला है । छोटे गन्ना उत्पादकों को 100 फूट गहराई से पानी निकालना पड़ता है । पानी और बिजली की दर बहुत ऊंची है जो किसानों को तबाह कर देती है । अतः वर्तमान सरकार को इस मामले में कुछ करना चाहिए ।

Shri Subhash Ahuja (Betul) : Mr. Chairman Sir, on the one hand Government talks about safeguarding the interests of farmers and on the other hand they are fixing very low price for the sugarcane. This price is even less than the price of fire wood.

I have heard that Government has decided to stop the export of Gur. This decision will go against the interest of farmers and on account of this, there will be lot of discontent in the farmers. Once we stop export of Gur the price is bound to come down.

There are arrears worth crore of rupees due to farmers. The Government should get their money back from mill owners with interest.

Shri Gauri Shankar Rai (Gazipur) : Recently the Government has given rebate is excise duty to the mill owners. We expected that the farmers will get reasonable price for the sugar cane. Dr. Pandey has said that the price of sugar cane should be fixed at Rs. 20 per quintal. I only want that they should ensure the same price for sugarcane throughout the country which the farmer of Punjab is getting. This price is Rs. 15 per quintal.

If the export of Gur will be stopped it will have adverse effect on the farmers. It will be an anti-farmers action. It will definitely be considered a deliberate move to reduce the price of sugar cane.

If Government can give rebate in excise duty to mill owner. It can definitely subsidise the farmers in regard to price of sugar cane. I request that the export of Gur should not be stopped and the price of sugar cane should be increased.

The Government must be having something in mind while giving rebate to mill owners. I want to draw the attention of the Government to Khandsari industry. This industry is dying Government policy is to encourage the small scale industries. Therefore Khandsari industry should be exempted from excise duty.

When there is competition between Khandsari industry and sugar industry the farmer gets the remunerative price. But mill owners have always been trying to establish treir monopoly with the result farmer is left with no alternative except to sell its produce at whatever price the mill owners quote.

Shri Ram Dhari Shastri (Padrauna) : There are 253 sugar mills and seven thousand Khandsari units in the country. About two and half lakhs persons are engaged in sugar mills and about 10 to 12 crore farmers are producing sugar cane. But in order to protect the interest of mill owner Government is not allowing rise in the price of sugar cane. It has been reported that Government is planning to stop the export of Gur. This decision will definitely have adverse effect upon farmers.

As the Hon. Minister has admitted there is surplus. So far as the production of sugar is concerned then what is the need of imposing control only 15-20 percent people are getting sugar at 2 rupees and fifteen paisa per Kg. on control rate rest of the people at buying sugar at four or five rupees per Kg. in the open market. For the sake of only 20 per cent people the whole country should not be made to suffer. This artificial policy should be stopped. There is no justification in it. With the rebate in excise duty the sugar can be sold at Rs. 3 per Kg. in the open market. The consumption of sugar will also go up. It will become almost double.

The Government should clarify its policy regarding sugar cane. Price less than Rs. 15 per quintal is not remunerative for farmers.

Rebate in excise duty should be given to Khandsari industries also otherwise it will be considered as anti-farmer policy. The small industries will be discouraged and big industries will flourish.

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : Our country is surplus so far as production of sugar and Gur is concerned. The fact is that 25 lakhs tonnes of sugar is still lying in the sugar factories and there is no export market for the same. Under the circumstances it will not be advisable to increase the price of sugar cane. If the price is increased, this will give an incentive to producers to grow more sugar cane and the result will be that their crop will not be sold and ultimately they will be put at loss. Therefore taking a long time perspective we should not encourage 'production of sugar cane by raising its price. Instead the producers should be advised to grow other crops which may prove more profitable for them.

[Shri Bhanu Pratap Singh]

Secondly there should be some relationship between the price of raw material and the finished product. In fact there is no confrontation between the cane growers and mill owners. The confrontation is between the cane growers and consumers. It is not possible to enhance the price of sugar cane so long the consumer wants to purchase sugar at the present rate of Rs. 2.15 per Kg.

A question has been revised that why sugar mills have been allowed relief in excise duties as against the Khandsari mills. The reason is that the sugar mills have not been able to reimburse full cost of these production and they are accumulating losses. The condition of Khandsari mills is entirely different. Their cost of production is less and they have a profit margin. Therefore the question of giving excise duty relief to Khandsari mills do not arise.

So far as the export of gur is concerned it does not relate to my ministry. I will refer this matter to the concerned Ministry.

तत्पश्चात लोक सभा 15 दिसम्बर 1977/24 अग्रहायण 1899 (शक) गुरुवार के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Thursday the 15th December, 1977/Agrahayana 24 1899 (Saka).

भा०स०मू०ना०-वि०7-375 एल एस एस (नई दिल्ली)/77-1-4-78-200